राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10 चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का 39वां दिवस संख्या 23

गुरुवार,

दिनांक 22 अप्रेल, 1971

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.03 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण, सहकारिता, गृह, उपनिवेशन, पुनर्वास, नगर विकास न्यास, कृषि, जन स्वास्थ्य-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न 1

श्री किशनलाल वर्मा।

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों को आवंटित प्लाट्स

414. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय, सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर विकास न्यास, जयपुर ने अब तक जितने प्लाट्स का आवंटन किया है उनमें से अनुसूचित जाति के लिए कितने प्लाट्स अलॉट किये हैं और अनुसूचित जन जाति के लिए कितने प्लाट्स अलॉट किये हैं ?

(2) अब तक अलॉट किये गये कोटे में कितने प्रतिशत प्लाट्स अनुसूचित जाति के लोगों को और कितने प्रतिशत अनुसूचित जन-जाति के लोगों को अलॉट किये गये हैं ?

(3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के कितने प्रतिशत लोगों ने नीलामी में प्लाट्स लिये हैं ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री खेतसिंह) : (1) न्यास द्वारा 4300 भूखण्ड का आवंटन किया गया है उनमें से अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को 715 भूखण्ड आवंटन किये गये हैं।

(2) अनुसूचित जाति एवं जन-जाति दोनों को मिलाकर 17 प्रतिशत भूखण्ड आवण्टन किये गये हैं।

(3) नीलामी में प्लाटों की इस प्रकार की सूचना नहीं रखी जाती।

श्री किशनलाल वर्मा : 715 प्लाट्स जो आपने अलॉट किये हैं, उनमें से कितने तो अनुसूचित जाति के आदमियों को दिये गये और कितने अनुसूचित जन-जाति के आदमियों को दिये गये, यह अलग अलग बताने की कृपा करें।

श्री खेतसिंह : राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया था उसमें यह नहीं था कि

Page No 2

(श्री खेतसिंह)

अनुसूचित जाति के लिये तो इतने प्लाट्स रहेंगे और अनुसूचित जन-जाति के लिए इतने रहेंगे यह अलग अलग से तय नहीं किया था, निर्णय यह था कि कुल मिला-कर दोनों के लिये 15 प्रतिशत होना चाहिये।

श्री किशनलाल वर्मा : क्या यह सही है कि अनुसूचित जन--जाति के लोगों को बहुत कम प्रतिशत प्लाट्स अलाट किये हैं और ज्यादा प्लाट्स अनुसूचित जाति के लोगों को ही अलाट किये गये हैं ?

श्री खेतसिंह : इसकी जानकारी करली जावेगी ।

श्री किशनलाल वर्मा : और चीजों में जब अलग अलग प्रतिशत है, तो प्लाट्स की अलॉटमेंट में भी अलग अलग प्रतिशत क्यों नहीं रखा गया ?

श्री खेतसिंह : पहले भी इसमें कोई अलग अलग प्रतिशत नहीं था।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखाभाई): सर्विसेज में भी जो रिजर्वेशन है वह अलग अलग नहीं है। यदि सभी जगह जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से अलग अलग निर्धारण किया जाये तो उसमें कठिनाई होती है?

श्री किशनलाल वर्मा : क्या यह सही है कि अनुसूचित जन-जाति के लोगों को केवल थोड़े से ही प्लाट्स दिये गये हैं ?

श्री भीखाभाई : यह तो माननीय उप मंत्री ने बता ही दिया इसकी जानकारी कर ली जावेगी ।

श्री किशनलाल वर्मा : प्रतिशत का कोटा कायम कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामसिंह कुड़ी।

नागौर जिले के अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय

415. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) नागौर जिले में पी. डब्ल्यू. डी. के अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय जोधपुर से नागौर कब तक स्थानान्तरित कर दिया जावेगा ?

(2) क्या नागौर में पी. डब्ल्यू. डी. के अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय का भवन भी सहायक अभियन्ता कार्यालय भवन में विस्तार कर बना दिया गया है ? यदि हां, तो इस विस्तार में कितनी रकम, किस मद से व्यय की गई है एवं भवन में क्या विस्तार हुआ है ?

(3) क्या नागौर जिले के पी. डब्ल्यू. डी. अधिशासी अभियन्ता के पास अब केवल मात्र नागौर जिले का ही काम है एवं कार्यालय जोधपुर में है ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री खेतसिंह) : (1) विचाराधीन है।

(2) कार्य प्रगति पर है, मार्च 1971 तक 22,250 रुपये, 50 सार्वजनिक निर्माण विभाग, मूल कार्य भवन, द्वितीय सार्वजनिक निर्माण (आयोजन) मद से कराया गया है।

Page No 3

(श्री खेतसिंह)

(3) जी हां।

श्री रामसिंह कुडी : यह कब तक कर दिया जावेगा ?

श्री खेतसिंह : जहां तक काम के डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, नागोर जिला अलग कर दिया गया है। उसके आदेश हो गये हैं, लेकिन उनके हैडक्वार्टर्स फिलहाल जोधपुर में ही है और वे हटाकर नागौर में ले आने पर सरकार विचार कर रही है।

श्री रामसिंह कुडी : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया था कि उनका कार्यालय नागौर में ही रहेगा ?

श्री खेतसिंह : मैं आपसे निवेदन करदूं कि वह तय तो किया गया था लेकिन भवन की शार्टेज थी, और अब 22 हजार रुपये खर्च करके भवन को ठीक करवा दिया गया है और अब जल्दी शिफ्ट कर लिया जावेगा।

श्री रामसिंह कुडी : क्या यह सही है कि कार्यालय स्थापन करने का निर्णय लिया गया था लेकिन...

श्री खेतसिंह : अब तक तो जोधपुर में ही है, लेकिन बहुत जल्द शिफ्ट करने का विचार है !

श्री रामसिंह कुडी : क्या यह सही है कि 13-9-70 को एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर का कार्यालय नागौर में ले लिया गया था, लेकिन बाद में जोधपुर...

श्री अध्यक्ष : आर्डर : प्लीज। नेक्स्ट।

सफाई कर्मचारियों को वेतन

416. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) कितनी नगरपालिकाओं के सफाई कर्मचारियों को राणावत रिपोर्ट के आधार पर बढ़ा हुआ वेतन मिल चुका है और कितनी नगरपालिकाएं बाकी हैं ?

(2) जो नगरपालिकाएं बाकी हैं वे क्यों बाकी हैं? क्या उनके पास सरकार की स्वीकृति नहीं पहुंची है या उन नगरपालिकाओं के पास पैसे का अभाव है ?

(3) अब जिस जिस नगरपालिका के पास में पैसा है और जिन्होंने सफाई कर्मचारियों का बढ़ा हुआ पैसा नहीं दिया है उन्हें कब तक दिला दिया जावेगा ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री खेतसिंह): (1) राणावत आयोग की सिफारिश नगरपालिकाओं पर लागू नहीं होती है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने दिनांक 19-2-71 को यह आदेश प्रसारित किये हैं कि कतिपय शर्तों के तहत ऐसी नगरपरिषदें जिनकी गत वर्ष की राजस्व आय (पूंजीगत आय के अलावा) 20 लाख से अधिक हो वे अपने समस्त कर्मचारियों को दिनांक 1-4-70 अथवा उसके पश्चात् किसी अन्य तिथि से जैसा कि परिषद् प्रस्ताव पारित कर निश्चय करे, राणावत वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली वेतन-शृंखला दे सकती है। उक्त आदेश के तहत ऐसी नगरपरिषद् को जो इस आदेश के अनुसार

(श्री खेतसिंह)
वेतन देने का निर्णय करे, राज्य सरकार को अपनी आर्थिक स्थिति दर्शाते हुए एक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

निम्न चार नगरपरिषदों को उनके प्रस्ताव आने पर दिनांक 1-4-70 से प्रोवीजनल पेमेंट करने की स्वीकृति दे दी गई है:-

(क) गंगानगर
(ख) उदयपुर
(ग) जयपुर
(घ) कोटा

अन्य नगरपालिका के किसी भी श्रेणी के कर्मचारी को राणावत रिपोर्ट के आधार पर वेतन दिये जाने के आदेश दिये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(2) जैसा प्रश्न के खण्ड (1) में उत्तर दिया गया है, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं का फैसला है कि उनको एरियर्स दिये जायेंगे ?

श्री खेतसिंह : मैंने जैसा निवेदन किया, यह आदेश केवल नगर परिषदों के लिए है जिनकी आय 20 लाख रुपये से अधिक हो। अन्य नगरपालिकाओं के लिए यह ठीक नहीं समझा गया, क्योंकि किसी नगर पालिका की आर्थिक स्थिति इस साल ठीक हो सकती है, लेकिन दूसरे साल क्या होगा कह नहीं सकते, दूसरे साल खराब हो जाय तो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जायेंगे। इसके अलावा अगर एक नगरपालिका से दूसरी नगरपालिका में किसी का तबादला हुआ, तो मुश्किल पड़ जायेगी।

श्री हंसराज आर्य : क्या यह सही है कि एक ही प्रकार का काम करने वाले नगर पालिका में हैं और नगर परिषद में हैं, उनको समान वेतन नहीं मिले ? क्या यह आप उचित समझते हैं ?

श्री खेतसिंह : नगर परिषद् और नगरपालिका में फर्क है ।

श्री हंसराज आर्य : काम में फर्क है क्या ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखा भाई): यदि माननीय सदस्य की बात को मान लिया जाय तो कोई भी नगरपालिका अपने कर्मचारियों की वेतन शृंखला बढ़ा दें, वह सम्भव नहीं होगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो कर्मचारी मैला उठाते हैं, उनको तो देना चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : जिन नगर पालिकाओं की आय निर्धारित सीमा, 20 लाख रुपये से अधिक हो, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया वहां पर क्या सभी जगहों पर राणावत कमीशन के अनुसार वेतनमान निर्धारित किये गये हैं ।

श्री भीखा भाई : मैंने यह कहा है कि नगर परिषदों का किया है ।

श्री हंसराज आर्य : आपको आपत्ति क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : आप ने यह बताया है कि नगर परिषदों में इस प्रकार का वेतनमान तय कर दिया है, वह उनको देना शुरू कर दिया है या विचाराधीन है ?

श्री भीखा भाई : अभी देना शुरू नहीं किया है। जैसा कि उत्तर में बताया गया है, उदयपुर, कोटा आदि 4 स्थानों पर आदेश दे दिये गये हैं। अभी पालन नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या पालन कराने के लिए कुछ लिखेंगे या एडवाइज देकर मौन रह जायेंगे।

श्री भीखा भाई : वह देना पसन्द करेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यदि वहां के कर्मचारी अपनी मांगों के लिए हड़ताल करेंगे तो सरकार उनका सहयोग करेगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सरदार शहर से रावतसर तथा तारानगर से साहबा सडक की मरम्मत

417. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग की जानकारी में है कि सरदार शहर से रावतसर और तारानगर से साहबा सड़कों की दशा बहुत खराब है और ये बहुत बुरी तरह टूटी फूटी पड़ी हैं। इन सड़कों की टूट फूट के कारण आवागमन में बड़ी असुविधा होती है ?

यदि हां, तो इन सड़कों की मरम्मत कब तक पूरी करा दी जायेगी।

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री खेत सिंह) : (1) जी हां।

(2) सरदार शहर से पल्लू वाले भाग की मरम्मत का कार्य विचाराधीन है। तारानगर-साहबा रोड को ग्रामीण वर्क्स कार्यक्रम में स्वीकृत कर दिया है।

श्री दौलतराम सारण : यह कब तक निर्णय कर लिया जाएगा ?

श्री खेतसिंह यह मंजुरशुदा रोड है।

श्री दौलतराम सारण : साहबा रोड इस वर्ष में पूरी हो जायगी।

प्रश्न सं. 418

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये।)

प्रश्न सं. 419

श्री पी. के. चौधरी

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मजलिस खां।

इन्दोली पुलिस चौकी

420. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि थाना कामां के तहत इन्दोली पुलिस चौकी स्टेट के समय रही है ? यदि हां, तो क्या कारण था कि उक्त पुलिस चौकी को वहां से उठा लिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पुलिस चौकी ऐसे स्थान पर कायम थी जहां पहाड़ी क्षेत्र हैं, और भूमि भी ऊबड़ खाबड़ है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त चौकी के क्षेत्र में सदैव से लूट खसोट की वारदातें होती रहती हैं ? क्या यह भी सही है कि टेलीफोन के तार काटे जाने से विभाग तथा जनता को बहुत बडी कठिनाइयां और

(श्री मजलिस खां)
आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त परिस्थितियों को देखते हुए फिर से इसी स्थान पर पुलिस चौकी स्थापित की जावेगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि यह विषय सदन में पहले भी बार बार उठाया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस पर अब निश्चित रूप से विचार करेगी ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त पुलिस चौकी की पुरानी पुख्ता बिल्डिंग और पीने के पानी का पुख्ता कुवा भी मौजूद है ?

राज्य मंत्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां। भूतपूर्व रियासत भरतपुर के समय ग्राम इन्दोली के पास मुरार नाम से एक पुलिस चौकी थी जो राजस्थान बनने से पूर्व रियासत द्वारा ही उठाई गई थी

(2) जी हां। यह सही है।

(3) जी नहीं। लूटमार की वारदातें इस क्षेत्र में नहीं होती हैं। पिछले दिनों टेलीफोन के तार काटने की वारदातें कामां पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में हुई हैं जिससे सम्बन्धित विभाग तथा जनता को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा है।

(4) मामला विचाराधीन है।

(5) जी हां, यह सही है। इस विषय पर जल्दी ही निर्णय लिया जावेगा।

(6) जी हां। यह सही है लेकिन भवन की इमारत अब इस प्रकार जीर्ण-शीर्ण हो गई है कि उसमें इस स्थिति में चौकी नहीं रखी जा सकती।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

अधिकारियों के स्थानान्तरण

421. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार ने तीन वर्ष से अधिक अर्से से एक ही जगह कार्य कर रहे अधिकारियों को अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करने का कोई निर्णय लिया था ? यदि हां, तो मूल निर्णय एवं उनमें बाद में किये गये संशोधनों बाबत निर्णयों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सहकारी विभाग के अधिकारियों पर भी इस तरह स्थानान्तरण करने का राज्य सरकार का निर्णय था ? यदि हां, तो किन किन अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया एवं किन किन अधिकारियों का स्थानान्तरण अब किया जावेगा एवं कब तक ? सूची सदन की मेज पर रखने कष्ट करें।

उप मंत्री, सहकारिता (श्री खेतसिंह):

(1) जी हां, आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। मूल आदेश में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री रामसिंह कुड़ी: यह कब से लागू हुआ ? तिथि बताइये ?

श्री खेतसिंह: यह तो आपको आदेश की प्रतिलिपि दी गई है। कुछ ऐसे विभाग हैं। जिन पर यह लागू नहीं होती है।

Page No 7

श्री रामसिंह कुडी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि यह निर्णय किस तारीख से लागू है।

श्री खेतसिंह : तारीख मेरे पास नहीं है। आदेश मैं पढ़कर सुना सकता हूं।

श्री रामसिंह कुडी : वह तो मैं ही पढ़ सकता हूं। क्या इसने विभागीय अनुपालना प्राप्त करली है।

श्री खेतसिंह : यह तो मुख्यमन्त्री जी से पूछिये। मैं जवाब नहीं दे सकता हूं।

श्री रामसिंह कुडी : आप को पता नहीं है फिर जवाब कैसे दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह : यह अन्य विभागों के बारे में पूछ रहे है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिह : महेन्द्रसिंह का लेटर आ गया है।

श्री पृथ्वीसिंह (वाली) : अध्यक्ष महोदय, ये सारे विभागों के उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गम्भीरी परियोजना एवं औराई क्षेत्र में भूमि का आवंटन

422. श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) चित्तौड जिले के गंभीरी परियोजना व औराई क्षेत्र में किस किस व्यक्ति को कब कब कितनी कितनी भूमि का किस किस अधिकारी द्वारा आवंटन किया गया है ? आवंटितों की एक तालिका मय नाम व पूर्ण पते सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। कृपया यह भी बतायें कि इसमें सरकारी कर्मचारी कौन कौन से हैं और किस किस पद पर हैं ?

(ख) उपरोक्त आवंटितों में इस आवंटन से पूर्व कहां कहां कितनी कितनी भूमि काश्त में थी ? कृपया आवंटन हेतु प्रस्तुत विवरण में दिये गये विवरण के अनुसार तालिका प्रस्तुत करें।

(ग) इस परियोजना क्षेत्र में कितना और किस किस प्रकार का आरक्षण किया गया था और उसके अनुसार कितना आवंटन हुआ है।

(घ) इस आवंटन के लिये आवेदन-पत्र कब और किस दिन तक मांगे गये ? कितने आवेदन-पत्र आये और कितनों को भूमि का आवंटन किया गया ?

(ङ.) जिन व्यक्तियों के भूमि के आवंटन के पत्र खारिज किये गये उनमें भीलवाड़ा जिले की किस किस तहसील के कितने कितने हैं ?

(च) कितने व्यक्तियों को आवंटित एरिया अधिकार मिल गया और कितने को नहीं ?

श्री मनफूलसिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी पूरी जानकारी नहीं आयी है इसलिए इसको स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। केसरीसिंह हाड़ा।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ) : अध्यक्ष महोदय, यह बार बार स्थगित किया जाता है, और वहां पर अपने अपने आदमियों को एलाटमेण्ट किये जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप के चैम्बर में भी इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी।

श्री अध्यक्ष : कब तक उत्तर देंगे ?

श्री मनफूलसिंह : इसी सत्र में दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : कितने दिनों में दे देंगे।

श्री शोभाराम : यह प्रश्न राजस्व विभाग को भेज दिया गया है। वहां से लौट कर हमारे पास आया नहीं है। हमको पता चला तो 12 घण्टे में फाइल मंगाना मुश्किल था। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी चाहिए थी वह दे दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, वह हाउस में ये कब तक दे देंगे।

श्री शोभाराम : प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : मेरा मतलब है, यह स्थगित किया जा रहा है। इसका जो भी उत्तर हो, विद इन 15 डेज दे दिया जाये। (प्रश्न सं. 422) स्थगित किया गया। श्री केसरीसिंह हाडा।

शरणार्थी कैम्प, देवली

423. श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डोली) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) देवली स्थित शरणार्थी कैम्प में पूर्वी पाकिस्तान से कब और कुल कितने शरणार्थी आये ?

(2) शरणार्थियों के देवली कैम्प में आने के बाद कब कब कितने मरे ? इनकी मौत का क्या कारण था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इनके भोजन की व्यवस्था अब तक क्या रही और अब क्या है।

(4) शिक्षा व चिकित्सा का क्या प्रबन्ध है ?

(5) भोजन व दीगर कैम्प व्यय का मासिक खर्चा क्या होता है ?

(6) सरकार ने अब तक इन शरणार्थियों को कहां पर बसाने की योजना बनाई है। और उन्हें कब तक पूर्ण मुस्तकिल बसा दिया जावेगा।

(7) क्या यह सत्य है कि ये शरणार्थी कृषि परिवार के हैं। यदि हां, तो इन की परिवार कितनी कितनी भूमि काश्त की व्यवस्था व्यय के लिऐ और गृह निर्माण हेतु कितना कितना कर्ज व सहायता के रूप में रकम देने की योजना है।

8. कुल व्यय से कितने प्रतिशत रकम भारत सरकार से प्राप्त होगी और कितनी राज्य सरकार की ओर से देने की व्यवस्था की जा रही है ?

9. अब तक भारत सरकार से कितनी रकम मिल चुकी है ? और कितनी रकम मिलनी शेष है ?

राज्य मंत्री, पुनर्वास (श्री जयकृष्ण शर्मा) : 1. 4,162 व्यक्ति दिसम्बर, 1970 तक आये।

2. 138 निमोनिया, पेचिश, डायरिया, व कमजोरी आदि। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

3. इनके भोजन के लिये चावल 57 पैसे प्रति किलो अनुदान दर पर दिया गया है। तथा दिया जा रहा है।

4. देवली कैम्प में शरणार्थियों को निःशुल्क शिक्षा हेतु प्राथमिक पाठशाला व चिकित्सा हेतु एक एलोपैथिक व आयुर्वेदिक औषधालय का प्रबन्ध किया हुआ है।

5. चावल के अनुदान पर 30,000 रुपया केशडोल पर 57,000 रुपया प्रति माह व्यय होता है।

6. कोटा, जयपुर, सवाई माधोपुर व बून्दी जिले में भारत सरकार का अनुदान प्राप्त होने पर बसा दिया जावेगा।

7. शिक्षा, चिकित्सा, एवं सुरक्षा व्यय को छोड़ कर कुल व्यय का शत प्रतिशत राशि भारत सरकार से प्राप्त होगी। राज्य सरकार शिक्षा, चिकित्सा एवं सुरक्षा का 5% व्यय वहन करेगी।

9. अब तक भारत सरकार से 13 लाख रुपये प्राप्त हुये हैं। शेष 13.97 लाख रुपये भारत सरकार से प्राप्त होना है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री केसरीसिंह हाडा : क्या मन्त्री महोदय, यह बतलायेंगे कि जो मुख्य रोग उन्होंने निमोनियां आदि बताये हैं, क्या उनको ओढ़ने बिछाने का समुचित प्रबन्ध नहीं था? या शीत में रहने से मरे हैं। 5 माह 16 दिन में 138 मर गये हैं। अगर यही रफतार रही तो उनको बचाने का प्रश्न पैदा नहीं होगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : वह शुरू में बंगाल से आते ही मरे थे। बाद में मृत्यु संख्या बहुत कम है। जैसे साधारणतया मृत्यु होती है, वैसे ही कैम्प में होती है। जहां तक ओढ़ने बिछाने का सवाल है, उसको पर हैड के हिसाब से पहले से ही एक एक रजाई गद्दे की सुविधा दे दी गई थी।

श्री केसरीसिंह हाडा : अध्यक्ष महोदय, ये लोग सब कैम्प में रहते हैं। आप स्वयं जानते हैं कि कैम्प में कितनी सरदी होती है। मार्च के महीने तक आदमी मरते रहे हैं। बीमारी का पता नहीं लगा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि मरने की रफतार तेजी से चल रही है, क्या उनको बचाने का प्रयास नहीं करेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जहां तक बीमारी का सवाल है, वह सूची में दिया हुआ है।

श्री केशरीसिंह हाडा : सूची तो पढ़ने में नहीं आ रही हैं। अच्छी तो आपने रख ली है। यह रद्दी हमें दे दी है।

श्री दिग्विजयसिंह : यह सामान जो देते हैं, वह राज्य सरकार देती है या टेण्डर इनवाइट करते हैं?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अलग से टेन्डर्स इन्वाइट किए गए हैं।

श्री केसरीसिंह हाडा : 18–3–71 को 7 मरे, 19–3–71 को 2 मरे, 19–3–71

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)
को 15 मरे, 21 और 22 तारीख को भी मरे हैं, फिर कैसे कह रहे हैं कि नहीं मरे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप शायद गलत पढ़ रहे हैं।

134 पर जो मरा है वह 7 मास का बच्चा है, 135 पर जो मरा है वह दो मास का है, 136 पर जो मरा है वह 35 वर्ष का है, 137 पर जो मरा है वह डेढ़ मास का है और 138 पर जो मरा है वह 80 वर्ष का है। इसलिए आप मानेंगे कि पिछली 5 मृत्यु जो हुई हैं वह जिस प्रकार से अमूमन होती हैं उस प्रकार से हुई हैं, कोई एक महीने का बच्चा कोई 80 वर्ष का बुड्ढा, वह तो मरने की तारीफ में भी नहीं आते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप कह रहे हैं कि बंगाली विस्थापितों को बसाने के लिए जब तक केन्द्रीय सरकार स्वीकृति नहीं देगी तब तक राज्य सरकार उनको बसाने में असमर्थ है। आप कब तक उनको बसा देंगे, आप निश्चित तिथि बता सकते है? अगर आपने इनको 6 महीने के अन्दर नहीं बसाया तो ये अकर्मण्य हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपने बंगाली विस्थापितों में से कितने व्यक्तियों को सर्विस दी ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अलग से प्रश्न है, अगर पूछेंगे तो बता सकूंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : कब तक बसा देंगे ? कब तक जमीन देंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : स्वीकृति का मतलब पैसे से है।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्री प्रसाद गुप्ता।

अलवर जिले में सडक निर्माण कार्य

424. **श्री बद्री प्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में पिछले पांच साल में किस किस तहसील में कौन कौन सी सड़कों के बनाने की स्वीकृति दी गई और उनकी लागत क्या है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि बानसूर तहसील में खेड़ा व श्यामपुरा गांवों को सड़क निकालने की 1967 के आम चुनाव के पहले स्वीकृति दी गई और सड़क पर तामीर का मटीरियल भी गिरा दिया गया ? यदि हां, तो इसकी क्या लागत है ?

(3) क्या यह सही है कि खेड़ा श्यामपुरा की सड़क की तामीर नहीं कराई गई है ? यदि हां तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि बानसूर नारायणपुरा सड़क पर पुलिया नहीं बनवाई गई हैं और सड़क पर डामर का काम भी पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां तो क्यों ?

(5) क्या सरकार का बानसूर तहसील में कोई नई सड़क बनाने का प्रोग्राम है ?

उप मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री खेतसिंह) : (1) सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य तहसीलवार

(श्री खेतसिंह)
स्वीकार नहीं किए जाते हैं तथा कार्य के आंकड़े विभाग में तहसीलवार नहीं रखे जाते हैं।

(2) खेड़ा श्यामपुरा रोड का कार्य 1967 में आरंभ कराया गया था। मेटीरियल का मुल्य लगभग 8000 रु. है।

(3) जी हां अर्थाभाव के कारण।

(4) 2 पुलियों का निर्माण करा दिया गया गया है, अन्य पुलियों का कार्य तथा डामर कार्य अर्थाभाव के कारण संभव नहीं हुआ है।।

(5) जी नह

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय मेरा सवाल साफ है। अलवर जिले में पिछले 5 साल किस किस तहसील में कौन कौन सी सड़कों के बनाने की स्वीकृति दी गई और उनकी लागत क्या है लिस्ट नहीं दे रहे हैं। आप तहसीलों के बारे में सब जानते हैं एवायड करने की बात है।

श्री खेतसिंह : एवायड करने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपको मालुम नहीं है कि कौन कौन सी सड़कें वहां बनी ?

श्री खेतसिंह : यदि माननीय सदस्य··

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय कहते हैं जनवरी 1967 से कार्य आरंभ कराया गया था, 8000) का मेटेरियल पड़ा हुआ है। सिर्फ दो मील का है। कहते हैं अर्थाभाव है। क्योंकि वहां कांग्रेस हार गई इसलिए यह सब कुछ किया जा रहा अभी भी सडक टूटी नहीं है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : आपकी कान्सटीटयूएन्सी की सडकों पर मैं गया हूं। अगर कॉन्सटीटयूएन्सी के हिसाब से देखा जाय तो आपके यहां बहतरीन रोड्स हैं। खैरथल से लेकर कोटपुतली तक आपकी सड़के बहतरीन हैं।

श्री अध्यक्ष : कौनसे सन् में बनाई थी ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जब भी बनी थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलवर स्टेट के जमाने की हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपके गांव तक जो सड़क अलग से बनाई गई है वहतरीन है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लिस्ट दिलायें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपको हिसाब किताब बताया जा सकता है लेकिन जैसे कई साल पहले अलवर से बिजली 30 मील गई महज एक आपके गांव के लिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलवर से होकर कोटपुतली गई है। मेरे यहां टूटी पड़ी है। मेरा चौथा सवाल साफ था कि क्या बानसूर–नारायणपुर सड़क पर पुलिया नहीं बनवाये गये है ? कहते हैं फण्ड्स नहीं हैं। पुरानी सड़क को नहीं बनाया जा रहा है। जो मंजुरशुदा रकम है, दो मील का टुकड़ा है, मेटीरियल पड़ा हुआ है, फिर भी नहीं बनवाई।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपने कभी मुझे खत लिखा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके सामने दरख्वास्त नहीं की, आप नवाब साहब बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपने सवाल किया है तो जांच करा देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जानबूझ कर नहीं बनवाते हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अगर जान-बूझकर··

(दोनों साथ साथ बोलने लगें)

श्री विजयसिंह (मकराना) : आपको बनानी चाहिए सड़क।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अगर जानबूझ-कर करते तो आपके यहां मरम्मत नहीं होती है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अलवर क्षेत्र में बहुत सी सड़कें बहतरीन हैं लेकिन माननीय सदस्य के अनुमान से एक दो सड़कें बदतरीन हैं तो बदतरीन को बह-तरीन नहीं कर सकते ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपके यहां दो सड़कें बदतरीन हैं दूसरों के यहां··

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दो मील का टुकड़ा है, मन्जूर हुआ है. मेटीरियल पड़ा हुआ है··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज (मंत्री महोदय से) दो मील का टुकड़ा टूटा हुआ है, उसको जोड़ दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं साहब, मेटीरियल पड़ा हुआ है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने कहा आपने जो सदन में सवाल उठाया है, उस पर मैं विचार करूंगा··

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न-कर्त्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैंने कहा, उन्होंने कहा आपकी सड़क कैंसिल हो गई, गवर्नमेंट आर्डर्स हो गए।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं और आप मिलते रहते हैं, आप ही कह देते।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी आदत दरख्वास्त पेश करने की नहीं है। एक बार कांग्रेस एम. एल. ए. को कही थी, उन्होंने नहीं मानी तो मैंने उनसे कहना छोड़ दिया। मैं किसी की हाजिरी देने नहीं जाऊंगा।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय केवल दरख्वास्त से काम चलेगा या आपकी खिदमत में हाजिर होने के लिए कह रहे हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपकी खिदमत में मैं हाजिर होऊंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे कोई एत-राज नहीं चिट्ठी लिखने में लेकिन सड़क को कैंसिल करना, क्योंकि कांग्रेस का आदमी हार गया, यह ठीक नहीं है। मेटी-

Page No 13

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
रियल पड़ा हुआ है, फरवरी में सड़क मंजूर हुई ..

श्री अध्यक्ष : छोटी सड़क ने बहुत ज्यादा समय ले लिया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि अलवर जिले की कान्सीट्यूएन्सीज का रोड़ के नाम से जो पैसा था वह तिजारा में लगा दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत।

लाल कोठी स्कीम में अवाप्त भूमि

425. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत 2 वर्षों मे जयपुर नगर विकास न्यास की लाल कोठी स्कीम में जो जमीन एक्वायर की गई है उनमें से किन किन व्यक्तियों को एवज में रिहायशी प्लाट दिए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें हरेक कितने का एनटाइटल था और कितना उसे वास्तविक में तथा उसके कहने से दूसरों को कितने प्लॉट दिए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उपमंत्री नगर विकास न्यास (श्री खेतसिंह) : (1) तालिका संलग्न है।

(2) तालिका स्पष्ट है।

श्री भैरोंसिंह : यह मंजूर कब हुई थी ?

श्री खेतसिंह : 9-1-64 को।

श्री भैरोंसिंह : मंजूर कब हुई थी ? राज्य सरकार द्वारा मंजूर कब की गई। 9-1-64 को तो संशोधन किया गया।

श्री खेतसिंह : 12-12-68 को।

श्री भैरोंसिंह : नहीं हुई है।

श्री खेतसिंह : भूमि दिये जाने की सूची दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : मैं स्कीम के लिए पूछ रहा हूं, लालकोठी स्कीम मंजूर कब हुई है अन्तिम रूप से ?

श्री खेतसिंह : इसके लिये तो आप कह रहे हैं कि आपके पास सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास है, लेकिन आप भी तो बता दीजिये।

नगर न्यास मंत्री (श्री भीखा भाई) : मंजूरी के बिना तो एलॉटमेंट नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : आप बता दीजिये कि मंजूरी कब मंजूर हुई है ?

श्री भीखाभाई : योजना पूर्ण करने के बाद जो हाई पावर कमेटी होती है उस हाई पावर कमेटी के द्वारा मिनिमम प्राइस तय होती है और उसके अनुसार मिनिमम प्राइस निकाली गई है।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह पूछ रहा हूं कि इस स्कीम की अंतिम मंजूरी कब हुई है ?

श्री अध्यक्ष : इनके पास नहीं है, यह बात इसको ताइद करती है।

श्री भैरोंसिंह : ताईद तो करती है लेकिन मेरा क्वेश्चन इस पर ही डिपेन्ड करता है।

श्री खेतसिंह : इसको पोस्ट पोन कर दीजिये अगली तारीख तक।

श्री भैरोंसिंह : आप पूछ कर आ जायें।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं। लम्बा प्रोसेज है। पोस्टपोन्ड !

नैक्स्ट ! श्री गोरधन सोनी !

मेड़ता थाने में दर्ज केस

426. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तारीख 27–3–71 को प्रातः 11 बजे गोठन से मेड़ता आने वाली बस को मेड़ता के पास उपद्रवी तत्वों ने रोक कर बस के कांच फोड़े एवं बस के कन्डक्टर व अन्य व्यक्तियों को बुरी तरह पीटा गया ?

(2) क्या यह सही है कि जिन लोगों को पीटा गया उनकी तरफ से मेड़ता थाने में केस दर्ज कराया गया ? यदि हां, तो किन को पीटा गया एवं पीटने वाले कौन थे ? कृपया उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखें। कृपया यह भी बतायें कि उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि मेड़ता क्षेत्र में उपद्रवी तत्व बसों को रोक कर मारपीट करते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार यात्रियों को शांतिपूर्ण यात्रा के लिए एवं मोटर कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां, यह सही है।

(2) जी हां, इस घटना का मुकदमा नं. 16 धारा 147।427।440।336 ता. हि. तारीख 27–3–71 को थाना मेड़ता सिटी पर दर्ज करवाया गया है जो जेर तफतीश है। एफ. आई. आर. के अनुसार मुलजिमान रूपाराम साकिन शोभावास व इसके साथी विद्यार्थी हैं, जिनके नाम अभी तक मालूम नहीं हो सके हैं। बस नं. आर. जे. क्यू. 7702 के कन्डक्टर और ड्राइवर को पीटा है।

(3) जी नहीं।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, शोभावास के पास में ही पुलिस थाना है, इस घटना को एक महीना हो गया है, लेकिन मुलजिमान के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है। इससे उत्साहित होकर मोटरों पर हमला किया गया है। आपने तीन नम्बर का जवाब दे दिया, जी नहीं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी दो जगह मोटरों को रोका गया, उन पर पत्थर फैंके गये, उनके कांच फोड़ दिये गये और लोगों के साथ पिटाई की गई, मोटर वाले हड़ताल पर हैं, लेकिन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक महीना हो गया है और शोभावास थाने के पास में था तो यह मुलजिमान के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने साफ जवाब दे दिया है कि जो एफ.आई.आर. है उसमें

(श्री हीरालाल देवपुरा)
एक नाम दर्ज हुआ है, दूसरे मुलजिमान का नाम नहीं था, वह विद्यार्थी थे । वहां मजमा था, इसलिए किन किन उपद्रवी लोगों ने इस प्रकार की घटना की है, जब तक यह स्पष्ट नहीं होता है तब तक उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है । मैंने कहा है कि पुलिस मामले की तफतीश कर रही है ।

श्री अध्यक्ष : नामजद हुए या नहीं ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है · · · · ·

श्री हीरालाल देवपुरा : एक व्यक्ति नामजद हुआ है, जिसके विरुद्ध जांच की कार्यवाही चल रही है, बाकी के मुलजिमान नामजद नहीं हुए हैं ।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि यह व्यक्ति नाथूराम जी के समर्थक हैं इसलिए कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न !

श्री विजय सिंह : अलग से प्रश्न नहीं है, नागौर जिले के अन्दर नाथूराम जी के समर्थक लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कन्डक्टर और ड्राइवर को पीटा है इस लिए लोग बसों में सफर करने से डरते हैं । यह जो नाथूराम जी · · · ·

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा ।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वह इनको दबाते हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बिल्कुल असत्य है ।

श्री विजय सिंह : नाथूराम जी की चापलूसी करने के लिए आप फिरते हैं ।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, यह मुलजिम पकड़ लिया गया है रूपाराम, जब एक को पकड़ लिया है तो यह असम्भव नहीं है कि दूसरे मुलजिमान के नाम मालूम नहीं किये जा सकें । इससे साफ जाहिर होता है कि इस मामले को दबाया जा रहा है । यह एक मामला ही नहीं हैं, नागौर में इस तरह की कई घटनायें हुई हैं । लेकिन इस तरह पुलिस सक्रिय नहीं रहेगी तो जनता की जान व माल की रक्षा नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष : स्थिति क्या है, जो मुलजिम पकड़ा गया, उसने दूसरों के नाम नहीं बताये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, वहां मजमा था वहां झगड़ा हुआ था, बावेला हुआ था, क्योंकि स्पेसिफिक नाम जाहिर नहीं किये, इसलिए पकड़े नहीं गये । पुलिस इस मामले में सतर्क है और तफतीश कर रही है ।

श्री विजयसिंह : पुलिस कब से तफतीश कर रही है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में हिंसा का वातावरण फैल रहा है, यह सोचनीय स्थिति है । सरकार को भी इस सम्बन्ध में गम्भीरता

(श्री लक्ष्मणसिंह)

से विचार करना चाहिए। क्या आप यह नहीं समझते कि यह नक्सलाइट एक्टीविटीज की शुरूआत है? आपको यह मालूम नहीं है, अनुमान नहीं है कि जैसे सीलोन के अन्दर चेग्वेवाराइस्ट वातावरण पैदा हुआ, उसको वहां सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया, लेकिन अब सीलोन की सरकार के लिए वह बहुत मंहगा पड़ा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पड़ रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पड़ रहा है। ऐसी स्थिति के अन्दर, हिंसा का वातावरण, क्या यह आप अनुभव नहीं करते है, जनता के लिए बहुत हानिकर है, जनतंत्र की धारणा के विरुद्ध है? ऐसी स्थिति के अन्दर जनतंत्र के अन्दर आपकी सरकार विश्वास रखती है तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा और यह निवेदन करूंगा कि सख्त से सख्त कदम उठा कर इस हिंसा के वातावरण को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाय। अध्यक्ष महोदय, इतना और निवेदन करूंगा कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा राजस्थान की स्थिति बिगड़ी हुई नहीं है। मैं सरकार की, इस सम्बन्ध में जो भी इसकी नीति है, उस नीति का स्वागत करता हूं और प्रशंसा करता हूं लेकिन एक दफा स्थिति बिगड़ने लगी तो फिर उस पर काबू पाना मुश्किल हो जायगा। अतएव मैं सरकार का और गृहमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा और पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि सख्त से सख्त कदम उठाकर स्ट्रॉंग स्टेप्स लेकर हिंसा के वातावरण को सरकार को समाप्त करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में शांति व्यवस्था की ऐसी स्थिति बिगड़ी हुई है, खराब है कि दुनियां में कहीं नहीं है। फिर भी महारावल साहब सरकार की नीति का स्वागत करते हैं और प्रशंसा करते है।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी स्पष्टीकरण करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तक राजस्थान में हरिजनों को मारा जा रहा है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजीशन राजस्थान सरकार की तारीफ करते हैं, पुलिस की तारीफ करते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता ने जिस बात को लेकर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार के हिंसा के वातावरण का नागौर जिले के अन्दर उल्लेख किया, उस तरह का आमतौर पर हिंसा का वातावरण नहीं मान सकते हैं। जो घटना हुई है, उसके बारे में पुलिस सतर्क रही है, पुलिस ने समय समय पर वांछित कार्यवाही करके उचित कदम उठाये हैं, मुकदमों का चालान किया गया है और मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। यह हिंसा का वातावरण नहीं, छुटपुट घटनायें हुई हैं, और कोई बात नहीं है। पुलिस सतर्क है। फिर यह कहना कि नागौर के अन्दर नक्सलाइट्स का सन्देह नहीं करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस प्रकार नक्सलाइट्स एक्टीविटीज कह कर चलते हैं, वह नहीं हो रही हैं। फिर भी हर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बात के लिए पुलिस सतर्क है, ज्यादा से ज्यादा सतर्क है कि इस प्रकार की घटनायें नहीं हों।

श्री अध्यक्ष : भविष्य में सावधान रहेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : और भविष्य में और सावधान रहेंगे।

श्री विजयसिंह : वहां जो घटना हुई हैं उनको नाथूरामजी के कारण दबाया जा रहा है।

श्री गोरधन सोनी : मंत्री महोदय ने बिल्कुल असत्य कहा है, मोटरवालों के साथ ज्यादती की गई है। पेट्रोल निकाल लिया जाता है, छात्र पत्थर फेंकते हैं, और मार पिटाई करते हैं, लेकिन कार्यवाही मोटर वालों के खिलाफ की गई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री श्रवण लाल !

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

नहरी कमाण्ड एरिया की भूमि

427. **श्री श्रवणलाल (हिण्डोन) :** क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में नहरी कमाण्ड एरिया की जमीनें किस किस जिले में कितनी कितनी बीघा खाली पड़ी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त जमीनों को गांधी शताब्दी वर्ष में भूमिहीन हरिजनों को एलॉट नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों और यदि सरकार जमीनें एलॉट करना चाहती है, तो कब ?

राज्यमंत्री, उपनिवेशन (श्री मनफूलसिंह): (1) जो जमीन अब तक स्थाई रूप से आवंटित नहीं हुई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजनों को 67106) बीघा नहरी कमाण्ड जमीन एलॉट की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, जिस सूची का उल्लेख किया है वह सूची मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : आपने नहीं दी है सूची ?

श्री मनफूलसिंह : सूची भेज दी गई है।

श्री विजयसिंह : टेबल के नीचे पड़ी हुई होगी।

श्री अध्यक्ष : बैठे बैठे बोलने की इजाजत नहीं है।

दूसरा ले लेते हैं, तब तक सूची आ जाय।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आ गई है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पढ़ेंगे तब तक दूसरे सवाल का जवाब आ जाय।

श्री अध्यक्ष : पढ़ी हुई है।

श्री श्रवणलाल : सूची अभी मिली है इसलिए पढ़ूंगा।

प्रश्न सं. 424

श्री अध्यक्ष : पढ़ेंगे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामकिशन !

सदावल एवं बांसी पहाड़पुर में सड़क निर्माण कार्य

429. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

सदावल एवं बांसी पहाड़पुर (तहसील रूपवास, जिला भरतपुर) का सड़क का निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया गया है? यह काम अब तक पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं और अब यह सड़क कब तक पूरी हो जायगी।

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री खेतसिंह) : सड़क कार्य वर्ष 2964 में आरम्भ किया था। दो मील सड़क पूरी हो चुकी है। दो मीलों में कार्य भूमि अवाप्तगी के कारण रुका पड़ा हुआ है।

श्री रामकिशन : अब भूमि अवाप्ति की क्या पोजीशन है ?

श्री खेतसिह : अन्डर सैक्शन 6 आफ दी रेवेन्यू एक्ट नोटिस इश्यू कर दिये गये हैं। और रिमाइण्डर भेज दिये गये हैं। जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायगी, एक्जीक्यूशन के लिए ऑफिसर को कह दिया गया है कि वेल्यूएशन करके जल्दी से जल्दी भेज दें ताकि सड़क के काम को जल्दी किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

फिजूल भूमि बेचने का अधिकार

430. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या नगरपालिकाओं को नजूल भूमि को लीज होल्ड राइट पर बेचने का अधिकार प्राप्त है ?

(2) क्या 200 रुपये अधिक मूल्य के भू-खण्ड को लीज होल्ड राइट पर बेचने की स्वीकृति के अधिकार जिलाधीशों में निश्चित हैं ?

(3) सन् 1970–71 में जिलाधीश भरतपुर द्वारा कितने भू-खंडों को लीज होल्ड राइट पर बेचने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(4) कृपया जिलाधीश, भरतपुर की स्वीकृति से एफ 34 (14) 70–71 दिनांक 23-5-70 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उपरोक्त स्वीकृति के विरुद्ध सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(6) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित नगरपालिका अध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी गई थी ? यदि हां, तो कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) कृपया बतलावें कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उपमंत्री स्वायत्त शासन (श्री खेतसिंह):– (1) 25,000 से ऊपर की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं को ऐसे अधिकार हैं।

(श्री खेतसिंह)

(2) जी हां।

(3) 178 भू-खंडों की।

(4) प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी हां।

(6) जी हां। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(7) जिलाधीश से रिपोर्ट मांगी जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : कब मांगी और कब तक आ जावेगी ?

श्री खेतसिंह : जिलाधीश की रिपोर्ट मांगी गई है। एक जवाब यह भेजा है कि इस केस के मामले में राजस्व अपीलेट अधिकारी अलवर के पास विचाराधीन हैं। हमने उन्हें कहा है कि वस्तुस्थिति से हमें अवगत कराया जाय जल्दी ही रिपोर्ट आ जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकरलाल !

ट्रेक्टरों के लिये आवेदन पत्र

431. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैतारण तहसील के कितने काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र किन किन ट्रेक्टरों हेतु कब कब से किन किन के राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम में विचाराधीन पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन काश्तकारों को अभी तक ट्रेक्टर नहीं मिलने के क्या कारण हैं और अब कब तक मिलने की संभावना है ?

(3) क्या यह सही है कि इन काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र मिलने के बाद प्रेषित करने वाले कई काश्तकारों को व अन्य लोगों को ट्रेक्टर मिल गये जिससे कई काश्तकारों में असंतोष है ?

(4) जैतारण तहसील में कितने लोगों को कब–कब किस–किस मेक के ट्रेक्टर निगम बनने के पश्चात् मिल पाये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : (1) सूची को सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) इन काश्तकारों का प्राथमिकता सूची में नम्बर नहीं आने के कारण अभी तक ट्रेक्टर नहीं दिये गये हैं। चूंकि ट्रेक्टर का आवंटन भारत सरकार द्वारा ट्रेक्टर एलॉट करने पर निर्भर करता है, अतः यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि इन काश्तकारों को कब तक ट्रेक्टर का आवंटन किया जावेगा। ट्रेक्टर का आवंटन करने के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार आवंटन किया जाता है।

(3) जी नहीं।

(4) सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसी सूची दी गई है जो कि पढ़ने में बिल्कुल नहीं आती है।

Page No 20

श्री अध्यक्ष : मेरा भी यही हाल है।

श्री शंकरलाल : केवल नम्बर पढ़े जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरे यहां जितनी सूचियां आती हैं वे अस्पष्ट हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मुझे भी ऐसी सूची दी गयी है।

श्री शंकरलाल : दाना राम ने 68 में प्रार्थना-पत्र दिया, बुक कराया उसका सूची में नाम नहीं है।

श्री शोभाराम : इसकी जानकारी प्राप्त कर ली जावेगी। यह हो सकता है कि दूसरा मिला हो।

श्री शंकरलाल : मिला ही नहीं है।

श्री शोभाराम : यदि आप सूची देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सूची के अन्दर एप्लीकेशन और उसकी प्राप्त होने की तारीख दी गई है। किसी को छोड़ा नहीं है। यह आवंटन हुआ 47 होर्स पावर का धर्मसिंह को। 35 हॉर्स पावर के 14 हैं।

श्री शंकरलाल : कौनसा धर्मसिंह, किसी को मिला नहीं। सूची तो आपकी काम की ही नहीं है। इसलिये दानाराम के लिये पूछना चाहता हूं कि 68 में प्रार्थना-पत्र भेज दिया उसका अब तक पता नहीं।

श्री विजयसिंह (मकराना): प्रार्थना-पत्र के साथ सौ रुपये नहीं भेजे होंगे।

श्री शोभाराम : 68 में निगम की स्थापना ही नहीं हुई थी।

श्री शंकरलाल : देवड़ा ब्रदर्स जोधपुर के पास सौ रुपया जमा कराये और फग्यू‍र्सन के लिये जमा कराये थे। 68 हजार रुपया भी जमा करा दिया। इस प्रकार बहुत सों के नाम नहीं है। पांच को मिले हैं आपकी सूची के अनुसार जो पढ़ी नहीं जाती है।

श्री शोभाराम : फग्यू‍र्सन ट्रेक्टर अभी तक कार्पोरेशन के पास नहीं आया है। उनको लिखा उसकी तारीख का पता हो जो अभी बता दिया जाय कि क्यों नहीं मिला नहीं तो जानकारी कर लूंगा।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि डीलर्स के पास जो सूची थी उस पर क्या एक्शन लिया है? उनको भी इस सूची के साथ रखा गया?

श्री शोभाराम : आम तौर पर प्राइवेट एजेन्सी के पास होता था। चार-पांच एजेन्ट्स के पास बुकिंग किया गया था। जो DT-14 के आये वे बन्द हो गये। कार्पोरेशन के पास यह मामला पेश हुआ। हजारों बुकिंग प्राइवेट कम्पनीज के पास हो गये थे यदि उनको पहले प्राथमिकता देते हैं तो निगम के पास जिन्होंने सौ रुपया जमा कराया उनका दस साल तक भी नम्बर नहीं आवेगा। उनको कह दिया गया है कि निगम को यह हैंड ओवर कर दिया गया है। कुछ परसेन्टेज उसमें से एडजस्ट करने की बात हो सकती है। पूरी की पूरी नहीं हो सकती है। 69 के पहले दस पन्द्रह

Page No 21

(श्री शोभाराम)
हजार का बुकिंग था। उनको प्रायोरिटी दें तो नये आदमी को नहीं मिल सकते।

श्री पृथ्वीसिंह : डीलर्स के पास बुकिंग कराया तो उनके लिये यह जुर्म हो गया।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक दो के बारे में है। श्री के. पी. यू. मेनन, जब ज़िलाधीश पाली थे। उनको शो काज नोटिस दिया। उन्हीं से उत्तर प्राप्त होने पर राज्य सरकार इस मामले को समाप्त कर चुकी है। तीन से वापिस जमा करवा लिये हैं। 21 से 27 तक के लिए लिखा है कि निरस्त किये जा चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : यह लिखा है कि माल खाने में जमा कराने के लिये लिखा गया है कि वाकई जमा कर लिया ?

श्री विजयसिंह : यह मुद्दे की बात है।

श्री अध्यक्ष : वह मुद्दा उनके हाथ में है अब आपके हाथ में आने वाला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नोटिस में है कि जिन जिन के सम्बन्ध में अतिरिक्त कार्यवाही की गई है और उसका यहां विवरण है।

श्री हीरालाल देवपुरा : नोटिसेज किन दो को दिये गये हैं और नोटिस का जवाब आने पर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

श्री अध्यक्ष : नोटिसेज कब दिये गये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जिन 2 को नोटिसेज दिये गये, जिनका जवाब नहीं आया उनको फिर लिखा गया है। कार्य 15 दिनों में मुकम्मिल करके 2 माह में राज्य सरकार को सूचित कर दे, कलेक्टर को लिखा गया है।

श्री भैरोंसिंह : उस पर कह सकते हैं कि अधिकारियों से हथियार लिये, और जो सूची में प्रस्तुत हुए थे राज्य सरकार ने उन सब को नोटिसेज दिये हैं या कुछ को दिये हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : सूचना है उसके आधार पर सबको दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : उस पर कह सकते हैं कि जिन अधिकारियों का जवाब नहीं आया है उनको 15 दिन में जवाब देने के लिये कहा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : निश्चित में नहीं कह सकता हूं। सूची मांगी वह मैंने दे दी।

श्री भैरोंसिंह : दो गजेटेड अफसरों के सिवाय किसी ने भी हथियार वापिस नहीं किये ?

श्री हीरालाल देवपुरा: आफ हैन्ड नहीं कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : जवाब हमने पूछा तो जवाब देंगे आप।

स्थगित–प्रश्न

(31–3–71)

हथियारों का बेचान

169. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पुलिस माल गोदामों से बेचे गये हथियारों के मामलों में जो रिपोर्ट सतर्कता आयोग ने प्रस्तुत की थी, उसके अनुसार किस किस राजपत्रित अधिकारी को नोटिस दिया गया है और उनके खिलाफ अन्य क्या कार्यवाही की गई है ? जिन जिन राजपत्रित अधिकारियों को नोटिस दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

राज्यमंत्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जिन जिन राजपत्रित अधिकारियों को नोटिस दिये गये थे उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । जिनके खिलाफ अन्य कार्यवाही की गई है वह भी उपरोक्त सूची में अंकित कर दी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: शो कॉज नोटिस देने पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा: हर एक के सम्बन्ध में आगे की जो कार्यवाही की गई है वह सूची में लिखा हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह: उन अधिकारियों से हथियार वापिस मांगे गये ?

श्री हीरालाल देवपुरा: कई अधिकारियों के हथियार वापिस जमा भी हुए हैं और कइयों में निर्णय भी दिये गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह: शो कॉज नोटिस के द्वारा हथियार वापिस जमा कराने के लिये कहा गया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा: शो कॉज नोटिस दिया गया था कि क्यों नहीं हथियार वापिस ले लिये जायं और पैसा लौटा दिया जाय ।

श्री भैरोंसिंह: शो काज नोटिस के बाद कितने अधिकारियों के पास से हथियार लेने को कहा ?

श्री हीरालाल देवपुरा: वह तो जानकारी नहीं है । लेकिन जो है वह सूची में दिया है ।

श्री भैरोंसिंह: असली प्रश्न ही यही है कि जिनको शो कॉज नोटिस दिया है उन पर आपने क्या निर्णय लिया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा: जिन जिन के खिलाफ कार्यवाही हुई है वह सूची में अंकित नामों के सामने है। अलग से प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री भैरोंसिंह: यह कार्यवाही में शामिल हैं । तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की हैं ?

श्री अध्यक्ष: सूची में दर्ज तो है ।

श्री हीरालाल देवपुरा: स्पेसिफिकली किसी का जवाब नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह: हम तो यही जानना चाहते हैं कि किन्होंने नोटिसों का उत्तर दिया और किन ने नहीं और उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया, कितनों के शस्त्र जमा हुये और कितने जमा कराना चाहते हैं, और कितने बाकी रहते हैं जिन्होंने न जमा कराये हैं, न जवाब दिया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा: यह तो सूची में बताया है मैंने, अध्यक्ष महोदय ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो हथियार थाने में जमा होते हैं। उन पर उनकी कीमत अंकित होती है या नहीं। सरकार की बरीयत के लिये भी मैं इसे उचित समझता हूँ कि कीमत अंकित की जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, अध्यक्ष महोदय, कि क्या कार्यवाही की है सरकार ने। आज के दो वर्ष पहले भी यह प्रश्न उठाया गया था।

श्री अध्यक्ष : क्या अन्तिम कार्यवाही की गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : नोटिस दिये गये है! उनका जवाब आने के बाद आगे कार्यवाही की जावेगी। हम भी स्वयं चाहते हैं कि मामला जल्दी निपट जाय इसलिये कलेक्टर को हमने कहा कि 15 दिनों के नोटिस दे कर उनका जवाब लेकर दो माह के अन्दर अन्दर सरकार को सूचना दी जाय।

श्री अध्यक्ष : दो साल तक पत्रावली पड़ी रही। इसके बाद प्रश्न आने पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह थर्ड विजेलेन्स कमेटी की रिपोर्ट है मार्च 68 तक की। इसके पेज 17 पर यह लिखा है :

"राजस्थान विधान सभा के एक सत्र में, विभिन्न जिला मालखानों से आग्नेयायुधों के बेच देने के कतिपय आरोप लगाए गए। यह बताया गया है कि ये आयुध बहुत ही कम मूल्य पर बेचे गए और इन आयुधों को सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य प्रभावशाली तत्वों द्वारा अपने काम में लिया गया जिससे उन्होंने अनुचित लाभ प्राप्त किया मुख्य मंत्री ने सदन को यह आश्वासन दिया कि सम्पूर्ण मामला सतर्कता आयोग के पास भेजा जायेगा तदनुसार सरकार ने आयोग से जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिये निवेदन किया सरकार द्वारा भेजी गई आयुधों की सूची जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर संकलित की गई है।"

उसमें अन्त में निवेदन किया गया है कि "सरकार द्वारा पाई गई सूचनाओं के आधार पर यह संकलित की गई है" इसकी सारी डिटेल्ड रिपोर्ट देकर 1 मार्च 68 को यह रिपोर्ट सरकार को मिल गई थी। यह रिपोर्ट है मार्च 68 की और यह मामला इससे पहले उठा था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मार्च 68 में तथ्यों के आधार पर विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट आपके पास आ गई तो आज तक तीन साल में सरकार ने सिवाय नोटिस के और क्या कार्यवाही की ? फिर नोटिसों का जवाब नहीं आया।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने स्पष्ट निवेदन किया। अब देर लगी यह स्पष्ट है और इसके लिए मुझे स्वयं को खेद है। विभिन्न लोगों को कलेक्टर के मार्फत नोटिस दिये। किन्हीं के पते ठिकाने मालूम नहीं हो सके। नोटिस देने में इस कारण से काफी देर हुई। बहुतों को अभी तक पता नहीं मालूम है। पर यह व्यवस्था अब कर दी है कि सबके पास नोटिस पहुंचाये जाकर दो महीने में कलेक्टर सारी स्थिति से अवगत करा दें। फिर निर्णय

Page No 24

(श्री हीरालाल देवपुरा)
लेकर जो स्थिति होगी निवेदन कर दी जावेगी।

श्री भैंरोंसिंह : जिनका जवाब आ गया उन पर तो राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : काफी तो निर्णय लिये हैं।

श्री भैंरोंसिंह : क्या निर्णय लिये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो स्टेटमेंट आपको दिया है उसके अन्दर अङ्कित है हरेक के सामने।

श्री भैंरोंसिंह : जिनके निर्णय ले लिये उन्होंने फिर हथियार क्यों नहीं जमा कराये?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह : फिर आप किस बात का जवाब दे रहे हैं ? यही तो जानकारी चाही थी।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : आपने एक्शन लिया इसी बात का जवाब होगा यह कि किन किन अफसरों ने फिर हथियार जमा करा दिये हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इससे यह सम्बन्धित नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नहीं तो फिर क्या सम्बन्धित है ? कम कीमत पर जिनको हथियार दिए गये, दिये नहीं गये बल्कि आपाधाती करके बांट लिये गये तो इस पर तो यही एक्शन हो सकता है कि वे वापिस हथियार जमा करा दें। सारा मसला यह है, अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान सरकार के 16 ऊंचे से ऊंचे अधिकारी इसमें इन्वाल्व्ड हैं। सीनियर मोस्ट आई. ए. एस. और आई. पी. एस. सरीखे व्यक्ति इसमें हैं। अब सरकार उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है। जो इस तरह की चीजों को दबा कर बैठ जाते हैं उन्हीं को यह सरकार प्रोमोशन्स दे रही है और बात करती है उनके पते ठिकाने नहीं मालूम। आखिर जो रिटायर हो गये हैं उनको पेन्शन तो सरकार दे रही होगी, जो हथियार वे ले गये हैं वे किसी न किसी थाने में रजिस्टर तो हुए होंगे। वे छिप कहां सकते हैं ?

फिर सभी तो रिटायर नहीं हो गये हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रोमोशन के जो अधिकारी होंगे तो वह तो उनको दिया ही जावेगा। अब यह कहना कि सरकार उनको प्रोटेक्ट करती है। यह सही नहीं है सरकार किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है।

श्री भैंरोंसिंह : तो फिर सरकार बताती क्यों नहीं ? टालमटोल क्यों करती जा रही है ? कभी पते ठिकाने की बात करती है कभी कुछ बहाना लेती है कभी कलेक्टर के मार्फत नोटिस दिलाने की बात करती है। सन् 62 का यह मामला है। 62 में यह मामला विधान सभा में उठाया गया था। आज सन् 71 है। इन 9 सालों में सरकार ने एक भी अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो तो बता दें। सरकारी गोदाम से ज्यादा कीमत के हथियार कम कीमत में अपने नाम पर ले लें यह उन्होंने आफेन्स किया है। उन अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी का अन्जाम ठीक तरह से नहीं दिया।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह आफेन्स है यह इसलिये नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिन्होंने भी आर्म खरीदे हैं इसकी कमेटी बैठी थी, कमेटी ने निश्चित रेट तै की थी और उस रेट पर ही खरीदा था। जानबूझ कर रेट तै करवा कर नहीं खरीदा। उस कमेटी ने रेट तै की थी। अब कीमत वह कम तै की गई इसलिए वापस लेने की बात है।

श्री भैरोंसिह : कमेटी के मेम्बरों ने रेट्स कम तै करके अपने ही नाम पर वे हथियार ले लिये हैं या अपने रिश्तेदारों के नाम पर ले लिये, यह सवाल है।

श्री अध्यक्ष : इसमें इतना विलम्ब अनावश्यक है और यह चिन्ता का विषय है।

मैं चाहता हूँ कि विलम्ब को दूर करते हुए जितना शीघ्र हो सके, इस प्रश्न का निराकरण किया जाना चाहिये। मेरा ख्याल है इस प्रश्न पर दूसरा प्रश्न न आवे इसका प्रयत्न करें आप।

श्री हीरालाल देवपुरा : दो महीने के समय के अन्दर ही इसका फैसला कर दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिह : क्या भीखाभाई को भी नोटिस दिया गया है ?

ये भी हथियार खरीदने वालों की लिस्ट में हैं।

श्री अध्यक्ष: ये भीखाभाई वे नहीं होंगे।

श्री रामकिशन : भीखाभाई हथियारों का क्या करेंगे ? इनको तो तीर कमान की जरूरत है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : इनको तो तीर कमान चाहिये ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : ये तो हनुमान चालीसा पढते हैं।

श्री भैरोंसिह : क्या भीखाभाई ने जवाब दिया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो नहीं कह सकता हूँ, क्या जवाब दिया है ?

श्री अध्यक्ष : कलेक्टर के यहां होगा जवाब तो।

नेक्स्ट। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री। श्री देवीदत्त गाडिया।

श्री भैरोंसिह : जो ओरीजिनल लिस्ट है उससे कम्पेरीजन करें तो एक चौथाई अफसर रिटायरमेंट में चले गये हैं। तो अखीर जाकर सरकार कहेगी कि रिटायरमेंट में चले गये हैं इसलिये उन पर एक्शन नहीं ले सकते। दो–दो सौ, ढाई-ढाई सौ रुपये में इन्होंने वे हथियार हथिया लिये हैं जिनकी साधारण से साधारण कीमत ढाई तीन हजार से किसी तरह कम नहीं हो सकती। तो जो रिटायर हो चुके, मेरी जानकारी के अनुसार भी वे रिटायर हो चुके हैं, तो क्या उनको भी आप नोटिस देकर वापिस लेंगे या और कार्यवाही करेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कार्यवाही तो जो नियमानुसार जरूरी होगी की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ही और हैं।

श्री भैरोंसिंह : कई तो ऐसे हैं, अध्यक्ष महोदय, जिनको तीन तीन साल हो गये रिटायर हुए को।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरा एक स्थगित प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न भी स्थगित।

श्री श्रवणलालजी का प्रश्न भी स्थगित।

अलवर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. के चेयरमैन

418. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर के सन् 1967–68 और 1668–69 में चेयरमैन ने बैंक की चेयरमैनशिप कौन सी तारीख से किस तारीख तक की ? इस दौरान बैंक के मैनेजर कौन थे ?-

(2) क्या उक्त बैंक का आडिट 1967-68 और 1968-69 का हो चुका है ? यदि हां, तो दोनों आडिट रिपोर्टों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(3) इन दोनों वर्षों की आडिट रिपोर्टों में चेयरमैन और मैनेजर द्वारा किये गये कार्यों में आडिट पार्टी ने कौन कौन से आक्षेप लगाये हैं ?

(4) क्या आडिट के आक्षेपों पर चेयरमैन और मैनेजर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(स्थगित किया गया)

बाईस गोदाम कच्ची बस्ती के निवासियों को भू-खण्डों का आवंटन

419. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा एक समारोह में 22 गोदाम कच्ची बस्ती के निवासियों को भू-खण्ड आवन्टन कर आवश्यक आवन्टन-पत्र वितरित किये गये थे ? यदि हां, तो किस तिथि को यह कार्य किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समारोह में माननीय मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि इस बस्ती का विकास 26 जनवरी, 70 तक पूरा कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कच्ची बस्ती के निवासियों ने जमीन के पैसे न्यास में जमा करवा दिये हैं ? यदि हां, तो कितने निवासियों ने ? क्या इनको साइट प्लान व कब्जा दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कितने निवासियों को दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि 22 गोदाम बस्ती के भू-खण्ड कच्ची बस्ती के अन्तर्गत आते हैं और वे योजनाबद्ध रूप से बसे हुए हैं और इनका आवन्टन जयपुर रियासत के तत्कालीन प्रधान मंत्री सर मिर्जा इस्माईल द्वारा 1944 में किया गया

(श्री पी.के. चौधरी)

था ? यदि हां, तो तब से अब तक सरकार द्वारा इस बस्ती के विकास पर कितना रुपया व्यय किया गया है व कौन कौन से कार्य किये गये हैं ? यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं ?

(5) क्या ऐसी और भी कच्ची बस्तियां जयपुर नगर में हैं ? यदि हां, तो इनमें क्या क्या विकास कार्य किये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या इन व्यक्तियों का विकास कार्य अगली विकास योजना में है ? यदि नहीं, तो 22 गोदाम व अन्य कच्ची बस्तियों का विकास कब तक पूरा हो जायगा व अब तक विकास नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-9-69 को ।

(2) 26 जनवरी सन् 1970 तक विकास होने की आशा थी ।

(3) संलग्न तालिका से स्पष्ट है ।

(4) जी हां । नगर न्यास अधिनियम के अन्तर्गत योजना की स्वीकृति के अभाव में एवं राज्य सरकार की रोक के कारण विकास कार्य स्कीम 22 गोदाम कच्ची बस्ती हाथ में नहीं ली जा सकी ।

(5) सन् 1944 में योजना बद्ध रूप में भूतपूर्व जयपुर सरकार द्वारा बसाई गई अन्य कच्ची बस्तियां नहीं हैं ।

(6) सन् 1971-72 में कच्ची बस्तियों के विकास मद में 4 लाख रुपये का प्रावधान है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रिफ्यूजीज हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटीज को आवंटित प्लाट्स

420. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में सन् 1952 से पहले की रजिस्टर्ड कितनी रिफ्यूजीज हाउसिंग को-ओपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनका नाम और उनमें से हरेक सोसाइटी को कितने प्लाट्स अलाट किये गये, उसकी सूची देने की कृपा करें ।

(2) इन सोसाइटीज को किस-किस समय, कितना 'कितना' ऋण दिया गया, तथा उस ऋण में से कितनी रकम नकद व क्लेम एडजस्टमेन्ट द्वारा सरकार को वापिस मिल गई, और अब इन सोसाइटीज में कितनी रकम मूल की व कितनी रकम व्याज की बकाया है ? क्या यह बकाया रकम इन सोसाइटीज को स्वीकार है ?

उत्तर

जयपुर नगर में सन् 1952 से पहले की रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटीज 6 हैं जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

1. जयपुर पुरुषार्थी कोआपरेटिव सोसाइटी, जयपुर ।

2. पंजाबी को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जयपुर ।

(पुनर्वास मंत्री)

3. सिन्धी को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी।

4. जयपुर रिफ्यूजीज को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जयपुर।

5. पंजाब रिहेबिलिटेशन को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जयपुर।

6. विलेज रिलीफ रिकन्स्ट्रक्शन को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जयपुर।

उपरोक्त उल्लिखित प्रथम पांच सोसाइटी को 1458 प्लाट मकान बनाने हेतु अलाट किये। क्रम संख्या 6 पर उल्लिखित सोसाइटी को इस विभाग द्वारा कोई प्लाट एलाट नहीं हुआ है और न ही ऋण दिया गया है। प्लाटों की सूची संलग्न है।

(तालिका क)

उपरोक्त उल्लिखित 5 सोसाइटीज को कुल 30, 14, 370 रुपये का ऋण पुनर्वास विभाग द्वारा दिया गया था उसका विवरण संलग्न मानचित्र 'ख' में दिया गया है। इन सोसाइटीज से जो नकद व एडजेस्टमेंट द्वारा रकम वापस मिली है वह 25, 89, 816 रुपये है और जो रकम बकाया है उसका मिलान महालेखाकार, राजस्थान के कार्यालय से किया जा रहा है तथा वहां से मिलान होने पर हाउसिंग सोसाइटीज को मूल तथा ब्याज की सही बकाया रकम बताई जावेगी जो उनको स्वीकार होगी।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कामां पुलिस स्टेशन

422. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि थाना कामां पर स्टाफ क्वार्टर निर्माण के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है? क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने उक्त योजना को स्वीकार कर लिया है? यदि हां, तो उक्त क्वार्टर्स का निर्माण कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि सीकरी थाना की बिल्डिंग टूटी फूटी हालत में है? यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक करा दी जावेगी?

(3) क्या यह सही है कि कामां कस्बा पुलिस चौकी के लिए कोई भवन की व्यवस्था नहीं है? क्या यह भी सही है कि स्टाफ कस्बा पुलिस चौकी किराये के मकानों में रहता है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त पुलिस चौकी के लिए भवन निर्माण कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। थाना कामां में स्टाफ क्वार्टर्स निर्माण करने की योजना अभी विचाराधीन है।

(2) थाना सांगरी की इमारत पुरानी है और उसमें मरम्मत की आवश्यकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस इमारत की मरम्मत कराई जावेगी।

(गृह मंत्री)

(3) जी हां, कामां कस्बा की पुलिस चौकी व स्टाफ के लिए नये भवन की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है। अर्थाभाव के कारण अभी इसके लिए भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता।

कोटा जिले में डकैतियां व चोरियां

423. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) कोटा जिले में सन् 1967 से मार्च, 1971 तक कुल कितनी डकैतियां व कितनी चोरियां हुईं, व कितना कितना माल गया, तथा किस किस वारदात में गया, और कहां कहां कितने कितने लोग मारे गये ?

(2) उपरोक्त डकैतियों में पुलिस ने कहां कहां पर मुकाबला किया व कितना कितना माल बरामद किया ?

(3) उपरोक्त डकैतियों व चोरियों में किस किस मामले में पुलिस आज तक मुलजिमों को नहीं पकड़ पाई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

ग्राम डेडिया की पुलिस चौकी

424. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग द्वारा थाने की चौकियों के अलावा भी चौकियां लगाई हुई हैं ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं और जोधपुर रेन्ज में कितनी इस प्रकार की चौकियां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गांव डेडिया तहसील फलौदी में श्री भीखाराम के खेत पर आज चार वर्ष से पुलिस चौकी है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका वार्षिक खर्च कितना और वह कौन देता है और चौकी किस तारीख को किसके आदेश से कायम की गई है ? ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. जी हां। सुरक्षा की दृष्टि से जहां पर भी आवश्यकता होती है अस्थायी चौकी कायम की जाती है। जोधपुर रेन्ज में इस प्रकार की इस समय कुल चौकियां (1) गनगानी (2) कलाऊ के नाम से हैं।

(2) जी नहीं। पुलिस चौकी डेडिया ग्राम डेडिया में ही स्थित थी न कि भीखाराम के खेत पर। यह चौकी जनता के जान माल की रक्षा एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से राज्य सरकार के आदेश संख्या पी (1) (24) होम–ए–2166, दिनांक 26-9-66 के तहत कायम की गई थी, जो अब हटाई जा चुकी है। इस चौकी पर वार्षिक खर्चा 12,000) रु. का था, जो पुलिस विभाग द्वारा किया जाता था।

भीनमाल एवं जालौर सब-डिवीजन में चोरियां एवं कत्ल के मामले

425. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जिला जालोर के भीनमाल एवं जालोर सब-डिवीजन में 1 अप्रेल सन् 1968

Page No 30

(श्री गंगासहाय)

से आज तक कितनी चोरियों एवं कत्ल के मुकदमात दर्ज किये गये ? उनमें से कितनों में तफ़तीश पूर्ण होकर चालान पेश कर दिये गये व कितने मुकदमें अभी तक पेंडिंग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2), क्या यह भी सत्य है कि सांचोर तहसील के केरीहा गांव के सरपंच के यहां से महावीर एन्ड कम्पनी के कान्ट्रेक्टर के यहां से चोरी गया पाइप बरामद हुआ था और पुलिस ने उसे दूसरी जगह पर बताया था यदि हां, तो क्यों ? क्या उसकी तफतीश पूरी हो गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. वांछित सूची संलग्न है।

2. जी नहीं। यह सही नहीं हैं। श्री शंकर लाल, मैनेजर, चौधरी कन्सट्रेक्शन कम्पनी, गंगानगर ने 7 पाइपों के चोरी जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिस पर मु. नं. 23|1969 धारा 379 आई.पी.सी. में दर्ज किया जाकर तफतीश चालू की गई। चोरी गये 7 पाइप नदी में से बरामद किये जाकर मुकदमें में दिनांक :-11-69 को एफ. आर. अदम पता दी गई। सरपंच केरीया के यहां चोरी का माल बरामद होना तथा उसे दूसरी जगह से बरामद बताना असत्य है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

इन्दरगढ़ से करवर देई सड़क

426. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी की तहसील नैनवा में इन्दरगढ़ से करवर देई सड़क तथा करवर से समेधी-नैनवा का कार्य क्या अकाल राहत में किया गया था ?

(2) यदि हां, तो कितने कितने मील सड़कों का कार्य हुआ और कितना कहां कहां बाकी रहा तथा क्या इन सड़कों को अकाल राहत से सार्वजनिक निर्माण विभाग में लिये जाने की सिफारिश विभाग द्वारा करके योजना में लिये जाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि करवर से आतरदा ततवास सड़क का कार्य भी अकाल राहत में किया गया था ? यदि हां, तो कितना कार्य अब तक पूर्ण हो चुका है ?

(4) क्या राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय किया है कि राज्य भर को अकाल राहत की अधूरी सड़कों को पूर्ण किया जावे ? यदि हां, तो यह संदेश कब दिया गया और कौन कौनसी सड़कें जिला बून्दी में पूरी करने का सरकार विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन्दरगढ़ करवर देही तथा करवर से समेंथी नैनवा रोड्स में क्रमश 19.2 कि. मी. तथा 16 किलोमीटर मिट्टी का कार्य हुआ है, यह सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है।

(3) जी हां। मिट्टी का कार्य पूरा हुआ है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) ग्रामीण कार्य योजना के अन्तर्गत अत्यधिक अभावग्रस्त क्षेत्रों में अकाल राहत कार्य शामिल किये गये हैं, बूंदी जिला अत्यधिक अभावग्रस्त क्षेत्रों की सूची में शामिल नहीं है।

बारां से नाहरगढ़ बस मार्ग

427. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बारां से नाहरगढ़ वाया जलवाड़ा बस मार्ग है ?

(2) क्या यह सही है कि बराना ग्राम से नाहरगढ़ तक सड़क कच्ची है और इतनी खराब है कि समय पर बसें तक नहीं चल पाती हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सड़क को पक्का बनवाने हेतु इस प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। यह मार्ग इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है। सड़क को पक्का बनाने की कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

बारां–मांगरोल सड़क

428. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि बारां–मांगरोल सड़क पर कई स्थानों पर बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं और पुलिया के दोनों तरफ अभी तक रोड नहीं बनी है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

(स्थगित किया गया)

कामां का डाक बंगला

429. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कामां डाक बंगला भवन की मरम्मत कराने की आवश्यकता है ? क्या यह भी सही है कि कामां डाक बंगले की बाउन्डरी वाल जो मिट्टी की बनी हुई थी, बिलकुल बरबाद हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त भवन की मरम्मत कराने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि पहाड़ी रेस्ट हाउस जो तहसील भवन में है उसकी सड़क के पत्थर भी उखड़ उखड़ कर बरबाद हो रहे हैं और सड़क समाप्त होती जा रही है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कराने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु अर्थाभाव के कारण विशेष मरम्मत सम्भव नहीं हो रही है।

(2) सड़क की दशा साधारण है।

Page No 32

चूरू जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें

430. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान बनने के बाद चूरू जिले में कौन कौनसी सड़कें अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत की गईं ?

(2) प्रत्येक अभाव-ग्रस्त वर्ष में ऐसी प्रत्येक सड़क पर कुल कितना व्यय हुआ और कितनी लम्बी सड़क बन सकी ?

(3) ऐसी प्रत्येक सड़क की अब क्या स्थिति है ? प्रत्येक सड़क पर अब तक सब अकालों में कुल कितना कितना व्यय हुआ ?

(4) प्रत्येक सड़क की लम्बाई क्या है तथा विभागीय तखमीने के अनुसार उक्त प्रत्येक सड़क पूरी बनने में क्या व्यय होता है ?

(5) क्या उक्त सड़कों के नीचे आई भूमि का काश्तकारों को भूमि के बदले भूमि या मुआवजा दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(स्थगित किया गया)

चम्बल क्षेत्र की सड़क निर्माण योजना

431. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि डाकूग्रस्त चम्बल क्षेत्र में 500 मील की लम्बाई की सड़कों के निर्माण की योजना राज्य सरकार ने भारत सरकार को प्रस्तावित की है ? यदि हां, तो कब और इस योजना के अन्तर्गत किस जिले की कौन कौनसी सड़कें बनाने की प्रस्तावना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि केशोरायपाटन से लाखेरी जाने वाला कच्चा मार्ग दूसरी पंचवर्षीय योजना का जीता जागता अवशेष का प्रतीक है ? जब कि तहसील पाटन के मध्य में एक मात्र यही सड़क है और जबकि इस तहसील में ग्राम रंगराजपुरा में और ग्राम घाटा का बराना में डकैतियां पड़ चुकी हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सड़क को प्रस्तावित योजना में क्यों नहीं लिया है ?

(3) क्या यह तहसील चम्बल क्षेत्र से लगी हुई नहीं है ?

(4) क्या यह सत्य नहीं कि यह सारी तहसील चम्बल सिंचाई योजना के अन्तर्गत आती है और बरसात में सिवाय रेल के इस क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया जा सकता ?

(स्थगित किया गया)

लक्ष्मणगढ़ से खेड़ली सड़क का सर्वेक्षण

432. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या लक्ष्मणगढ़ (अलवर) से खेड़ली तक सड़क बनवाने की दृष्टि से कभी कोई सर्वेक्षण लक्ष्मणगढ़ से घौलागढ़, भनोखर–खेड़ली तक किया गया था ? यदि हां, तो

(श्री गंगासहाय)
कब और सर्वेक्षण के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

जी नहीं प्रश्न नहीं उठता ।

बारेठा से बसेड़ी तक सड़क की मरम्मत

433. श्री रामकिशन (बैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारेठा से बसेड़ी जिला भरतपुर की सड़क की अब तक निर्माण के बाद कितनी बार मरम्मत की गई है और उस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है।

(2) क्या यह सही है कि यह सड़क इतनी टूटी हुई है कि आवागमन के बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है ? इस वर्ष में सड़क की मरम्मत के लिए क्या प्रावधान किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) वार्षिक मरम्मत विभागीय गैंग द्वारा प्रतिवर्ष होती है विशेष मरम्मत नहीं की गई है।

(2) सड़क की दशा अच्छी नहीं है। कुछ मीलों में यातायात को थोड़ी कठिनाई होती है किन्तु अर्थाभाव के कारण सम्पूर्ण मीलों में एक सात मरम्मत कराया जाना सम्भव नहीं है।

जिला बून्दी के राजनैतिक पीड़ितों को भूमि का आवंटन

434. केशरी सिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी में राजनैतिक पीड़ित कितने हैं और उनको नकद व भूमि कहां कहां पर कितनी और कब दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनको किस माप दण्ड से राजनैतिक पीड़ित माना गया है ?

(3) शहीद श्री रामकल्याण के कितनी पत्नियां हैं और भूतपूर्व बून्दी राज्य के समय में शहीद श्री रामकल्याण के मारे जाने पर कितनी पेंशन अथवा वेतन दिया गया था और आज क्या दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान स्वतन्त्रता सेनानी सहायक नियम 1959 के अन्तर्गत इनको राजनैतिक पीड़ित माना गया है।

(3) उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्री राम कल्याण जी की दो पत्नियां हैं। दोनों को पहिले (बूंदी राज्य के समय में) बीस बीस रुपये मासिक पेंशन मिलती थी। अब प्रत्येक को 50), 50) रुपये मासिक कुल दिये जा रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

मंत्री मण्डल के सदस्यों को दिया गया कर्ज

435. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य सरकार द्वारा सन् 1967 से 1971 तक वर्तमान मंत्री-मण्डल के सदस्यों, राज्य मन्त्रियों व उप-मंत्रियों को

(श्री केसरीसिंह हाडा)
कितना कितना कर्ज दिया गया है और किस कार्य के लिये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कितने भूतपूर्व मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने राज्य सरकार से कर्ज प्राप्त किया था और जिसे वे नहीं चुका पाये हैं? ऐसी मूल रकम कितनी है और सूद कितना है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) वर्तमान मंत्री-मण्डल के सदस्यों में कितनी कितनी रकम मूल रूप में और कितनी रकम सूद में इस समय बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन की मेज पर रखदी है (परिशिष्ट-1)

(2) वांछित सूचना सदन की मेज पर रखदी है (परिशिष्ट-2)

(3) वांछित सूचना परिशिष्ट-1 के कालम 6 व 7 में अंकित करदी है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

ग्राम रोडू का औषधालय

436. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम रोडू तहसील लाडनूं जिला नागौर में एक 'सी' श्रेणी का औषधालय है ? यदि हां तो कब से ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त औषधालय को निर्धारित मात्रा में प्रति वर्ष दवाईयां सप्लाई नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) औषधालयों को प्रति वर्ष कितनी दवाईयां दी जानी निर्धारित की गई हैं ?

(4) उक्त औषधालय को कितना फर्नीचर कब सप्लाई किया गया और नहीं तो क्यों तथा उक्त श्रेणी के औषधालय के लिए कितना, फर्नीचर निर्धारित है ?

(5) क्या यह भी सरकार के ध्यान में है कि उक्त औषधालय ऐसे क्षेत्र में है जहां आस पास में कोई औषधालय नहीं है ? यदि हां, तो इस औषधालय की दवाइयां अधिक देने के बारे में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 1-2-60 से।

(2) जी नहीं।

(3) सी श्रेणी के औषधालय को प्रतिवर्ष 1200 रु. की औषधियां सप्लाई की जाती हैं।

(4) पर्याप्त फर्नीचर दिनांक 1-2-60 को ही सप्लाई किया गया था। सी श्रेणी के औषधालय के लिए निर्धारित फर्नीचर निम्न है।

मेज दो, कुर्सी 4, बैंच एक, स्टूल तीन, रोगी परीक्षण मेज एक, औषधवितरण टेबुल एक, अलमारी दो।

(5) इस क्षेत्र के पास चार मील की परिधि में ग्राम लेडी में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी मौजूद है।

(आयुर्वेद मंत्री)

आवश्यकतानुसार निर्धारित 1200 रु. की राशि से अधिक की औषधि भी दिये जाने का प्रावधान है।

भेड़ प्रजनन केन्द्र बाकलिया

437. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या भेड़ व ऊन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भेड़ प्रजनन केन्द्र वाकलिया, जिला नागौर में कृषि कार्य कब शुरू किया और शुरू से अब तक किस किस मद में कितनी कितनी आय हुई व कितना कितना व्यय हुआ? मदवाईज पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कितना कितना अनाज किस वर्ष में पैदा हुआ और उस पर कितना कितना मजदूरी का खर्चा हुआ?

3. इस फार्म पर कृषि के क्या क्या औजार कितने कितने मूल्य के हैं और उनका क्या उपयोग हो रहा है तथा कितने व्यक्ति इस कार्य में लगे हुये हैं?

(4) इस फार्म पर कृषि कार्य की क्या मूल योजना थी और उसमें कोई परिवर्तन किया गया हो तो कब और क्यों तथा आगे क्या योजना है। योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

भू-प्रबन्धक बैंक जालोर द्वारा ऋण

438. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या यह सत्य है कि भूमि बन्धक बैंक जालोर द्वारा पंपिंग सेट्स, ट्रैक्टर एवं भूमि विकास के लिये ऋण दिया जाता है? अगर हां, तो पिछले दो सालों में पंपिंग सेट्स ऋण, ट्रैक्टर ऋण एवं अन्य भूमि विकास ऋण व कुए बनाने एवं मेड़बन्दी के लिए पंचायत समिति वार कितना कितना ऋण किस किस को कब कब दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

2. क्या यह सत्य है कि पंपिंग सेट्स ऋण सिर्फ राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पंपिंग सेट्स के लिये ही दिया जा सकता है? अगर हां, तो जिला जालोर में खरीद के लिए काश्तकारों के लिए कौन से पंपिंग सेट्स राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कब कब किये गये हैं? उन स्वीकृत पंपिंग सेट्स में से कौन से पंपिंग सेट्स भूमि बन्धक बैंक जालोर द्वारा ऋण लेकर खरीदे गये?

3. क्या यह भी सत्य है कि भूमि बन्धक बैंक जालोर द्वारा ऋण प्राप्त कर कुछ अस्वीकृत पंपिंग सेट्स भी काश्तकारों द्वारा खरीद किये गये हैं? अगर हां तो कौन से कब कब किस किस के द्वारा खरीदे गए है? ऐसा करने के क्या कारण हैं? इस बारे में किन किन राज्य कर्मचारियों की जिम्मेदारी है एवं उस बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

4. भूमि बन्धक बैंक, जालोर द्वारा अब तक कितना ऋण काश्तकारों को वितरित किया गया है? क्या यह सत्य है कि अब राज्य की ऋण नीति के अनुसार उक्त बैंक में सचिव के पद पर प्रशासनिक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

के हित में एक सहायक रजिस्ट्रार ही कार्य कर सकते हैं ? अगर हां, तो इस बैंक में इस पद से निम्न स्तर का कर्मचारी सरकार की नीति के विरुद्ध क्यों कार्य कर रहा है ? अब उक्त बैंक में सहायक रजिस्ट्रार के स्तर का राज्य कर्मचारी सचिव पद पर कब तक नियुक्त कर दिया जावेगा ?

5. भूमि बन्धक बैंक, जालोर द्वारा पिछले दो सालों में किस किस पंपिग सेट्स के लिए कितना ऋण किस किस को कब दिया गया ? क्या यह सत्य है कि किसी राज्य कर्मचारी का अतुलशक्ति इंजिन में दूकानदारी में हिस्सा होने से ज्यादा ऋण इसी पंपिग सैट की खरीद के लिये दिया गया ? अगर हां, तो किस राज्य कर्मचारी का ? इस बारे में राज्य सरकार क्या कार्यवाही अमल में ला रही है ? क्या इस बारे में कई लोगों द्वारा शिकायतें की गई हैं ? अगर हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

1. जी हां । पिछले 2 सालों में पंपिग सेट्स, टेक्टर व अन्य भूमि विकास व कुए बनाने एवं मेड़बन्दी के लिये पंचायत समिति द्वारा कितना कितना किस किस को कब कब दिया की सूचना संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर है ।

2. जी हां । पंपिग सेट्स अब सिर्फ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक लि. द्वारा स्वीकृत पंपिग सेट्स के लिये ही दिया जाता है । स्वीकृत पंपिग सेट्स की स्वीकृति सूची संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर है । स्वीकृत पंपिग सेट्स में से निम्न पंपिग सेट्स के लिये भूमि विकास बैंक जालोर द्वारा ऋण दिया गया है ।

3. जी नहीं यह सत्य नहीं है कि भूमि विकास बैंक जालोर द्वारा ऋण प्राप्त कर कुछ अस्वीकृत पंपिग सेट्स भी काश्तकारों द्वारा खरीद कीये गये । इस प्रकार का मामला बैंक अथवा विभाग में नहीं आया अतएव किन्हीं भी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

4. भूमि विकास बैंक लि. जालोर द्वारा अब तक जब 36,97,279.25 का ऋण अकालकार्यों में वितरण किया गया ऋण नीति में ऐसा नहीं हैं कि उक्त बैंक में सचिव के पद पर प्रशासन के हित में सहायक रजिस्ट्रार कार्य करे । अतएव इस पद पर निम्न प्रकार के कर्मचारी का कार्य करते रहना सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं है ।

5. भूमि विकास बैंक जालोर द्वारा पिछले दो सालों में किस 2 पंपिग सेट्स के लिये कितना कितना ऋण दिया की सूची संलग्न परिशिष्ट 'स' पर है । किसी राज्य कर्मचारी का अतुल शक्ति इन्जिन में दूकानदारी में हिस्सा होने की जानकारी नहीं इस पंपिग सेट्स के लिये ज्यादा ऋण दिया । अतएव किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई अतः कार्यवाही की जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

तहसील सांचोर के ग्रामों में पानी की समस्या

439. (135 स्वा.शा.मं.) श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में काफी ग्रामों में नीचे का पीने का पानी खारा है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि ऐसे गांवों में नीचे का पानी खारा होने से कोई पीने के पानी के कुएं नहीं बन सकते ? अगर हां, तो तहसील सांचोर में ऐसे कितने ग्राम हैं जहां पीने के पानी की गम्भीर समस्या है ? गांव की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार ऐसे गांवों में जन स्वास्थ्य की दृष्टि से क्षेत्रीय जल योजनाओं के जरिये स्थानीय ग्रामीण लोगों को पीने का स्वच्छ मीठा पानी सप्लाई करने के लिए योजनाएं बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो किन किन ग्रामों की कौन कौनसी योजनाएं निकट भविष्य में सरकार बनाने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) कौनसी क्षेत्रीय योजना के लिए ट्यूब वेल्स कहां कहां बनाए जा कर पानी सप्लाई किया जावेगा ?

(5) उपरोक्त योजनाओं की क्रियान्विति कब तक तैयार की जाकर ग्रामीण जनता को मीठा पीने का पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

(6) जहां जहां जल योजनाएं सफल न हो सके ऐसे तहसील सांचोर में कितने ग्राम हैं ? उन ग्रामों के लिए मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या योजनाएं कब तक बनाई जावेगी ? क्या सरकार ऐसे गांवों के लिए बड़े बड़े पक्के टांके बनाना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो कहां कहां?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(3) जी हां, इसके बारे में जब तक पानी का स्रोत जिसकी सर्वे राजस्थान भू-जल मण्डल द्वारा की जा रही है तय नहीं हो जाता निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) यह तो नलकूप बनाये जाने के बाद ही निश्चित रूप से कहा जा सकता है।

(5) निश्चित जल स्रोत की उपलब्धि पर योजना बनाये जाने के बाद आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

(6) ग्रामों की सूची संलग्न है इन ग्रामों के लिये मीठे पानी उपलब्ध कराने की योजना निश्चित जल स्रोत मिल जाने के बाद ही बनाई जा सकेगी। कहां कहां टांके बनाये जायेंगे इसके बारे में योजना पूर्णरूप से बनाये जाने पर बताया जा सकता है।

[कृपया परिशिष्ट 10 देखिये]

Page No 38

बाड़मेर जिले की जल संकट समस्या के निवारण हेतु योजना

440. श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, राजस्थान ने बाड़मेर जिले में जल संकट समस्या के निवारण हेतु किन किन क्षेत्रीय जल प्रदाय ग्रामीण नल योजनाओं की सर्वे रिपोर्ट सम्पूर्ण तौर से तैयार कर दी है ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उनमें से कौन कौन सी योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं ? प्रत्येक योजना की स्वीकृत राशि का विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त स्वीकृत योजनाओं को कब से शुरू कर दिया जायगा और कब तक सम्पूर्ण कर दिया जायगा ? विवरण प्रत्येक योजना का अलग अलग देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में जिन 2 ग्रामीण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं की सर्वे रिपोर्ट सम्पूर्ण तौर से तैयार कर दी है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कोई भी योजना स्वीकृत नहीं हुई है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) क्योंकि अभी योजनाएं स्वीकृत ही नहीं हुई हैं अतः पूर्ण किये जाने का व प्रत्येक योजना का अलग अलग विवरण देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

441. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में पेय जल की कई योजनाएं राज्य सरकार के विचाराधीन पड़ी हैं परन्तु आज तक कलऊ, मानीयाना के अलावा एक भी योजना स्वीकृत नहीं की गई है ? अगर हां तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिलाधीश, अकाल सलाहकार समिति व जिला परिषद ने नीचे लिखी योजनाओं के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है—

1. खुटी अड़बाला
2. बरडानालवारकी
3. जिझनियाली-बईया, सिडोर तेज रावा इत्यादि।
4. राजमथाई, बलाड बिसनोडाई, कजोई स्वामीजी की ढाणी, पार की ढाणी, रावतसिह की ढाणी व फलसून्ड योजना।
5. बिदा सर, कनोई, दामोदरा सलखा इत्यादि।
6. रणाउ रामगढ योजना।

(3) इन योजनाओं को स्वीकृत नहीं करने के क्या कारण हैं ? और इनके सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

1—जी हां, केवल एक योजना जिसका नाम उजला क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है, अभी हाल ही में बनाई गई है। और यह स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

2. जी हां।

3. इन योजनाओं के सर्वेक्षण हेतु आवश्यक निर्देश दिये जा चुके है। योजना बनाई जाने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

ग्राम निम्बीजोधा की जल प्रदाय योजना

442. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम निम्बीजोधा, जिला नागौर में जल प्रदाय योजना का कार्य किया गया था? यदि हां, तो कब और उस पर अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस योजना से गांव को पानी सप्लाई नहीं किया जा सका है।

(3) क्या यह भी सत्य है कि इस योजना के लिए पानी लाडनूं से लाना मन्जूर किया गया है? यदि हां, तो कब और उसमें कितने रुपये खर्च होंगे, और किस किस वित्तीय वर्ष में कितना कितना कार्य होगा? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस योजना के लिए जन सहयोग की राशि भी जमा कराई गई है? यदि हां, तो कितनी कितनी राशि किस किस ने कब कब जमा कराई?

(5) उक्त योजना से गांव को पानी कब तक सप्लाई किया जा सकेगा?

(6) क्या यह भी सत्य है कि इस योजना के पेटे ग्राम पंचायत में भी कोई राशि बकाया है? यदि हां, तो कितनी?

(7) क्या इस योजना पर किसी दानदाता का नाम भी लिखा जावेगा? यदि हां, तो किस व्यक्ति का?

(8) लाडनूं पानी लाने के पहले आस पास के क्षेत्र में पानी है या नहीं, इस की जांच किस प्रकार से की गई और क्या नतीजा रहा?

(9) पूर्व में बनाई गई योजना के लिए जिस गांवाई कुए से पानी लेना था, उसको जांच किसके द्वारा करवाई गई थी और नतीजा क्या रहा था?

उत्तर

1. जी हां, कार्य अगस्त 65 में प्रारम्भ हुआ एवं जुलाई 68 में सम्पूर्ण किया गया। अब तक कुल 2.63 लाख रुपया व्यय किया गया, विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

2. जी हां, कुऐ में पानी अपर्याप्त था और संधारण व्यय अधिक होने के कारण

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
पंचायत ने साधारण व्यय जमा नहीं कराया।

3. जी हां, दिनांक 5-2-71 को लगभग 3,00,000 रुपये। कार्य प्रतिवर्ष धनराशि के आवंटन पर किया जावेगा पूर्व विवरण सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

4. इस योजना के लिए जन सहयोग की धनराशि रुपये 7,500।-ग्राम पंचायत की ओर से श्री दुलीचन्द रामकुमार सारदा ने दिनांक 23-3-71 को जमा कराई है।

5. धन राशि एवं सामग्री की उपलब्धि पर इस योजना से गांव को पानी वित्तीय वर्ष 72-73 के अन्त तक सप्लाई किया जा सकेगा।

6. जी हां, रुपया 6, 750।-

7. जी नहीं।

8. इसकी जांच राजस्थान भू-जल मण्डल द्वारा निम्बी जोधा में नलकूप बनाकर की जा चुकी है और उनकी रिपोर्ट के अनुसार आस पास कहीं भी पीने लायक पानी नहीं है जो कि इस ग्राम की योजना के लिये पूरा पड़े।

9. राजस्थान भू-जल मण्डल द्वारा उक्त कुओं की जांच की गई थी और उनके मुताबिक उसमें पर्याप्त जल था परन्तु जब स्कीम चालू की गई तो अकाल की वजह से पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सका।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

443. श्री दौलत राम सारण (डूंगरगढ़): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सन् 50 से अब तक चूरू व बीकानेर जिलों के किन किन व्यक्तियों को गंगानगर जिले के नहरी क्षेत्र में कितनी कितनी भूमि कहां कहां और कब कब अलाट की गई है? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) प्रत्येक अलाटी ने कब प्रार्थना-पत्र दिया कब उसे भूमि अलाट हुई? उसने कब्जा कब लिया, तथा उस भूमि का लगान कब कब किस के द्वारा जमा हुआ?

(3) अब उस भूमि पर कौन कब से काबिज है?

उत्तर

1. सूचि संलग्न है।

2. सूचि संलग्न है।

3. सूचि संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरकारी बंगलों की भूमि पर फसलें

444. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भाखरा क्षेत्र की हनुमानगढ़ जंक्शन की कालोनी व सिंचाई विभाग

Page No 41

[redacted]

(श्री हंसराज आर्य)

की कालोनी में सरकारी बंगलों में किस किस कर्मचारी ने खरीफ की तथा रबी की फसलें काश्त कर रखी हैं तथा कितने कितने रकबे में ?

(2) क्या वे फसलें सरकार ने बोली बुलवा कर नीलामी कर दी हैं ?

(3) यदि हां, तो किस किस बंगले की कितनी कितनी बोली हुई है ?

(4) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या वे फसलें नाजायज काश्त नहीं हैं ?

(5) यदि हां, तो क्या वे फसलें कुर्क की जावेंगी ?

(6) यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

(7) बंगलों की फसलों में पानी कहां से लगाया जाता है ?

(8) क्या उस पानी का पैसा कर्मचारियों से वसूल किया जाता है ?

(9) गंगानगर कस्बे के सरकारी बंगलों में किस कर्मचारी ने कितने कितने एकड़ भूमि काश्त कर रखी है और क्या जिन्स काश्त है ?

(10) हनुमानगढ़ व गंगानगर दोनों स्थानों की बंगलों की नाजायज काश्त भूमि की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

1. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. जी नहीं।

3. प्रश्न नहीं उठता।

4. बंगलों की फसलें नीलाम नहीं की जाती। न ही उनके अन्दर की गई काश्त अवैध मानी जा सकती है।

5. प्रश्न नहीं उठता।

6. प्रश्न नहीं उठता।

7. नहरी पानी लगाया जाता है।

8. जी हां। नियमानुसार आबियाना वसूल किया जाता है।

9. सूची संलग्न है।

10. प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

कृषि उपज मं ी समिति की आय

4:5. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समितियों की मारफत मंडियों में अनाज व अन्य कृषि उपज का माल बेचा जाता है ? यदि हां, तो कुल कितना माल सन् 1969-70 व 1970-71 में मंडी उपज समितियों की मारफत बिक्री हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा कृषि उपज के माल की बिक्री करने के लिये व्यापारियों को लाइसेन्स दिया जाता है ? यदि हां, तो कुल कितने व्यापारियों को लाइसेन्स दिया

(श्री रामचन्द्र आर्य)

गया ? सन् 1969–70 व 1970–71 की मंडी समितिवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समितियों को काफी आय होती है ? यदि हां, तो सन् 1969–70 व 1970–71 में कुल कितनी आय हुई है ? समितिवाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

1. मंडी समितियों की मारफैत माल नहीं बेचा जाता है ।

2. जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

3. मंडी समितियों को सन् 1969-70 व 1970-71 में होने वाली आय की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

पम्पिंग सेटों व ट्रैक्टरों हेतु ऋण

446. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1 पंचायत समिति क्षेत्र में कितने पम्पिंग सैटों व ट्रैक्टरों के लिए गत 3 वर्षों में कितने व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किये गये हैं ?

2 कितनी धनराशि आज तक भूमि विकास बैंक से इस क्षेत्र के किसानों में वितरित की गई ?

3 क्षेत्र के ऋण प्राप्तकर्ताओं में कितने अनुसूचित जाति के हैं और कितने अनुसूचित जन-जाति के हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(31-3-71 व 15-4-71)

नगरपालिकाओं के अधीनस्थ कर्मचारी

159. श्री लालचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं में 24-11-63 के पूर्व नियुक्त सभी अधीनस्थ व लिपिक वर्गीय कर्मचारी राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ व लिपिक-वर्गीय सेवा नियम, 1963 के सेवा के सदस्य हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और किस प्रावधान के तहत वे सेवा में सदस्य नहीं हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन सेवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इन सेवा नियमों में निर्धारित वेतन शृंखलायें कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार ही दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो ऐसा कौनसा नियम है जिसके तहत सरकार शर्त अथवा प्रतिबन्ध लगा सकती है ?

(3) क्या यह सही है कि इन नियमों के तहत जिस अधिसूचना द्वारा 1-4-64 से वेतन शृंखलायें निर्धारित की गई हैं उस सूचना में सरकार ने वेतन शृंखलाओं को पुराने कर्मचारियों पर लागू करने के लिए

Page No 43

(श्री लाभचन्द बैद)
कुछ शर्तें व प्रतिबन्ध लगाये हैं ? यदि हां, तो ये शर्तें प्रतिबन्ध इन नियमों के किस प्रावधान के तहत लगाये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि नगरपालिका रायसिंहनगर, सुजानगढ़ व चूरू ने दिनांक 1-4-64 से अपने अपने उन एसेसरों को इन नियमों में निर्धारित वेतन शृंखलायें देने के आदेश दिये थे जो कि इन नियमों के प्रभावशील होने से पहले ही नियुक्त थे ?

(5) क्या यह सही है कि इन उपरोक्त नगरपालिकाओं में से किसी नगरपालिका के ऐसे आदेश को सरकार ने स्थगित कर रखा है ? यदि हां, तो वह कौनसी नगरपालिका है और किस नियम के तहत ? स्थगित करने के बाद क्या उस आदेश पर आज तक कोई निर्णय लिया गया है ?

(6) क्या यह सही है कि इन उपरोक्त नगरपालिकाओं के इन एसेसरों को सरकार ने भी इन सेवा नियमों का सदस्य स्वीकार किया है ? यदि हां, तो किस तारीख और सन् से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(2) जी नहीं। राजस्थान नगरपालिका (अ. व.लि. व. सेवा) नियम, 1963 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। किन्तु उक्त नियमों के नियम 32 के अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता है।

(3) जी हां। उक्त सेवा नियमों के नियम 32 के तहत ऐसा किया जा सकता है ?

(4) जी हां।

(5 जी हां। नगरपालिका, चूरू। नियमों के अनुसार। जी नहीं।

(9) यदि ऐसे सदस्य उक्त सेवा नियमों के नियम 6 के प्रावधानों में समाविष्ट है तो सेवा के सदस्य हैं।

स्थगित प्रश्न
(31-3-71 व 15-4-71)

नगरपालिका कोष से स्वागत सत्कार

165. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका, लाडनूं जिला नागौर के एक सदस्य ने सरकार के पास यह शिकायत की थी कि नगरपालिका कोष से स्वागत सत्कार के लिये 2000) रु. की राशि पालिका कोष से खर्च की गई वह गैर-कानूनी है ? यदि हां, तो कब और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि नगरपालिका कानून में नगरपालिका कोष को खर्च करने के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकतायें निर्धारित की हुई हैं ? यदि हां, तो किस प्रकार से ?

(3) क्या यह भी सही है कि स्वीकृत बजट से इस प्रकार का खर्चा करने का कोई

(श्री हरजीराम बुरडक)
प्रावधान नहीं था ? यदि हां, तो यह राशि कैसे खर्च की गई ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि जिस रोज यह राशि पालिका कोष से निकाली गई उस रोज हरिजन कर्मचारियों की तनख्वाह बकाया थी ? यदि हां, तो किन किन की तनख्वाह बकाया थी ? और कितनी कब कब से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या सरकार यह महसूस करती है कि वह खर्चा गलत हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नगरपालिका अपने कर्तव्य के निष्पादन एवं अधिनियम में निर्देश प्रयोजनों के लिये नगरपालिका निधि का प्रयोग कर सकती है। राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से नगरपालिका ऐसे प्रयोजनों के लिये जो सार्वजनिक हित में होगें व्यय कर सकती है। किन्तु ऐसा करते समय नगरपालिका मंडल निम्न प्राथमिकता को ध्यान में रखेगी:—

(अ) वैध रूपेण मंडल पर आरोपित अथवा उसके द्वारा स्वीकृत प्रन्यास से पैदा होने वाले दायित्व तथा ऋण।

(आ) किसी भी किये गये ऋण का वापस भुगतान अथवा उस पर के ब्याज का भुगतान।

(इ) स्थापना व्ययों का भुगतान तथा धारा 307 तथा 308 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों का वेतन भत्तों तथा निवृत्ति वेतन का भुगतान।

(ई) इस अधिनियम की धारा 285 तथा 291 अथवा किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत नगरपालिका निधि में से दी जाने के लिये आज्ञा दी गई कोई भी राशि अधिनियम की धारा 101 (एम) के तहत नगरपालिका संकल्प पारित कर सार्वजनिक स्वागत एवं उत्सव आदि का आयोजन कर सकती है।

3. 1970-71 के स्वीकृत बजट में स्वागत समारोह के मद में 500) रुपये का प्रावधान था। नगरपालिका ने यह स्वागत समारोह मंडल के प्रस्ताव दिनांक 22-1-71 के क्रियान्वित एवं राज्य सरकार की स्वीकृति की उम्मेद में किया।

4. जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

5. जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(15-4-71)

ग्राम बूसी में दुर्घटना से मृत्यु

289. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बूसी (जिला पाली) में तारीख 27-6-70 को एक भयंकर दुर्घटना घटी जिसमें कई लोग मृत्यु को प्राप्त हुए व अनेकों घायल हुए ?

(श्री फूलचन्द बाफना)

यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने मरे व कौन कौन (प्रत्येक के नाम व पति या पिता के नाम सहित) मरे व कितने घायल हुए व कौन कौन (प्रत्येक के नाम व पिता या पति के नाम सहित) व किस किस गम्भीर रूप में (कैसा कैसा गम्भीर रूप यह भी विवरण बतायें) घायल हुए ? इनमें अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के कौन कौन हैं ?

(2) जो जो इस घटना में मरे उनके परिवारजनों को क्या कोई सहायता सरकार द्वारा दी गई ? यदि हां, तो किस किस को (नाम व पिता या पति के नाम सहित) कितनी कितनी सहायता किस किस तारीख को दी गई ? किस किस मृतक के परिवार को सहायता नहीं दी गई वह क्यों नहीं दी गई ? जिस जिस मृतक (नाम व पिता या पति के नाम सहित) के परिवार को सहायता नहीं दी गई उस मृतक के परिवार की आर्थिक हालत का विवरण बतावें। इनमें अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों के कौन कौन हैं ?

(3) जो जो इस दुर्घटना में घायल हुए उनमें से ऐसे कौन कौन–(1) (नाम व पिता या पति के नाम सहित) आज भी काम-धंधा करने योग्य नहीं हो पाया है ? इनमें अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों के कौन कौन हैं ? (2) घायलों को क्या कोई सहायता सरकार द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो किस किस घायल (नाम व पिता या पति के नाम सहित) को कितनी कितनी व कैसी कैसी सहायता किस किस तारीख को दी जिस जिस घायल को (नाम व पिता या पति के नाम सहित) सहायता नहीं दी गई उस घायल की आर्थिक अवस्था (कौन कौन क्या क्या धंधा करता है व उस धंधे से उसे क्या आय हो रही है) का विवरण बतावें।

(4) इन मृतकों व घायलों के लिये सरकार की अब भविष्य के लिये क्या क्या योजना है ?

(5) इन मृतकों व घायलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं पिछड़ी जाति के कौन कौन हैं (नाम व पिता या पति के नाम तथा जाति सहित) व उनमें से किस किस को कोई सहायता नहीं दी गई सरकार द्वारा ? क्या यह सही है कि इस जाति के गरीबों को कोई सरकारी सहायता नहीं मिली ?

उत्तर

1. जी हां। ता. 27-6-70 की रात्रि को ग्राम बूसी के ठाकुर श्री जसवन्तसिंह की लड़की की बरात का जुलूस देखने के लिये आस पास के गांवों के काफी मेहमान इकट्ठे हुए थे। अधिक भीड़ के कारण जिस दरवाजे पर तोरण लगा था उस दरवाजे की बालकनी व ईंटों की दीवार गिर गई जिसके मलवे के नीचे दब कर कुल 18 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 68 व्यक्ति घायल हुए थे। मृतकों तथा घायलों की सूचियां अलग अलग संलग्न हैं। किस किस व्यक्ति के गम्भीर तथा किस किस के साधारण चोटें आई, कौन कौन व्यक्ति किस किस जाति से सम्बन्ध रखता है, भी संलग्न सूचियों के नामों के आगे अंकित है।

2. मरने वाले 6 व्यक्तियों के परिवारों को राज्य सरकार ने 500) रुपये प्रत्येक

(गृह मंत्री)

परिवार के हिसाब से दिये । यह सहायता जिन व्यक्तियों को दी गई है सूची में उनके नामों के आगे देने की तारीख सहित दर्ज है तथा मरने वालों व घायलों की आर्थिक हालत का विवरण भी प्रत्येक व्यक्ति के नाम के आगे दर्ज है। अन्य मृतकों के सम्बन्धियों से प्रार्थना-पत्र सहायता के लिये प्राप्त न होने से अब तक कोई सहायता नहीं दी जा सकी।

3. घायल व्यक्तियों में से कुल 9 व्यक्ति अब तक काम काज करने के योग्य नहीं हैं जिनके नामों के आगे संलग्न सूची में यह सूचना अंकित है। घायलों में से किसी को भी कोई सहायता नहीं दी गई। प्रत्येक व्यक्ति के नाम के आगे उनकी आर्थिक स्थिति, जाति, कौन कौन, क्या क्या कार्य करता है, संलग्न सूत्री में अंकित है।

4. अभी कोई योजना नहीं है।

5. सूची में प्रत्येक व्यक्ति के नामों के आगे उनकी जाति, पिता या पति का नाम सहित दर्ज है। सहायता देने का कार्य पुलिस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(15–4–71)

केशोराय सहकारी शुगर मिल

285. श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डौली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केशोराय सहकारी शुगर मिल की लागत क्या है और उस राशि में लोन कितने का है और शेयर के रूप में कितनी राशि है?

(2) शुगर मिल का उद्घाटन तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री श्री वाई. बी. चौहान द्वारा कब हुआ और इस मिल ने उत्पादन किस तारीख से आरम्भ किया था? क्या उसी दिन से बराबर उत्पादन हो रहा है?

(3) इस मिल द्वारा अब तक कुल कितने गन्ने की खरीद की गई और इसका वजन कितना था? इसमें से कितना गन्ना पेला गया और बाकी गन्ने का क्या हुआ?

(4) मिल चालू होने के बाद कितनी दफा किन कारणों से बन्द हुई?

(5) क्या इस वर्ष मिल उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब हुई अथवा नहीं?

(6) क्या मिल द्वारा सारे काश्तकारों को उनके गन्ने का मूल्य चुका दिया गया है? अगर नहीं, तो बकाया देनदारी कितने की है?

(7) इस मिल की दुर्व्यवस्था का क्या कारण है?

उत्तर

(1) 31–1–71 तक केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल लि. कं. पाटन की पूंजी गत साल 2,34,00,000) (दो करोड़ चौतीस लाख रुपये) है। 51,30,000) (इक्यावन लाख तीस हजार रुपये) हिस्सा पूंजी के रूप में प्राप्त हुआ और 1,79,70,000) (एक करोड़ उन्यासी लाख सत्तर हजार रुपये) ऋण के रूप में प्राप्त हुआ।

Page No 47

(सहकारिता मंत्री)

(2) दिनांक 22–2–70 को तत्कालीन गृह मंत्री, भारत सरकार श्री व.व. चव्हान द्वारा मिल का उद्‌घाटन हुआ और दिनांक 29–2–70 से मिल चालू हुआ। सीजन में ब्रेक डाउन के समय को छोड़ कर उत्पादन होता रहा।

(3) इस मिल द्वारा अब तक कुल खरीदे गये गन्ने व पेले गये गन्ने के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

सीजन	खरीदा गया गन्ना	पेला गया गन्ना
1969-70	1,85,995.75 क्वि.	1,65,340 क्वि.
1970-71	144504 क्वि.	144504 क्वि

सीजन 1969-70 में हार्डवाटर के कारण मिल की "मिलवार्टन" व मन वार्टन में खराबी हो गई थी जिसके कारण बचा हुआ गन्ना 20655.75 क्वि. काम में नहीं लिया जा सका और उसे सूख जाने पर फेंकना पड़ा।

(4) सीजन 1969–70 व 1970-71 में क्रशिंग जिन जिन कारणों से बन्द हुई के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

	1969-70	1970-71
1) मशीनरी में खराबी के कारण	1088 घंटे स.मि.	78-46 मि
2) गन्ने की कमी के कारण।	72-45 मि.	78-46
3) विभिन्न कारणों से।	248-55 मि.	191-11 मि.

5. जी नहीं।

(6) सन् 1969-70 सीजन में खरीदे गये गन्ने का मूल्य प्रायः सारा ही चुका दिया गया है केवल रु. 3,000) बाकी हैं जो जैसे ही काश्तकार आते हैं वैसा ही दे दिया जाता है। सन् 1970-71 में खरीदे गये गन्ने में से करीब 30,000) तीस हजार रु. का भुगतान कमी वेश है जिससे प्रति दिन कार्यक्रम अनुसार भुगतान किया जा रहा है।

(7) मिल में दुर्व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है। हां, प्रारम्भ में प्रत्येक नये उद्योग में कुछ दिक्कतें आना स्वाभाविक है। अतः जो कठिनाइयां इस मिल के सामने आ रही हैं समय आने पर स्वयं ही ठीक हो जावेगी

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन [प्रस्ता]वों पर व्यवस्था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स के मालिकों द्वारा तालाबन्दी कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा से भी प्राप्त हुई थी और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा चुकी है श्री रामानन्द अग्रवाल के स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय श्रम मंत्रीजी से यह भी निवेदन किया जा चुका है कि वे स्थिति को स्पष्ट करते हुए इस विषय में एक वक्तव्य दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के उपरोक्त प्रस्ताव को भी श्री रामानन्द अग्रवाल के प्रस्ताव के साथ सम्मिलित किया जाकर मैं

(श्री अध्यक्ष)
माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस विषय में एक वक्तव्य सोमवार, दिनांक 26 अप्रेल, 1971 को दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत लेट हो जायेगा। आपने कहा था कि जल्दी ही दिलाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी व्यवस्थायें पढ़ रहा हूं :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

कुछ और स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं:—

(1) श्री गंगा सहाय, सदस्य, विधान सभा से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें दौसा नगर के पेय जल संकट का उल्लेख किया गया है।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा ने दी है जिसमें राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के चक नं. 1 के. ए. एम. के भूमिहीन काश्तकारों की फसल कुछ गुण्डों द्वारा लूट लेने का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त श्री गंगासहाय, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें 8 वर्षों से सर्वेयर के पद पर सार्वजनिक निर्माण विभाग में काम कर रहे एक व्यक्ति का स्थिरीकरण न करने का उल्लेख किया गया है। यह मामला एक व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित है तथा अविलंबनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित दो पेन्डिग प्रस्तावों के संबंध में भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(1) भाखरा नहर क्षेत्र के काश्तकारों से काश्त की वसूली कुड़की से किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य, श्री दौलतराम सारण व श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) राज्य के अस्थायी व वर्कचार्ज कर्मचारियों व मजदूरों को अनाज खरीदने हेतु अग्रिम राशि की सुविधा न दिये जाने के संबंध में श्री कृष्णकुमार गोयल व श्री देवीदत्त गाडिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर विचार किया जाये। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय ..

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, भाखरा नेहर क्षेत्र के काश्तकारी से बकाया किश्तों की वसूली के सम्बन्ध में जो कुड़की के द्वारा राज्य सरकार द्वारा वसूली की जा रही है, उसके सम्बन्ध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और आपने जानकारी के लिए व्यवस्था दी। अब वो जानकारी आपके पास में आ गई है। पिछले दिनों, अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा की गई थी · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : पिछले दिनों जो आन्दोलन वहां हुआ था, उस आन्दोलन के वक्त में यह निर्णय हुआ था कि दो किश्तों से ज्यादा किसी काश्तकार से वसूली नहीं की जायेगी लेकिन आज काश्तकारों से सारी किश्तों को एक साथ वसूली की जा रही है। और जो नहीं दे रहे हैं उनके माल को कुड़क किया जा रहा है। इस प्रकार का वहां पर वातावरण है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार से आपके पास में क्या जानकारी आई है, उस जानकारी में क्या लिखा है। वहां पर तो वसूली की जा रही है। यह एक चिन्ता का विषय है। इसको प्राथमिकता दी जावे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य, इस पर चर्चा न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : दूसरा अध्यक्ष महोदय, गंगानगर, अनूपगढ़ तहसीलों में काश्तकारों की फसलों को लूटा जा रहा है और इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है · · ·

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा न हो माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : अनूपगढ़ तहसील में काश्तकारों की फसलों को गुण्डों ने लूटा है · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज · · ·

श्री रामचन्द्र आर्य : उस इलाके में · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक गैंग पैदा हुई है। जब तक इसकी कोई एन्क्वायरी नहीं होगी तब तक वहां कोई नतीजा सामने नहीं आयेगा · · · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : उन लोगों के साथ मारपीट की जा रही है · · ·

श्री अध्यक्ष : आपने स्थगन प्रस्ताव दिया है · ·

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार की गुंडागर्दी वहां पर हो रही है। यह सब उस्ताद लोग आदमियों से कराते हैं और लोगों को प्रोत्साहन देते हैं यह गंभीर मामला है। इसकी सही तरीके से जांच सी. आई. डी. के द्वारा करायी जानी चाहिये

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : +++

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, गत दो वर्षों से राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को इस रवी की फसल पर एडवान्स देती है ताकि वे सस्ते मूल्य पर साल भर का अनाज खरीद सकें। यह

+++ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 50

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
सुविधा राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को दे रही है लेकिन इसकी सुविधा राजस्थान के जो टेम्परेरी और वर्क चार्ज्ड के कर्मचारी हैं उनको नहीं दी जा रही है। जो गत दो साल से सरकार की नौकरी पर हैं उन अस्थाई कर्मचारियों को भी यह सुविधा राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। इस वर्ष भी राज्य सरकार ने अनाज खरीदने के लिये अग्रिम दिया है···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं आपके निवेदन को समझ गया हूं। मैं यह समझता हूं कि वित्त मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण, निराकरण कर देंगे।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को अनाज खरीदने के लिये राज्य सरकार एडवान्स देती है और हम देते जा रहे हैं। यहां पर टेम्परेरी और वर्क-चार्ज्ड कर्मचारियों का सवाल उठाया गया है। मैं आपको यह अर्ज करना चाहूंगा कि उनको भी राज्य सरकार ने यह सुविधा देने का सोचा है कि जिनकी नौकरी दो साल तक है, ऐसे जितने भी हैं उनको भी यह एडवान्स मिलेगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पी. डब्ल्यू. डी. के लिए नहीं है। यह इरिगेशन के लिये ही निकलता है।

श्री मथुरादास माथुर : सब के लिये हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जयपुर मैटल और इलेक्ट्रिकल में तालाबन्दी के सम्बन्ध में 16 तारीख को मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। अध्यक्ष महोदय आपने 26 तारीख इसके लिये नियत की है। मजदूरों के लिए एक दिन भारी हो रहा है और वे बहुत ही बेरोजगार हो गये और बिलकुल ही गैरकानूनी तरीके से, अनजस्टीफाइड तरीके से मिल मालिकों ने यह तालाबन्दी की है। सरकार के पास कानून में यह अधिकार है कि वह इस ताला-बन्दी को उठाने के आदेश दे और यह ताला-बंदी बिलकुल ही गैरकानूनी होते हुए भी सरकार चुपचाप बैठी हुई है···

श्री अध्यक्ष : मैंने भी, मेरे ख्याल से आपकी सुविधा के अनुसार ही इसको रखा है। इस बीच आप नहीं थे। अब···

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसको आज ही रखा जाये···

श्री अध्यक्ष : यह सम्भव नहीं है। आपकी सुविधा को देखते हुए ही मैंने इसको डिले किया है।

मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य ब्यावर एडवर्ड मिल के सम्बन्ध में।

शासकीय वक्तव्य

(ब्यावर एडवर्ड मिल को चालू न करने से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य)

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एडवर्ड मिल, ब्यावर 26-3-69 से बंद है। उन्होंने इसका कारण आर्थिक संकट बताया है और यह भी बताया है कि कम्पनी के पास कुछ मशीनरी, माल

(श्री हरिदेव जोशी)

उपलब्ध नहीं है और न उनके पास में वित्तीय साधन हैं। मिल में लगभग 1300 मजदूर बंद करने के समय कार्य कर रहे थे। इस मिल में करीब 30 हजार स्पीन्डल और 400 करघे थे। इसके बंद होने से बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार को लिखा जाये कि वे इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन एक्ट 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत एक इन्वेस्टीगेशन कमेटी नियुक्त करें। इस आशय का एक पत्र भारत सरकार को सितम्बर, 69 में लिखा गया था और भारत सरकार ने जांच कमेटी दिनांक 20-3-70 को नियुक्त कर दी है और उसमें राज्य सरकार का प्रतिनिधि भी एक सदस्य है। जांच समिति ने मिल का मुआयना किया है और उसने एक सब-कमेटी बनायी-टेक्नीकल कमेटी, जिसने डिटेल्स में जांच करके और अभी कुछेक दिनों पहिले अपनी रिपोर्ट दे दी है। यह इसलिये आवश्यक हुआ, अध्यक्ष महोदय, कि जब तक राज्य सरकार को यही पता नहीं हो कि मिल किन कारणों से बंद है, वे क्या परिस्थितियां हैं जिनके कारण से यह बंद हुई है तब तक इसके बाबत में कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। इस चर्चा में एक निवेदन कर दूं जैसा कि कहा गया है मिल को टेक-ओवर करके और इसको चालू किया जाय। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये एक ही कानून है और वह कानून इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, 1951 है। वह भारत सरकार ऑपरेट करती है। हमारा फर्ज है कि हम भारत सरकार के ध्यान में लायें और हमने ला दिया है और हमारी पूर्ण सहानुभूति है जो बेकार हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको और सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि उनमें ठीक इसी प्रकार एक दूसरी मिल महालक्ष्मी मिल बन्द हो गई थी। गवर्नमेंट जिसका मैनेजमेंट लेकर ऑथोराइज्ड कन्ट्रोल के जरिये उसको चला रही है चाहे राज्य सरकार को लाखों रुपयों का घाटा उठाना पड़ रहा है। जहां तक सरकार की मंशा का सवाल है, सरकार स्पष्ट है, कि इस मिल को चालू किया जाय, किन्तु इसका एक्शन लेने का है तब जब कि टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार अपनी राय निर्धारित कर सके, क्योंकि लेना न लेना भारत सरकार पर निर्भर करता है। अपना यह प्रयत्न है कि हम इस सिलसिले में भारत सरकार को कनविन्स करें कि मजदूरों की स्थिति को लेकर मिल को चलाया जाना जरूरी है। इसमें कुछ देरी भी हुई है किन्तु मैंने अपने स्तर पर और माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली में जाकर सम्बन्धित मंत्रियों से मिलकर इस सम्बन्ध में चर्चा की है और कई बार हमने चिट्ठियां भी लिखी हैं। डिप्टी सेक्रेटरी, इन्डस्ट्री अभी वहां गये थे और अभी थोड़े दिनों पहले वहां के नागरिकों का एक प्रतिनिधि मण्डल भी मुख्य मंत्री जी से मिला था। उन्होंने यह कहा है कि हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और इस मिल को फिर से चालू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं मेरे इस कथन से माननीय सदस्यों को सन्तोष होगा और हमारा यह प्रयत्न इस विषय में रहेगा कि कोई न कोई निर्णय ले सकें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मिल को आवश्यक रूप से एक मिनिमम पीरियड निर्धारित करके उस पीरियड में चालू कर दिया जायगा ? मैं इसलिये आग्रह कर रहा हूं कि मजदूरों का पेशेन्स लगभग एग्जास्ट हो चुका है। उनको कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है इसलिये उनकी हालत बहुत खराब हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी भी जानते होंगे और आप भी जानते होंगे, उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। इस बारे में जो कमेटी का उल्लेख हुआ है–इस कमेटी की रिपोर्ट आने में एक वर्ष से अधिक समय लग गया। गवर्नमेंट चाहती तो जल्दी रिपोर्ट आ सकती थी। राजस्थान गवर्नमेंट ने जो रिलीफ का प्रश्न उठाया है अभी जैसे महालक्ष्मी मिल चला रहे हैं इसी तरह इसको भी चला सकते हैं। यह घाटा होता है वह मजदूरों की वजह से तो होने वाला है नहीं। मैनेजमेंट की तरफ से होता है तो उसको खुद को गवर्नमेंट को देखने वाली बात है।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, सरकार यह आश्वासन दे कि यह मिल जरूर चलायेगी।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, महालक्ष्मी मिल एक कानून के तहत चल रही है हमने आरबीट्रेरी टेक-ओवर नहीं किया है। हम मैनेजमेंट को टेक-ओवर करेंगे तो उन कानून के तहत ही टेक ओवर करेगी गवर्नमेंट आफ इंडिया न कि राजस्थान सरकार। इसलिये एक्शन लेने का काम वहां से होना है। अब रहा सवाल हमारे प्रयत्नों का माननीय सदस्य मेरे पास बैठ जायं और देख लें केबिनेट स्तर पर भी डिस्कशन हुआ है और यह निर्णय हुआ कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में कदम उठाने चाहिये और प्रयत्न किये जाने चाहिये। मिल शुरू हो सके इसमें हमारी सीरियसनेस की कमी नहीं है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिले हो सकती है किन्तु मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं इससे ज्यादा तकाजा हम क्या कर सकते हैं मैं नहीं समझता। मैं कई बार मंत्री जी से खुद मिला हूं, चार दिन पहले मिला हूं। अभी परसों चिट्ठी मेरे पास आई है मैं वह मुख्य मंत्री जी को भेज चुका हूं। अब टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट आ गई है जल्दी ही फैसला करने वाले हैं। अगर पर्सनल एफर्ट्स नहीं किये होते तो मैं समझता हूं और भी डिले होती। अब रह जाती है आल्टरनेटिव रिलीफ देने की बात वह मुझे नहीं दिखती है; मगर लेबर जो वहां से आया है माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उनसे बात की है। अब उनके जवाब का इन्तजार कर रहे हैं और हम भारत सरकार से भी डे टू डे सम्पर्क में हैं और हमारा यह प्रयत्न है कि जल्दो से मिल को चालू किया जा सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय कोई ...

श्री हरिदेव जोशी : मैं कोई तारीख नहीं दे सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय अभी जो वित्त मंत्री जी की घोषणा हुई है कि प्रत्येक जिले में एक हजार लोगों को एम्पलॉयमेंट देने की बात है, क्या इसको युटिलाईज ...

श्री हरिदेव जोशी : जो लेबर के रिप्रेजन्टेटिव आये थे उनको पावर रूम की बात के लिये कहा गया था जिसका उन्होंने अभी रैसपान्ड नहीं किया है। हम उसको सिम्पेथैटिकली देखेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर शहर में पीने के पानी के अभाव के संबन्ध में

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। माननीय सतीशचन्द्र जी जयपुर शहर में पीने के पानी के अभाव से उत्पन्न स्थिति की ओर जन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : आप इतनी दूर जाकर क्यों बैठ गये भीखा भाई।

श्री हरिदेव जोशी : आपको क्या शिकायत है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत में जयपुर शहर में पीने के पानी के अभाव से उत्पन्न स्थिति की ओर जन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भीखाभाई (जन-स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने विगत वर्ष भी इसी प्रकार का यहां पर जो पेय जल संकट है या जो कमी है उसके बाहर में यहां प्रश्न उठाया था और उस समय हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के कक्ष में सभी जयपुर के प्रतिनिधि और साथ ही कई विधायकों और मंत्रियों की एक मीटिंग हुई थी और उसमें कुछ निर्णय ले लिया गया था। जहां तक जयपुर शहर का सवाल है, अध्यक्ष महोदय यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान की राजधानी होने के नाते अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। जहां तक राजस्थान की जनसंख्या की समस्या का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, आप और सारे विधायक और सारे हिन्दुस्तान के लोग इस बात को जानते हैं कि यहां कि समस्या बड़ी विचित्र और असाधारण समस्या सारे देश में है और उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार निरन्तर प्रयत्न करती है कि भारत सरकार के द्वारा जो भी ग्रान्ट्स मिली हैं वह अधिक काम में ली जा सकें, जो धनराशि बजट के अन्दर प्रोवाइड की जाती हैं उसको देखते हुये और इस समय माननीय वित्त मंत्री जी की जो घोषणा है उसको देखते हुये यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो चुका है।

वैसे जयपुर जल-प्रदाय योजना के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि राज्य सरकार ने लगातार सन् 1967 से इस योजना पर बराबर ध्यान दिया है और उसके फलस्वरूप 1968 के अन्दर एक करोड़ रुपया खर्च करके यहां की जो योजना थी उसको पुनर्गठित किया गया था और उस समय जो मांग थी वह 70 लाख गैलन की थी बाद में बढ़कर यह 120 लाख गैलन हो गये इसके पश्चात् प्रति वर्ष शहर में 1 लाख से डेढ़ लाख रुपया प्रति वर्ष पाइप लाइन को इम्प्रूव करने के लिये राज्य सरकार खर्च करती रही है। इसके अलावा नल कूपों और जो दूसरे कुए

(श्री भीखा भाई)

हैं उनको भी बराबर गहरा करते रहे हैं। मैं यह निवेदन कर दूं और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी और न अप्रासंगिक होगा कि 67–68 के वर्ष में फेमीन के फन्ड्स के अन्तर्गत 6 लाख रुपया खर्च किया गया है। इसमें 10 नल-कूप और 10 पुराने कूपों के जल वितरण के लिये किया गया है। उसी तरह जल वितरण और प्रेशर को ठीक करने के की दृष्टि से आदर्श नगर, बापूनगर, तिलकनगर, गान्धी नगर, नारी का नाका आदि के लिये वाटर सप्लाई के निर्माण का कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन कर दूं कई जगह नई टंकियां सन् 67 से 70 तक बहुत से कामों को पूरा किया गया है। सन् 70–71 में फेमीन के फन्ड्स के अन्तर्गत 21 लाख रुपया खर्च किया गया है और 20 के बजाय, जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि 20 कुए खोदे जायेंगे, उसके बजाय 35 कुए खोदे जायेंगे, उसके बजाय 35 कुए खोदे गये है और 35 से लेकर 40 कुए तक खोदे जायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 35 नहीं 37।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय अब जो लिखी हुई बातें हैं वह बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार वाटर सप्लाई हो रही है। रामगढ़ बन्धे से 65 लाख गैलन प्रति दिन, अमानी शाह से 28 लाख गैलन प्रति दिन और शहर के नल कूपों से 70 लाख गैलन प्रति दिन। इस प्रकार कुल मिला कर औसत 163 लाख गैलन पानी प्रति दिन वितरित किया जा रहा हैं जबकि पछले वर्ष औसतन 138 लाख गैलन प्रति दिन वितरित किया जा रहा था।

इससे माननीय सदस्य को यह आभास हो जायगा कि इसमें कितना इम्प्रूवमेन्ट हुआ है। इन कार्यों के फलस्वरूप इस शहर को 25 लाख गैलन पानी प्रतिदिन अतिरिक्त दिया जा रहा है और ऐसी सम्भावना है कि लगभग एक माह में शेष नलकूपों के चालू हो जाने पर लगभग 5 लाख गैलन पानी और दिया जा सकेगा। इस समय शहर के सभी भागों में प्रातः काल 5 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक पानी का वितरण किया जा रहा है और राज्य सरकार ने भी जयपुर की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जो लगभग 6 लाख के ऊपर हो चुकी है अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से 24 करोड़ रुपये की लागत की बनास योजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेज दी है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब भेजी ?

श्री भीखाभाई : लास्ट ईयर जब मीटिंग हुई उसके बाद हम उसको उनसे डिस्कस भी कर चुके हैं और इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 1971–72 के बजट में 50 लाख रुपये का प्रावधान भी किया गया है जिसमें से 26 लाख रुपया बनास नदी पर बांध निर्माण करने हेतु और शेष 30 लाख रुपया जयपुर में विभिन्न स्थानों पर टंकियां बनाने, पाइप लाइन डालने तथा अन्य आवश्यक कार्य करने हेतु व्यय करने का अनुमान है। उक्त 50 लाख रुपये में 33.3 लाख रुपया जीवन बीमा निगम से ऋण के रूप में उपलब्ध किया जायेगा और शेष 16.7 लाख रुपया राज्य सरकार के सामान्य बजट से उपलब्ध होगा।

(श्री भीखाभाई)

इस योजना को पूर्ण करने में लगभग 6–7 वर्ष लगेंगे और योजना का समय में पूर्ण होना आवश्यक धन तथा सामान आदि की समय पर उपलब्धि पर निर्भर करेगा। इस योजना को भारत सरकार के जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा तकनीकी जांच की जा रही है और वहां से स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ कर दिये जावेंगे।

राज्य सरकार ने जयपुर शहर में पानी का वितरण अस्थाई तौर पर बढ़ाने की दृष्टि से भी कई कार्य किये हैं। इस विषय में पिछले वर्ष मुख्य मंत्रीजी के यहां हुई बैठक में निर्णय लिये गये थे कि जयपुर के अतिरिक्त जल वितरण हेतु लगभग 30 से 40 नलकूप और बनाये जायें और जिन स्थानों में पानी की विशेष दिक्कत हो वहां आवश्यकतानुसार पाइप लाइनें डाली जावें। इस निर्णय के अनुसार वर्ष 1970–71 में जयपुर के विभिन्न भागों में 35 नलकूप और बनाये जा चुके हैं जिनमें से 29 को पम्पिंग मशीनरी लगाकर पूरा कर दिया गया है और उनसे जल-वितरण किया जा रहा है। शेष 6 पर कार्य चल रहा है जो शीघ्र ही पूरा हो जायेगा। बनीपार्क में बनाये गये नलकूपों का पानी एक स्थान पर एकत्रित करके उसे वितरण हेतु 3 लाख गेलन पानी क्षमता की टंकी का निर्माण भी किया गया है जिसके चालू होने पर अमानीशाह नाला से प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण पेयजल शहर के अन्दर के भागों में दिया जा सकेगा और इस प्रकार शहर का वितरण लगभग 8–10 गेलन प्रतिदिन और बढ़ जायेगा। उक्त सम्पूर्ण कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत लगभग 21 लाख रुपये की लागत से पूर्ण किये गये। इन कार्यों के फलस्वरूप इस शहर को 25 लाख गेलन पानी प्रतिदिन अतिरिक्त दिया जा रहा है और शेष नलकूपों के चालू हो जाने पर लगभग 5 लाख गेलन पानी और दिया जा सकेगा।

शहर में पाइप लाइन डालने हेतु यह भी निर्णय लिया गया था कि 1970–71 में 5 लाख रुपये का प्रावधान किया जाये किन्तु इस हेतु अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध होना सम्भव न हो सका। राज्य सरकार ने पाइप लाइन डालने के लिए सम्पूर्ण राजस्थान के 8 लाख रुपये के प्रावधान में से 1.50 लाख रुपया जयपुर शहर को दिया जिसके अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर पाइप लाइनें डाली गईं। शेष पाइप लाइन डालने का कार्य वर्ष 1971-72 में विभाग के बजट के अन्तर्गत प्रावधान है। जो कि प्रेशर को अच्छा करने की दृष्टि से नई पाइप योजना बन चुकी है और टेन्डर जारी किये गये है और उसके साथ ही साथ में नयी टंकी बनाने का काम किया जायेगा।

यही बात मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं। अतः जो राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य यह मानेंगे कि राज्य सरकार का ध्यान उस तरफ पहले से ही है।

श्री अध्यक्ष : हो गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में जन-स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसमें आशायें अधिक हैं लेकिन वास्तविक रूप से कितना हो सकेगा यह कुछ दिखाई नहीं देता। पिछली बार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भी सदन में मैंने इस प्रश्न को उठाया था और इससे ज्यादा स्पष्ट एक उत्तर और वस्तु-स्थिति की जानकारी सरकार की ओर से की गई है। जयपुर शहर की जल समस्या के स्थाई समाधान के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जो बनास का प्रोजेक्ट है लगभग 24 करोड़ रुपये का जब तक उसका काम चालू नहीं होगा तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। उसके संबंध में पिछली वार वित्त मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था और मुख्य मंत्री महोदय ने भी उस बैठक में यह संकेत दिया था कि इस सिलसिले में दिसम्बर, 1970 में इस योजना का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। दिसम्बर, 70 के बाद आज अप्रैल, 71 हो गया जहां तक मुझे जानकारी मिली हैं और मुझे बड़ा खेद है कि अभी तक वह सारी स्कीम केन्द्रीय सरकार के स्तर पर स्वीकृति के लिए अथवा स्क्रूटिनी के लिए पड़ी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि वैसे तो राजस्थान भर में ही पेयजल समस्या का बड़ा भीषण रूप है परन्तु राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहां पर की आबादी 6 लाख से ज्यादा हो चुकी है और यहा कम से कम जिस प्रकार की स्थिति हर गर्मियों में उत्पन्न होती है मजबूरन हमें यह प्रश्न उठाना पड़ता हैं। मंत्री महोदय ने कह दिया कि पिछली बार 138 लाख गैलन प्रतिदिन के हिसाब से वितरण था और इस बार 168 लाख गैलन प्रति दिन के हिसाब से है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शहर के अन्दरूनी भागों में आज भी बड़ी विषम स्थिति हैं। पिछली बार वित्त मंत्री महोदय ने बहुत दरियादिली के साथ कहा था कि जितना रुपया चाहिए उतना ले लो और सारा काम करवा लो। मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से कि आपने पिछली बार छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलवाने का 5 लाख रुपया का वादा किया था और आपने अखबारों में भी बयान दिया था कि इस प्रकार से 75 नलकूप बनाये जायेंगे और उसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी और उसमें से कितने तो कुए बने और 5 लाख रुपये की धनराशि छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलवाने के लिए देने के लिए मई महीने में आपने वादा किया था और जिसका अखबारों में भी बयान दिया और आपके पास बयान नहीं हैं तो मेरे पास है तो मैं पूछना चाहता हूं कि 5 लाख रुपये की धनराशि आपने विभाग को दी या नहीं और अगर नहीं दी, तो क्यों नहीं और समस्या सबसे बड़ी यह है इस कारण से कि छोटी पाइप लाइनों में प्रेशर नहीं होता और इसके कारण से लोगों को पानी नहीं मिलता और सबसे बड़ा संकट आता है शहर की चारदीवारी के भीतर और दूसरे आसपास के क्षेत्रों को पानी दिया जाता है अमानीशाह के नाले और रामगढ़ से। अमानीशाह के नाले से जो सप्लाई कर रहे हैं बनीपार्क, गांधीनगर, बापूनगर और बाहर के एरिया में होता है लेकिन शहर की चारदीवारी के अन्दर घनी वस्ती के इलाके में पानी का प्रेशर दूसरी मन्जिल पर तो जाने का सवाल नहीं होता नीचे की मन्जिल पर पानी कभी सुबह के समय आता है और शाम के समय आता है और शहर के लोग घरों से बाहर निकल कर पब्लिक टेप से पानी लाते हैं और अभी दस पन्द्रह दिनों से मेरे पास

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

शिकायतें आ रही हैं और आल इंडिया रेडियो के पास भी जहां लोग रहते हैं उसके पास जिसके लिए मंत्री महोदय कहते हैं कि बाहर के इलाके में काफी सप्लाई है और वहां के लिए बड़े भारी टैंक और रिजरवायर्स बनाये हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आल इन्डिया रेडियो के पास की बस्ती वालों की शिकायतें हैं कि हमारे पास पानी नहीं आता और शहर के अनेक भागों में आता है। घाट दरवाजे में पानी नहीं आता है, और इसी प्रकार से दूसरी बस्तियों में भी शिकायतें हैं जनता कालोनी की है, सेठी नगर की है कि वहां पर दूसरी मन्जिल पर पानी नहीं पहुंचता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय को पिछली बार माननीय मंत्री महोदय को भी स्मरण होगा कि इस सदन में जब जन–स्वास्थ्य मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया था तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि जयपुर शहर में जब शिकायत की गयी थी कि लोगों के पेट की बीमारियां हैं और उससे लोग बहुत परेशान हैं और बीमार पड़ते हैं तो वे यह कह कर बचकर निकल गये थे कि यहां पर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है और यहां पर गटर की व्यवस्था नहीं है और उस गन्दे पानी में सब्जी पैदा होती है और उस सब्जी में कीड़े आते हैं और उस सब्जी को यहां के लोग खाते हैं और जब वे कीड़े पेट में जाते हैं तो बीमारी फैलती है।

आखिर यह सरकार की जिम्मेदारी है कि इन दोनों विभागों में कोआर्डिनेशन हो इसकी सरकार ने योजना आज तक नहीं बनाई है, तो मैं बताना चाहता हूं कि यह जयपुर शहर में इस प्रकार से सख्त पानी का अभाव है, छोटी लाइनें क्यों नहीं बदली गईं, बस्तियों में पानी नहीं पहुंचता है, तिमंजिले और चौमंजिले पर पानी नहीं चढ़ता है, बनास प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया गया, उसका काम प्रारम्भ नहीं हुआ, स्कीम वहीं पर पेंडिंग है, ऐसी स्थिति में कोई भी तत्काल हल निकालने के लिए राज्य सरकार इन गर्मियों में कोई भी संकट पैदा न हो, और सारे राजस्थान के लोग जयपुर में आकर बसते हैं, अपने मकान बनाते हैं और यहां पर निवास करते हैं, तो मैं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर के बारे में उसकी बाकी समस्याओं के बारे में जो कुछ भी विचार रखते हों। रखें, लेकिन इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की क्षेत्रीय भावना से ग्रसित न हों और जयपुर शहर की समस्याओं के समाधान के लिये उसी दरियादिली से जिस दरियादिली से जोधपुर के इलाके में और अपने चुनाव-क्षेत्र में खर्च करते हैं, उसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करते हैं उसी प्रकार से इसमें किसी प्रकार का नैरो माइन्डेडनेस नहीं दिखायेंगे और उसी दरियादिली से जयपुर और पूर्वी जिलों की समस्याओं के समाधान के लिए जो कुछ भी धनराशि की आवश्यकता होगी देंगे। मैं केटेगोरिकली राजस्थान सरकार से जानना चाहता हूं–वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के और मसले भी बहुत हैं, मैं यहां पर नहीं उठाना चाहता हूं, मीटरों में गड़बड़ी के मामले हैं, मीटर-रीडिंग में गड़बड़ करते हैं एक महीने में 15 रुपये का बिल आता है तो दूसरे महीने में 250 रुपये का आ जाता है और 10–10 साल के एरियर्स निकाले जाते हैं, इस तरह से इस विभाग के कई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मसले हैं उन पर आज विचार नहीं करता हूं, लेकिन मैं केटेगोरिकली जानना चाहता हूं बनास के प्रोजेक्ट के बारे में राज्य सरकार ने यह योजना अपने यहां से कब भेजी केन्द्रीय सरकार को, और बनास प्रोजेक्ट में डिपार्टमेंट की तरफ से डेम बनाये जाने की सूरत कब तक हो जायगी जयपुर शहर में लाइन डालने का काम कब प्रारंभ हो जायगा, कब तक प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जायगा, कब तक बनास से पानी मिल जायगा, जयपुर शहर को निश्चित रूप से पानी कब तक मिल जायगा ? इस दौरान टेम्पोरेरी सूरत में वाटर सप्लाई को कवर करने के लिये राज्य सरकार इस साल 71-72 के वर्ष में कितनी धनराशि छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए, रिजर्वायर्स बनाने के लिये, टैन्क्स बनाने के लिए और बाकी सब मामलों के बारे में स्पष्टीकरण करेंगे। यह मैं सरकार से जानना चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं थोड़ी सी जानकारी करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया वह वक्तव्य तो मैं ऐसा समझता हूं की जिस प्रकार से रुटीन में एक किसी चीज का स्पष्टीकरण करना होता है उसी स्थिति का केवल मात्र है। गत वर्ष जब पानी की समस्या बहुत विकट हुई थी तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में 14-6-70 को माननीय मुख्य मंत्रीजी के कक्ष में इस प्रकार की चर्चा की थी और माननीय मंत्रीजी ने अभी यह कहा है कि उस समय केवल 20 ट्यूबवेल बनाने की बात कही थी और हमने 35 ट्यूबवेल खुदवा दिये मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने शायद उस समय के मिनिटस नहीं देखे होंगे।

श्री भीखाभाई : मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा है कि 35 थे कुल लेकिन 20 के करीब पूरे हो गये हैं। मेरे पास प्रोसीडिंग्स हैं–दी वर्क आफ 20 ट्यूबवैल्स में वी कम्पलीटेड बाई मे इमीजियेटली।

श्री भैरोंसिंह : बड़ी खुशी की बात है कि आपने उसको पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पानी की समस्या का समाधान जिस बनास योजना के ऊपर निर्भर करता है, उस बनास योजना के सम्बन्ध में सरकार कितनी सतर्क है? पिछले वर्ष जब यह बैठक हुई थी तो उस बैठक के मिनिट में 5 मिनिट में पढ़कर सुनाना चहता हूं ताकि माननीय मंत्रीजी को उस संबन्ध में जानकारी हो जाय–

The work of the construction of Banas Water Supply Dam may be taken through the Irrigation Deptt. by December. 70. Irrigation Deptt. will finalise the scheme costing Rs. 16 Crores. It will be sent to the Ministry of Health Govt. of India for onward transmission to Central Water & Power Commission for technical approval. There is a provision for Jaipur re-organisation scheme costing 24.46 crores. The LIC will be approached for giving appropriate loan as required by the Irrigation Deptt. for the Financial Year 70 71. The plan ceiling in the

Page No 59

(श्री भैरोंसिंह)

vrban sector may be increased accordingly.

यह उस समय कहा था । अभी जो माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है उसमें उस वारे में किसी भी प्रकार के ढंग की चीज उनके वक्तव्य में नहीं है । इस साल वाटर सप्लाई स्कीम में केवल 50 लाख रुपये का प्रावधान रखा है । 50 लाख में से 15 लाख तो राजस्थान के बजट में से होंगे और बाकी का एल. आइ. सी. से लोन लिया जायगा । उसमें उन्होंनें उसका वाईफरकेशन करके यह बताया है कि कुछ लाख रुपयें रिजर्वायर्स के लिए, कुछ पाइप लाइन को चेन्ज करने के काम में लिये जायेंगे, और कुछ बनास के सम्बन्ध में काम शुरू करने के सम्बन्ध में लिये जायेंगे। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब आप यह चाहते कि दिसम्बर 70 तक बना डेम का काम प्रारम्भ होना चाहिये, और उस समय के मिनिट्स में कुछ लिखा हो या न लिखा हो, लेकिन उस समय आपने वर्बली यह इन्स्ट्रक्शनस दिये थे कि इन्जीनियर या जिस किसी अधिकारी को दिल्ली जाना है वह इस स्कीम को लेकर तुरन्त दिल्ली जाय और टैक्नीकल डिफिकल्टीज उसमें हैं उनको समझाने की कोशिश और इस स्कीम को 70 तक हर हालत में टेक्नीकल सेंक्शन हो जाना चाहिये । इरिगेशन डिपार्टमेंट को अपने आदेश दिये हैं कि दिसम्बर तक इस डेम का काम प्रारम्भ होना चाहिये । मैं पहले तो यह जानकारी करना चाहूंगा कि जो उस समय में निर्णय हुए थे उनकी पालना क्यों नहीं हुई ? कौन से बाटलनेक्स पैदा हो गये कि जिनके कारण से टेक्निकल डिसीजन्स नहीं हो पाये ?

इसके साथ ही एक दूसरा डिसीजन भी लिया था—

"A sum of Rs. 5 lacs may be sanctioned for improving pipe lines in Jaipur city.

माननीय मन्त्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है कि 5 लाख की सेंक्शन हुई है । मैं जानना चाहूंगा कि जब यह निर्णय हो चुका था तो 5 लाख की सेंक्शन क्यों नहीं दी गई, और आज उस रुपये में से जो कि 50 लाख है उसमें से 6 लाख रुपये तो इक्जिस्टिंग पाइप लाइन को सुधारने पर खर्च करने की बात की जाती हैं, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यदि 5 लाख गत वर्ष खर्च कर दिये होते और छोटी पाइप-लाइनों में सुधार हो गया होता तो पानी की समस्या का कुछ समाधान होता । इस वर्ष पाइप लाइन पर खर्च करने के लिए और धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है तो उससे जयपुर शहर में जो स्केयरसिटी है उसके लिए पाइप लाइन में सुधार के कारण इस गर्मी में कुछ हद तक कोई न कोई हल निकलता, लेकिन आपने 5 लाख रुपये को सेंक्शन नहीं दी इस कारण से न तो पाइप लाईन में सुधार हुआ, और अब पाइप लाइन सुधारने के लिए पैसा रखते हैं तो वह उस आधार पर रखते हैं कि एल. आई. सी. से जो रुपया मिलेगा उस 50 लाख रुपये में से टेंक्स रिजर्वायर्स के लिए, पाइप लाइन के लिए पैसा खर्च किया जायगा तो उसका अर्थ यह निकलता है कि बनास योजना पर इस वर्ष खर्च करने की स्थिति नहीं है । आप बनास योजना को यह मानकर चलते हैं कि इस

(श्री भैरोंसिह)

साल इस पर न किसी प्रकार की सेंक्शन होना है और न किसी प्रकार का काम होना है, उस स्थिति में पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से कि बनास योजना के सम्बन्ध में और 5 लाख की सेन्क्शन के सम्बन्ध में किस प्रकार की स्थिति रखता है।

अध्यक्ष महोदय, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोवीजन है–

"A sum of Rs. 6 lace for the improvement of pipelines is to be included in the next financial year.

मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो आपने इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया था कि 5 लाख पहले वर्ष में पाइप लाइन सुधारने के लिए दिया जायगा।

दूसरे वर्ष 6 लाख की सेंक्शन की जाएगी, ये 11 लाख आज तक जयपुर शहर में लगाये होते या सेन्क्शन दी होती तो मैं समझता हूं कि कुछ अंशों में सोल्यूशन होता है।

इस आधार पर 10 लाख रु० का प्रावधान क्यों नहीं रखा ?

श्री भीखा भाई : जस्ट ए मिनिट, यह 5 लाख रुपये कौन सा बता रहे हैं ? यह तो इस साल में है।

श्री भैरोंसिह : इसी साल का बता रहा हूं। आप किसका समझ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : शीघ्र समाप्त करें।

श्री भैरोंसिह : 11 लाख का प्रावधान था। इस वर्ष बनास के लिए जो रखा गया है, मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार जागरूक है तो 50 लाख रुपये खर्च होगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 करोड़ का प्रावधान रखा है। मैं समझता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 करोड़ रुपया खर्च नहीं होंगे। सरकार इस सम्बन्ध में उदासीन रही है। जयपुर में पानी की समस्या दिन प्रति दिन बिगडती जायेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार बनास योजना को केटेगरीकली बताये कि जून से लेकर अब तक सरकार ने क्या काम किया है ? 10 लाख रुपये ट्यूबवैल्स के लिए मन्जूर करना था, वह राज्य सरकार ने क्यों नहीं किया है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के कुए हैं वह तुरन्त चालू किये जायें वह आज भी नहीं हुए हैं।

इसी तरह से कच्ची बस्तियों की पानी की समस्या है। एक बार अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्युनिस्पिल चेयरमेन ने इकट्ठे होकर यह निर्णय लिया था। लेकिन चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कोई बैठक नहीं हुई है और कच्ची बस्तियों में आज भी पानी की समस्या बनी हुई है। सरकार इसको मामूली प्राब्लम न समझे। बाहर से भी लोग आते हैं जो यहां रहते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

जब तक राज्य सरकार बनास योजना को अपने हाथ में लेकर जल्द से जल्द चालू नहीं करेगी उस समय तक समस्या का कोई हल नहीं होगा। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय यह बतायें कि बनास योजना का क्या किया है ? पाइप लाइन की सेंशन क्यों नहीं की ? चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में

(श्री भैरोंसिंह)

जो कमेटी कच्ची बस्तियों के समाधान की योजना के लिए बनी थी, वह क्यों नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास एक दो प्रश्न पूछ लें।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : आप को भी समय दे दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय··

श्री भैरोंसिंह : आज चीफ व्हिप महोदय नहीं बोले ?

श्री अध्यक्ष : (सुरेन्द्र व्यास से) सीधे प्रश्न पूछ लें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, दो तरह के लोग जयपुर में रहते हैं। एक तो वह लोग हैं जो कि जयपुर के मूल निवासी हैं। दूसरे वह है जो कि जयपुर के बाहर से आकर रहते हैं, जो अपने आप को जयपुर का नहीं मानते हैं, लेकिन जयपुर की लोकेलिटी में रहते हैं। कोई जोधपुर से आये हैं, बीकानेर से आये हैं···

श्री अध्यक्ष : चाहे वह विधायक हों या मन्त्री हों।

एक माननीय सदस्य : हम तो टेम्पेरेरी आये हैं।

श्री रामकिशन : या मन्त्री का बेटा हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या सरकार द्वारा जयपुर की पेयजल समस्या इसलिए हल नहीं होती है कि मन्त्री महोदय उसको हल करने की कोशिश नहीं करते हैं। सरकार बनास योजना को कब तक हाथ में ले लेगी ? एक बात मैं और पूछना चाहता हूं कि बनास योजना किस स्थान पर शुरू की जायगी ? क्योंकि अभी तक हमें यह भी पता नहीं चलता है कि यह योजना किस स्थान पर शुरू की जाएगी। मैंने ऐसा सुना है कि पहले जिस स्थान पर ली जाने की योजना थी अब किसी दूसरी स्थान पर शुरू की जाएगी ? जयपुर के मूल निवासियों की पानी की समस्या को शीघ्र हल करें।

श्री अध्यक्ष : श्री बाढ़दार !

श्री दुर्गालाल बाढदार : अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर की पानी की यह समस्या आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (श्री बाढ़दार से) असली मूल निवासी तो आप ही हैं।

श्री अध्यक्ष : ये तो आदिवासी हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तब तो संरक्षण मिलना चाहिए।

श्री दुर्गालाल बाढदार : अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित ही यहां का मूल निवासी हूं। फिर भी मुझे औरों से उतना ही प्रेम है। उतने ही प्रेम और सम्मान से देखता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह तो विरोधी दल के नेता भी प्रेम से देखते हैं। आप प्रश्न पूछ लें।

श्री दुर्गालाल बाढदार : आज से 7 वर्ष पूर्व यह निर्णय लिया गया था कि जयपुर नगर के बाहर चार ऐसे बड़े बड़े कुए हैं···

Page No 62

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई प्रश्न योग्य बात हो वह पूछ लें।

श्री दुर्गालाल बाढदार : यह समस्या थी उसके समाधान का निर्णय भी लिया गया था कि फार दी टाइम बींग वहां पम्प लगा दिये जाएंगे, लेकिन फिर मुख्यमंत्री महोदय ने उच्चाधिकारियों को बुलाकर विचार किया था · · · · ·

श्री अध्यक्ष : यह पुनरावृत्ति होगी।

श्री दुर्गालाल बाढदार : पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं नवीनता के साथ कह रहा हूं। निर्णय यह लिया गया था कि बनास योजना को लेना है और इसको निश्चित रूप से यह मानकर चलना है। ट्यूबवैल्स को वाद में भी काम में लिया जा सकता है। यह निर्णय लिया गया था। मुख्य मन्त्री महोदय से पूछा जा सकता है। ट्यूबवैल्स का निर्णय लिया गया था यह विभाग के ध्यान में है। ट्यूबवैल्स बनाते हैं तो यह मानकर चलते हैं कि अमुक ट्यूबवैल की कैपेसिटी इतनी है। कई ट्यूबवैल्स बन्द पड़े हैं। बहुत से समाप्त हो गये हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

पुराने ट्यूबवैल को देखना होगा। अध्यक्ष महोदय, कठिनाई होती है। मैं तो आज की समस्या बताता हूं। आज पौने 6 बजे ही पानी बन्द हो गया।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

श्री दुर्गालाल बाढदार : इस बात की व्यवहारिक साइड ली जाएगी। पानी की आवश्यकता तो नित्य कर्म के लिए भी होती है। इस समस्या का निदान किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि यह जो जलकष्ट योजना है · · ·

एक माननीय सदस्य : कष्ट योजना नहीं, निवारण की योजना है।

श्री दिग्विजय सिंह : जल कष्ट निवारण की योजना है, इसमें टोंक, निवाई और चाकसू भी आते हैं क्या उनको करेंगे या नहीं ?

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : जयपुर नगर परिषद् की 12 मील की सीमा निर्धारित की है। कई गांव उसके अन्दर आ गये हैं। उनके टैक्सेज भी आप ले रहे हैं। आप उनके मालिक बन गये।

लेकिन वहां की जनता को पीने के पानी की समस्या हल नहीं हुई। उसमें करीब दस ग्राम पंचायतें हैं, उनके लिए तुरन्त पानी देने की व्यवस्था कर रखी या नहीं कर रखी है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री लादूराम सुलानिया : अगर नहीं कर रखी है तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा · · ·

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण आने दें।

श्री लादूराम सुलानिया : इस वर्ष के अन्दर उन ग्रामों के लिए पीने के पानी की योजना तैयार करके उनको पानी दिया

(श्री लादूराम सुलानिया)
जाय। जब तक उनको पीने का पानी नहीं दिया जाय, तब तक उनसे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाय।

श्री अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण करें। श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सरकार इस बात पर विचार करेगी कि पानी के वितरण की समस्या की ईज करने के लिए जो अभी तक इनइक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन किया गया है, कुछ लोगों का जैसा विशेषाधिकार है कि उन्हें चौबीस घन्टे पानी मिले और कुछ को दो तीन घण्टे . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समाजवाद।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो कम से कम हवा और पानी का तो सरकार इक्वल डिस्ट्रिब्यूसन करे, चाहे मंत्री महोदय हों, चाहे अधिकारी हों, उनको उतने ही पानी की आवश्यकता है जितने पानी की आवश्यकता आम जनता को है। इसलिए जितना पानी डिस्ट्रिब्यूएबल हो, सबको समान वितरण हो।

श्री विजयसिंह : अलवर के निवासी को कठिनाई है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, और दूसरे सवालों का मंत्री महोदय उत्तर देंगे, एक प्रश्न दूसरे विभाग से सम्बन्धित है, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा लांगटर्म पाइन्ट आफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वह सवाल है बनास पर इसके बांध का काम शुरू होने का। इस वक्त, किस तरीके से क्या हुआ, क्या नहीं-सारी इन्फार्मेशन अवेलेबल नहीं है। पहले वीसलपुर राजमहल के पास यह बांध बनाने की योजना थी। बीच में ख्याल हुआ कि लांग टर्म पर बनाया जायगा तो कास्ट कम हो सकती है और वाटर स्टोरेज, केचमेंट एरिया, बढ़ जाने से ज्यादा अवेलेबल हो सकता है। इस चीज को एक्जामिन करवाया गया, लेकिन अजमेर और जयपुर को वीसलपुर के वहां से वाटर सप्लाई सम्भव होगी और टौंक के कुछ गांवों को ज्यादा लाभ राजमहल और वीसलपुर योजना से मिलता है, इसलिए अब निर्णय किया गया है राजमहल के वहां इसका बांध बनाया जाय जिस बांध से पीने का पानी और ज्यादा हो तो किसानों को उपलब्ध हो सके-इस ख्याल से यह योजना हाथ में ली जायगी। टेक्निकली पासिबल हुआ तो जून महीने में वरना नवम्बर महीने के अन्दर तक इस काम को चालू कर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय,

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, जो यह जल पूर्ति का सवाल है, वाटर सप्लाई जयपुर का सवाल है, इसमें दो प्रश्न आते हैं-तो तात्कालिक किस प्रकार हल निकाला जाय, दूसरा, स्थायी किस रूप से प्रबन्ध किया जाय जहां तक तात्कालिक हल का सवाल है, राज्य सरकार, जैसा कि मैंने निवेदन किया, बराबर प्रयत्न करती रही है और भविष्य में करती रहेगी। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि प्रोसीडिंग्स और निर्णय हुए मुख्य मंत्री कक्ष में, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यह गलत है, सरासर गलत है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उसमें जो पांच लाख रुपये

(श्री भीखाभाई)
का प्रोविजन करने का था, उसका जो प्लान था, उसकी प्लानिंग से स्वीकृति नहीं हो सकी, लेकिन इम्प्रूवमेंट और विकास के लिए रुपया है, वह खर्च करते हैं । और गये साल इस डेढ़ साल में खर्च किया है । सुनिये अगर गये साल नहीं मिला तो इस बार उसकी पूर्ति कर दी जायगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर कैसे कहते हैं कि गलत है ।

श्री भीखाभाई : आप उसके लिए बेफिक्र रहें ।

श्री अध्यक्ष : पूरा स्पष्टीकरण आने दीजिये ।

श्री भीखा भाई : उसके बाद में कह दूं कि मुख्य सचिव के यहां पर मीटिंग हुई । यह कहा कि कुए नहीं हैं तो कुए खोदे गये । फिर कहा कि फर्क नहीं आया तो 128 लाख गेलन से 168 गेलन प्रति दिन आया - इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि राज्य सरकार के क्या क्या प्रयत्न किये हैं। उसके बाद भी जो वाटर सप्लाई है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं । न आप संतुष्ट है और न मैं क्योंकि यहां की जो भी समस्या है, इस वक्त हम चाहते हैं कि 27 गेलन पर केपिटा वाटर मिलता है, वह चालीस गेलन मिल सके तो उससे हमें खुशी होगी। अब मैं कहूंगा कि इसका स्थाई हल कैसे हो सकता है – इसके लिए बीसलपुर बांध के बारे में बताया सुखाड़िया साहब ने । इस बांध के निर्माण के बाद ही यह हो सकता है । इस बांध के लिए बताया कि किस तिथि तक काम शुरु होगा । तो यह कहना कि हमने कोई काम नहीं किया है – यह बात गलत है । बनास की योजना के बारे में 24–5 को मीटिंग हुई, और 12-5-70 को भेज दी

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी तारीख को ?

श्री भीखा भाई : 12–5–70 को ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 12–5–70 को भेज दी ?

श्री भैरोंसिंह : कहां भेज दी ?

श्री भीखा भाई : जो विभाग की सूचना है उसके अनुसार मैं कह रहा हूं कि 24 तारीख को मीटिंग हुई, लेकिन उसके पहले एडवांस एक्शन ले लिया, और उस तरह से काम किया । इमीजियेटली एक्शन लेने के तौर पर एडवांस एक्शन लिया गया, यह टैंक बनाने का काम, पाइप लाइन को रिप्लेस करने का काम । बनास बांध के लिए बीस लाख रखा और तीस लाख इधर और इम्प्रूवमेंट मेजर्स है उनको किया जायगा । उसके साथ में टंकिया बनाई जायेंगी ।

इसके साथ–साथ क्या होता है, आज आम तौर पर देखा जाता है, जैसा माननीय सदस्य, श्री सतीशचन्द्रजी ने कहा कि पानी तो पहुंचता है लेकिन दबाव के साथ नहीं आता है । हम मान लेते हैं, लेकिन इसके कई कारण हैं । एक कारण है, एक आदमी ने कनेक्शन लिया, उसका मकान बड़ा है, उसने एक पाइन्ट लिया लेकिन कई पाइन्ट लगा लिये । वह पकड़ा नहीं जा सकता है । दूसरी बात है कि नीचे

(श्री भीखाभाई)
नल हैं वह खोल दिये जाते हैं जिससे दूसरी तीसरी मंजिल तक पानी नहीं पहुंचता है। फिर भी जो दबाव कम है उसको इम्प्रूव करना होगा, अब वह कैसे हो सकता है, तो रिप्लेसमेंट आफ मेन्स, रिप्लेसमेंट आफ पाइप लाइन हो और टंकियां बनें, ताकि प्रेशर बढ़े। मैं निवेदन करूं कि इस प्रकार से बनीपार्क में किया है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल जो विभाग का प्रोविजन है, इस साल जो प्रोविजन हो सकता है, बीस लाख रुपया देने के बाद जितना मिल सकेगा—जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि दस लाख और देना है, छः लाख पाइप लाइन का देना है—वह खर्च करेंगे और एडवान्स एक्शन के तौर पर जो किया है, वह करने के बाद बनास योजना, बांध का काम भी उचित समय पर शुरू किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण।

श्री भीखाभाई : जो सतीशचन्द्रजी ने बात कही, उससे सम्बन्धित मैंने कह दिया, वाढ़दारजी ने जो कहा, उससे सम्बन्धित कह दिया। अब मैं समझता हूँ कि रामानन्दजी ने जो कहा, वह बिल्कुल गलत बात कही है कि मंत्रियों को ज्यादा मिलता है, एम.एल एज. को कम मिलता है There is no question of any discrimination of inequal distribution of water supply irrespective of any post or prestige.

एक माननीय सदस्य : टंकिया फूटने वाली बात नहीं बताई।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने यह प्रयत्न किये हैं। इसके अलावा राज्य सरकार यह कोशिश करेगी कि 27 गैलन पर कैपिटा मिलता है, उसको आगे बढ़ाया जाय और इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल किया जाय।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। वित्त मंत्री!

श्री भगवानदास शास्त्री : जहां कनेक्शन छोटे छोटे हैं···

श्री लादूराम सुलानिया : जो मैंने गांवों के लिए कहा, उसके लिए आपने नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री लादूराम सुलानिया : ऐसी बात है···

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो गई। स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : एक लाख आदमी और मिल गये···

श्री अध्यक्ष : मिल गये तो अलहदा कर देंगे।

श्री लादूराम सुलानिया : उनके लिए मंत्री महोदय ने नहीं फर्माया कि उनको पानी मिलेगा या नहीं।

श्री भीखाभाई : मैंने कहा, मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। वित्त मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

भवानी (मिनर्वा) टाकीज के बेचान के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर से आने

Page No 66

(श्री मथुरादास माथुर)

वाले माननीय सदस्य ने सदन में भवानी टाकीज, जिसको मिनर्वा टाकीज कहते हैं, के बेचान के सिलसिले में, खास तौर पर स्टाम्प ड्यूटी उस पर कम लगी, इस सिलसिले में सदन का ध्यान आकर्षित किया था। मैंने सदन के सामने यह वायदा किया था, मैं इसके पूरे फैक्ट्स देख कर सदन के सामने रखूंगा कि इसमें क्या कार्यवाही हुई सारी।

मैं शुरू में कह दूं, जहां तक मिनर्वा टाकीज जो वेची गई है, उससे उस टाकीज से बीकानेर के हिज हाईनेस का कोई सम्बन्ध नहीं है···

श्री रामनारायण चौधरी : कोई सम्बन्ध नहीं है?

श्री मथुरादास माथुर : कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्होंने अपने हिस्से के सब शेअर ट्रान्सफर कर दिये थे और वह···

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब किये थे?

श्री मथुरादास माथुर : सारा सुनिये।

बीकानेर के हिज हाइनेस ने अपने शेअर मुख्तलिफ समय में अपनी मदर के नाम, अपने लड़के के नाम, और अपने भाई के लड़के के नाम ट्रान्सफर कर दिये थे···

श्री रामनारायण चौधरी : कब किये थे?

श्री मथुरादास माथुर : मैं सारे फैक्ट्स दे देता हूं आपके सामने सबसे पहले महाराजा श्री अमरसिंहजी और महाराजा करनीसिंहजी ने इस सिनेमा भवन को 21-1-50 को मैसर्स राजपूताना टाकीज प्राइवेट लिमिटेड से 3।। लाख में खरीदा था। महाराजा करनीसिंहजी के 59 प्रतिशत शेयर्स थे और 41 प्रतिशत अमरसिंहजी के थे। यह सबसे पहले राजपूताना टाकीज लिमिटेड से खरीदा। फिर उसके बाद में राजपूताना प्राइवेट लिमिटेड से, भवन तो 3।। लाख का हुआ, फिर फर्नीचर, मशीनरी, जनेरेटर और दूसरे मुख्तलिफ सामान को बेच दिया 6.10 लाख में। तो इस तरह से भवानी टाकीज जो उसका पहले नाम था, उसकी बिल्डिंग, फर्नीचर सब महाराजा बीकानेर और महाराजा अमरसिंहजी को बेच दिया गया। उसके बाद में महाराजा करनीसिंह ने श्रीमती राजमाता सुदर्शन कुमारी विडो आफ लेट हिज हाइनेस श्री सादूलसिंह आफ बीकानेर, महाराज कुमार श्री नरेन्द्रसिंहजी सन आफ हिज हाइनेस करनीसिंह 1-2-68 के दिन उन्होंने बेचा किया। अब मुख्तलफ समय पर डिफरेंट शेयर्स करते रहे और अन्त में जाकर यह पोजीशन बन गई कि आज के दिन कुल मिलाकर तीन शेयर्स हैं:-

(1) राजमाता श्रीमती सुदर्शन कुमारी, (2) महाराजकुमार श्री नरेन्द्रसिंह, (3) श्री अमरसिंह। उसके बाद में इस सिनेमा को 10-2-68 को श्री प्रतापसिंह बैंगानी को श्री अमरसिंह, सन् आफ श्री विजयसिंह, राजमाता और श्री नरेन्द्रसिंह ने तीन लाख में बेचान किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1-2-68 वाला कितने में बेचान किया।

श्री मथुरादास माथुर : 10-2-68 को तीन लाख में बेचा। 1-2-68 को शेयर्स ट्रांसफर हुए।

श्री रामानन्द अग्रवाल: वैलूएशन कितना हुआ?

Page No 67

श्री पी. के. चौधरी : ट्रांसफर का कन्डीरेशन क्या था ?

श्री मथुरादास माथुर : रिलेशन्स थे, परसैंटेज ग्राफ शेयर्स ट्रांसफर किया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वैलूएशन क्या होगा फार दी पर्पज ग्राफ स्टैम्प ड्यूटी ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास डीड नहीं है ।

श्री पी. के. चौधरी : व्हैदर इट इज पार्टीशन ग्राफ दी प्रापर्टी या किसी कन्सीडिरेशन से हुग्रा या गिफ्ट से हुग्रा ?

श्री मथुरादास माथुर : इसके लिए कोई फार्मल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुग्रा ट्रांसफर के लिए टाइटल का ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1-2-68 वाला रजिस्ट्रेशन कब हुग्रा ?

श्री मथुरादास माथुर : It was presented on 1-2-68

श्री पी. के. चौधरी : 1-2-68 वाला डीड कब रजिस्टर हुग्रा ?

श्री मथुरादास माथुर : वह रजिस्टर हुग्रा . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : दिस इज दी फैक्ट विच ग्राई मेड । 1-2-68 का 20-2-68 को रजिस्टर हुग्रा । इससे साफ जाहिर होता है कि रजिस्ट्रेशन से पहले....

श्री मथुरादास माथुर : महाराजा करनीसिंह बीकानेर ने 1-2-68 को presented for registration on the same day ग्रौर उसी तारीख को रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया है । अब प्रश्न सदन के सामने यह है कि इसमें जो कन्सीडरेशन इस समय है, जो फाइनल ट्रांसफर्स हुए हैं तीन ग्रादमियों के नाम से ग्रौर ग्रोरिजिनली में महाराजा करनीसिंह के साथ में अमरसिंहजी थे। उसके बाद में मुख्तलफ ट्रांसफर्स होते रहे ग्रौर अल्टीमेटली तीन ग्रादमियों के पास प्रापर्टी ग्रा गई ग्रौर सेल डीड में सबका रेफरेंस है ग्रौर उसके बाद में अब तीन लाख में यह जाकर बेचान हुग्रा है । उसके ऊपर ग्रन्डर सेक्शन 47 ए ग्राफ दी स्टैम्प एक्ट एज एप्लाइड टू राजस्थान का प्रोवीजन है जिसमें है कि Under Sec. 47-A of the Stamp Act as applied to Rajasthan the Registering Officer has reason to believe that the valuation of the property of the consideration in any instrument relating to any immovable property has not been truely set forth in the instrument, he may after registering such instrument send it in original to the Collector to determine the value of consideration and to assess and charge the duty in conformity with such determination. The Sub-Registrar, Jaipur City, before whom this deed was presented for registration submitted the case to the Collector under the said section. The matter is still pending with the Addl. Collector, Jaipur.

श्री रामचन्द्र आर्य : ग्राप हिन्दी में क्यों नहीं पढ़ते ?

श्री अध्यक्ष : अंग्रेजी की किताब है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : : हिन्दी में पढ़िए, घोषणायें कुछ करते हैं ग्रौर फिर अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है ।

श्री नत्थीसिंह : कथनी ग्रौर करनी में ग्रन्तर है । हिन्दी में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता था ?

श्री रामचन्द्र आर्य : विभाग से जैसे आता है वह अंग्रेजी में आकर यहां बताते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : धारा 47 ए आफ दी स्टेम्प एक्ट के अनुसार कलेक्टर साहब को इस बात का रैफरेंस किया गया। सब रजिस्ट्रार ने कलेक्टर साहब को रिपोर्ट की। कलेक्टर साहब ने एडीशनल कलेक्टर को दे दिया जिसके सामने मामला जेर तजवीज है। हमारी तरफ से उन्होंने भी कान्टेस्ट किया और वहां पर यह मामला जेर तजवीज चल रहा है। गवाह सबूत उनकी तरफ से हुए हैं और रजिस्ट्रेशन विभाग की तरफ से गवाह सबुत होने बाकी हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पेश हो चुका है जिसने इसका वैल्यूएशन 3,64,280) बताया है। अब गवाह सबूत होंगे, इंजीनियर पेश होंगे उसके बाद 47 ए में भी चैलेंज किया। फैसला होने के बाद उसकी अपील सैशन्स कोर्ट में होने का प्रावधान है इसलिए फैसला होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। अभी यह मामला जेर तजवीज है। पौने तीन साल का मामला है, गवाह चल रहे हैं, इसको जल्दी करने के लिए रजिस्ट्रार से कहा है, केस का निपटारा होते ही फैसला किया जाएगा।

श्री विजयसिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सिनेमा घर है इसके अन्दर महाराजा करनीसिंह का कोई हिस्सा नहीं था, जो उनका हिस्सा था उन्होंने पहले ही अपनी माता और पुत्र के नाम कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : आप देर से आए हैं, कह दिया गया है।

श्री विजयसिंह : देर से भले आया लेकिन मैंने पहले····

श्री अध्यक्ष : ट्रांसफर हो गए, कह दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वित्त मंत्रीजी ने कई तथ्यों का उत्तर नहीं दिया। मैंने सदन में जब मामला उठाया था तो कहा था कि महाराजा करनीसिंह ने 1-2-68 को यह डीड ट्रांसफर अपनी माता और लड़के के नाम कर दिया था जबकि वह सैल डीड जो था वह बैंगानी के नाम पहले ही मेटीरियलाइज हो चुका था। महाराजा करनीसिंहने अपना नाम निकालने के लिए, क्योंकि एक पोलिटिकल आदमी हूं, एम. पी. हूं और इस प्रकार डीड में मेरा नाम नहीं आए इसलिए यह काल्यूजिव ट्रांसफर था। मैंने बताया था कि महाराजा करनीसिंह जी की तरफ से···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब यह प्रश्न चर्चा का कहां रहता है। जो कुछ स्पष्टीकरण था वह बता दिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कई प्रश्न छिपे रहते हैं उनके लिये नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर चर्चा तो नहीं होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो कुछ मैंने रखे थे उनका वित्त मंत्री महोदय ने जवाब ही नहीं दिया है।

श्री विजयसिंह : कोर्ट में मामला है तो यहां पर इसका डिस्कशन कर सकते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : नहीं कर सकते हैं।

श्री विजयसिंह : फिर क्यों कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : रोक रहा हूं उनको।

श्री विजयसिंह : केवल महाराजा करणीसिंह जी को डिफेम करने की दृष्टि से यह किया जा रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1-2-68 को इसकी वेल्युएशन कितनी थी और महाराजा करणीसिंह के प्रिफरेन्शियल शेयर्स का उसमें कोई जिक्र नहीं किया है। 1 लाख 40 हजार में यह डीड किया है जब कि 2 लाख 30 हजार थी।

श्री विजयसिंह : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। यह मामला कोर्ट में चल रहा है फिर डिस्कशन क्यों हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री महोदय।

श्री रामानन्द अग्रवाल अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले पांच आफर्स पांच जगह से आये थे जो 9 लाख और 15 लाख तक के थे। जिनकी वेल्यु-एशन महाराजा करणीसिंहजी ने की। इस बात का भी जिक्र किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट के सामने डाक्यूमेन्ट्स प्रोड्यूस हुए होंगे। आबू की कम्पनी ने 15 लाख का आफर दिया। एक लेटर जनवरी के महीने (शोरगुल) में महाराजा करणीसिंह के द्वारा अमरसिंह जी को लिखा गया। अमरसिंहजी के अ॰ यह हुआ। अमरसिंहजी, महाराजा करणीसिंह और नरेन्द्रसिंहजी, ये तीनों के हिस्से हैं। महाराजा करणीसिंहजी ने डीड लिखा। उनके लड़के के नाम पहले कर दिया। यह सारा डील जनवरी के महीने में हुआ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये प्रश्न तो उन्होंने बताये फिर उठा लिया है मैं पूछ लूं।

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह : उनकी मां को एक्स्ट्रा इनकम देने के लिये इस डीड को फाइनल किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : महाराजा करणी सिंह ने अपने राइटिंग से दिया है।

श्री अध्यक्ष : डिबेट नहीं अलाऊ करूंगा माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : प्रश्न यह है···

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक पार्टी दूसरी पार्टी का काल्युजन है। ला के परपज को डिफीट करने के लिये···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह जानना चाहता हूं मिनिस्टर महोदय से···

श्री अध्यक्ष : आप भी बैठ जायं।

ऑर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो मैंने क्वेश्चन किये हैं, क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि कम ड्यूटी दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष : मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो डिबेट पहले हुई है बजट पर उसको वापिस आरम्भ न की जाय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जो भी कुछ स्पष्टीकरण वित्त मंत्री महोदय ने किया और करना चाहते हैं उसके अतिरिक्त कुछ भी चर्चा नहीं होगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक ट्रान्सफर है, दोनों पार्टीज का काल्युशन है और ला को डिफीट करने के लिये किया जाय उसको गवर्नमेंट स्वीकार करेगी क्या ?

श्री अध्यक्ष : दिस इज क्वेश्चन आफ ला। दिस इज हाईपोथेटिकल क्वेश्चन।

श्री विजयसिंह : ये तो आधा ला पढ़े हुए हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह वेलिड नहीं था और ला रिकोग्नाइज्ड करता है तो गवर्नमेंट कैसे करेगी ?

श्री विजयसिंह : कर सकती है। आपने लॉ को पढ़ा नहीं है।

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर। वित्त मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करना चाहेंगे।

(शोरगुल)

ऑर्डर प्लीज।

श्री शंकरलाल : आपने वक्तव्य में यह कहा कि 21-1-50 को यह सम्पत्ति 3॥ लाख में खरीदी और फर्नीचर 6 लाख का 9॥ लाख की सम्पत्ति हुई उसका वेल्युएशन बताना चाहिये। यह स्पष्ट होता है कि यह लॉ को डिफीट करने के लिये किया है।

श्री विजयसिंह : इतने मिनिस्टरों ने क्या किया ? दो दो रुपये की इनकम थी आज उनके पास लाखों की सम्पत्ति है। आप कर दीजिये तो करोड़ों रुपयों का फायदा

(शोरगुल) (व्यवधान)

होगा। इस राजस्थान की धरती पर किसी में दम हो तो करे, और उनको हटाये। कोई बात नहीं, बात का नाम नहीं और कांग्रेस के एम. एल. ए. अपने व्यक्ति के हार जाने के कारण उस जलन को मिटाने के लिये ऐसा किया है।

श्री अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण करें।

वित्त मंत्री जी।

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक समस्या मेरे सामने है वह स्टाम्प ड्यूटी की है। काल्युजन में क्या किया, वेलिड है या नहीं यह लीगल प्रश्न है। इसको कोर्ट में किया जा सकता है। मेरे सामने प्रश्न यह है जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि वेल्युएशन वैगानीज के लिये किया वह कम किया। हमारे विभाग का यह मानना है कि वेल्युएशन किया वह कम किया। सब रजिस्ट्रार ने 47-ए के नीचे इसको रैफर कर दिया कलेक्टर को। वह इसका फैसला करे। उस वक्त ए. डी. एम. थे उनको दे दिया और उस पर कार्यवाही चल रही है। राज्य सरकार की मंशा है··

श्री रामानन्द अग्रवाल : कम स्टाम्प ड्यूटी ली गयी।

श्री मथुरादास माथुर : यह कहा और यही कह कर भेजा। इसलिये रिवेल्युएशन

(श्री मथुरादास माथुर)
करके नेसेसरी स्टाम्प लिये जायं । यह करके नोटिस इश्यू किया । दूसरी पार्टी ने जवाब दिया और कन्टेस्ट करना शुरू किया । वे अपने एवीडेन्स सीक कर रहे हैं और हम भी करेंगे । प्रापर्टी का वेल्युएशन इतना होता है और गवाह पेश किये हैं और 47 ए को भी चेलेन्ज किया है । उसका फैसला हो जावेगा । डिपार्टमेंट कामयाब होगा तो वसूली कर लेंगे और कामयाब नहीं हुआ तो सेशन कोर्ट में जावेंगे ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ट्रान्सफर इनवेलिड करने के लिये कार्यवाही करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दोनों का करेंगे ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : महाराजा करणीसिंह अपने आप आ जावेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : महाराजा करणीसिंह का भी एक्जीक्यूट किया हुआ है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : महाराजा करणीसिंह अपने आप आ जावेंगे ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य कन्फ्यूजन में चल रहे हैं । 1-2-68 को महाराजा करणीसिंह जी ने अपने शेयर प्रोपर्टी के थे वे बेच दिये । फक्तन व फक्तन वे ट्रान्सफर करते रहे हैं नाट बाई डीड । अब डीड कराया । माता को, अपने लड़के और अपने भाई के लड़के को ट्रान्सफर कर दिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या आपने लॉ डिपार्टमेंट से इसको एग्जामिन कराया कि कार्यवाही करने की कोई गुन्जाइश है ?

श्री मथुरादास माथुर : इस पर उन्होंने यह कहा है । यह डीड दो तीन पेज का है । इसके मैं दो रिलेवेन्ट पैराग्राफ पढ़ देता हूं ।

दिस डीड आफ......

श्री अध्यक्ष : आप अंश बता दीजिये, न जबानी ।

श्री मथुरादास माथुर : प्रापर्टी जो आप कहते हैं 311 लाख की मानकर, मुख्तलिफ लोगों का परसेन्टेज लेकर सेल किया है । इसके बाद यह सेल हो गया तो उन लोगों में These people have sold this property to Pratap Singh B ngani. अब जब दूसरा सेल डीड हुआ तो उसका वेल्यूएशन कम मालूम हुआ । इसलिये झगड़ा पैदा हो गया और अब यह जेर तजवीज है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसे लॉ विभाग से एग्जामिन करवाया गया क्या ? इस सेल एग्रीमेन्ट को ही इस बिना पर इनवेलिड करने की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री भैरोंसिंह : इतना सा और बढ़ा दें । स्टाम्प ड्यूटी के बारे में मैं तो अधिक समझता नहीं हूं, फिर भी केवल इतना जानना चाहता हूं कि कुल वैल्यूएशन जो है आपके अनुसार उसमें कुल कितनी स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की होगी ? यह थोड़ा आप अन्दाज ही बता दें ।

श्री मथुरादास माथुर : यह सब तो चार फिगर में ही होगी अधिक से अधिक ।

श्री भैरोंसिंह : फिर भी कुछ आइडिया तो होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : आठ नौ हजार की हो सकती है सबजेक्ट टू फाइनल चैक अप। मैं भी कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूं।

श्री पी.के. चौधरी : इसके साथ ही इन्कम टैक्स भी तो है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रान्सफर वैल्यूएशन कॉल्यूजन ये सब लीगल एक्स प्रेशन हैं। ये जब जस्टिसेबल इश्यूज हैं, काबिले समाअत अदालत हैं। कोई इन सब में गुनहगार होगा तो अदालत सजा देगी। यहां पर इस बारे में चर्चा दो घंटे की हो, चाहे चार घंटे की हो हाईपोथिटिकल और अवास्तविक है। चर्चा हो इसका मैं कोई विरोध नहीं करता, उसका स्वागत है इसमें मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सीलिंग किसी सम्पत्ति वगैरह का अभी थोड़े ही आ गया है। केवल यह तो स्टाम्प ड्यूटी का ही तो मामला है।

श्री रामनारायण चौधरी : ओन ए पॉइन्ट आफ ऑर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष, ओन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। जिस विभाग की यह चर्चा चल रही है वह चर्चा महाराजा बीकानेर से सम्बन्धित है और माननीय विरोधी दल के नेता का सम्बन्ध राज परिवार, बीकानेर से है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की चर्चा में उनका भाग लेना और सदन में उनको समर्थन देना उचित नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : यह कौनसा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर हो गया ? यह तो आपने झक मारी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह एक्सपन्ज किया जावे।

श्री भैरोंसिंह : केवल इनसे नियम पूछ लिया जावे कि कौनसे नियम में वे यह कह रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : यह सब-जूडिस मामला है।

श्री अध्यक्ष : यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर आया है। आने दीजिये। आप बैठ जाइये। मैं फैसला कर दूंगा। स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर में पहले नियम तो कोट करें कि किस नियम के अन्तर्गत ये यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : ये तो जानते ही नहीं हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जिस नियम के तहत पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया जाता है, उस नियम के अन्तर्गत उठा रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जानना इसलिये चाहता हूं कि माननीय सदस्य केवल सदन के सदस्य ही नहीं हैं, पैनल ऑफ चैयरमैन के भी एक सदस्य हैं। तो कम से कम उनको तो जानकारी होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : इसका टेस्ट में अभी नहीं कर रहा हूं। इधर माननीय मकराणा भी जो हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कानून की विशेष गति उनकी हो, यह जरूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य सचेतक भी खड़े हो गये। वे किताब देख रहे हैं, देखिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जनता के प्रतिनिधि बनकर आये हैं यहां। आप कौनसे रूल्स के बारे में पूछ रहे हैं।

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुछ भी अंकित न हो।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर)

किसी भी माननीय सदस्य का भाषण अंकित न हो।

माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई तो उनके आशय को मैं समझ गया हूं। अधिक अभिव्यक्ति करने का अवसर अब नहीं देना चाहता।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कोई माननीय सदस्य जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, किसी भी तरह का ····

श्री रामनारायण चौधरी : परसनल हित हो।

श्री अध्यक्ष : वे ऐसे प्रश्न को नहीं उठाया करते हैं।

(हीयर, हीयर)

श्री अध्यक्ष : अभी स्टाप नहीं हुआ हूं।

उठाया नहीं करते, प्रायः अपने दायित्व को समझते हुए। पर विरोधी दल के नेता महोदय ने जो प्रश्न उठाया है वह सैद्धांतिक प्रश्न उठाया है। उसका किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध नहीं है। इसलिये यह प्रश्न उठाने में कोई औचित्य नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : इनका चेयर-मैनशिप से नाम हटा दिया जावे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वे चेयरमैन हैं पर फिर भी समझे नहीं। महाराज करणीसिंहजी का मेरे साथ रिश्ता है। यह निर्विवादित बात है। मैं महाराजा-करणीसिंहजी का कोई वकील नहीं हूं। लेकिन कोई अगर सिद्धान्त की चर्चा सदन के समक्ष उठे और उसका कोई कानूनी पहलू भी हो तो मैं समझता हूं हरेक माननीय सदस्य, जो इस सदन का है, उसको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। मुझे सन्तोष है कि आसन ने भी मेरी इन भावनाओं का समर्थन किया है।

श्री रामनारायण : नहीं किया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह आपके विचार से नहीं किया हो तो अलग बात है। मत मतान्तर हो सकते हैं। पर मैं तो यह कहना चाहता था कि कोई व्यक्ति विशेष का कॉल्यूजन का सवाल हो, वेल्यूएशन का सवाल हो प्रोपर्टी या कुछ भी ट्रांसफर का सवाल हो तो यह सदन इस इश्यू को यहां डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि यह कानूनी मसला है। यह जस्टिसेबल इश्यू है। अब

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
अगर कानून की निगाह में करणीसिहजी ने गलती की है या किसी कानून की अवहेलना की है तो खमियाजा वे भुगतेंगे। इसकेलिये मैं एक भी शब्द कहने के लिये तैयार नहीं हूं। पर हाईपोथेटिकल बेसिस पर किसी बात को हम कितनी ही बार दोहरावें, मेरे खयाल में इस सदन में हम कोई भी उससे सैद्धांतिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकेंगे यह मैं अनुभव नहीं करता। हां, किसी व्यक्ति विशेष को कोई वाजिब तौर पर एक्सपोज करना चाहें जन-हित में तो उससे बचा जाना चाहिये यह मैं मानता हूं। इस मामले में केस अदालत में है और जब अदालत से मामला स्पष्ट हो जावेगा तो वह निर्णायक होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह तो अदालत में जावेगा ही नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप ले जाने की सिफारिश कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : डी. सी. एम. का चार करोड़ का मामला यों ही चला गया। क्यों कि यह सेठों का पैसा था। सेठों को पैसों के लिये आपको दर्द आता है।

विधायी कार्य

राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1971 पुर: स्थापन

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। राजस्व मंत्री राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1971 को पुरस्थापित करेंगे।

श्री गंगाराम (उप मंत्री राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1971 को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि ग्रामदान विधेयक, 1971 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1971 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : पुर:स्थापित किया गया। अध्यादेश को जारी करने के कारण भी मेज पर रखें....

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान अध्यादेश, 1971 को जारी करने के कारणों का विवरण प्रक्रिया के नियम 63 के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कब जारी किया गया?

श्री गंगाराम चौधरी : फरवरी, 71 में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी तारीख को?

श्री गंगाराम चौधरी : अभी निवेदन करता हूं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : आगे चलें, लेप्स तो नहीं हुआ है।

श्री गंगाराम चौधरी : 26 फरवरी, 1971 को जारी किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जब मन्त्री महोदय को यह मालूम है कि विधान सभा का सत्र चालू होने वाला है और उसके अन्दर यह लेप्स हो जायेगा क्यों कि 6 सप्ताह के अन्दर अन्दर यह बिजनेस नहीं ले सकते हैं। यह आपको मालूम था फिर आपने आर्डिनेन्स को क्यों जारी किया। राज्यपाल क्या XXX विधान सभा का 15 मार्च से अधिवेशन प्रारम्भ होने वाला था तब इसको आर्डिनेन्स के रूप में जारी करने की क्या आवश्यकता थी ?

एक माननीय सदस्य : यह रोडा अटकाऊ पाइन्ट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह रोडा अटकाऊ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लेता हूं रोडा अटकाऊ है या नहीं है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय, राजस्थान राज्य के हैड हैं, हैड आफ दी स्टेट के सम्बन्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह काबिले ऐतराज है····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो आपके लिये हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : हैड आफ दी स्टेट के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह एक्सपंज किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह : राष्ट्रपति को भी आपने·····

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज। एक्सपंज किया जाये।

श्री विजयसिंह : मैं जानता हूं···

श्री अध्यक्ष : आउट आफ दी वे न जांय माननीय सदस्य। इसको एक्सपंज किया जाता है।

श्री विजयसिंह : राष्ट्रपति····

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय····

श्री लादूराम सुलानिया : हम उनका सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोल रहे है। आप स्थान ग्रहण करिये, बैठिये। आर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानिया : (शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो राज्यपाल महोदय की जो हाई आथोरिटी है उसको मेन्टेन करना चाहता हूं और गवर्नमेंट का जो कस्टेम्प्च्युस ऐटीट्यूड है उसको कन्डेम करता हूं। मैं तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट उनको सर्टीफिकेट दिया है। मेरा निवेदन करना यह है कि, 15 मार्च से अधिवेशन प्रारम्भ होना था और इसके लिये सम्मन इशु कर दिये

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गये थे। फिर 26 फरवरी को इस प्रकार से आर्डिनेन्स क्यों जारी किया गया। तो पहली बात तो यह है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। यहां बाद में भी विचार कर सकते थे। राजस्व मन्त्री महोदय को मालूम है कि 15 मार्च के सत्र प्रारम्भ होने वाला है। 26 तारीख को यह जारी किया गया और आज 22 तारीख को यह यहां पर रखा जा रहा है और चार दिन बाद इसके 6 सप्ताह समाप्त होने जा रहे हैं। तो यह जाहिर होता है कि यह कानून नहीं बन सकता है, तब तक आप इस विधेयक को पास नहीं करा सकते, 26, 27 तक। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप क्यों मजाक करते हैं इस विधान सभा के साथ, राज्यपाल महोदय के साथ और संविधान के साथ ? क्या एक्सप्लेनेशन हैं आपका इस पर ? आपने आज इसका इन्ट्रोडक्शन कर दिया। इस बेक ग्राउन्ड के पीछे आप हाउस को समझाइये।

श्री रामकिशोर व्यास : जनहित की दृष्टि में इस आर्डिनेन्स को जो कि ग्रामसभा बनाने का इसमें रखा गया है, उस पर जल्दी से अमल हो, इसलिये इसको इश्यू किया गया। विधान सभा में यह समय पर भेज दिया गया था परन्तु जल्दी इसका इन्ट्रोडक्शन नहीं हो पाया ? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इसके लिये कोई डेट फिक्स अप नहीं की ? जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है टाइम पर यह गर्वनमेंट से आ गया है। आपका फर्माना है कि 26 तारीख को यह लेप्स हो जायेगा, जो प्रेसक्राइब्ड पीरियड है, उसमें नहीं होगा तो यह होगा ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कह दिया आर्डिनेन्स लेप्स हो जाय तो हो जाय। फिर मतलब क्या है इसको इश्यू करने का।

श्री रामकिशोर व्यास : मतलब साफ है टाइम पर भेज दिया था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने नहीं लिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब मना किया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने गवर्नमेन्ट ने इन्सिस्ट नहीं किया कि ग्रामदान विधेयक को पहले विचारार्थ लिया जाये। आप इस कमेटी के मेम्बर हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तक मेरा ताल्लुक है हम भेज चुके हैं, असेम्बली को भेज चुके हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह गवर्नमेन्ट का लुकआउट है। गवर्नमेन्ट के जो मेम्बर हैं यह उनका काम है कि कौनसा आर्डिनेन्स लेप्स हो जायेगा और उनको सबस्टीट्यूट करने के लिए बिल आना चाहिये। इस गवर्नमेन्ट बिजनेस के लिए आपके पास में मुख्य सचेतक है। यह बात उन्हें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखनी चाहिए थी कि ग्रामदान विधेयक को लिया जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनकी अकल मोटी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह समाप्त हो जाये तो हो जाये। इसका क्या मतलब हैं ? इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार इस कानून को पास नहीं करवाना चाहती है। यह पास नहीं होने वाला हैं। 17/18 मई तक तो विधान सभा में बजट चलेगा··

(1.35 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष महोदय पदासीन)

श्री रामकिशोर व्यास : बिल तो कायम रहता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिल का क्या फोर्स है। आर्डिनेन्स जारी किया और इधर आर्डिनेन्स लेप्स हो रहा है। सरकार के पास इसका कोई एक्स्प्लेनेशन नहीं है। आज यह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं और चार दिन बाद यह आर्डिनेन्स लेप्स हो जायेगा। आप इसको पास करवाना चाहते तो बिजिनेस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में कहते कि इसको इन्क्लूड किया जाये। आप क्या कहते हैं, लेप्स हो जाये तो हो जाये। यह तो कोई कानून नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : जो स्थिति है वह बता दी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो भावना अभी व्यक्त की है, उनकी उस भावना का मैं समर्थन किये बिना नहीं रह सकता। मैं अपना कर्तव्य समझते हुए इस सम्बन्ध में सरकार ने जिस रूप से, इस विधेयक को इस सदन के समक्ष रखा है, उस पर अपना असन्तोष प्रकट करते हुए मैं उसका विरोध करता हूं। कम से कम उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को भी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत सरकार को विजिनेस एडवाइजरी कमेटी को कान्फीडेन्स में लेना चाहिये और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अन्दर सरकार के . . . मैं नहीं कहता कि आपके अधिकार सीमित हैं, आपके अधिकार सब कुछ हैं, लेकिन उन अधिकारों का अगर आप सदुपयोग करे तो अथवा दुरुपयोग करें तो, हरेक सदन के माननीय सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। आखिरकार विजिनेस एडवाइजरी कमेटी है किस काम को? विजिनेस एडवाइजरी कमेटी के सिर के ऊपर छोड़कर मंत्री महोदय यह कह दें। आप विजिनेस एडवाइजरी कमेटी की अवहेलना करते हैं। आप सदन के अन्दर इस तरह से इसको लाते हैं। आप अपने बहुमत के द्वारा यह चाहें कि हम इसको पास करा लेंगे तो फिर उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस सदन को बुलाने का और यह झंझट करने का कोई अर्थ नहीं है। आप डाक से वितरण कर दीजिए और डाक के द्वारा वितरण करा कर आपके बहुमत के द्वारा इसको पारित करा लीजिए। इतना खर्चा कर के विधान सभा बुलाने का क्या फायदा है और राज्यपाल महोदय के प्रति तो हम सब की श्रद्धा है। लेकिन एक गवर्नर के हाई इन्स्टीट्यूशन को सरकार अपनी राजनीति के द्वारा कनवेन्शनल वेसिस पर रबर स्टाम्प को रिड्यूज करें तो मेरे ख्याल से यह विरोधी पक्ष के सदस्यों के विचार व्यक्त करने के अधिकार को चुनौती है। माननीय मंत्री महोदय कुछ भी कहें लेकिन इस परम्परा की सरकार धीरे धीरे आदि हो चुकी है। इस परम्परा पर अंकुश लगाना है। इधर के जितने भी सदस्य हैं उनको यह अधिकार है, उनका यह कर्तव्य है कि वे अपना असन्तोष और विरोध व्यक्त करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता ने जिस प्रकार की बात कही और जो माननीय सतीशचन्द्र जी ने कहा विजिनेस एडवाइजरी कमेटी में इस प्रश्न को नही रखा गया, जहां तक विजिनेस एडवाइजरी

Page No 78

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
कमेटी के सदस्य का सवाल है मैं उसका सदस्य नहीं हूं . . .

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सचेतक महोदय मैं भी नहीं हूं। जैसे आप हैं वैसे ही मैं भी हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : . . . (अश्रव्य) उस रोज ग्रामदान आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में मैं वहां पर गया था और कहा था कि इसको लिया जाय और लिये जाने का प्रश्न था यह तय हुआ था लेकिन क्योंकि हमको डिमान्डस जल्दी पास करानी हैं और दो आर्डिनेन्स लिये ग्रामदान के सम्बन्ध में यह कहा गया, बाद में ले लिया जायगा। जहां तक विजिनेश एडवाइजरी कमेटी का सवाल है, उसमें अपोजिशन के मेम्बर्स भी बैठते हैं। जितनी हमारी ड्यूटी है उतनी ही आपकी भी ड्यूटी है। बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में जो भी प्रश्न आये उनको किस तरह हल करते हैं उसमें आपने अपनी ड्यूटी नहीं दी....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There can be nothing more stupid than this.

श्री गिरधारीलाल व्यास: . . . (अश्रव्य) . . . प्रचारित किया जाय। विरोधी दल के नेता ने जो निरंकुशता की बात कही है और जो बहुमत के आधार पर काम करने की बात कही है यह गलत बात है। यह बात पहले ही बिजिनेस एडवाईजरी कमेटी के सामने लाई जानी चाहिए। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, जो परिस्थिति है वह तो यह है कि आर्डिनेन्स पास हो जाना चाहिये। अगर नहीं हो सके तो वह प्रश्न दूसरा है।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : . . . (अश्रव्य) यह भी आपको मालूम होना चाहिए। बिजनिस ऐडवाईजरी कमेटी में आपको रखना चाहिए वह हमसे पूछते हैं उल्टे आप।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय दो ऑर्डिनेन्स थे। न केवल ग्रामदान बल्कि लैन्ड रिफार्म से सम्बन्धित जितने भी बिल्स हैं चाहे कॉलोनाइजेशन से सम्बन्धित हों, चाहे टेनेन्सी बिल हो और चाहे ग्राम दान बिल हो, गवर्नमेंट डेलीबरेटली उनको टालती जा रही है क्योंकि बिजिनेस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में मैंने खुद ने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से कहा था और इस सदन में भी कहता रहा हूं इस बजट सेशन के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक सेशन और होना है उसके बाद जो यह विधान सभा है डिजोल्व हो जायेगी और जितने भी बिल्स हैं वह सब लैप्स हो जायेंगे. . . (व्यवधान) पांच वर्ष के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय इसलिये मेरा निवेदन है राजस्थान सरकार ने बहुत पैसे खर्च किये लैन्ड रेवेन्यु कमीशन मुकर्रर किया जिसने कुछ बिल्स. . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस चर्चा से सम्बन्धित नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अश्रव्य) : गवर्नमेंट चाहे तो पास कराने के लिए मेरा

Page No 79

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कहना है उन तमाम बिल्स को पास करायें। इस सेशन में हो सकता है वरना लैप्स हो जायेंगे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): मेरी मान्यता है कि राज्य सरकार केवल गान्धीजी और विनोबाजी का नाम लेकर चलना चाहती है बाकी उनकी आस्था नहीं रही है। इसलिए ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं इस स्थिति को साफ करें। इन्दिरा जी के समाजवाद को आप भूल गये हैं। इस तरह समाजवाद की स्थिति को कहकर चलाया नहीं जा सकता है।

अनुदानों की मांग: 1971-72 का प्रस्तुतीकरण

श्री उपाध्यक्ष: अगला बिजिनेस लिया जाय। मांग संख्या 16 कृषि मंत्री जी......

श्री लादूराम सूलानियां: माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य दूसरा बिजनेस ले लिया गया। आप स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य: मांगों के बाद। मांग प्रस्तुत हो जाय इसके बाद में...

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष जी मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,47,32,000 तक की राशि प्रदान की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95 कृषि, उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत से सम्बन्ध में 31 मार्च 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,84,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष: मांग संख्या 20, पशु पालन मंत्री जी।

श्री मनफूलसिंह (राज्य मंत्री, पशु पालन): उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक 33 पशु-पालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय......

श्री उपाध्यक्ष: मांग संख्या 20 है।

श्री नत्थीसिंह: 20 ही बोले है।

श्री मनफूलसिंह: ....के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,61,76,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें पार्टी वाइज समय का बंटवारा कर दिया गया है। सरकार की ओर से उत्तर सवा चार बजे तक दिया जावेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता: उपाध्यक्ष महोदय मुझे यह निवेदन करना है..... (व्यवधान) जो माननीय सदस्य बोलते हैं उन पर पहले तो नियंत्रण लगाते नहीं हैं और बाद में नियंत्रण लगाया जाता है।

Page No 80

श्री उपाध्यक्ष : आप ध्यान नहीं रखते। पहले ही नियंत्रण कर रखा है। हर सदस्य को नाम से पुकारा जाता है और कहा जाता है माननीय सदस्य आप अपने दल का समय ज्यादा नहीं लें फिर भी माननीय सदस्य....

श्री मनोहर सिंह मेहता : आपने हुक्म दिया 10 मिनट तो 10 ही मिनट बोलने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह से समय ज्यादा चला जाता है और कुछ समय कम पड़ जाता है।

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। पिछले विधानसभा के लास्ट में समाज कल्याण मंत्रीजी ने यह कहा था कि शिड्यूल कास्ट की रिपोर्ट अबके विधानसभा शुरू होते ही ले लेंगे लेकिन आज विधानसभा को चलते एक महीने से कुछ अधिक हो गया है उपाध्यक्ष महोदय उसको नहीं ली गई है। हम रोष प्रकट करते हैं आसन से भी और राज्य सरकार से भी कि इसको लिया जाना चाहिये। यह सरकार के XXX की निशानी है कि कहकर मुकर जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : निकम्मा शब्द कार्यवाही से हटा दिया जाय।

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय उसको पूरा करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गाड़िया जी प्रारम्भ कीजिए।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय मंत्री महोदय से उत्तर दिलाया जाय।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जी जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानियां : (अश्रव्य) भविष्य में नहीं करें इस प्रकार की अव्यवस्था। इससे लाखों आदमियों की समस्या हल नहीं होती है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय पिछले सैशन में वायदा करते हैं और उस वायदे को नहीं निभाते है। आज एक महिना और 7-8 दिन सैशन होते हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण नहीं होगा। आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री किशनलाल वर्मा : मेरा भी निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल कास्ट की रिपोर्ट को इसी सत्र में लिया जाय। रिपोर्ट नहीं लेते हैं इसका मतलब समाजवाद की तरफ आप नहीं बढ़ रहे हैं। आप कोई समाजवाद का काम कहकर नहीं करना चाहते हैं। इस तरह से कभी समाजवाद नहीं आयेगा।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं । माननीय सदस्य ।

श्री किशनलाल शर्मा : मेरा निवेदन है रिपोर्ट को बहस के लिए जरूर रखा जाना चाहिये ।

मांग संख्या 19, 20 व 38 पर प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 19

1. **श्री हरिबल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में 100) रुपये कम कर दिये जांय (दोषपूर्ण उन्नत बीजों के वितरण से खाद्य उत्पादन पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव पर चर्चा के लिए)।

2. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जांय (विभाग द्वारा सघन कृषि कार्यक्रम के लिए चुने हुए जिलों में भी ग्रामीण विद्युतीकरण सघन कृषि क्षेत्रों में किए जाने के लिए बोर्ड पर दबाव न डालने पर चर्चा के लिए)।

3. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिये जाय (ग्राम सेवकों एवं प्रसार अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में किसानों को कृषि उत्पादन में मार्ग दर्शन न करने तथा उनकी फसल में बीमारियों से सम्भावित हानि से बचाने में उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिए)।

4 मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण वितरण में किसानों से कमीशन काटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

5. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (किसानों को ऋण लेने हेतु पासबुक न दिये जाने के बारे में चर्चा के लिए)।

6. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (कृषि उद्योग निगम द्वारा ट्रैक्टरों के वितरण में भारी पक्षपात व अनियमितता बरतने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

7. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पशु रोगों की पुरातन–भारतीय चिकित्सा को प्रोत्साहित न किए जाने के बारे में नीति का अनुमोदन)

8. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर वेटनरी अस्पताल में मोबाइल यूनिट न रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

9. श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100) कम कर दिया जाय (कृषकों को खेती के औजार खरीदने के लिए उचित ऋण उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिए)।

(श्री दुर्गालाल बाददार)

10. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (कृषकों को अच्छा बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये)।

11. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (कृषकों को ऋण मिलने में परेशानी, खाद्य निगम की मुनाफाखोरी आदि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

12. श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में 100) रुपये कम कयर दि जाय (अकलेरा तहसील का बोरदा कृषि फार्म निरन्तर घाटे में चल रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

13. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्ततंत मांग में से 100 रु. कम कर दिये जाये (राजस्थान में अंगूरों की खेती को प्रोत्साहन देने में राज्य सरकार की नीति एकदम असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

14. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (सूरतगढ़ व जेतसर आदि के फार्म की भयंकर अव्यवस्था से सालाना भारी नुकसान हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म से सरकार व भूमिहीन किसानों को नुकसान हुआ है, इस पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (काश्तकारों को समय पर ट्रेक्टर नहीं दिये जाते, इस पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (गंगानगर में कृषि कालेज नहीं खोले जाने से काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (किसानों को बीज अच्छा नहीं दिया जाता, जिससे काश्तकारों को भारी नुकसान होता है, इस पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (किसानों को बाग लगाने के लिये सरकार द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता जिससे फल उत्पादन में भारी रुकावट होती है इस पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कुछ जिले सघन खेती कार्यक्रम के अंतर्गत लिये हैं, लेकिन उत्पादन

(श्री रामचन्द्र आर्य)
बढ़ाने के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, इस पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र के काश्तकारों को अपने खेतों में अरट आदि लगाने के लिए सरकार द्वारा विशेष मदद नहीं दी जाती इस पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (फसलों की रक्षा हेतु कीटनाशक दवाइयों का मुफ्त छिड़काव का प्रबन्ध करने से उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है, इस पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (गरीब काश्तकारों को ऊंट व बैलों की तकाबी नहीं दी जाती है, इस पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (काश्तकारों को खेती के काम में लेने के लिये कंट्रोल रेट पर नालीदार चद्दरें व सीमेन्ट तथा लोहा दिया जाता था, अब नहीं मिलता, इस पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कीटनाशक दवाइयों की बिक्री में भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान कृषि निगम द्वारा ट्रेक्टरों के वितरण में अनियमितताएं और घोटालों पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (सांगरिया कृषि कालेज को सहायता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कृषि प्रसार अधिकारियों द्वारा झूठे आंकड़े देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (काश्तकारों को समय पर बीज नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला श्री गंगानगर में बीज फार्म नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31- कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री गंगानगर

(श्री रामचन्द्र आर्य)
जिले में ट्रैक्टरों का कारखाना नहीं खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म में मशीनरी के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

मांग–संख्या 20

34. मांग संख्या 20, शीर्षक 33-पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ ऊन कतरन केन्द्र बूरू में एक हरिजन के साथ हुए अत्याचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 20, शीर्षक 33-पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ ऊन खरीद घोटालों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुधन की उन्नति हेतु नस्ल सुधारने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के गांव पल्लू व भाणसिया में पशु चिकित्सालय खोला जाना जरूरी है, इस पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुमेला गोगामेड़ी में व्यापारियों के बारिश व धूप से बचने हेतु कोई धर्मशाला या छप्पर बनाने चाहिये लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 23-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (दुग्ध योजनायें घाटे में चल रही हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

40. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस मांग के अन्तर्गत व्यय होने वाली राशि का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भोटवाड़ा में कृषि के लिये औजार नहीं बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

42. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100) रुपये कम कर दिया जाय (बीज आदि समय पर वितरण न करने पर कृषि उत्पादन पर पड़े विपरीत प्रभाव पर चर्चा के लिए)।

43. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं जिले में कृषकों के लिए संछिद्रण कार्यों की उचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

44. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31 कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (उत्पादित खाद्य सामग्री का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता और उपभोक्ता को सस्ता अन्न नहीं मिलता, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

45. मांग संख्या 20, मुख्यशीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोपालन पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना कि देना आवश्यक है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या–19

46. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कृषि विकास के सम्बन्ध में राज्य की व्यवस्था ठीक न होने से उत्पादन में कमी होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या–20

47. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशु पालन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पशु पालन में राजकीय प्रावधान के बारे में सरकारी नीति का अनुमोदन)।

मांग संख्या–19

48. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कृषि फार्मों की अव्यवस्था के कारण उत्पादन में हो रही कमी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या –20

49. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य की गलत नीतियों के कारण पशु उत्तरोत्तर अनुपयोगी होकर कत्लखाने में जा रहे हैं जिसका खेती पर तथा अर्थ व्यवस्था पर भंयकर प्रभाव पड़ेगा उस सम्बन्धी नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या–19

50. श्री जयनारायण साल्रोदिया (निवाई): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (सरकार को कृषि उन्नति के प्रति उदासीनता से उत्पादन में गिरावट पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (किसानों को समय पर खाद–बीज नहीं दिये जाने व खराब किस्म का बीज दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

52. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (किसानों को ट्रैक्टर समय पर व नियमानुसार नहीं दिये जाने व उसमें भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कृषि मंडियों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

54. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, आदि में व्याप्त अव्यवस्था व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

55. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं की नस्ल सुधार में सरकार पूर्ण नाकामयाब रही, इस पर चर्चा के लिए)।

56. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में नियुक्तियों, प्रमोशन्स व ट्रांसफरों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

57. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु पालन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 38

58. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (झोटवाड़ा) कृषि यंत्र फार्म में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

59. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के मारफत जो बीज वितरित कराया जाता है वह विभाग द्वारा ही वितरित कराने पर चर्चा के लिए)।

60. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा खाद व्यवस्था ठीक करने पर चर्चा के लिए)।

61. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा काश्तकारों को समय पर बीज उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

62. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 23–पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में भेड़ पालकों को प्रोत्साहन न देने व जि

(श्री दिग्विजय सिंह)

में से प्रसार अधिकारी हटा देने पर चर्चा के लिए)।

63. मांग संख्या 20, मख्य शीर्षक 33–पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाए (पशु पालन विभाग द्वारा एक चलते फिरते चिकित्सा अस्पताल की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिए)।

64. मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक 33–पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा कस्बे में पशु चिकित्सालय की व्यवस्था ठीक करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

65. श्री रैवित गाडिया (बारां) : मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कृषि विभाग के अधीन चल रहे कृषि फार्मों में हो रहे लाखों रुपयों के नुकसान व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

66. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिये जांय (कृषि विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति व पदोन्नति आदि में चल रहे पक्षपात व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

67. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कृषि उपज मन्डी, समिति के चुनाव प्रणाली में चल रहा दोष, धांधली तथा पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 32-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (बारां कृषि उपज मण्डी समिति के विकास का कार्य ठप्प होने एवं चल रही धांधली पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 11-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल मण्डी कमेटी को खत्म किया जाय व विभिन्न क्षेत्रों की संबंधित भूमि नगरपालिका व पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों के सुपुर्द किया जाने पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल मण्डी कमेटी के बजट में पड़े रुपयों के वितरण में हो रहे पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा व बूंदी में गन्ना विकास योजना में बरती जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि अन्वेषण व अनुसंधान विग के कर्मचारियों को उदयपुर विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किए जाने पर कर्मचारियों की सर्विस व पदोन्नति आदि पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री देवीदत्त गाडिया)
कम कर दिया जाय (गेहूं, धनियां आदि नई किस्म के बीज वितरण में चल रहे भ्रष्टाचार व पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि अभियांत्रिक निगम के 161 कर्मचारियों की की गई नियम विरुद्ध छटनी एवं उनके स्थान पर की गई नई नियुक्तियां तथा न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय की विभाग द्वारा पालना नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अटरू में राजस्थान भूमि जल मण्डल द्वारा खोदे गए ट्यूब वैल्स में हुए भ्रष्टाचार व उनकी अनुपयोगिता पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां व अन्ता पंचायत समिति क्षेत्र में कराई गई मेडबन्दी में हुए गोलमाल एवं किसानों के साथ रुपयों की वसूली में किए जा रहे अन्याय व ज्यादतियों पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 19. मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर विश्वविद्यालय में नियुक्ति व पदोन्नति आदि में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात एवं धांधली पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33—पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां में एम. आई. यूनिट घोषित किए जाने पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 130 रुपया कम कर दिया जाय (मत्स्य पालन विभाग के कुछ अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा किये गए धन के दुरुपयोग व कर्मचारियों की नियुक्ति व पदोन्नति में हुए पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांधों, तालाबों व जयसमंद झील से मछली पकड़ने की ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाकर विभागीय कार्य किया जाय। ठेकों में चल रहे भारी भ्रष्टाचार आदि पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (बारां में पशुओं हेतु मोबाइल सर्जिकल यूनिट स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 110 रुपया कम कर दिया जाय (बारां पशु चिकित्सालय में दवाइयों व उपकरणों आदि के अभाव पर चर्चा के लिये।

83. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा के उप-जिला क्षेत्र बारां के बारां शाहबाद, अन्ता, अटरू, छबड़ा व छीपाबड़ोद में पशुओं की

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

नस्ल सुधार योजना में बरती जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) :

84. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कृषि विभाग के युनिटों का जिला स्तर पर पूल बनाने, राज्य स्तर पर पूल बनाने व डिवीजनल अधिकारियों के पदों को समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा फार्मों का संचालन कर कर जन–जागृति का व प्रशिक्षण का काम करने की आवश्यकता पर बल दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

86. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (भू-जल मण्डल द्वारा ग्राम निम्बीजोधा जिला नागौर में खोदे गये नलकूप में पानी की प्राप्ति के बारे में झूठी रिपोर्ट देने पर चर्चा के लिए)।

87. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (राजस्थान भू-जल मण्डल द्वारा पाईपों की खरीद में घोटाला किये जाने पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या, 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (नागौर जिले में भू-संरक्षण कार्यों में हुए घोटालों की जांच में सिद्ध होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कृषि प्रसार अधिकारी पंचायत समिति लाडनूं, के विरुद्ध शिकायतों पर विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100) रु. कम कर दिया जाय (कृषि सघन योजना पाली में दिये गये ऋण का दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति लाडनूं, द्वारा बिना विभाग की अनुमति के बम्बई आदि स्थानों पर सरकारी कार्य पर दौरे करने पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजनैतिक आधार पर पशु चिकित्सालय खोलने पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पताल लाडनूं के डाक्टर द्वारा अस्पताल से दूर रोगी पशुओं को दिखाने पर व पशु मालिकों से भारी फीस मांगने पर चर्चा के लिये)।

Page No 90

(श्री हरजीराम बुरड़क)

94. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कैटल ब्रीडिंग फार्म नागौर में चारा आदि खरीदने में स्थानीय अधिकारियों द्वारा ठेकेदार से मिलकर अनियमितताएं बरतने पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु पालन विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नतियों में किये जा रहे पक्ष-पात पर चर्चा के लिये)।

96. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम निम्बीजोधा, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में बार बार मांग करने पर भी डिस्पेन्सरी नहीं खोलने पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं अस्पताल के डाक्टर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की जीप का लगातार दुरुपयोग होने और उसको रोकने में अस्पताल पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (जैतारण) :

99. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कृषि शिक्षा और अन्वेषण की नीति में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (सरकारी कृषि फार्मों पर हो रहे खर्च के अनुपात में लाभ न होने पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (बोरिंग की मशीनें और ट्यूब वैल बनाने की सही नीति न होने से सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

102. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अतंर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैतारण तहसील के आनन्दपुर कालू गांव में बोरिंग मशीन उपलब्ध न कराने की शिकायत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैतारण पंचायत समिति क्षेत्र में भू-जल मण्डल द्वारा परिनिरीक्षण की गई उपयोगी योजनाओं पर भी कार्य न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :

104. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में कृषि सुविधा व कृषि साधन के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग) :

105. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गतमांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (झालावाड़ में चल रहे कृषि फार्मों की अव्यवस्था और उनमें हो रहे घाटों पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिये जायें (कृषि की सुविधाओं के लिए खाद बीज की उचित व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिये जायें (कृषि विकास हेतु ग्रामों के विद्युतीकरण योजना में प्रगति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

श्री कल्याण मल (जहाजपुर) :

108. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन बढ़ाने में देशी खाद उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली) :

109. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिये जायं (विभाग द्वारा कपास उत्पादकों को शंकर बीज, तकनीकी प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण आदि की उपलब्धि में असफल रहने बाबत चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला मुख्यालयों पर बागान तकनीकी विशेषज्ञ के स्थान नहीं होने बाबत चर्चा के लिए)।

111. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कृषि विभाग के फार्म्स घाटे में चलने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कृषि-उद्योग निगम द्वारा आयातित ट्रैक्टरों के डीलरों के आर्डरों को कंसीडर नहीं करने बाबत चर्चा के लिए)।

113. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उद्योग निगम द्वारा ट्रैक्टरों के आवंटन में अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (शंकर बीज उत्पादकों के साथ बीज खरीदने में भाव निर्धारण के संबंध में की गई धांधली पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जायं (शंकर बीजों के

(श्री पृथ्वीसिंह चौहान)
वितरण में अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाई बांध पर मछली-पालन की योजना चालू करने बाबत चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शूकर पालकों को बाजार उपलब्ध नहीं होने बाबत चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़-पालकों को आयातित मेढ़े उपलब्ध नहीं करवाने बाबत चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुपयोग सांडों को बधिया नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) :

121. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कृषि खाद्य निगम द्वारा ट्रैक्टरों के आवंटन में निलामी व प्राथमिकता की दोहरी नीति के बाबत चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा ट्यूब वेल्स सुचारु रूप से संचालित नहीं होने से किसानों को भारी हानि होने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कृषि विभाग व खाद्य निगम द्वारा जैसलमेर जिले के किसानों को ट्रैक्टर्स नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में ट्रैक्टर आवण्टन में प्रतिशत निर्धारित नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले के सभी ट्यूब वेल्स को बिजली से जोड़ने और सुचारू ढंग से संचालित कर उत्पादन बढ़ाने के बारे में चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चौधण स्थित

(श्री पृथ्वीसिंह चौहान)

पशुपालन फार्म को चौघरा से नहीं हटाने और उसमें सुधार एवं विकास करने हेतु चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में भेड़-पालकों को आयातित भेड़ें उपलब्ध नहीं करवाने बाबत चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले के गांव लाठी में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़ विभाग द्वारा भेड़ पालकों से सीधी ऊन खरीदने और ऊन खरीद में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) :

130. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31- कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (रतनगढ़, सुजानगढ़ तहसीलों में अनेक कुए सरकारी ऋण पर बने हुए हैं परन्तु बिजली नहीं मिलने के कारण कृषि उपज में भारी नुकसान होने से जनता में भारी परेशानी हो रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) :

131. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (सीकर व झुन्झुनू जिलों के विभाग के अधीन चल रहे कृषि फार्मों के लिए गत 5 सालों में खरीदे गये बैलों में धांधली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत वर्षों में सीकर व झुंझुनू जिले में खेती की जमीन से चूहे मारने की दवाई को चूहे मारने में काम में न लेकर जिला कृषि अधिकारी द्वारा बाजार में बेच देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषिके अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कृषि अधिकारी, सीकर, द्वारा नये कर्मचारियों को लेने के लिये पहले वाले कर्मचारियों को सरप्लस करके कुछ दिनों बाद नयी नियुक्ति कर देने पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को अच्छा व सस्ता बीज व खाद देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कृषि अधिकारी, सीकर द्वारा बिना एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के कार्ड के कर्मचारियों की भर्ती से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

Page No 94

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

136. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर व झुंझुनूं जिलों में पौध संरक्षण यूनिटों के फील्डमेनों की बिना इन्चार्ज यूनिट के तस्दीक के दौरे के प्रोग्रामों को जिला कृषि अधिकारी द्वारा अप्रूव करने पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कृषि अधिकारी, सीकर, द्वारा बिना पौध संरक्षण यूनिटों के इन्चार्ज के तस्दीक कराये टी. ए. एण्ड डी. ए. का भुगतान करने पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (राज्य में बीज व खाद व तकाबी पंचायत समितियों द्वारा ही वितरित करने पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रींगस पशु चिकित्सालय में साधारण दवाइयां भी नहीं होने से जनता में असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री माधोपुर व रींगस पशु चिकित्सालयों के लिये भवन नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति श्री माधोपुर क्षेत्र में हरियाणा नस्ल के सांडों की जगह नागोरी सांड देने पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति क्षेत्र, श्री माधोपुर, से बूढ़े व गैर नस्ल के सांडों को वहां से हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

143. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाइड्राजियोलोजीकल रिकोनेसेन्स योजना के अन्तर्गत बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों की भूतल जल प्राप्ति की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा सर्वे नहीं किये जाने के कारण उक्त जिलों में, जो कि पहिले से ही पिछड़े हुये हैं, विकास की गति न बढ़ने पर चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले से जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय के हटाने से किसानों में तीव्र असंतोष है, इस पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे काश्तकारों को कृषि उत्पादन के लिए आसान ब्याज

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

पर समुचित ऋण की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये) ।

146. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बाड़मेर में काश्तकारों को कृषि उत्पादन के लिये आसान ब्याज पर स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर, ब्रांच बाड़मेर, द्वारा ऋण की व्यवस्था न होने से किसानों में तीव्र असंतोष फैला हुआ है, इस पर चर्चा के लिये) ।

147. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतल जल बोर्ड द्वारा बाड़मेर जिले के लिये ग्रामों भाक, काहू का खेड़ा (माडपुरा सानी), सवाऊ पदमसिंह, नांद एवं सुरा के पास में जहां भी उपयुक्त हो, रावतसर ग्राम में बाड़ी वाला कुआ के पास, शिवकर एवं कुण्डला जहां भूतल जल बोर्ड उपयुक्त समझें, तुड़बी (हरसोणी) ट्यूब वेल से राणासर (हरसाणी) की ओर जहां भी उपयुक्त हो, चोहटण ग्राम, देरासर में इस वर्ष 1971–72 में ट्यूब वेल खुदाने के विषय पर चर्चा के लिये) ।

148. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अतंर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विकास योजना के अन्तर्गत ड्राईफार्मिंग को बाड़मेर जिले में लागू करने पर चर्चा के लिये) ।

149. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पशुपालन हेतु पशुपालकों को ऋण देने की कोई योजना नहीं होने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

150. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33 पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाडमेर जिले में राज्य सरकार द्वारा डेयरी खोलने में उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये) ।

151. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में सघन पशु विकास योजना इस वर्ष स्वीकृत कर चालू न किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

152. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विसाला ग्राम बाड़मेर जिले का महत्वपूर्ण ग्राम होते हुए भी, वहां पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया है तथा उस क्षेत्र में पशु चिकित्सा की 25 मील के अन्दर अन्दर कोई व्यवस्था नहीं है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

153. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सा अस्पताल बाड़मेर के राजकीय भवन निर्माण के बारे में इस वर्ष प्रावधान रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

154. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में

Page No 96

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
राजस्थान के विख्यात तिलवाड़ा पशुमेला के विकास में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में पशुपालन विभाग की ओर से राजकीय थारपरकर ब्रीड का फार्म स्थापित करने में उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये)।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी) 156. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31 कृषि के अतंर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज बढ़ाने हेतु कोटा स्टेट द्वारा निर्मित बंधों की मरम्मत आवश्यक है इसके लिये विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (कोटा, झालावाड जिलों में भूमि के सही उपयोग सम्बन्धी सर्वेक्षण नहीं करने से कृषि एवं भूमि के गलत उपयोग से होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में भूमि कटाव के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में हो रही औसत कम पैदावार की ओर सरकार का ध्यान नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31 कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नये बीज सम्बन्धी आविष्कारों की कृषकों को समय पर जानकारी देने की सही व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीज उत्पादन व वितरण में प्रशासनिक पक्षपात बरते जाने के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): 161. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान कृषि अभियांत्रिक मण्डल द्वारा 181 कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने के औद्योगिक न्यायालय के फैसले पर अमल कराने पर चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीजों की सप्लाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

163. श्री विजयसिंह (मकराना): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि कार्यों पर ध्यान न देने एवं उन्नत औजार व ट्रेक्टरों की पूर्ति न करने पर चर्चा के लिए)।

164. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंडियों को ढंग से बसाने व स्थान पर मूल्य निर्धारित न करने पर चर्चा के लिए)।

(श्री विजयसिंह)

165. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशु-पालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन की ओर सरकार द्वारा ध्यान न देने के कारण उन्नत नस्ल नष्ट होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) :

166. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार के अधीन आने वाले कृषि फार्मों में होने वाले अपव्यय व नुकसान पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में कृषि विभाग द्वारा चलाये जाने वाले कृषि फार्मों में फैल रहे भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

168. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में कृषि हेतु कुओं पर बिजली न दिये जाने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में कृषि विभाग के आधीन मोटर व्हीकल्स, ट्रेक्टर्स आदि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छीपा बड़ौद तहसील, जिला कोटा, के ग्राम हरनावदा शाहजी में पशु चिकित्सालय न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार के कोटा जिले की पशुओं की नस्ल सुधार के साधनों पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग के चिकित्सालयों में दवाओं की कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल गुर्जर (केकड़ी):

173. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (अजमेर जिले में कृषि के उन्नत बीजों को काश्तकारों से वापिस खरीदते समय भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फसल आने पर अनाजों के भाव गिर जाने से कृषकों द्वारा उठाई जाने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र में कृषि सुधार हेतु मेडबन्दी कराने बावत चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री देवीलाल बुरासिया)
कम कर दिया जाय (कृषि सुधार हेतु समय पर कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध न होने बाबत चर्चा के लिए)।

177. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र में भेड़ पालकों को सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र में पशुओं के लिए समय पर उपचार एवं दवाईयां उपलब्ध करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

श्री दौलतराम सारण: (डूंगरगढ़):

179. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए बाजरा, मोठ, गवार, तिल आदि के उन्नत बीज प्रजनन में असफलता और उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

180. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेगिस्तानी असिंचित क्षेत्रों में उन्नत घास प्रजनन में और परम्परागत घास संरक्षण के लिए उन्नत विधियों का प्रचलन करने में विभागीय असफलता और उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में संछिद्रण संकार्य की घोर उपेक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में कुओं के अन्वेषण, भूमिजल के सर्वेक्षण व अनुसंधान तथा जल भौमकीय पर्यवेक्षण की घोर उपेक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में हवा से भूमि कटाव के कारण कृषि भूमि की उर्वरकता नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति और उसे बचाने का कोई भूसंरक्षण का कार्यक्रम एवं प्रावधान न रखने और मृदा संरक्षण की उपेक्षा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

184. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में चोखला नस्ल की सबसे अधिक भेड़े होने पर भी उनके उन्नत अभिजनन की कोई व्यवस्था नहीं है, इस सम्बन्धी उपेक्षा और असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

185. मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में उन्नत नस्ल की भैंसों के विकास के लिए अच्छी नस्ल के नर भैंसे देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे इस पशुधन के विकास में बड़ी हानि हो रही है और पशुपालकों का भारी नुकसान हो रहा है। इस विभागीय असफलता और उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

186. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गहन पशु विकास योजना में व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं असफलता पर चर्चा के लिए)।

(श्री दौलतराम सारण)

187. मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घुमक्कड जातियों के पुनर्वास की योजना की असफलता पर चर्चा के लिए)।

188. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में डेयरी विकास के सम्बन्ध में असफलता एवं उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

श्री नंदलाल बैरवा (पाटन) :

189. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषकों को समय पर ट्रेक्टर व औजार आदि खेती के लिए दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में कृषि मंडियों की स्थापना हेतु समय पर कार्य नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा-बूंदी जिलों में चम्बल व मेज नदियों की ऊबड़-खाबड़ भूमि को कृषि योग्य न बनाने के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)

192. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में कृषकों को समय पर अच्छा खाद व बीज न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के पशु-धन की देख-रेख के लिये विशेष व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के पशुओं की नस्ल नहीं सुधारने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

श्री नाथूलाल करोल (जमुवारामगढ़):

195. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवकों द्वारा जन सहयोग न करने पर चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जयपुर में कृषि की उन्नति न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

197. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं में बीमारी फैलने पर उनका इलाज समय पर न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) :

198. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री नत्थीसिंह)
(लघु कृषि विकास योजनाओं पर लगाई जा रही पूंजी पर चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 19 मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हलों पर बिक्री कर मुक्त होते हुए भी 7% बिक्री कर वसूल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

200. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन हेतु फसल बीमा योजना को क्रियान्वित न किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि की उन्नत पैदावार तथा उसके प्रोत्साहन के लिए इस मांग के अन्तर्गत राज्य की सुनियोजित नीति के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

202. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुधन विकास के सम्बन्ध में राज्य में प्रभावशाली योजनाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 19

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) :
203. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडारायसिंह में कृषि विकास के लिये नलकूप लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपालप्रसाद शर्मा (अकलेरा) :
204. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु उन्नत बीज व रासायनिक खाद मुहैय्या करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

205. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोखा तहसील के कुछ हिस्सों में भू-तल का विशाल जल भंडार का पता लगा लिया जाय और ट्यूब वेल्स खुदवा लिये जायें तो इससे कृषि उत्पादन में बहुत सहायता मिल सकती है, इस पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 19

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) :
206. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले की तहसीलों में अनाज के भावों में गिरावट होने से काश्तकारों में असंतोष पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (छापर) :
207. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में कुओं की बोरिंग करने के लिए स्थायी तौर से एक बोरिंग युनिट की स्थापना की जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री रावतराम)

208. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में कृषि को विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

209. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गरीब किसानों को कर्जे पर सरकार द्वारा दुधारु पशु दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : 210. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन एवं मार्केटिंग के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना न होने के बारे में चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूसंरक्षण कार्यों में अनुदान एवं ऋण की मात्रा के बारे में चर्चा के लिए)।

212. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में भूसंरक्षण कार्यों के बारे में सरकार की उदासीनता के बारे में चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई मद में जिला जालोर में बंजर भूमि के उत्थान हेतु प्रावधान करने में उपेक्षा की चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि को सुव्यवस्थित रूप से चलाने एवं योजनाबद्ध रूप से इस धनराशि को व्यय नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सब जिलों में कृषि मण्डियां स्थापित करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारतीय कृषि विपणन की उन्नति के लिए योजना के बारे में सरकार की उन्नति के बारे में चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संछिद्रण संकार्यों के लिये अग्रिम जमा की गई धनराशि को वापस करने एवं बोरिंग करने में लापरवाही के बारे में चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संछिद्रण संकार्यों में होने वाले घोर भ्रष्टाचार एवं उनमें होने

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
वाले अपव्यय को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि शिक्षा के दृष्टिकोण में परिवर्तन एवं ग्रामीण युवकों को कृषि शिक्षा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि सम्बन्धी संपरीक्षाओं एवं अन्वेषणों में होने वाले अपव्यय की ओर सरकार द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परीक्षात्मक प्रक्षेत्रों में होने वाले घाटे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में कांकरेज नस्ल का केटल ब्रीडिंग फार्म स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर तहसील में नेपड़ क्षेत्र में मोबाइल पशु चिकित्सा अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

225. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि शिल्पशाला के कार्यों में सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि शिल्पशाला में बनी चीजों की उपयोगिता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर)
227. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग केनाल सिंचित व भाखरा नहर सिंचित क्षेत्र में गेहूं की पैदावार प्रति एकड़ कम और उत्पादन व्यय प्रति एकड़ अधिक होता जा रहा है इस विषयक चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार कृषि उपज मन्डी समिति को अधिक अधिकार दिलाने

(श्री केदारनाथ)
व इसके सदस्यों के चुनाव के तरीके में मौलिक परिवर्तन करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार साधारण काश्तकार जो अपने अनाज को प्रिजर्व नहीं कर सकते अच्छे व उचित भाव दिलाने के लिये ग्रेन बैंक खुलवाने की व्यवस्था करने में असमर्थ रही, इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

230. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार मार्जिनल काश्तकारों को अच्छे बीज व खाद दिलाने के लिये एग्रो सर्विस सेन्टर्स खोलने की व्यवस्था करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

231. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार काश्तकारों को खेती सम्बन्धी जानकारी देने के लिये रूरल इन्स्टीट्यूट्स के द्वारा स्टडीज की व्यवस्था करने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की सांगरिया कृषि कालेज के आर्थिक संकट को दूर करने व एम. एस. सी. क्लासेज को खुलवाने व एक्सटेन्सिव सर्विसेज व रिसर्च स्टडीज की समुचित व्यवस्था करने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

श्री मेघराज (चूरू) :
233. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में हरितक्रान्ति लाने के लिये कृषि उन्नति हेतु सिचाई कूप की योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विकास कार्यों के लिये दिये जाने वाले ऋण में बरती जाने वाली अनुदार नीति पर चर्चा के लिये)।

235. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में कृषि को उद्योग के रूप में मान्यता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में स्थापित सीड मल्टीफिकेशन फार्म्स को पंचायत समितियों को हस्तांतरित किये जाने से हुई हानि पर चर्चा के लिये)।

श्री राजवी रूपसिंह (सरदारशहर):
237. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृपकों के ट्यूब.वैल्स को बिजली देने में देरी करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

(राजीव श्री रूपसिंह)

238. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन में सिंचाई साधनों की वृद्धि में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को वक्त पर खाद, कीटनाशक दवाइयां व बीज न देने से कृषि पैदावार पर कुप्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा के लिये)।

240. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को काश्त के लिये ट्रैक्टर न देकर एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा दूसरों को बिना जरूरत के देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

241. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय वरिष्ठता सूची गलत तरीके से बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

242. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ क्षेत्र में कृषकों को इम्प्रूवड सीड सही न मिलकर खराब मिलने से फसलों को क्षति पहुंचती है, इस चर्चा के लिये)।

243. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे किसानों को कृषि उत्पादन के लिए समय पर आसान ब्याज पर ऋण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

244. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक, 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फसलों को रोगों व कीटाणुओं से बचाने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

245. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में पशुओं की चराई के लिए पूरी व्यवस्था न होने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

श्री हंसराज आर्य (भादरा): 246. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर भादरा जैसे गांवों में आज तक पशु चिकित्सालय नहीं खोले गये हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

247. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशु पालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिछले वर्ष गोगा मैडी के मेले के मौके पर राज्य मंत्री पशु पालन विभाग द्वारा गोगा मंडी के मेले पर 25 हजार की लागत से सार्वजनिक लाभ का निर्माण कार्य कराने का ऐलान करने पर भी अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, इस पर चर्चा के लिये)।

(राजवी श्री रूपसिंह)

248. श्री गंगासहाय (कठूमर) : मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कठूमर पशु चिकित्सालय को अपग्रेड करने व एक नया सब-सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

249. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्धा सिलीसेड व मोरेल में सन् 70 में मछली के ठेके सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नदी पारबती पर मछली ठेका दिए जाने पर चर्चा के लिये)।

251. श्री शंकरसिंह (नसीराबाद) : मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति हेतु मशीनरी के भारी मूल्यों पर और कृषि उपज के भावों में गिरावट पर चर्चा के लिये)।

252. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांभर तहसील में संछिद्र कार्यों पर राशि व्यय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

253. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-जल मण्डल विभाग द्वारा मशीनों के क्रय में अनियमितताएं तथा ऐसी बेकार मशीनें खरीदने, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण

श्री उपाध्यक्ष : श्री गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पशु-पालन तथा कृषि विभाग के सम्बन्ध में पशु-पालन मंत्री महोदय ने इस सदन से 7 करोड़ 61 लाख रुपये की स्वीकृति चाही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान के वित्त मंत्री जी ने अपने बजट अभिभाषण के अन्दर समाजवाद का नारा लगाते हुए पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए, गरीबों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, बेकारी और बेरोजगारी को मिटाने के लिए कई बातें कही थी और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि राजस्थान के अन्दर पूंजीपतियों को ऊंचा नहीं उठने देंगे, पूंजीपतियों को नीचे लाकर के रहेंगे। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की भी बातें कही गयी थीं। कल भी श्रम मंत्री जी ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त

Page No 106

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

करने के लिए इस राज्य सरकार को देश के अन्दर प्रथम स्थान दिलाने के लिए उन्होंने घोषणा की कि केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत हमने 20-3-71 को एक ऐसा कानून लागू कर दिया है। मैं आज माननीय पशुपालन मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार जो गरीबी मिटाना चाहती है और पूंजीवाद को समाप्त करना चाहती है तो क्या मंत्री महोदय और वित्त मंत्री जी ने अपने इस राजस्थान के अन्दर सरकार के ऊपर जितना कर्जा है उस कर्जे के अनुपात से यह कह कर के कि राजस्थान सरकार के असेट्स इतने अधिक हैं कि कर्जे के कारण राजस्थान की आर्थिक स्थिति खराब नहीं है। असेट्स के अन्दर उन्होंने विद्युत् मण्डल को बताया, असेट्स के अन्दर उन्होंने पी. डब्ल्यू .डी. को बताया, रोडवेज को बताया लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय वित्त मंत्री जी इस मत्स्य पालन विभाग को अपने असेट्स में क्यों नहीं मानते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि राजस्थान की सरकार और वित्त मंत्री जी जो यह कहते हैं कि राजस्थान की सरकार की यह कतई इच्छा नहीं है कि हम टैक्स की रेवेन्यू से अपनी आय बढ़ायें और हम नान-टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं। यह राज्य सरकार कहती है कि हम नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं और वास्तव में यदि सरकार नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है तो जिस राजस्थान के अन्दर रोडवेज है उसी प्रकार से राजस्थान के अन्दर पशुपालन विभाग के अधीन आज जयसमन्द झील है और वह झील इतना बड़ा असेट है इस सरकार का कि जो नान-टैक्स रेवेन्यू दे सकता है, लेकिन राजस्थान सरकार नहीं चाहती है कि राजस्थान की जनता पर टैक्स नहीं लगें और सरकार की आमदनी बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि जयसमन्द झील के ऊपर इस विभाग के एक बड़े अधिकारी ने कठोर परिश्रम करके एक रिपोर्ट तैयार की थी। माननीय उपाध्यक्ष जी, उस रिपोर्ट को यदि आप देखें और उस रिपोर्ट के अन्दर उन्होंने जयसमन्द झील जो कि 4-5 मील के अन्दर है और जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है यदि इस झील के अन्दर मत्स्य पकड़ने का काम सरकारी विभाग द्वारा किया जाये तो इस राजस्थान की सरकार को अपना सारा खर्चा निकालने के बाद कम से कम 60 लाख रुपयों की वार्षिक आमदनी हो। मैं मानता हूं और मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी और आपकी सरकार की जब यह नीति है कि पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं, राजाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं, राज्य सरकार एक ओर यह कहती है कि हम राजाओं के प्रिवीपर्सेस को समाप्त करना चाहते हैं और देश के हित के लिए जनता की आवाज के अन्तर्गत यदि सरकार देश हित के लिए कोई कानून बनाती है तो मैं और मेरा दल उसका स्वागत करेगा लेकिन मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब कॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर हम राजाओं का प्रिवीपर्स समाप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम संविधान में कोई अमेंडमेंट नहीं लायें और उस ओर आप कदम बढ़ाना चाहते हैं तो क्या कारण है कि इस जयसमन्द झील का ठेका जिस होशियारचन्द कपूर को दिया है आपने 5

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

साल से लेकर 10 साल की अवधि का ठेका क्यों दिया और क्या सरकार उस ठेके को समाप्त नहीं कर सकती ? एक ओर सरकार कहती है कि हम प्रिविपर्सेस को खत्म करेंगे, संविधान के अन्दर संशोधन लायेंगे तो इस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने में आपको क्या बाधायें हैं ? और आज यदि जयसमन्द झील का ठेका समाप्त नहीं किया जाये और सरकारी विभाग की रिपोर्ट में है कि यह ठेकेदार प्रतिवर्ष इस झील से 22 हजार मन मछलियां पकड़ता है। सरकारी विभाग की यह रिपोर्ट है कि यदि इसका विस्तार इसी प्रकार से किया जाये तो मेरी यह मान्यता है कि इस झील के अन्दर प्रतिवर्ष 40 हजार मन मछली पकड़ी जा सकती हैं और ये मछलियां इतनी बहुमूल्य हैं, एशिया के अन्दर ऐसी मछलियां नहीं पाई जाती हैं और इनका सबसे बड़ा बाजार है कलकत्ता, हावड़ा और यह मछलियां जो पकड़ी जाती हैं और जो बेची जाती है इसका भाव कम से कम 4 रुपये किलो से लेकर 8 रुपये और 10 रुपये किलो तक है आप अन्दाजा लगायें कि जिस झील के अन्दर कम से कम आज भी 25 हजार मन मछलियां पकड़ी जाती हैं और बेची जाती हैं यदि हम कम से कम इसकी कीमत 6 रुपया किलो का भी लगाकर चलें तो इस सरकार को कम से कम यदि यह विभाग यह काम कराये तो सारा खर्चा निकालने के बाद इस सरकार को 50 लाख रुपये की नेट आमदनी हो। आज भी इस ठेकेदार को प्रोत्साहन क्यों देना चाहते हैं और यह इस बात का प्रतीक है कि यह कांग्रेस की सरकार जो समाजवाद का नारा लगाती है, पूंजीवादियों की गुलाम है और ठेकेदारों की गुलाम है और मैंने पहले भी इस विषय को रखा था और मन्त्रीजी ने कहा था कि जितनी मछलियां निकलती है उस पर हम रायल्टी लेते हैं और उसके आधार पर जितनी मछलियां निकलती हैं वह कम बताता है और अधिकारियों से मिलकर निकालता अधिक है और बताता कम है। और माननीय मन्त्री जी इस राज्य सरकार की आय को बढाना चाहते हैं जो कि नान-टैक्स रेवेन्यू सबसे बड़ी है एक जयसमन्द झील से जिस सरकार को 50 लाख रुपये की नेट आमदनी है और इसी प्रकार इस विभाग के अन्दर बड़े बड़े बांध हैं चाहे उसमें रामगढ का बांध हो, मोरेल का बांध हो, इस प्रकार से आज राजस्थान मत्स्य पालन का बहुत बड़ा क्षेत्र है और यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि यदि सरकार इसको अपनी आय का आधार बनाकर इस प्रोजेक्ट को गम्भीरता से ले तो मेरी मान्यता है कि मछलियां पकड़ कर बेचने से ही सरकार को कम से कम 1 करोड़ की आमदनी हो सकती है।

मैं मन्त्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जब पी. डब्ल्यू. डी. और इर्रीगेशन विभाग और दूसरे विभाग हैं वे अपने विभाग के द्वारा ही कार्य करने लग गये हैं वह चाहे सड़कों का निर्माण हो, बांधों का निर्माण हो, तालाबों का निर्माण हो–जब विभाग कार्य कर रहा है तो फिर मत्स्य पालन विभाग क्यों नहीं विभाग के द्वारा कार्य करना चाहता है ? क्या आपकी यह इच्छा है कि आपके विभाग के अन्दर ठेकेदार फलें और फूलें लाखों रुपयों की सम्पत्ति सरकार को धोखा देकर हड़प लें तो दूसरी बात है।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी मन्त्री को यह कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी ठेकेदार की सिक्योरिटी है उसको रिफण्ड करने का आदेश दें। क्या मन्त्रीजी आपको अधिकार है ? क्या आप इस प्रकार के आदेश दे सकते हैं ? आपको इस प्रकार के आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है कि अमुक ठेकेदार की सिक्योरिटी को आप वापिस कर दें और ठेके को रोक दें। यह अधिकार है विभाग के अधिकारी को डाइरेक्टर को या विभाग के सेक्रेटरी को। यह आदेश वह जारी कर सकता है। मैं मन्त्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किये हैं ? आपने ऐसे आदेश जारी किये हैं। आप बतायें आपने किये हैं क्या ? किये हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष जी। मंत्री जी से कि जो पारबती बांध का मत्स्य का ठेका हुआ था यह ठेका 1970-71 के अन्दर हुआ। इस ठेके के अन्दर माननीय मन्त्री जी ने उस ठेकेदार की दरख्वास्त के ऊपर–ठेकेदार ने मन्त्री जी को यह पत्र लिखा :

माननीय चौधरी मनफूलसिंहजी,
राजस्थान राज्य मन्त्री, (पशुपालन विभाग) जयपुर

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि इससे पहले एक दरख्वास्त पेश की थी जिसमें निदेशक महोदय ने हुकुम फरमाया था कि सीजनल लाइसेन्स दे दिया जाय लेकिन उसकी यदि नीलामी बोली है और वह नीलामी बोली को नहीं रोकी गयी तो फिर मुझको भी सीजनल लाइसेन्स नहीं मिल सकेगा। यह बांध मोरेल और सिलीसेट मेरे पास रॉयल्टी बेसिस पर थे जिनमें छोटी मछलियां थीं···जिसकी वजह से मैं काफी परेशान हूं। कृपा कर नदी पार्वती के लिए सीजनल लाइसेन्स के लिए व सिक्योरिटी मनी वापिस दिलाने के लिए आदेश फर्मावें।

और माननीय मन्त्रीजी ने इसी प्रार्थना पत्र के ऊपर आदेश जारी किये–

उपनिदेशक, मत्स्य विभाग, कोटा,

महोदय,

यह देख लें। पार्वती नदी पर सीजनल लाइसेन्स इनको देने के लिए मैंने लिखा था कि ठेकेदार नीलामी के लिए तैयार नहीं है। इस बात को देख लें कि रेवेन्यू का नुकसान न हो और इस नदी को तुरन्त दे दिया जाय। अब मुझे यह मालूम हुआ है कि नीलामी करने के लिए 48 दिन का नोटिस भी नहीं दिया गया इसलिए नियमानुसार उचित नहीं रहेगा। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए पार्वती नदी की नीलामी को आज रोक दिया जाय।

मैं माननीय मन्त्री महोदय, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपने यह किस आधार पर लिखा है कि ठेकेदार नीलामी बोली लगाने के लिए तैयार नहीं है ? क्या आपको यह पता है और आपने यह नीलामी किस आधार पर रोकने का आदेश दिया ? क्या आप यह जानते हैं कि इस नदी पर मछली पकड़ने की नीलाम 24 तारीख को हुई ? इसके बारे में ठेकेदार माननीय मन्त्री जी से मिला और मिलकर उसने क्या बात की

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

और किस कारण से माननीय मन्त्री जी उस ठेकेदार को सीजनल लाइसेन्स दिलाना चाहते थे यह तो वह जानें। लेकिन मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं कि बोली नीलामी किस तारीख को हुई, उसके अन्दर माननीय उपाध्यक्ष, नीलामी के अन्दर जिस मङ्गलसेन ठेकेदार की बोली सबसे ऊंची थी वह साढ़े सत्तरह हजार की बोली थी और इस बोली के वक्त ठेकेदार जिसका नाम इस्लामुद्दीन बलबीर ठेकेदार है जो कि जयपुर का रहने वाला है और जिसकी सिफारिश माननीय मन्त्री महोदय ने की, वह वहां मौजूद था और उसने 15 हजार की बोली लगाई, और जिस मङ्गलसेन के नाम से यह नीलामी बोली खत्म हुई तो उसकी बोली थी 18801) रुपये की। जब उसकी नीलामी होने लगी तो माननीय मन्त्री महोदय ने इसमें भी हस्तक्षेप किया और आदेश दिया और डाइरेक्टर ने यह पत्र लिखा और इस सम्बन्ध में जितने भी कागजात थे डाइरेक्टर महोदय ने यहां भेजे। उन्होंने लिखा :

"नदी पार्वती जो कि राजस्थान और मध्यप्रदेश की सीमा बनाती है उसको आगे 70-71 के ठेके के लिए खुली बोली द्वारा नीलामी कमेटी ने दिनांक 9–7–70 को नीलाम किया जिसमें सबसे ऊंची बोली ठेकेदार मङ्गलसेन, मछली मण्डी, आगरा की 17,800) रु. की आई हैं। ठेकेदार ने नियमानुसार ठेके की रकम 4460) रुपये जमा करा दी है। गत दो वर्षों का विवरण उप-निदेशक, मत्स्य, जयपुर, के पत्र क्रमांक 7003, दिनांक 10–7–70 की प्रतिलिपि के संलग्न में दिया हुआ है जो कि अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। इसकी मूल प्रति अवलोकनार्थ भेजी जा रही है और मूल पत्र स्वीकृति के साथ इस कार्यालय को वापिस भेजने की कृपा करें।"

यह जो डाईरेक्टर हैं उन्होंने शासन सचिव, मत्स्य विभाग को लिखा था। उसके बाद में "यह ठेका 15 हजार से भी अधिक में हुआ है जो कि मेरी क्षमता के बाहर है। इस ठेके की स्वीकृति जो कि राज्य सरकार की क्षमता में है इसलिये नदी पार्वती में मछली पकड़ने के ठेके की नीलामी बोली मंगलसेन, मछली ठेकेदार, मछली मण्डी, आगरा, के नाम से 17810) रु. की स्वीकृति शीघ्र भिजवाने की कृपा करें।

इस विषय में मछली ठेकेदार श्री इस्लामुद्दीन माननीय मंत्रीजी से मिला और एक आवेदन पत्र दिया जिस पर माननीय मंत्री महोदय ने आदेश दिये हैं उसको भी संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ भेजा जा रहा है।

यह पत्र डायरेक्टर ने शासन सचिव को भेजा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आपने आपकी पार्टी का आधा समय ले लिया।

श्री देवीदत्त गाडिया : अभी तो 10 मिनिट भी नहीं हुए हैं।

इसी प्रकार से इस इस्लामुद्दीन ठेकेदार को दूसरे बान्धों पर सिलिसेट मोरेल में····

श्री मनफूलसिंह : यह किस को दिया गया था ठेका ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी चीज का ठेका नीलामी पर लगता है और नीलामी की डेट फिक्स्ड होती है और मन्त्री महोदय उस ठेके के लिये चाहें कि इसको नीलामी पर न रखा जाय और उस ठेकेदार को जिसकी आप सिफारिश करते हैं कि इसको ढाई हजार में दे दिया जाय, इसके बाद वह नहीं दिया जाता है और नीलामी की डेट फिक्सड हो जाती है और उस नीलामी की डेट आप तय करते हैं उसके लिए आप कहते हैं नीलामी रोक दी जाय और आखिर में वह नीलाम 17 हजार से ऊपर में हुआ।

श्री देवीदत गाड़िया : मेरा यह निवेदन है कि इस ठेकेदार इस्लामुद्दीन को सीजनल परमिट क्यों दिलाना चाहते थे ? क्या आपत्ति थी आपको नीलामी होने में ? नीलामी हुई तो 17,800 की बोली लगी और राज्य सरकार को उससे इतनी आमदनी होने वाली थी, तो आप उसको ढाई हजार में क्यों दिलाना चाहते थे ? कहने का मतलब यह है कि चाहे मोरेल बांध हो और जिस ठेकेदार ने ठेका लिया था सिलिसेट और मोरेल का और जिसकी 30 हजार और 20 हजार की सिक्योरिटी जमा हुई हो और एक समय के अन्दर काम नहीं होने के कारण डाईरैक्टर के आदेश से डिप्टी डाईरेक्टर ने उसकी रिपोर्ट के आधार पर इसकी सिक्योरिटी जो वह जब्त करली, तो आपने ठेकेदारी की रिपोर्ट पर यह किस आधार पर आदेश दिये कि इसकी सिक्योरिटी वापिस कर दी जाय ? माननीय उपाध्यक्ष, मेरा यह निवेदन है कि जो काम डिप्टी डाईरेक्टर और डाईरेक्टर जैसे वरिष्ठ अधिकारियों का है और मंत्रिमण्डल में बैठने वाले मन्त्री को यह भी पता नहीं है कि मेरे अधिकार में क्या है और मुझे कहां तक हस्तक्षेप करना चाहिए और इस तरह के आदेश दे दें, यह तो हमारे मन्त्रियों के काम हैं। यदि यह हमारा मत्स्य पालन विभाग राजस्थान में किसी और अन्य मंत्री के हाथ में होता और यदि इस विभाग में इस तरह से हस्तक्षेप नहीं हों तो मेरी यह मान्यता है कि आज इस विभाग के अधिकारी जो इस मामले के एक्सपर्ट हैं वह चाहते हैं कि राजस्थान की आय बढ़े, लेकिन मन्त्री महोदय राजनैतिक आधार पर ठेकेदार के साथ में किन्हीं कारणों से चाहे वह सिलिसेट वान्ध हो, चाहे वह मोरल बान्ध हो, चाहे वह जयसमन्द हों, जिनमें लाखों रुपयों की आमदनी हो सकती है राज्य सरकार को, वह नहीं होने देना चाहते हैं तो मेरी यह मान्यता है कि यह सरकार जो कि समाजवाद का नारा लगाती है यह धोखा है, पूंजीपतियों से इसकी सांठगांठ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कोटा, परमिट, लाइसेन्स राज्य कायम कर रखा है।

श्री देवीदत गाड़िया : आज इस विभाग में किस प्रकार की गड़बड़ियां चल रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि आज माननीय मन्त्री जी के आदेशों की पालना नहीं होने के कारण और सरकारी अधिकारी सरकारी खजाने में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे इसलिये नुकसान नहीं हुआ मन्त्री महोदय के आदेशों का

(श्री देवीदत्त गाडिया)

पालन नहीं होने के कारण और उनके आदेश के अनुसार इस ठेकेदार को सिक्योरिटी नहीं लौटाने के कारण आपके वहां के जो अधिकारी हैं डिप्टी डाइरेक्टर श्री भारद्वाज उनको रिवर्ट कर दिया । उनको रिवर्ट क्यों कर दिया ? इसका यही कारण है कि उसने आपके हुक्म की पालना नहीं की और इन्होंने पार्वती नदी का सीजनल लाईसेंस उस ठेकेदार को नहीं दिया ढाई हजार रुपये में और जब्त की गई अर्नेस्ट मनी को वापिस नहीं लौटाया । इस प्रकार से सरकारी अधिकारियों के साथ में अपने पद का दुरुपयोग करके उनसे बदला लेने की भावना है, क्या यह लोकतन्त्र है ? क्या यह प्रशासनिक व्यवस्था है ?

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में किशनगंज, शाहबाद, छबड़ा, छीपा-बड़ौद, अटरू आदि इस सारे इलाके के अन्दर पशु-धन लाखों की तादाद में है लेकिन यहां की जो किस्म है उसके दूध बहुत कम होता है गायों और भैंसों के 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो उनकी नस्ल सुधारने के लिये आपने क्या कोई ऐसी योजना बनाई है कि इन किशनगंज, शाहबाद में हजारों मवेशी रोग फैलने के कारण प्रति वर्ष मरते हैं और उसके कारण से किसान की आर्थिक स्थिति खराब होती है क्या आपने कोई ऐसी व्यवस्था की है ? क्या आपके बारां जो कि इनके सेन्टर में पड़ता है इन 7 पंचायत समितियों के वहां पर यह उचित नहीं समझते कि एक मोबाइल सर्जीकल यूनिट रख दी जाय ? मेरा यह मांगना है राज्य सरकार से कि पशुधन की रक्षा के लिये, उनकी नस्ल सुधारने के लिए, उनके रोगों की रोक-थाम के लिए बारां के अन्दर एक मोबाइल सर्जीकल युनिट कायम की जाय । मैं एक समय से मांग करता आ रहा हूं कि क्या राज्य सरकार उचित समझती है कि किशनगंज में अच्छी घास होती है और अकाल के दिनों में लाखों मवेशी उस इलाके में आते हैं बाड़मेर से, जैसलमेर से, बीकानेर से और पाली से और उन लाखों मवेशियों को वह इलाका भूखों नहीं मरने देता है । वहां पर इस कदर घास होती है कि लाखों मवेशियों को वह खिला सकता है । वहां के लाखों मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है और उनको रोगों से बचाने के लिए कोई मोबाइल सर्जीकल यूनिट स्थापित नहीं की गई है ।

मेरी मांग है कि आप उस ओर ध्यान देंगे।

दूसरा, मैं उपाध्यक्ष महोदय, संक्षेप में कह रहा हूं । मैं कृषि विभाग के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूँ । कोटा के अन्दर चम्बल मण्डी कमेटी है । इस समय यह चम्बल मण्डी कमेटी किसी काम की नहीं रही है । इसको समाप्त किया जाये । चम्बल मण्डी कमेटी अभी तक क्यों समाप्त नहीं हुई है ?

श्री शोभाराम : यह प्रश्न कोलोनाइजेशन से सम्बन्ध रहता है या कृषि विभाग से सम्बन्ध रखता है ?

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर इस इलाके में चम्बल मण्डी का कब्जा है और दूसरी ओर बारां का है । आपने जिस तरह से चम्बल मण्डी कमेटी को यू.आई.टी. को सुपुर्द कर दिया है, उसी तरह से आप इस तरफ की जमीन

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

क्या पंचायत समिति को सुपुर्द नहीं करेंगे क्या वह नहीं कर सकते हैं ? साथ ही साथ चम्बल मंडी कमेटी का रुपया भी था । जो ढाई, 3 लाख रुपया पड़ा है, उसको आप बारां कमेटी को क्यों नहीं देते हैं जब कि सरकार ने चम्बल मण्डी को समाप्त करना स्वीकार कर लिया है ? जो जमीन है, वह ग्राम पंचायत से सम्बन्धित है। वह ग्राम में दे। राजस्थान में कृषि उपज मण्डी का निर्माण जब से हुआ है तब से कृषि में सुधार हुआ है । वहां बड़े बड़े व्यापार और दलदल थे, उनसे किसानों को बचाने के लिए कृषि उपज मंडी का निर्माण हुआ है। आप जो पंचायत समितियों को विकास के लिए पैसा देते हैं, क्यों नहीं कृषि उपज मण्डी को देते हैं ? यदि आप का यह दृष्टिकोण है तो उनका कभी विकास नहीं होगा। इसलिए मेरी मांग है. उनके विकास के लिए सरकार अलग से रुपया दे। तब तो विकास होगा। मैं बारां का उदाहरण देता हूं। बारां कृषि उपज मण्डी और गंगानगर कृषि उपज मण्डी ये राजस्थान की दोनों बड़ी मण्डियां हैं । लेकिन वहां मण्डी में न तो वहां पर पानी पीने की व्यवस्था है, न प्रकाश की व्यवस्था है और न सुरक्षा की व्यवस्था है। किसान आते हैं तो रास्ते में उनको लूट लिया जाता है। नहरी पानी के कारण रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है उसके कारण किसान अपना माल नहीं ला सकते हैं । आपने पक्का प्लेटफार्म वहां नहीं बनाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं, कृषि उपज मण्डी के चुनाव हैं वह बड़े डिफिकल्ट हैं। 6 प्रतिनिधि किसानों के और 2 प्रतिनिधि व्यापारियों के लिए जाते हैं। कृषि उपज मण्डी में अधिकांश दो-दो पंचायत समितियों का एरिया आता है इसके जो सदस्य हैं वह वोट देते हैं । एक एक व्यक्ति छः छः वोट देता माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कृषि उपज मण्डी के चुनाव निष्पक्ष रूप से हों। प्रत्येक क्षेत्र के प्रतिनिधि उसमें आयें। इसके लिए आप जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक यह चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। उदाहरण के लिए बारां मण्डी क्षेत्र में बारां का इलाका है। प्रत्येक किसान को 6 वोट देने का अधिकार है। जिस क्षेत्र का हो वहां के लोग आते हैं। चाहे वह शाहबाद हो। लेकिन उस क्षेत्र के किसान कम आते हैं। इसलिए किसानों के प्रतिनिधि हैं वह नहीं आ सकते हैं। इसलिए ये चुनाव क्षेत्र वाइज कराये जायें । उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से व्यापारी हैं। कच्चे आढ़तिये हैं। और पक्के आढ़तिये हैं। प्रत्येक आढ़तिया दो दो वोट देता है। इसलिये पक्के आढ़तिये नहीं आ पाते हैं। जबकि राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बड़े बड़े कारखानों में दो दो डायरेक्टर होंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उपज मण्डी में मजदूरों के प्रतिनिधि आयं, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है ? उनकी वहां कोई अवाज नहीं है। वह अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग करते हैं लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि नहीं होने से उनकी कोई अवाज नहीं सुनता है। मैं शोभारामजी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसान, व्यापारी और मजदूर इन तीनों के समझौते से काम होगा। जो मण्डी में व्यापारी बोली लगाते हैं उससे किसानों का शोषण होता

(श्री देवीदत्त गाडिया)

है। हम्माल बोरियां तोलते हैं इसके बाद दो दो किलो, चार चार किलो अनाज मजदूरी देते हैं। अनाज किसानों का बिखरता है। वारां कमेटी में पक्के आढ़तिया जो नमूने मांगते हैं, उससे काफी अनाज बरबाद होता है। 3–4 हजार गाडियां वहां आती हैं। कम से कम वहां 4–5 हजार का नुकसान होता है। नमूना ले जाते हैं व्यापारी। हम्मालों को वह उसमें से मजदूरी देते हैं। मुझे विश्वास है, माननीय मंत्रीजी उस संबंध में ध्यान देंगे, और उसमें सुधार करेंगे। वारां कृषि उपज मण्डी की सडकों की हालत खराब है, रास्ते खराब हैं–इनके विकास के लिए पैसे देंगे।

आज आपके इस कृषि विभाग के अन्दर जो रिसर्च विंग है, जहां अनुसंधान होता है, उसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है, यह रिसर्च, विभाग अनुसंधान विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको उदयपुर यूनिवर्सिटी के सुपुर्द कर दिया जाय। यह निर्णय इस आधार पर लिया है कि उदयपुर यूनिवर्सिटी कृषि यूनिवर्सिटी है, इसलिए उसके सुपुर्द कर दिया जाय। मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय से, इस कृषि विभाग के रिसर्च कर्मचारी और अधिकारी हैं, यह राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं, इनके ऊपर राजस्थान सर्विस रूल्स लागू हैं, और उदयपुर यूनिवर्सिटी एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, उसमें राजस्थान सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, उस पर राजस्थान सर्विस रूल्स लागू नहीं होंगे, फिर किस आधार पर इनको उसके सुपुर्द करेंगे? क्यों क्या कर्मचारियों की स्वीकृति ले ली गई है?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट के अन्दर समाप्त कर रहा हूं। क्या उनकी स्वीकृति ले ली है? अगर नहीं ली है तो उनका भविष्य क्या होगा, किस प्रकार से उदयपुर यूनिवर्सिटी में इनको एडजस्ट करना चाहते हैं? इस कारण से कृषि रिसर्च विंग के कर्मचारियों के अन्दर भयंकर असंतोष है। वहां पर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है इसमें तीन फैकल्टी है, कृषि विभाग में जोबनेर विद्यालय है, और इसी प्रकार जोधपुर यूनिवर्सिटी के अधीन चल रहे हैं कुछ कॉलेज। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर जोबनेर विद्यालय है और फिर उदयपुर कृषि विश्व विद्यालय है। यह किस कारण से कर रहे हैं? यह काम किया तो कर्मचारियों के साथ में अन्याय होगा।

दूसरी एक दो बातें और मैं निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग के अन्दर नई खाद और नये बीज का अन्वेषण होता है। आपने शास्त्री बीज का अन्वेषण किया। इसी प्रकार आपने ज्वार की हाई ब्रीड निकाली है। ज्वार की निकाली है और गेहूं की निकाली है और आज धनिये की भी अच्छी क्वालिटी निकाली है। लेकिन इनका भाव क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज शास्त्री बीज है और नये बीज निकालते हैं, वह अच्छे होते हैं, चाहे शास्त्री बीज गेहूं का हो, चाहे हीरा हो–यह नई ब्रीड खोज निकाली हैं आपने...

श्री रामकिशन : शास्त्री क्या है?

श्री देवीदत्त गाडिया : लाल बहादुर शास्त्री।

श्री रामकिशन : लाल बहादुर शास्त्री कहो, शास्त्री तो बहुत हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : लाल बहादुर शास्त्री ! मैं पूछना चाहता हूं कि यह मंत्रियों के खेत में क्यों पैदा होते हैं ? सरकार मुख्य मंत्री के खेत पर और सरकारी अधिकारियों के खेत पर पैदा होने वाले लाल बहादुर शास्त्री बीज को ही क्यों खरीदे ? क्या यह सही नहीं है कि 1968-69, 1969-70 के अन्दर राजस्थान के मुख्य मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के खेत पर लाल बहादुर शास्त्री बीज पैदा हुआ था-वह खरीदा ? यह बीज सौ रुपये प्रति किलो के हिसाब पर किस आधार पर खरीदा ? क्या वह राजस्थान के एक प्रगतिशील किसान हैं ? क्या इस प्रकार जो सरकारी अधिकारी और कृषि विभाग के अलावा सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, वह आपको सलाह देते हैं। माननीय मंत्री जी, आप इसको दबाना चाहते हैं क्योंकि आपमें हिम्मत नहीं है (समय समाप्ति-सूचक घंटी) ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाडिया : एक मिनट और।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपने दल का समय तो ले लिया है अब दूसरे दलों का समय ले रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक मिनिट।

श्री शंकरलाल : दूसरे दलों का समय भी ले रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि कृषि विभाग के अन्दर जो सरकारी कर्मचारी हैं वह मंत्रियों के खेतों पर काम करते हैं। कृषि विभाग के जो ट्रेक्टर हैं, पम्पिंग सेट्स हैं, वह मिनिस्टर और सरकारी अधिकारियों के खेतों पर काम करते हैं। क्या रोक आपने लगाई है ? क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाडिया के उदयपुर के खेत पर, जो बाडी की जमीन है, उस पर सरकारी कर्मचारी श्री मदनलाल काम नहीं करता है ? वह लगातार वहां चार पांच साल से काम कर रहा है। क्या वहां पर कृषि विभाग के ट्रेक्टर काम नहीं करते हैं ? क्या कभी उनके पास से किराया लिया है ? उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि मंत्री जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं, और विभाग के कर्मचारी उनके खेत पर काम करते हैं, कृषि विभाग के ट्रेक्टर हैं, इरिगेशन विभाग के ट्रेक्टर हैं, उनके पम्पिंग सेट्स हैं वह मिनिस्टर के खेतों पर काम करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं अन्त में यह कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार टैक्स के द्वारा रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है। यह नीति गलत है। इसके साथ ही इन विभागों के अन्दर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या उसको रोका है ? आज चाहे ट्रेक्टर बेचने का मामला हो, चाहे पदोन्नति का मामला हो-इनके कारण से कर्मचारियों में असंतोष है। मुझे विश्वास है कि सरकार टैक्सों को बढ़ने से रोकेगी....

श्री उपाध्यक्ष: भाषण समाप्त हुआ।

श्री देवीदत्त गाडिया : और दूसरे साधनों से आय को बढ़ायेगी।

श्री केदार नाथ : रिसर्च सेन्टर है, इसलिये जाते हैं वहां।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि की मांग के सम्बन्ध में मैंने भी कुछ कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। वैसे यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन समय के अभाव को देखते हुए मैं संक्षेप में ही कुछ निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो खुशी की बात है कि कृषि के क्षेत्र में राज्य ने अच्छी प्रगति की है, और इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन 76 लाख टन का हुआ है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र के अन्दर छोटे छोटे किसानों को, और गांवों में बसने वाले कृषक हैं, उनको इसके द्वारा तरक्की करने के जो अवसर प्रदान हुए हैं, उन अवसरों को और ज्यादा देने की ओर हमें कुछ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे सर्वप्रथम कृषि के लिए बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन बीज कृषि विभाग से मिलता भी है, लेकिन सबसे बड़ी शिकायत यह रहती है कि केवल किसी एक जगह पर नहीं बल्कि सब जगहों पर समय पर बीज नहीं मिल पाता है। समय पर बीज नहीं दिया जाय किसानों को, तो मैं समझता हूं कि बीज उपलब्ध कराने के कोई मायने नहीं रहते हैं। यदि आपको बीज देना है किसानों को तो उनको समय पर बीज देना पड़ेगा-इस बात की बहुत आवश्यकता है। हम केवल अभी ही नहीं, गत कई वर्षों से इसकी मांग करते आ रहे हैं। समय पर मिले, वरना उनके लिए वह लाभदायक नहीं होता है।

दूसरी बात यह है कि किसानों के लिए फाइनेन्स की जरूरत रहती है। वैसे कई एजेंसियां हैं, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान सरकार इस बात पर विचार करके यह निर्णय ले कि किसानों के लिए फाइनेन्शियल एजेंसी एक होनी चाहिए। वैसे कई प्रकार की बैंक हैं, कोआपरेटिव से भी ले सकते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक से ऋण ले सकते हैं, लेकिन किसानों को एक ही जगह से, एक ही एजेंसी से ऋण मिलता रहे, तो मैं समझता हूं, उसके लिए और ऋण देने वाली एजेंसी, दोनों के लिए यह ठीक रहेगा। वरना किसान दो-तीन जगह से ऋण ले लेते हैं, तो न तो उसकी रिकवरी हो सकती है, और अगर रिकवरी होती भी है तो किसानों को दिक्कत होती है। अभी जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, इनसे छोटे छोटे किसानों को जितना फायदा होना चाहिए वह नहीं हुआ है। इसके लिए कृषि विभाग को यह करना चाहिए कि पंचायत समिति स्तर पर जो ग्राम सेवक हैं, एक्सटेंशन आफिसर हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता है, खाली समय बिताने के अलावा, इसलिए उनको चाहिए कि वह विशेष तौर से इस काम में लग जायं ताकि किसानों को ऋण नेशनलाइज्ड बैंक से दिलवाया जा सके। दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक के सम्बन्ध में इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चरिस्ट को, कृषकों को जिस आसानी से, सरलता से ऋण मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है और इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें रहती हैं, दूसरी शिकायतें रहती हैं। इसलिए कृषि विभाग को यह प्रयत्न करना चाहिए कि कृषि उत्पादन के अन्दर नेशनलाइज्ड बैंक से सहयोग दिला सकें। इस पर पंचायत समिति स्तर पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा और राज्य सरकार को सोचना

(श्री शंकरलाल)

पड़ेगा। जब इतनी बड़ी धनराशि देकर बैंक को नेशनलाइज किया है, कम्पेन्सेशन देकर, तो इनका फायदा कृषकों को कैसे मिले–इस बात पर विचार करके निर्णय लिया जाय।

कृषि शिक्षा के क्षेत्र और बजट की ओर अगर दृष्टिपात करें, तो ऐसा लगता है कि सरकार कृषि शिक्षा के क्षेत्र के प्रति उदासीन होती जा रही है। जो बजट एस्टीमेट है 1970-71 के, उनके अन्दर जितना प्रावधान था, और जितना खर्च हुआ है वह है 15.50, उसकी जगह अब जो प्रावधान रखा गया है वह है 14.75। मेरी समझ में नहीं आता, एक तरफ तो कृषि एजूकेशन की जरूरत है, दूसरी तरफ यह प्रावधान कम होता जा रहा है। ऐसा मालूम होता है कि कृषि शिक्षा क्षेत्र के अन्दर सरकार तरक्की नहीं कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे यूनिवर्सिटी में एजूकेशन दी जाती है, एग्रीकल्चर कालेज के द्वारा दी जाती है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जो हाई स्कूल स्टेन्डर्ड तक का लड़का है, जो हाई स्कूल तक पढ़ कर रह जाता है, और कृषि की डिग्रियां लेने में असमर्थ रहता है गरीबी के कारण, तो उसको हाई स्कूल के अन्दर, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्कूल हैं, वहां प्राइमरी कृषि के सम्बन्ध में जानकारी दी जाय। मैं समझता हूं कि यह ज्यादा उपयोगी होगा बनिस्पत इसके कि सिर्फ आप बड़ी बड़ी डिग्री दें और यूनिवर्सिटी एजूकेशन ही बढ़ायें यह ठीक है कि यूनिवर्सिटी के अन्दर एग्रीकल्चर की शिक्षा दी जाए। कुछ फोरेन में भेजे जायं लेकिन इसको ज्यादा व्यापक बनाने के लिए काम करना पड़ेगा।

कृषि के लिए जो भूजल मण्डल विभाग है और जो बोरिंग आपरेशन्स हैं वे उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। राजस्थान में गांवों को किसानों को बोरिंग कराने के लिए और पत्थर तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग मशीनों की मांग रहती है लेकिन जितनी मांग रहती है, उतनी नहीं मिल पाती है। अगर मिलती है तो किसान उनको लेने में हिचकिचाता है। इसका एक कारण यह है कि उनके लिए बोरिंग या ब्लास्टिक कराना बहुत महंगा पड़ता है। मान लीजिए किसान दो तीन हजार रुपए खर्च करे, उसके बाद भी कुएं पर सफलता न मिले तो उसको महगा पड़ता है। सरकार दूसरी बातों के लिए भी ग्रांट्स देती है इसलिए जब तक किसान सफलतापूर्वक कार्य नहीं करता है तो जितना खर्चा होता है, वह सरकार को कुछ ग्रांट के रूप में देना चाहिए जिससे किसान को अट्रेक्शन हो उस मशीन का उपयोग करने का कार्य इसलिए नहीं करते हैं कि उनको महंगी पड़ती है।

इसके अलावा कई जगह मांग होती है जो समय पर उपलब्ध नहीं होती है। मेरे क्षेत्र के बारे में मुझे जानकारी है। आनन्दपुर के लिए 5 किसानों ने काफी समय से दरखास्तें दे रखी हैं कि बोरिंग मशीन की जरूरत है, वह पैसे लेकर जाते हैं तो पैसा जमा नहीं करते हैं और दूसरी तरफ कहा जाता है कि किसान पैसा जमा नहीं करते। इसलिए अंडर ग्राउंड वाटर बोर्ड की मशीनें जितनी किसानों के लिए उपयोगी होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ हल निकालना चाहिए।

(श्री शंकरलाल)

मैंने अपने स्वयं के क्षेत्र के लिए कटौती प्रस्ताव रखते हुए बताया कि राजस्थान भूजल मण्डल द्वारा जैतारन पंचायत समिति क्षेत्र का सर्वे किया गया और उसने एक प्रकाशन भी निकाला और उसने माना है। उसमें लिखा है कि :

जैतारन पंचायत समिति (जिला पाली) के निवासियों को सूचित करते हुए हमें हर्ष है कि उनके इलाके में भूजल परिनिरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

समिति का पश्चिमी, मध्य पश्चिमी, दक्षिणी, मध्य उत्तरी एवं उत्तरी दूनी तथा लिलड़ी नदियों के बीच में पड़ने वाला भूभाग जिसका क्षेत्रफल 225 वर्ग किलोमीटर है तथा जिसमें निम्बोल, लाटोती, भेरखुर्द, रानीवाल, रामास, मिकरलाई, लिटरिया, कनेषा, कनास, मालपुरा, विरोली, बुलूंदा नालू, अनन्दपुरा बस्सी, कावलिया, खाडोहिया, केकिन्डरा, बन्जा कुड़ी, डाकुरवास, टालकिया, लासमी, मनाराजपुर, खिनावरी, बिरमपूरी तथा नीम्बाज इत्यादि गांव स्थित है लगभग 40 मीटर गहराई के नलकूप लगाने के उपयुक्त हैं। क्षेत्र में विद्यमान कुए भी यदि बोरिंग द्वारा उपरोक्त गहराई तक गहरे करवा लिए जायं तो उनकी जल क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है। प्रति नलकूप या बोरिंग करवाए गए कुए से लगभग 15,000 से 40,000 लीटर जल प्रति घंटा प्राप्त होने का अनुमान है।

समिति का दक्षिण पश्चिमी 20 वर्ग किलोमीटर का भू-भाग भी जिसमें चांवड़ी देवरिया पटवा इत्यादि गांव स्थित हैं, खुले कुओं में बोरिंग से लिए उपयुक्त हैं। ऐसे बोरिंग किए गए कुओं की कुल गहराई लगभग 40 मीटर होनी चाहिये तथा उनसे लगभग 25,000 से 50,000 लीटर जल प्रति घंटा प्राप्त होने का अनुमान है।

समिति का पूर्वी लगभग 15 वर्ग किलो मीटर का भू-भाग भी जिसमें रास, पाटन, टकरा तथा निम्बारा खुर्द इत्यादि गांव स्थित हैं लगभग 25 मीटर गहरे बोरिंग कराए गए कुओं के लिये उपयुक्त हैं ऐसे कुओं से लगभग 20,000 से 40,000 लीटर जल प्रति घंटा प्राप्त होने का अनुमान है।

समिति क्षेत्र के उत्तर पूर्वी कोने का 10 वर्ग किलोमीटर का कुकुड़ी गांव के आसपास का भू-भाग भी भू-जल की दृष्टि से अच्छा है। इस क्षेत्र के विद्यमान कुओं में यदि 30 मीटर गहराई तक बोरिंग करवा दी जाए तो उनकी जल क्षमता लगभग 25,000 लीटर जल प्रति घंटे तक बढ़ सकती है।

समिति के मध्यपूर्वी भाग में पहाड़ी के पश्चिमी किनारे का लगभग 35 वर्ग किलो मीटर का भू-भाग, विद्यमान कुओं में बोरिंग करवाने के लिये उपयुक्त है। बोरिंग करवाए गए कुओं की कुल गहराई लगभग 30—60 मीटर होना चाहिये। इस क्षेत्र में बालूपुरा तथा टकड़ा इत्यादि ग्राम स्थित हैं। बोरिंग करवाए गए कुओं में लगभग 20,000 लीटर जल प्रति घंटा प्राप्त होने का अनुमान है। उपरोक्त सभी क्षेत्रों का भू-जल रासायनिक दृष्टि से पीने एवं सिंचाई के काम में लिए जाने के उपयुक्त है। राजस्थान भू-जल मण्डल नलकूप बनाने व खुले कुओं में बोरिंग करने में सक्षम है।

(श्री शंकरलाल)

इसके लिए रिपोर्ट जो आई है, वरना कहते हैं, कि सर्वेक्षण नहीं हुआ, रिपोर्ट आ गई, इसको काफी समय हुआ लेकिन इसके बाद भी कुएं गहरे करवाकर उपयोगी सिद्ध हो सकता था। तो सरकार ने या कृषि विभाग ने एक काम भी हाथ में नहीं लिया। वहां पर मंत्रीजी को मालूम है, और मुख्य मंत्रीजी जब वहां पधारे थे और कहा था कि टैस्ट ट्यूबवेल कृषि विभाग द्वारा पास किया जायगा लेकिन उसको प्रारंभ नहीं किया गया।

जो नीचे के गांव हैं वहां बांध बनने से गांवों को नुकसान हुआ है उनको नलकूप से पानी देने के लिए रिपोर्ट में कहा गया कि वह बनने के बाद उसका रेकरिंग खर्चा पंचायत समिति उठाएगी तो समझ में नहीं आता सरकार ने उस पर इतना खर्चा लगाया सर्वे कराने के लिए इतने गांवों की, उसके बाद भी एक काम भी हाथ में नहीं लिया गया। अगर हाथ में लिया जाए तो उपयोगी सिद्ध हो सकता है इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के अन्दर जैसे सालाना प्लान हैं उसमें भी कृषि कार्यक्रम के लिये जितना खर्चा रखा है 6.31 करोड, यह भी प्लान के दूसरे मदों को देखते हुए ऐसा लगता है इसके अन्दर जितना उपयुक्त होना चाहिये वह नहीं हो पाया है।

इसके अलावा जैसे मैंने बोरिंग की बात कही है तो बोरिंग आपरेशन्स के लिये 1970–71 के अन्दर 20.02 लाख खर्च किया लेकिन 1971-72 में सिर्फ 3.08 लाख रखे हैं। मतलब यह हुआ कि छठा या सातवां हिस्सा भी नहीं रखा। कृषि मंत्री बतायेंगे कि बोरिंग मशीनों के लिए या उनके आपरेशन्स के लिये जितना खर्चा आपने पहले रखा, उससे क्यों कम रखा ? मेरे इलाके के अलावा दूसरे इलाके हैं जिनके अन्दर बोरिंग मशीनों की मांग रहती है और इससे गांवों की इकानामी बढ़ सकती है, कई गांवों के कुओं का फायदा उठा सकते हैं। तो सरकार क्यों उदासीन होती जा रही है। मैंने 3–4 सुझाव रखे हैं आशा है कि विभाग गौर करेगा, सुधार करेगा तो गांवों की तरक्की हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लादूराम सुलानिया।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : कृषि के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक मांग रखी है। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि की आय में जो तरक्की की बात करते हैं वह बिलकुल ना के बराबर है। कृषि की दिशा में राजस्थान ने आकड़ों में जरूर तरक्की की है, कागजी कार्यवाही में आवश्यक है लेकिन असलियत को देखा जाय और उपज का हिसाब लगाया जाए तो उसमें कुछ अंश में काश्त की भूमि में बढ़ोतरी हुई है और जो खर्चा हुआ है और 20 वर्ष पहले जो उपज होती थी और आज भी होती है, उस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि उस समय के साधनों को और आज के साधनों को, इन सारी बातों का संतुलन करेंगे तो हम देखेंगे कि कृषि की आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उस समय का खर्चा और जो आय थी और आज की आय, दोनों की तुलना करके देखें तो मालूम पड़ेगा। उसमें अन्तर है उस समय जो आय थी उससे आज कम है

(श्री लादूराम सुलानिया)
उस समय खर्चा कम था और आज का खर्चा अधिक है । इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए विचार करने की आवश्यकता है ।

हमारी खेती के जो साधन हैं वह सीमित हैं । आज करोड़ों रुपये इस बात के लिये खर्च कर रहे हैं, आपने बांध बनाए, नहरें बना रहे हैं और कृषि उपज बढाना चाहते हैं लेकिन सारी बातें एक तरह से दिखावा मात्र होकर रह जाती हैं । राजस्थान का जयपुर जिला एक बड़ा अंग है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जयपुर जिले में दो-तीन ऐसे बड़े बांध हैं जिनसे काफी सिंचाई हमारे जिलों में होती है। एक पालिया बांध, दूसरा छापरवाडा और तीसरा जमुवारामगढ़ । ये तीन बड़े बंध हैं। बीस वर्ष पहले जितनी जमीन में सिंचाई होती थी उसकी बढ़ोतरी न होकर, जितनी दूर तक पहले पानी जाता था आज उससे आधी दूर तक भी पानी नहीं जा पाता हैं। फागी तहसील में माधोपुर तक नहर बनी हुई है। पुराने अनुभवी इन्जीनियर लोगों ने नहरें बनाईं और राजा महाराजाओं के जमाने में लाखों रुपया लगा कर तैयार की, उन पर आज तक सरकार ने कोई खर्चा न करके, उनकी मिट्टी तक नहीं निकालने से, आज उनकी यह स्थिति हो गई है कि तीस मील तक ही पानी जा पाता है और पहले 80 मील तक बराबर पानी जाता था। कुछ भी राज्य सरकार ने ध्यान न देकर, ऐसी लापरवाही बरती कि सारा का सारा बांध टूट गया इससे अनाज का जितना उत्पादन होता था आज वह नहीं होता है। यही हालत छापरवाडा और जमुवारामगढ के बांधों की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी तहसील चाकसू में खेली बांध था। दो ढाई हजार एकड़ जमीन में पिलाई होती थी। एक छोटा सा नाका टूट गया। पचास हजार अधिक से अधिक की लागत का है, पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास किया था और उसको राज्य सरकार ने मंजूर भी कर लिया था । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय को पहले भी बताया था और आज भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह सारा का सारा रुपया उस बांध पर न लग कर कहीं दूसरी जगह लग गया जिसका परिणाम यह हुआ है कि वह नाका आज तक टूटा पडा हुआ है । यदि वह ठीक हो जाता तो दो ढाई सौ एकड़ भूमि में सिचाई होती और आस पास के कुएं जो सूखे पड़े हुए हैं वे सब के सब भर जाते।

इसी प्रकार तहसील चाकसू में नदी जाती है और उसके किनारे किनारे बीस फुट तक गहरा पानी है। यदि वहां पर नल कूप लगा कर ट्यूब वैल लगायी जाय तो हजारों एकड भूमि में सिंचाई पंजाब की तरह से हो सकती है। लेकिन आज रेगिस्तान पडा हुआ है। पंचायत समिति चाकसू ने सर्वे कराया और यह तय हो गया कि पानी बहुत है और ट्यूब वैल लगाये जायं, नल योजना लगायी जाय तो उपज बहुत बढ़ सकती है । लेकिन आज तक इस तरफ ध्यान न देकर वह योजना यों की यों पडी हुई है । राज्य सरकार ने योजना में सर्वे आदि में खर्चा किया वह सब बेकार गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की

(श्री लादूराम सुलानिया)

नीति उपज के माने में सीमित है। खुली हुई नहीं है जमीन पर काम करने वाले वे ही शिड्यूल्ड टाइब्स के लोग हैं। 80 प्रतिशत वे ही लोग हैं जो वहीं पर खेती करते हैं। यदि उनको जमीन और उनके साधन को देखा जाय तो रत्ती भर भी उनको नहीं बढ़ाया गया है और जो साधन सम्पन्न हैं, जिनके पास पहले से ही साधन हैं, और काफी जमीन हैं और ट्रैक्टर और नल कूप के साधन हैं वे लोग खेती नहीं करते हैं। वे तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों से खेती करवाते हैं। उनके खेतों में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हाली बन कर काम करते हैं। हमने सागडी प्रथा बन्द करने का कानून बनाया लेकिन उसको लागू नहीं किया और आज भी वे लोग सागडी बने हुए हैं और वे ही लोग गल्ला उपजा करके देते हैं और जमीनों वाले लोग जो खातेदार हैं वे मुनाफा खाते हैं जो आज से पहले खाते थे। राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। एक्ट को लागू करने में क्यों ढिलाई बरती और इसको क्यों नहीं दिया है। एक्ट को लागू करने में क्यों ढिलाई बरती और इसको क्यों नहीं लागू किया गया? दस पन्द्रह वर्षों से, साधन सम्पन्न लोग जिनकी जमीनें हैं वे ही उसी प्रकार से काबिज हैं और ये लोग सागडी हाली के रूप में पूरा का पूरा परिवार मेहनत करते हैं और अपना पेट पालते हैं। न तो सरकार ने जमीन उनको उनसे दिलाई है और न ही उनको जमीन एलॉट की। किसी गांव में अगर एलॉट भी की है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों को किया है जो दूसरी जगह के हैं दूसरे गांवों के हैं और खेती करने वाले लोग कौन हैं? या तो तहसीलदार, कर्मचारी, उनके परिवार के लोग, तहसीलदार के सुसराजी, तहसील में काम करने वाले बाबू हैं। मैं यह भी आपको जानकारी देना चाहता हूं कि दस दस गांवों में एक एक आदमी के नाम पर एलाटमेन्ट करके आय जो होनी चाहिए उसमें बाधा डाली है और उनको एलाटमेन्ट का हक दिया तो उन्होंने जमीन को बेच कर उनकी कीमतें वसूल करली। जिनकी शिकायतें समय समय पर राज्य सरकार को और मंत्री महोदय को की गई हैं लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उपज को बढ़ाने के बजाय उसमें बाधक बने हुए हैं।

सीलिंग को ही ले लीजिये। कई बार लिखा लेकिन आज तक सीलिंग नहीं किया और उसका मुख्य कारण यह है कि जिन लोगों के पास हजारों बीघा जमीन है उसमें खेती नहीं होती है, बंजर पड़ी रहती है। घास उगता है और ढोरों को चराते हैं और ठेका देने के अलावा खेती नहीं करते हैं। उन सारी जमीनो को तुरन्त सीलिंग में लेकर वहां के वाशिन्दे लोग हैं, ओरिजनली काश्त करते हैं, या खेती करने में माहिर हैं उनको दे दी जाय तो कृषि की उपज बहुत बढ़ सकती है। इससे अन्न की जो समस्या हमारे सामने है और भावों की जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। लेकिन हम यह मानकर चलते हैं कि सरकार ऐसा करने में असमर्थ है। इसका सीधा सादा हल यह है कि मंत्री और जितने अफसर बैठे हुए हैं कहते हैं कि हम खेती की आय को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन इनके खुद के फार्म होते हैं, बाग होते हैं, खराब से खराब अनाज ये

(श्री लादूराम मुलानियां)
पकवाते हैं जो एक रुपये के गेहूं को 4) में बेचते हैं : वे तो इस प्रकार की उपज बढाते हैं। वे सीमित दायरे में हैं। सन् 1950 से मंत्री मण्डल के जितने सदस्य रहे हैं उन और उनके परिवार के लोगों की जमीनें हैं उनके सम्बन्ध में जांच करवायें तो मैं बता सकता हूं कि हजारों एकड़ जमीन उनके परिवारों के कब्जे में हैं। जिनके नाम से जमीनें हैं वे हल नहीं चलाना जानते हैं, उनके बच्चे और औरतें पानत नहीं कर सकते हैं लेकिन खातेदार बनकर बैठे हुए हैं और काम करने वाले जो लोग हैं खेती का शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के, जो रात दिन खून पसीना एक करके काम करते हैं, उनके हाली रहकर काम करते हैं। यदि आप सही निर्णय लेना चाहते हैं, धरती की उपज बढाना चाहते हैं, सीलिंग लगाना चाहते हैं और सागड़ी प्रथा को बन्द करना चाहते हैं तो आपको चाहिये उन सब फार्मों को एक्वायर कर लीजिये जो हल नहीं चलाते हैं खेतों में और उनकी खातेदारी की तमाम जमीनों को कैंसल कर दीजिये। इससे औरिजनल काश्तकार के पास जमीन जाने से भूमि की उसकी समस्या हल होगी और वह दुगुनी उपज करके बतायेगा। कृषि की उपज दुगुनी हो जावेगी।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनिट बोला ही नहीं, चेयर की ओर से घंटी आ गयी है।

सबसे बड़ा दल है इसलिए हमको समय मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल को 40 मिनिट का समय दिया गया है। तीन माननीय सदस्य अभी और बोलना चाहते हैं। आपने 13 मिनिट का समय ले लिया है यदि इसके अतिरिक्त भी आप समय लेंगे तो आपके दल के माननीय सदस्यों का वह समय होगा मुझे एतराज नहीं है।

श्री लादूराम मुलानियां : 13 मिनिट हुए नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका ध्यान भाषण में था और मेरा ध्यान घडी की ओर था।

श्री लादूराम मुलानियां : ट्रेक्टर देने की बात आप देख लीजिये। राज्य सरकार ने ट्रेक्टर किनको दे रखा है? ट्रेक्टर आप किन को देते हैं? जो खेती करते हैं उनको एक ट्रेक्टर आपने नहीं दिया है। अगर ट्रेक्टर दिया है तो उनको दिया है जो आपके प्यारे हैं या जो आपको रिश्वत देते हैं, उनको दिया है। अगर ट्रेक्टर अलॉटमेन्ट की जांच करवायेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भारी अनियमितताएं बरती गई हैं और सारे का सारा घोटाला है। सारे के सारे ये ट्रेक्टर खेती के लिये होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के अन्दर देख लीजिये क्या ये ट्रेक्टर खेती के काम आ रहे हैं? उनको आप ट्रेक्टर देते हैं जो दूसरे साधनों से कमा कर खाते हैं। और इन ट्रेक्टरों को खेती की उपज के लिये काम में नहीं लेते हैं।

कुओं के लिये, एग्रीकलचर के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, आप बैंकस् से लोन देते हैं। इसमें भी घोटाला है। काश्तकारों को लोन नहीं मिलता है और मिलता है तो बड़ी परेशानियों के साथ एक किश्त मिलती है और दूसरी किश्त बैंक से डा नहीं करते है,

(श्री लादूराम सुलानियां)

इसके पहले पहले उनके पास बैंक से नोटिस आ जाता है, पहली किश्त जमा कराओ। यह हमारी क्या नीति है? तीन साल के लिये यह कर्जा दिया जाता है। दस हजार रुपया काश्तकार लेगा तो तीन साल के अन्दर वह कहां से वापिस दे सकता है। यह नहीं हो सकता है। पांच साल की योजना है, पांच साल में थोड़ा दे सकता है। कुछ बैंक दस साल के लिये भी देते हैं। यह मैं मान सकता हूं कि इस अर्से में थोड़ा बहुत वह अदा कर सकता हैं। मैं कहता हूं कि उनको, काश्तकारों को कृषि के लिये जो आप ऋण देते हैं वह निःशुल्क आपको देना पड़ेगा, उस पर ब्याज नहीं होना चाहिये और वह कम से कम बीस साल के लिये होना चाहिये ताकि वह शनैः शनैः अदा कर सके।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की बात है। क्या उन काश्तकारों को बिजली मिलती है जो खेती करना चाहते हैं और खेती की उपज को बढ़ाना चाहते हैं? आज ऐसे कुए हैं जिनके अन्दर बिजली मिले तो वे अपनी उपज को बढ़ा सकते है परन्तु उनको बिजली नहीं मिलती है। बिजली मिलती है तो उनको मिलती है जो एग्रीकल्चर के नाम से बिजली ले लेते हैं और अपने बंगले के अन्दर उसके कनेक्शन से भोग करते हैं, आराम करते हैं। इस प्रकार गवर्नमेन्ट को नुकसान होता है। इस प्रकार की कई मिसालें विधान सभा में रखी गई हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। सरकार इस पर आंख मूंद कर बैठी जाती है। इस प्रकार बड़े फार्मों को बिजली देते हैं लेकिन उससे उपज नहीं होती। दस साल तक आपने जमीन का एलाटमेंट कर दिया और वे उस पर खेती नहीं करते हैं। दस साल बाद उनको खातेदारी का राइट मिल जाता है और फिर वे उस जमीन को ऊंची कीमत पर बेचते हैं। यह नीति है सरकार की और सरकार की यह नीति खेती की उपज बढ़ाने में बाधक है। अगर खेती की उपज को बढ़ाना है तो हमें इस पर गहराई से विचार करना है।

उपाध्यक्ष जी, एग्रीकल्चर शिक्षा के बारे में भी हम बात करते हैं। इस बात की अगर जांच करवाई जाये और इस ओर ध्यान दें कि जो लड़के एग्रीकल्चर की शिक्षा लेते हैं क्या वे काश्त करते हैं? वे गरीब काश्तकारों के लड़के नहीं हैं। जो गरीब काश्तकारों के लड़के गांव में रहते हैं वे इस बात के लिये कटिबद्ध हैं कि हम एग्रीकल्चर की शिक्षा प्राप्त करें और एग्रीकल्चर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद खेती का काम करें। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिये, जो खेती की उपज को बढ़ा सकें और उसमें सहयोग दे सकें। जितने भी विद्यार्थी हैं क्या उन्होंने खेती की उपज को बढ़ाया है? इसका कोई सर्वे नहीं कराया है। ये लोग जो एग्रीकल्चर की डिग्रियां प्राप्त कर सरकारी नौकरियां ढूंढेंगे। इसके अलावा उनके पास और कोई बिजनेस नहीं रह गया है। ऐसी जो स्थिति है उसको दूर करने के लिये हमारी राज्य सरकार में कमी है। राज्य सरकार कहती है लेकिन करती नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार आंख मूंद कर बैठी है। जो कुछ भी यह करेगी उससे खेती की उपज नहीं बढ़ेगी, कागजों में अवश्य बढ़ेगी। यह दुहाई देती है कि उत्पादन बढ़ रहा है। किन्तु वास्तव में

(श्री लादूराम सुलानियां)

उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। मंडियों की बात आप कहते हैं। राज्य सरकार ने कितनी मंडियां बनायी हैं लेकिन ये मंडियां ओरिजनल काम नहीं करती। ये राज्य की एजेन्सी है। राज्य का मतलब यह नहीं है कि जो राज्य आज है, उसकी है। कांग्रेस पार्टी को चुनावों के अन्दर इनका सक्रिय भाग मिलता है। वे बैठी रहें और इनका गीत गाती रहें। इसी बात को लेकर यह मंडी बिल पास हुआ। इसको कितना समय हो गया है परन्तु कहीं भी एक मंडी का गठन नहीं हुआ है। वहां पर सड़कें नहीं हैं, काश्तकार अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकें उसका इन्तजाम नहीं है। तो इससे ज्यादा अनियमितता और क्या हो सकती है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे। हमारे आज जो कृषि मंत्री जी हैं वे बहुत अच्छा काम करने वाले हैं लेकिन इन चार सालों में वे जिस ढंग से चले हैं उससे उनका रंग निकल गया है, वे चुप बैठे हैं, आंख मूंद कर बैठे रहते हैं। सुखाड़ियाजी का जादू इन पर भी चल गया है और इनका मुंह बन्द हो गया है। यह जनतन्त्र है, सब को अधिकार है। आप इन सब को देखिये। इस बात की जांच करिये कि मेरे कृषि मंत्री होने के बाद और पहले के कृषि मंत्री के टाइम में अब क्या कोई अन्तर हुआ है या नहीं हुआ है। और हम लोग जो सुझाव देते हैं वे सही हैं या नहीं हैं। इस पर भी आप थोड़ा विचार करेंगे तो हमारे राजस्थान के दो, तीन करोड़ लोगों की समस्यायें हल हो सकेंगी और इस पर आपको भी श्रेय मिलेगा। ऐसा नहीं करेंगे तो, कृषि मंत्री जी, आप सदा नहीं रहने वाले हैं। फिर तो अलवर आपको सलामत है। लोग कहेंगे आपने क्या किया? पहले के कृषि मंत्रीजी सडक पर डोलते हैं। भाड झोंकी और घर आये, यह हालत होने वाली है। आपको काम करना चाहिये। राजस्थान की जनता ने आपको समय दिया है और आप इस समय का सदुपयोग करिये और लोगों की समस्याओं का समाधान करिये इसमें देश का भला है और राजस्थान की जनता का भी भला है और इस भलाई के साथ आपका नाम भी भलाई में जुड़ेगा और नींद में ही टाइम लगा देंगे तो लोग आपको भूलने वाले नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि कृषि की ऊपज को बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने अपने धन का जो दुरुपयोग किया है उसको रोकें और उसका पूरा सदुपयोग करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरसिंह।

श्री शंकरसिंह (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि का सवाल है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और 50 प्रतिशत जो भी आय है वह कृषि से ही इस देश में होती है। जहां तक राजस्थान की कृषि का सवाल है ज्यादातर कृषि चार बातों पर निर्भर है। भूमि की जुताई हो, बीज अच्छा हो, खाद अच्छा हो और पानी की आवश्यकता–इन चार चीजों के मेल होने पर कृषि होती है। मैं इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करता

(श्री शंकरसिंह)

चाहूंगा कि जहां तक बीज का सवाल है आज पंचायती राज संस्थाओं के जरिए बीज उपलब्ध कराते हैं और जिला कृषि अधिकारी भी बीज का प्रबन्ध करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कई दफा इधर बरसात होती है या बरसात जल्दी हो जाती है और उक्त बीज समय पर नहीं मिलता है और जिला कृषि अधिकारी का तार आता है कि बीज उपलब्ध नहीं हैं काश्तकारों को रोका जाए। मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है। जहां तक कृषि का सवाल है, उत्पादन का सवाल बीज के लिए हम क्या कर रहे हैं? यह जो मानव शरीर खड़ा हैं यह इसी पर निर्भर है। यह जो मानव शरीर खड़ा है उसके लिए अन्न की आवश्यकता है और अन्न के लिए एक काश्तकार को बीज की आवश्यकता है और उस समय बीज नहीं मिले तो मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है।

(उ. म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति दासीन)

तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अच्छे बीज का पहले प्रबन्ध किया जावे। आज किसान छः सात रुपया किलो के भाव का बीज भी अगर अच्छा है तो लेने को तैयार हैं, पर वह भी समय पर मिलता नहीं। तो इसका प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

दूसरी बात, खेत को जोतने के लिए अच्छे औजारों का होना आवश्यक है। अच्छे औजार पंचायतों को दिये गये। पर पंचायतें इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। लोग अपने उन्हीं पुराने औजारों से काम चला रहे हैं। ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। आंकड़े कागजों में आप भले ही बता दें, पर वास्तविक परिवर्तन आज भी गांवों में नहीं आया है। अगर कहीं आपने नये औजार दिये भी हैं तो वे बेकार हो गये क्योंकि उनके साथ आपने स्पेयर पार्ट्स देने का प्रबन्ध नहीं किया। न उनकी मरम्मत का अच्छा प्रबन्ध है तो वे भी आज बेकार पड़े हैं।

हम नये ढंग से वैज्ञानिक प्रणाली से खेती करना चाहते हैं। पर उसके पूरे साधन उस पर पूरा ध्यान देने वाला स्टाफ का प्रबन्ध आप नहीं कर सकते। अब तक तो आप अयोग्य ही साबित हुए हैं इसमें। आगे की मैं नहीं कह सकता आप कितने योग्य साबित हो सकेंगे इसका प्रबन्ध व्यवस्थित रूप से कर सकने में।

पंचायत राज संस्थाओं का मेरा दस साल का अनुभव है। वह बड़ा कटु है। आपने उनके माध्यम से बांटने का अच्छे औजार बीज आदि बांटने का प्रयत्न किया पर, वे दिलचस्पी ही नहीं लेते, जो कुछ आपने उनको बांटने के लिये नये औजार, वगैरह दिये थे वैसे ही पड़े हैं अधिकांश जगहों पर। आखिर तो आपकी धनराशि लगी है इसमें। अगर उनसे किसान काम नहीं ले पाता और पुरानों से ही काम लेता है तो यह तो धन का पूरा ही दुरुपयोग है।

किसान के दिमाग में आप बात नहीं चाहते। या आपने उनको बेवकूफ और गंवार समझ रखा है। वह बहुत चतुर है और बहुत परिपक्व दिमाग वाला है। सदियों से वह इस धरती से अन्न पैदा करता आया है। एक बार अगर आपने

(श्री शंकर सिंह)

अच्छी तरह उसको समझा दिया कि इन नये साधनों से, औजारों से खाद बीज आदि से खेती में बहुत वृद्धि हो जावेगी और ये जो साधन उसको दिये जा रहे हैं ये साधन लगातार उसको उपलब्ध होते रहेंगे बिना किसी परेशानी के इन औजारों की मरम्मत भी वह आसानी से करा सकेगा तो इन सारी चीजों को एडोप्ट करने में किसान को देरी नहीं लगेगी। आज तो उसको आपके प्रबन्ध करने की शक्ति पर विश्वास नहीं हो पाया है। आप विश्वास पैदा करिये।

आप डिमान्स्ट्रेशन देते हैं। पर कहां देते हैं? जो स्वयं बड़ा किसान होता है उसके खेत पर देते हैं या हैड क्वार्टर पर देते हैं या पुराने खाद पर देते हैं। तो आपको चाहिये कि आप छोटे से छोटे किसान के खेत पर जाकर डिमान्स्ट्रेशन दीजिये, नये खाद और बीज पर दीजिये।

पिवाई के साधन भी आज उसके पास वे ही पुराने हैं। तो अगर आप डिमान्स्ट्रेशन लगातार जगह-जगह देते रहेंगे तो किसान में विश्वास जमेगा और वह भी समझने लग जावेगा कि नये खाद बीज और औजारों के जरिये कृषि उत्पादन बढ़ता है तो वह उधर आकर्षित होगा। नहीं तो एक बड़े काश्तकार के यहां डिमोन्स्ट्रेशन दे दिया और उसी को सब सिडी वगैरह दे दी तो इससे ज्यादा असर नहीं होने वाला है।

काश्तकार को पानी की जरूरत है। कुओं में पानी है। बिजली दीजिये आप उसे। अब सदन में इधर वालों की और उधर बैठने वालों की सबकी इस बारे में एक राय है तो फिर क्या कठिनाई है। सबकी मंशा एक है तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा। आज तो हालत यह है कि किसान मोटर खरीद लेता है फिट करा देता है पर चार-चार छः-छः महीनों तक कनेक्शन नहीं देते आप। बीच में छोड़कर आप आगे वाले को कनेक्शन दे देंगे पर बीच में पड़ने वालों को छोड़ते जावेंगे। यह उचित नहीं है।

अकाल के बारे में निवेदन करूं। इसका मुकाबला करने के लिये भी आपको कृषि के साधनों की उन्नति करनी पड़ेगी। अगर इसमें करोड़ों का खर्चा भी आपको करना पड़े तो घबराना नहीं चाहिये। उन्नत औजार, उन्नत बीज, पानी की बिजली की व्यवस्था, खाद आदि ये जो कृषि उपज के साधन हैं इनको आपको बढ़ाना होगा। काश्तकार स्वयं टूटी-फूटी झोंपड़ी में रह सकता है अनपढ़ रह जावे कोई चिन्ता नहीं, शिक्षा को भले ही आप थोड़े समय के लिये रोक दें पर कृषि के अधिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सब कुछ दांव पर लगा दें। इसका सम्बन्ध हरेक से है। खाद बीज औजार और पानी बहुलता से आपको हर किसान को उपलब्ध कराना होगा। तब जाकर इस प्रदेश की अकाल की स्थिति जो स्थायी हो गई है, को आप समाप्त कर पावेंगे। इसके लिये बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज को आपको रोकना पड़े तो रोक दीजिये। उनको बिजली नहीं देनी पड़े तो मत दीजिये। पर किसानों की तरफ आप ध्यान देने में सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

Page No 126

(श्री शंकरसिंह)

बिजली की कई प्रकार की शिकायतें हैं जो कुछ थोड़ी बहुत आपने दी हैं उसमें भी। इस सदन में पुलिस, रेवेन्यू आदि विभागों की बहुत शिकायतें हैं। पर काश्तकार इससे नहीं घबराता। पर अगर वह घबराया है तो इस बिजली विभाग से घबराया है। अगर आपको इसका नमूना देखना हो तो किसी एक किसान के कुए पर जाकर देख लें। पहले तो कनेक्शन देने में साल-साल भर की देरी कर दी जाती है और फिर दी भी जाती है तो कभी बराबर रैगुलर तरीके से नहीं दी जाती, कभी इससे उसकी मोटर जल जाती है तो कभी पानी समय पर नहीं दिये जाने के कारण उसकी खेती सूख जाती है। तो इन चीजों की तरफ भी ध्यान दिये जाने की परम आवश्यकता है।

किसानों को अच्छे औजार, अच्छे बीज और खाद पानी की व्यवस्था के लिये राहत भी दिलानी पड़ेगी, सहायता भी देनी पड़ेगी। आज ये साधन उसके मंहगे हैं।

आज कपड़े के भावों में फर्क नहीं पड़ा, रहन सहन की छोटी से लेकर मोटी चीज तक के भावों में कोई अन्तर नहीं आया, बल्कि दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। पर इसके मुकाबले में किसान की पैदावार के भाव सस्ते होते जा रहे हैं। अभी बिश्नोई साहब ने भी सदन में कई बार जिक्र किया है कि उनके यहां बाजरी का भाव काफी गिर गया है। तो आपको इन भावों को भी रोकना होगा गिरने से। किसान को तो दस आदमियों को अपना धुकारा धुकाना है वे तो आ जावेंगे उसकी छाती पर। कोआॅपरेटिव वाले भी आ जावेंगे इधर पटवारी तहसीलदार भी आ जावेंगे इधर बनिया भी आ जावेगा। फिर भी किसान ने अपनी इज्जत बराबर बनाये रखी है चार चार साल इज्जत रखी है अकाल के दिनों में। अब जाकर उसको अच्छी फसल के दर्शन हुए हैं तो भाव नीचे आ गये।

आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। पर आज भी उनसे बड़ों को ही लोन मिलता है, गरीब काश्तकार को तो वहां से भी कोई आशा नहीं है। वह मारे मारे फिरता है पटवारी के पास जाता है, बैंक के एजेन्ट के पास जाता है, फार्म भरता है पर इतना करने के बावजूद उसे समय पर लोन नहीं मिलता। तो इस तरफ भी आपको ध्यान देना होगा कि समय पर आसानी से बिना अधिक हैरानी के बैंक से उसको लोन मिल जावे। और उसकी पैदावार को सरकार अच्छे दामों पर बिकवाने का प्रबन्ध करे।

खाद्य निगम की क्या बात की जाय। उसके बार में कई माननीय सदस्यों ने कहा इसके लिये आपको अपनी मार्केटिंग सोसाइटियों को मजबूत करना पड़ेगा। एक तरफ सरकार व्यवस्था करती है तो कृषि उपज मण्डी की करे। मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करूं जितनी अड़चनें आती हैं चाहे वह बिजली की हो, चाहे कोआपरेटिव के सम्बन्ध में हो, चाहे औजार के सम्बन्ध में हो अपनी अलग अवाज लेकर नहीं चलें। कृषि के सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा मिलकर सहयोग करें। मैं आपको निवेदन करूं काश्तकारों को ऊंचा लाना है तो उनको

(श्री शंकरसिंह)

किसी न किसी प्रकार सहायता अवश्य देते रहना चाहिये क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश हैं। कृषि और शिक्षा का अथाह सागर है। जिस प्रकार शिक्षा का अथाह सागर है उसी प्रकार कृषि की भी अथाह सागर है। मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है उनके साधनों को जिनका मूल्य बढ गया है और जो उत्पादन है उसके भाव गिर रहे हैं यह भयंकर समस्या है। अपन को इसको यूं ही नहीं सोचना चाहिये। इस पर गहराई से विचार करना चाहिये। सभापति महोदय, पंचायत समिति के पास बड़े फार्म्स हैं लेकिन छोटे काश्तकारों के पास इतना पैसा नही है। मैं समझता हूं यह बात दूसरी होगी क्योंकि उनके पास पैसा है। काश्तकार के पास तो केवल श्रम और मेहनत है। आप छोटे काश्तकार को कुओं के लिए दो चार हजार रुपया लोन दे देते हैं लेकिन आप यह नहीं सोचते हैं कि दो चार हजार में कुआ कैसे खुदेगा? आप तो यह समझ लेते हैं उसका सारा परिवार श्रम करेगा। सभापति महोदय, वह काश्तकार इधर उधर से और ऋण लेता है तब जाकर उसका कुआं कहीं बन पाता हैं और अगर वह किश्त किसी तरह समय पर नहीं चुका पाता है तो उस पर दण्डनीय ब्याज वसूल किया जाता है। मैं तो स्पष्ट यह कह दूं कि काश्तकार पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं होना चाहिये। पंचायत समिति से, पंचायत राज संस्थाओं द्वारा जो ऋण की व्यवस्था की तो वह देखते हैं कि दण्डनीय ब्याज काश्तकार से लिया जाता है। एक हजार ऋण लिया तो उस पर एक हजार ब्याज हो गया। मैं कृषि मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बात के लिए बजट में जरूर प्रावधान रखना चाहिए कि काश्तकार पर पैनल इन्ट्रेस्ट नाम का दण्डनीय ब्याज नहीं होना चाहिये।

अकाल के लिए एक तरफ सब जानते हैं अकाल के वक्त काश्तकार के पास कुछ नहीं रहता। अच्छे से अच्छे काश्तकार के जिसके हजार मन काश्त होती थी उसके अकाल में एक मन अनाज नहीं हुआ तो उसका उत्तरदायित्व भी सरकार पर है। इसमें बजट में प्रावधान हो कि पैनल ब्याज न हो और दूसरा जहां चार साल अकाल पड़ा उनसे किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाय ताकि उनको कुछ राहत मिल सके।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज भाषण करें।

श्री शंकरसिंह रावत : तो इस समय मैं यही निवेदन करूं कि कृषि के सम्बन्ध में गहराई से सोच विचार कर लक्ष बनाये। बीज बांटना, औजार बांटना यह लक्ष नहीं होना चाहिये। बीज तो काश्तकार को खुद को रखना चाहिये। पुराने जमाने में काश्तकार स्वयं बीज रखता था। पुराने जमाने में चाहे गरीब से गरीब काश्तकार होता था वह भी अपने पास अच्छे से अच्छा बीज रखता था। इसलिये मेरा निवेदन है औजार और बीज देने में आप इन्ट्रेस्ट न करें। हमारा कृषि प्रधान देश है। मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी तरह की कृषकों की समस्या है इसको सुलझाने की चेष्टा करें।

श्री सभापति : श्री कुमार सिंह।

श्री जुझार सिंह : (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, कृषि से सम्बन्धित मैंने भी कुछ कटोती प्रस्ताव पेश किये हैं और सदन का कुछ समय उनको एक्सप्लेन करने के लिये लेना चाहूंगा।

श्री सभापति : आपके दल के समय का ध्यान रखें।

श्री जुझार सिंह : मैं कोशिश करूंगा कि समय के अन्दर ही समाप्त हो। सभापति महोदय, राजस्थान बनने के बाद से यह मानकर चलना पड़ेगा कि कृषि को राजस्थान की सरकार द्वारा काफी इम्पोर्टेन्स दी गई है। इन पिछले 22 वर्षों में कृषि विभाग एक इम्पोर्टेन्ट विभाग राज्य सरकार का बन गया इस बात के लिये मैं राज्य सरकार को बधाई देता हूं और खुशी है वे और भी ज्यादा उन्नति करने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ दिन पूर्व माननीय वित्त मन्त्री जी ने इस सदन में एक बयान दिया था कि राज्य सरकार का जो बजट है उसका 62 प्रतिशत से ऊपर पावर और इरिगेशन के लिये खर्च किया जाने वाला है और ये जो खर्च है इनका ज्यादातर लाभ मैं मानकर चलता हूं कृषि विभाग को ही मिलने वाला है लेकिन इस कृषि के विभाग में जो बातें जिनकी तरफ मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उनके ऊपर में उम्मीद करता हूं गौर फरमायेंगे। कृषि की उन्नति पर इम्पोर्टेन्ट बातें जैसे मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने कहीं हैं– क्वालिटी आफ दी साइल, क्वालिटी आफ दी सीड्स, टाइमली आपरेशन और कास्ट आफ प्रोडक्शन है और बाजार भाव है। ये पांच बातें कृषि की उन्नति के लिये हैं। कृषि के लिये जो सबसे आवश्यक हैं वह सबसे पहले क्वालिटी आफ दी साइल है। वह मैं मानकर चलता हूं कि किसी की कोशिश से बनाई नहीं जा सकती है लेकिन अगर सरकार उस पर तवज्जह दे तो इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है और उसको कम से कम बिगड़ने से बचाया जा सकता है।

सभापति महोदय, जहां तक साइल के टेस्टिंग का सवाल है और जो साइल में कमी है उस कमी को फर्टीलाइजर द्वारा या किसी दूसरी तरह से बेटर कल्टीवेशन की प्रणाली से सुधारा जा सकता है, बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, सभापति महोदय, वहां पर हमारे जो खेती की भूमि की जो क्वालिटी है वह दिनों दिन खराब होती जा रही है और उस खेती के बिगड़ने का बहुत कुछ कारण मैं यह मानकर चलता हूं कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण है।

सभापति महोदय, कोटा क्षेत्र में आज से कई वर्षों पूर्व से भूमि कटाव की बहुत बड़ी समस्या थी और उस कटाव की समस्या को ध्यान में रखते हुये भूतपूर्व कोटा स्टेट ने एक विशेष महकमे की स्थापना की थी। इस महकमे का नाम बन्धाता महकमा था। उसके मारफत राज्य सरकार द्वारा सैकड़ों बान्ध बनाये गये थे और उसका मेन्टीनेन्स राज्य सरकार द्वारा किया जाता था उस भूमि के कटाव की समस्या को इस तरह स्टेट के वक्त रोका जा रहा था। राजस्थान के फार्मेशन के

(श्री जुझारसिंह)

समय यह काम स्टेट को हैण्ड ओवर हुआ है उसके ऊपर पिछले 23 वर्षो में कोई ध्यान नहीं दिया गया है और उसका यह नतीजा हुआ है कि बन्धे टूटते जा रहे हैं और भूमि कटाव बढ़ता जा रहा है। यही नहीं सभापति महोदय जो राज्य की कृषि सम्बन्धी नीति है, भूमि सम्बन्धी नीति है उसमें लेण्ड का किस प्रकार युटिलाईजेशन हो उस पर ध्यान नहीं दिया गया है आज जो राजस्थान सरकार की लैण्ड एलाटमेंट की पालिसी है, ट्रेस-पार्सस की जो पालिसी है या गलत जगह पर जिनका कब्जा हुआ है या मार्जिनल लैन्ड कब्जा हुआ है और गलीज में ईरिगेटेड ऐरिया में खेती हो रही है उन स्थानों के साल दर साल रेगुलेराइजेशन किया गया है। लाखों एकड़ जमीन रेगुलराईज हो गई है और उस रेगुलाईजेशन की वजह से कोटा जिले में समस्या है वह बहुत बढ़ गई है। सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा आपकी जानकारी के लिये. कम से कम जो अन-ईरिगेटेड ऐरियाज़ हैं उनके लिए मैं इसलिये निवेदन करता हूं क्योंकि ईरिगेटेड ऐरिया में पानी आने लग गया इसलिये पानी का समुचित उपयोग करने के लिये जमीन का लेवलिंग किया जाय। और उसके साथ ही साथ धोरे वगैरह बनने से पानी के बहाव में थोड़ी रुकावट आने लगी है इसलिए जो ईरिगेटेट एरिया है उसमें कटाव का इम्पेक्ट था वह बहुत् कम जगह, क्योंकि एक तो जैसा मैंने निवेदन किया कि लेवलिंग हो गया है और जगह जगह माईनर और मेजर केनाल के आने की वजह से नेचुरल फ्लो नहीं रहा है इसलिए मैं मानकर चलता हूं कि पहाड़ी चम्बल एरिया में और ईरिगेटेड एरिया में साइल इरोजन का इम्पेक्ट कम हो सकता है लेकिन जो नॉन-ईरिगेटेड एरियाज हैं उनमें इनडिस्क्रिमिनेटली एलाटमेंट और कल्टीवेशन और कल्टीवेशन आफ दी मार्जीनल लैण्ड और राजस्थान सरकार की गलत नीतियों की वजह से अगर आप ईमानदारी से इसका सर्वे करायेंगे तो आपको मालूम होगा कि रेट आफ इरोजन बहुत सीरियसली बढ़ गया है और एवरेज फूड प्रोडक्शन पिछले 20 वर्षों में निश्चित रूप से कहता हूँ कि काश्तकार की जमीन पर पैदावार कम हुई है, तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप साइल के यूज के बारे में संबंधित दूसरे मंत्रियों से और मंत्री-मंडल में सलाह करके साइल का किस तरह से प्रॉपर यूज हो इसके लिए निश्चित पॉलिसी बनायें ताकि काश्तकार को भूमि कटाव से और दूसरे बेड यूटीलाईजेशन आफ दी लैण्ड से नुकसान जो उसको होने वाला है उससे बचा सकें।

दूसरा निवेदन करूंगा कि अभी तक कृषि के मामले में जिस नीति की बहुत कुछ निन्दा हुई है कि सॉइल के टेस्टिंग के बारे में अभी कोई फुल प्रूफ मैथड नहीं निकला। यह जरूर है कि सॉइल का टेस्टिंग होता है लेकिन काश्तकार यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि जो टेस्टिंग लेबोरेटरी में हो रहा है वह करेक्ट है और उनके द्वारा जो सुझाव दिया जाता है यूज आफ फर्टीलाइजर के और दूसरे वह उनके काम में लेने के बाद जो रिजल्ट

(श्री जुझारसिंह)

एक्सपेक्ट किया जाता है वह नहीं आता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपकी लेबोरेटरी में या जहां भी सॉइल का टेस्टिंग हो रहा है उसमें किस तरह की कमिया हैं और क्या चीज उसमें दी जानी चाहिए उसके बारे में आप अपनी लेबोरेटरी को और ज्यादा स्ट्रेन्गथिन करो और सही रिपोर्ट देने के लिए उनको कुछ कहें तो मैं आशा करता हूं कि उस पर जो पैदावार ली जाती है जमीन से उससे भी ज्यादा पैदावार ली जा सकेगी।

दूसरे मैं सॉइल की प्योरिटी के बारे में कहूंगा। यह सही है कि कई तरह के बीज इजाद हुए हैं हाई यील्डिंग के और काश्तकार उनको अपने काम में लेने लगा है, लेकिन आप भी अनुभव करते होंगे कि उस बीज की प्योरिटी अभी एश्योर्ड नहीं है और काश्तकार यह कोशिश करता है कि अपना ही बीज वह काम में ले जो कि खुद का बीज हैं और वह उसको सस्ता भी पड़ता है और कृषि विभाग से जो बीज दिया जाता है वह बीज बहुत मंहगा पड़ता है उसके लिए और जिस तरह से बीज का वितरण होता है, सभापति महोदय, उसमें भी आज जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएन्शल आदमी हैं, आफिसर्स हैं, मंत्री हैं वह करीब करीब सब सीड ग्रोअर का काम करने लगे हैं और ज्यादातर वही डिस्ट्रिब्यूट करते हैं सीड को। तो उसमें एक चीज जरूर मेरा ख्याल है कि सीड की प्योरिटी के बारे में है कि वह प्योरिटी नहीं रहती है। इसलिए कृषि की उन्नति के लिए सीड की प्योरिटी बहुत आवश्यक है और इसके ऊपर जितना ध्यान दिया जाता है उससे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। वैसे गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने सीड एक्ट पास किया है और उस सीड एक्ट का जहां तक मेरी जानकारी है राजस्थान सरकार में उसका इम्पलीमेन्टेशन नहीं होने लगा है इसलिए उस सीड एक्ट को किस तरह से आप यहां पर लागू करें और किस तरह से कल्टीवेटर्स को फायदा मिल सके इसके बारे में मंत्री महोदय सदन को और माननीय सदस्यों को जानकारी देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

दूसरी बात सभापति महोदय जहां तक हाई यील्डिंग वैराइटी सीड का सम्बन्ध है मेरी जानकारी में यह सही है, अभी मैंने सुना है कि धनिये की अच्छी वैराइटी राजस्थान की लेबोरेटरी में इजाद हुई है और उसी तरह से सरसों की भी हुई है। इसी तरह से हो सकता है दूसरी क्रॉप्स की भी हाई यील्डिंग वैराइटी राजस्थान सरकार की लेबोरेटरी में कहीं ईजाद की गयी हो लेकिन जो हाई यील्डिंग वैराइटी है गेहूं की वैराइटी और दूसरी वैराइटी की तो काश्तकार को थोड़ी बहुत जानकारी हो पाई है लेकिन धनिया और सरसों की और दूसरी क्राप्स जो आपने ईजाद की हैं उनकी जानकारी काश्तकार को नहीं है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपकी लेबोरेटरी क्या काम करती है और वह किस तरह का बीज बनाती है उसका सम्बन्ध काश्तकार से रहे तो उसका वह फायदा उठा सकता है। अभी साइन्टिफिक डिपार्टमेन्ट में और रिसर्च डिपार्टमेन्ट में और कल्टीवेटर के बीच में किसी तरह का तालमेल नहीं

(श्री जुझारसिंह)

है और लेबोरेटरी नये बीज निकाल रही है और अच्छी अच्छी चीजें तैयार कर रही है लेकिन कल्टीवेटर्स को उसका फायदा मिलने में बहुत समय लगता है इसलिए जो इन्टर मीडियरीज हैं और जो सम्पर्क में रहते हैं उनको नये बीजों का ज्यादा फायदा हो जाता है और काश्तकारों को नहीं पहुंचता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इसकी भी कोशिश करें कि जो भी आपके रिसर्च के रिजल्टस आते हैं उनको जल्दी से जल्दी काश्तकारों तक पहुंचाया जाये ताकि काश्तकारों को फायदा हो। इसकी भी कोशिश की जानी चाहिए।

यदि आपकी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से या कृषि विभाग की तरफ से कोई मन्थली मैगजीन या काश्तकारों की जानकारी के लिए कोई सिम्पल भाषा में निकाली जाये तो उनको लाभ मिल सकता है। वैसे 'कृषक समाज' आप निकालते हैं लेकिन उसकी पब्लिसिटी ज्यादा नहीं है लेकिन किसी तरह की कोई मैगजीन काश्तकारों की यूटीलीटी के लिए निकाली जाये और यह डिपार्टमेन्ट के भी फायदे की चीज है और जो अच्छे होशियार आफिसर्स हैं जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनको भी इससे किसी तरह का प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आर्टीकल्स आयेंगे और वेरीयस सबजेक्ट्स पर मन्थली मैगजीन अवेलेबल हो सके और अगर मैगजीन नहीं निकल सकती है तो भी काश्तकारों की जानकारी के लिए कम से कम जो काश्तकारों के सम्बन्ध में कृषि डायरी बंटती है उनके अन्दर बीजों की जानकारी दे सकते हैं तो उत्तम होगा।

जो मैंने तीसरी बात कही है टाइमली आपरेशन की तो वह तो काश्तकार ही करेक्टली जानता है। जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है, सभापति महोदय, आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि कास्ट आफ प्रोडक्शन आज एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत मंहगी हो गयी है। फर्टीलाईजर की कीमत मेरी समझ में दुनियां के सब देशों से हिन्दुस्तान में ज्यादा मूल्य होंगे हालांकि 87 प्रतिशत लोग हमारे यहां खेती करते हैं और ज्यादा से ज्यादा आदमी हमारे देश में खेती पर लगे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो नये सीड्स हैं, फर्टीलाईजर है, आपका पानी है, जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है कल्टीवेटर की आप खुद मानेंगे कि डीजल का अभाव है, ट्रैक्टर के भाव बढ़ रहे हैं और फर्टीलाईजर का भाव बढ़ रहा है उसका कोई रैशो आपको एस्टेब्लिश करना चाहिए कि काश्तकार की जो उपज है और जिस भाव से काश्तकार अपनी उपज को बेचता है उसको किस रैशो में आप खेती में काम में ली जाने वाली चीजें जैसे फर्टीलाइजर है, डीजल है और दूसरी चीजें हैं जिसको वे काम में लेते हैं उसका कोई न कोई प्रपोर्शन तो बनाओ। तो यह तो डाइवरजन डाईरेक्शन में है और इससे एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वेरीयस डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वेरीयस टाइप के कल्टीवेटर्स में इरिगेटेड में और नान-इरिगेटेड में इनपुटस की कीमत क्या है और कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है और काश्तकारों को कितना फायदा मिला है इसका सर्वे करायें ताकि आपकी कृषि

(श्री जुझारसिंह)

सम्बन्धी नीति को आप व्यावहारिक बना सकें। आपके डिपार्टमेन्ट के पास ऐसा सर्वे नहीं है इसलिये डेफीनेटली नहीं कह सकते कि काश्तकारों को कितनी बचत है। एक गलत इम्प्रेशन मंत्री-मण्डल को और नेताओं में चलता है कि कृषकों के पास बहुत पैदावार है। यह सब इसलिए है कि काश्तकार के खर्चे का सही अन्दाजा नहीं लगाया जा सका है। इसलिए इसके बारे में भी जो है आपको ईमानदारी से सर्वे कराना चाहिए काश्तकारों के इन्ट्रेस्ट में और जो कुछ इनपुट्स में और उनके काम में आने वाली चीजें हैं उनको आप बेचने का प्रबन्ध करें तो कृषि की और भी उन्नति होगी।

सभापति महोदय, अभी तक मैंने जनरल बातें कहीं हैं और अब मैं अपने इलाके से सम्बन्धित दो-तीन बातें निवेदन करूंगा। सभापति महोदय, सांगोद पचायत क्षेत्र में आपकी इन्टेन्सिव एग्रीकलचर स्कीम पिछले दो सालों से चल रही है लेकिन इन दो सालों में आप अभी तक यह तय नहीं कर पाये हैं कि वहां पर सिंचाई के साधन जो हों वह डीजल से हों या पावर से हों। अभी कुछ दिन पहले राज्य के रिफाइनेन्स कार्पोरेशन द्वारा पावरलाइन्स के लिए 90 लाख का ऋण पंचायत समिति को स्वीकृत हो गया है, इस तरह की जानकारी मुझे मिली है, लेकिन वह कब तक लाइन डाल दी जायगी, और जिस ढिलाई और जिस ढील से यह सारा काम हो रहा है उसकी वजह से अभी तक काफी नुकसान हो गया है। अभी जो आपने डीजल सेट बांटे हैं और अब पॉवर लाइन आयेगी तो जिन काश्तकारों को डीजल सेट मिल गये हैं उनको बेचने का प्रॉब्लम होगा। उनको किस तरह से युटिलाइज करेंगे, और उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में जहां पर इस तरह की स्कीमें चल रही हैं और पॉवर की एवेलेबिलिटी में थोड़ी देर है तो उन डीजल सैटों का जो कि वहां के काश्तकारों के पास हैं उनका किस तरह से उपयोग हो सकता है या उनको उस तरह से ही बांटना पड़ेगा, उस बारे में आप ध्यान दें। मैं शुरू से ही यह निवेदन कर रहा था कि इस इन्टेन्सिव स्कीम के साथ-साथ पॉवर भी आना चाहिए। इस बारे में दो साल की डिले हो गई और दो साल की डिले की वजह से डीजल सेट आप बांट चुके हैं और अब वे सुपरफ्लुअस होगये तो दूसरे एरियाज में उनको युटिलाइज कर लें और उचित भाव पर दूसरे कल्टीवेटर्स को दिलवा सकें तो उनको नुकसान नहीं होगा और पावर वहां पहुंचाने के लिए जल्दी से जल्दी आप कोशिश करेंगे और वह कोरी कागजों पर सेन्क्शन होकर नहीं रहेगी। इसके बारे में मंत्री महोदय कुछ न कुछ करेंगे, और सांगोद सघन कृषि योजना को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे।

इसके साथ-साथ मेरा एक और निवेदन है। उसको भी मैं सम्बन्धित अधिकारियों और मंत्री महोदय से निवेदन कर चुका हूं। सांगोद पंचायत क्षेत्र में सिचाई के साधन कुओं के अलावा नदियां भी हैं। वहां पर गवर्नमेंट के डीजल सेट्स भी लगे हुए हैं लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि उन डीजल सेटों का आपरेशन जो कि राज्य सरकार द्वारा होता है--यह आपसे

(श्री जुझारसिंह)

सम्बन्धित मामला नहीं है, यह सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है, लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एक एकड़ के लिए डीजल सेट से सिंचाई करने के राज्य सरकार 152 रुपया प्रति एकड़ लेती है। यह कम से कम लिफ्ट का है। इससे ज्यादा लिफ्ट 30 फुट के ऊपर हो तो उसका 180 रुपया एकड़ केवल लिफ्ट चार्जेज के, इर्रिगेशन चार्जेज फार फोर वाटरिंग्स का लिया जाता है। तो इस तरह का जो एक्सपेन्सिव मेथड है इर्रिगेशन का उससे खेती की उन्नति नहीं हो सकती है ? इसलिए जहां पर भी इस तरह के साधन उपलब्ध हों––सांगोद पंचायत समिति का इन्तजाम तो कर दिया, लेकिन कोटा डिस्ट्रिक्ट में जगह-जगह नदियों की बहुतायत है तो इस तरह से सांगोद के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी लिफ्ट के बहुत से साधन हैं उनके ऊपर भी कृषि की उन्नति के लिए आपसे सम्बन्धित दूसरे विभाग हैं उन पर आप जोर दें कि जल्दी से जल्दी पावर लाइन उपलब्ध करायें ताकि सस्ती कीमत में वह अच्छी तरह से इर्रिगेशन कर सकें।

तो यही मेरा निवेदन है। इसके साथ–साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि कोटा स्टेट के टाइम में महकमा बन्धात द्वारा बान्धे गये सैकड़ों बन्धे हैं उनके लिए रेग्युलर मेन्टीनेन्स के लिए किसी तरह का प्रोवीजन करें। उनके लिए एडहॉक ग्रान्ट या एट रेन्डम ग्रान्ट दे देते हैं तो उसके लिए तो मैं आपको बधाई देता हूं कि पिछले साल या टू ईयर्स बिफोर आपने 2 लाख रुपये के करीब सेन्क्शन किये थे, लेकिन उसके बाद में पिछले साल कुछ नहीं हुआ और इस साल भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए अगर आप इनके रेग्युलर मेन्टीनेन्स के लिए कोई फण्ड या कोई प्रोवीजन नहीं करते हैं तो उनका जो लाभ वापिस मिलने वाला है वह नहीं मिल सकेगा। इसलिए मैं इन बातों के साथ जो मैंने निवेदन किया है उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

एक बात मैं पशु-विभाग से संबंधित मंत्री महोदय हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि चूंकि खेतों के पीछे इन्टेलिजेन्ट आदमी भी आने लगे हैं और खेती का महत्व बढ़ गया है और इसका रुतबा भी बढ़ गया है इसलिए इन आदमियों की ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी भी होने लगी है। चम्बल कमाण्ड एरिया में कम से कम ज्यादातर ट्रैक्टर्स और मेकेनाइज्ड खेती की तरफ ज्यादा चला आ रहा है इसलिए बुलक इकोनॉमी वाइप आउट होती जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि चम्बल एरिया में या जिस एरिया में सिंचाई के साधन बढ़ गये हैं तो वहां पर जो पशुधन का रिकगनाइज्ड ब्रीड है उसके बजाय बेटर ब्रीड वहां पर इन्ट्रोड्यूस करें क्योंकि चरनोटों के बिखरने के बाद तो कोई भी मवेशी रखेगा उसे मवेशियों को बान्ध कर रखना पड़ेगा और बन्धे हुए मवेशियों को खिलाना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा तादाद में दूध देने वाली वेराइटी की गायें और उसी किस्म के मवेशी चम्बल कमाण्ड एरिया में रख सकते हैं। इसलिए इस एरिया में बेटर ब्रीड, हरियाणा ब्रीड या बेटर मिल्क-यील्डिंग ब्रीड को इन्ट्रोड्यूस करें और उसके लिए फण्ड्स भी उपलब्ध करायें और उसको प्रोत्साहन भी दें...

श्री रामचन्द्र आर्य : 12–12 रुपयों में टोकड़िये लेते हैं और एक एक हजार रुपये उसके बांटते हैं।

श्री जुझारसिंह : सभापति महोदय, मैं बैठने से पहले कृषि मंत्री जी से एक बात और बता देना चाहूंगा कि कृषि मंत्रीजी आप एवरेज होल्डिंग्स आफ कल्टिवेटर्स इन वेरियस डिस्ट्रिक्टस एण्ड एरियाज हैं उनका सर्वे करवायें। आज मेकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ लोग–बाग बढ़ रहे हैं और मेकेनाइज्ड फार्मिंग ज्यादा इकोनामिकल वे आफ फार्मिंग है, इसको आप चाहें या न चाहें, लेकिन मेकेनाइज्ड वे आफ फार्मिंग करना पसन्द करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कृषि मंत्रीजी जी वेरियस एरियाज में एवरेज होल्डिंग्स का सर्वे करवायें और जो एवरेज होल्डिंग्स आती हैं और उन एवरेज होल्डिंग्स में किस तरह से मेकेनाइज्ड फार्मिंग होता है, किस साइज का ट्रेक्टर ज्यादा उपयोगी होगा उस एवरेज होल्डिंग के लिए तो ट्रेक्टर्स के लिए कारखाने आदि का जो कुछ भी आपका प्रोग्राम हो उसमें एवरेज होल्डिंग को ध्यान में रखते हुए इस तरह की मेकेनाइज्ड डिवाइसेज तैयार करें, और इस तरह के ट्रेक्टर्स बनाये जो कि एवरेज होल्डिंग या फेमिलीज हैं उनकी खेती इकोनामिकल वे में हो सके। जिस तरह के ट्रेक्टर्स आज आ रहे हैं वे एवरेज होल्डिंग्स के लिए बहुत बड़े हैं और एक्सपेन्सिव हैं। इस बात पर ध्यान देते हुए आगे का जो एग्रीकलचर का प्रोग्राम आये उसमें एवरेज होल्डिंग के फार्मर्स के लिए कौन से ट्रेक्टर्स, किस साइज के ट्रेक्टर्स उपयोगी होंगे, और उसके बनाने के लिए राज्य सरकार क्या करवा सकती है, इसके ऊपर भी आप ध्यान देंगे।

इतना ही निवेदन कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक पाइंट अर्ज करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा भी वह आया नहीं कट मोशन मंडी कमेटियों के बारे में प्रतिवेदन पेश हुआ। वह कहां लिया जा रहा है?

श्री नत्थीसिंह : वह हम कर लेंगे।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास।

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास (टोंक) : सभापति महोदय, कृषि विभाग की मांगों के अन्दर उदयपुर विश्व विद्यालय के लिए भी एक हैड बना हुआ है। उदयपुर विश्व विद्यालय राजस्थान के अन्य विश्व-विद्यालयों से अपवाद नहीं है और वहां की हालत बदतर है। जो कुछ भी अनुदान राजस्थान सरकार वहां देती है उसको खर्च करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई तरीका नहीं है, और सभी अनुदान का दुरुपयोग वहां पर किया जाता है। उदयपुर विश्वविद्यालय में जो इस साल दीक्षान्त समारोह होने वाला था, वह स्थगित हुआ है। उसकी कोई जानकारी आज तक नहीं है। 26 अप्रेल को बोर्ड आफ कण्ट्रोल की मीटिंग होने वाली थी, लेकिन उस मीटिंग में कोई डेमोक्रेटिक तरीके से डिस्कशन हो, किस तरह से वहां इस एड का उपयोग किया जाएगा, इसका लेखा जोखा कोई वहां ले सकता हो, ऐसा कोई तरीका नहीं है।

(श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास)

सभापति महोदय, कृषि विभाग पर अन्य सदस्य भी बोल चुके हैं। संक्षेप में उदयपुर विश्वविद्यालय की हालत जो इस समय है, उसे मैं निवेदन करना चाहूंगा। वहां वाइस चांसलर महाजनी इतने कमजोर और निष्क्रिय व्यक्ति हैं कि वहां का हर हैड आफ डिपार्टमेंट अपने को सर्वे सर्वा समझता हैं। एक और निवेदन करूंगा कि यह विश्व विद्यालय कृषि विभाग में लगा हुआ है। शुरू शुरू में ऐसा हुआ होगा। उदयपुर यूनिवर्सिटी एक रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी है। यह शिक्षा का क्षेत्र है। इसी तरह से बीकानेर में एक वेटेनेरी कालेज है। डा. मोहन सिंह वहां के प्रिन्सीपल हैं। उनको कोई चेक करने वाला नहीं है। उन्होंने इतनी अनियमितता पैदा कर रखी है कि कोई चेक करने वाला नहीं है। डा. मोहनसिंह एक बार वर्ल्ड टूर पर गये थे। तब के. के. व्यास वहां पर प्रिन्सिपल थे। बाद में के. के. व्यास की जगह दूसरे को अपाइण्ट किया गया। डा. के. के. व्यास का स्टेटमेण्ट तक नहीं लिया गया है। यह बहुत गम्भीर मामला है। विद्यालय में गबन हो जाये। इन सब मामलों में डा. महाजनी के कहने से डा. के. के. व्यास को चांस से हटा दिया गया। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां गायों का एक डेयरी फार्म चलता है। गायों को खराब बताकर उन्होंने काम में ले लिया है। एक डूंगरसिंह राजपुरोहित हैं। जो कि डा. महाजनी की लड़की का देवर है। उसको रिसर्च असिस्टेन्ट रखा है। एक अन्धे आदमी को चौकीदार रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान में सभी प्रकार की परम्परा है।

श्री मनोहरसिंह महता : आप कौन से मोहनसिंह की बात कर रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : ये मेहता नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मेरे लिए तो मेहता और मेहतर दोनों ही बराबर हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसी तरह से आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन आफिसर की जगह उन्होंने बी. वी. एस. सी. को ले लिया है। जब कि एम. वी. एस. सी. मास्टर की योग्यता के रखने वाले आदमी उपलब्ध थे। लेकिन उनको नहीं लिया गया है। इसी तरह से एक डिपार्टमेण्ट के अन्दर जोबनेर के अन्दर इण्टरव्यू हुआ। वहां भी एक बी. वी. एस. सी. को लिया और एम. वी. एस. सी. को रिजेक्ट कर दिया। वहां इस प्रकार की अवस्था है जिसकी जानकारी इस सदन के सदस्यों को किसी प्रकार की नहीं है। सभापति महोदय राज्य सरकार का इतना बडा खर्चा इस विश्व विद्यालय के अन्दर जाता है। और उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। यह स्थिति बहुत भ्रामक है। Autoramy is for prescribing acadamic standards, आटोनामी आटोक्रेसी बन जाय यह डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। यह बात समझ में नहीं आती है। मेरा सुझाव यह है कि एजुकेशन से कृषि विभाग को हटा दिया जाये। शिक्षा विभाग की मांगों के समय इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा। बीकानेर में 4-500 सीट बढा दी हैं। कालेज का हाल खराब हो रहा है। लोगों का रोजगार कैसे चलेगा? कभी कभी दो चार पांच को रोजगार मिल जाता है। तो कोई विशेष बात नहीं। आगे और लड़के पढकर सामने आयेंगे, उनकी कोई योजना

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नहीं हैं। एग्रीकल्चर ग्रेजुएटस बहुत से बेकार घूमते हैं। उनके सामने सामने यह तरीका है कि या तो वह खेती करें मार्डनाइज ढंग से। उनको यह आश्वासन दिया गया था कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएटस को काश्त दी जाएगी। इस आश्वासन के आधार पर कलेक्टर्स को सरक्युलर्स गये। यह प्रावधान रखा गया था कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को नहरी योजना में जमीन दी जाये। मैं यह मानकर नहीं चलता हूं कि जमीन नहीं मिली, लेकिन वह सब को नहीं मिल पाई है, एक दो एक दो को मिली है तो उनको कब्जा नहीं मिला है। यह अच्छा भी है। उनके अन्दर जो एजूकेशन है उससे राज्य सरकार को लाभ उठाना चाहिए। एग्रीकल्चर के अन्दर ही मैं निवेदन करूंगा कि एग्रोइण्डस्ट्रियल कारपोरेशन है। वह इसकी मिसाल है। सदन में उसकी चर्चा चल चुकी है। अभी भी चर्चा उठी है कि ट्रेक्टर्स का आवंटन लोगों को वाजिब तरीके से नहीं हो रहा है। अभी एक सूची पढकर सुनाई गई है। 182 आदमी हैं, जिनका वहां से रिट्रेंचमेण्ट किया गया है। माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वह कार्यवाही करेंगे। सभापति महोदय, कल वह मुझसे मिले थे। माननीय मंत्री महोदय भी सहानुभूति रखते हैं। उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि वह भी इसमें दखल नहीं दे सकते हैं।

तो, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि जितने ऑटोनोमस बोर्ड बना दिये जाते हैं वह राज्य सरकार के पैसे से बनाये जाते हैं, यह सदन उनको आटोनोमी देता है, उन पर इसलिए राज्य सरकार का अंकुश रहे- यह वाजिब और औचित्यपूर्ण बात होगी। जब पब्लिक फण्ड से पब्लिक मनी उनमें जाकर पहुँचता है तो उसका यूटीलाइजेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं-इस बात को देखने का इस सदन के माननीय सदस्यों को अधिकार होना चाहिए, और उसको देखने का संबंधित मंत्री महोदय का फर्ज है। तो, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको इस बारे में कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिये ताकि जो बेरोजगार हो गये हैं और उनकी जगह पोस्ट का नाम बदल बदल कर दूसरे नये लोगों को लिया जा रहा है, इस कार्यवाही को रोककर उनको ही लिया जाय।

कृषि विभाग के सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। कृषि के आधुनिक तरीकों का लाभ साधारण कृषक को मिलना चाहिये वह आज नहीं मिल पा रहा है। आज जब मॉडर्न, टेक्निक से खेती करने की बात करते हैं, जो खेती करने के तरीके ईजाद करते हैं, और जो मशीनरी बाहर से इम्पार्ट करते हैं और यहां काम में लेते हैं-उसका यूटिलाइजेशन आज बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े जागीरदार और बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा ही होता है। आज आपको, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े बड़े ट्रेक्टर यहां पर आते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति और जमीदार ही खरीदते हैं और कुछ लोग उन्हें किराये पर चलाते हैं। जो छोटे ट्रेक्टर हैं, बेबी ट्रेक्टर है, उनकी ओर राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। यह इस प्रकार के ट्रेक्टर जिनके पास कम मात्रा में जमीन है, जिनके

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
पास पैसा नहीं है कि बड़े बड़े ट्रैक्टर खरीद सकें, और न ही उनके पास इतना पैसा है कि हर फसल पर बड़ी बड़ी मात्रा म ट्रैक्टर का किराया अदा कर सकें, उनको यह बेबी ट्रैक्टर उपलब्ध हों-इसके बारे में कार्यवाही या प्रबन्ध राज्य सरकार की ओर से नहीं किया गया है . . .

श्री मनोहर सिंह मेहता : सचेतक जी, लाओ लाओ कुछ को ।

श्री रामकिशन : यहां तो केवल सप्त ऋषि रहते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जो मिनिस्टर हैं, उनको इसलिए विराजना पड़ता है, बाकी पांच सात है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बहुत हैं, बहुत हैं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अन्दर होंगे, यहां लाकर बिठाओ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मेहता साहब, सुनाना इनको है, यह यहां बैठे हैं।

श्री शंकर लाल : इनको सुनाना है, यह यहां बैठे हुए हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कुल मिलाकर मैं कृषि विभाग के सम्बन्ध में निवेदन करू . . .

श्री रामचन्द्र आर्य : अपने अपने कारोबार पर लगे हुए हैं, कोई बात नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इस बारे में राज्य सरकार और मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

अब, सभापति महोदय, वेटरनिरी पशु-पालन विभाग के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह वाक आउट कर गये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पशु-पालन मंत्री जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यहीं है, सुन रहे हैं ।

तो सभापति महोदय, पशु-पालन विभाग ऐसा विभाग है कि आज जहां पर बी.वी. एस.सी. हैं एक वेटरनिरी सर्जन से लेकर गांव के रिमोटेस्ट कार्नर, कन्ट्री साइड में जो वेटरनिरी सर्जन से लेकर अस्पताल में जो सबसे बड़े डाक्टर हैं उनसे लेकर डाईरेक्टर तक बी. वी. एस. सी. डिग्री होल्ड किए हुए हैं । सभापति महोदय, डाइरेक्टर तो, जहां तक मुझे जानकारी मिली है डिप्लोमा होल्डर हैं, वह डिग्री होल्डर भी नहीं है। आज इसके अन्दर क्लासिफिकेशन कर दिया गया है-जूनियर स्पेशियलिस्ट और सीनियर स्पेशियलिस्ट । सभापति महोदय, आज जो लड़के एम. बी. बी. एस. की डिग्री हासिल करते हैं, स्पेशियेलाइज्ड नॉलेज हासिल करते हैं, उनकी यूटिलिटी राज्य सरकार नहीं उठाना चाहती है। वह जाकर विश्वविद्यालय में लेक्चरार हो जायं-यह अलग मसला है, लेकिन यह राज्य सरकार उनका फायदा नहीं उठाना चाहती है। पशु-पालन एक महत्वपूर्ण विषय है, यह मानकर चलना चाहिए, और मैं स्वीकार करता हूं कि राजस्थान में पशु-पालन पर जितना ध्यान साधारण जनता को देना चाहिए वह नहीं देती है । लेकिन जनता

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पहले ध्यान नहीं देगी, पहला कर्त्तव्य तो सरकार का है। वह टेक्निकल एक्सपर्ट स्पेशियेलाइज्ड आदमी इस विभाग में रखे, अलग अलग ब्रान्चेज के डेवलपमेंट का काम करे और योग्य आदमियों को लाकर इसमें बैठायें-डाइरेक्टर के पद पर किसी अच्छे और योग्य आदमी को लाकर बिठायें। मेरा मतलब यह नहीं है कि वर्तमान डाइरेक्टर अच्छे और योग्य व्यक्ति नहीं है। वह अच्छे होगे, लेकिन डिप्लोमा होल्डर हैं, और सीनियरिटी के बेसिस पर एक कम्पाउन्डर को आप डाइरेक्टर नहीं बना सकते हैं। यह नहीं कह सकते कि यह कम्पाउन्डर है इसलिए इसको डाइरेक्टर बना दे। आखिर मेरिट, आदमी की क्लासीफिकेशन आदमी की नॉलेज भी मायने रखती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस डिपार्टमेंट में रिफार्म की करने इसके स्ट्रक्चर को बदलने की आवश्यकता है, इसको रुटीन तरीके से चलाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री, इस प्रकार का परिवर्तन इस विभाग में लाते हैं तो यह बहुत बड़ा काम विभाग में करके जायेंगे और अपना नाम भी इस विभाग में छोड़ कर जायेंगे।

सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। राणावत कमीशन के पहले वेटरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन और सिविल असिस्टेन्ट सर्जन की पे स्केल्स बराबर थीं। राणावत कमीशन ने सिविल असिस्टेन्ट सर्जन की पे स्केल्स तो बढ़ा दी और उनकी वही रख दी। सभापति महोदय, मैं आदमी और जानवर को बराबर करने की बात तो नहीं कहता, लेकिन आदमी के डाक्टर और पशुओं के डाक्टर के पे स्केल्स बराबर करने की बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि समाज में आज जानवर अनिवार्य अंग है, केटल ब्रीडिंग का धन्धा महत्वपूर्ण धन्धा है, क्योंकि गाय-भैंस इस प्रकार के जानवर होते हैं जिनकी उपयोगिता है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : जानवरों के डॉक्टर को जो तनख्वाह मिलती है, उससे मिनिस्टर को ज्यादा मिलती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं निवेदन कर रहा था कि इस विषय के अन्दर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए और वेटरिनरी असिस्टेन्ट सर्जन के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैय्या नहीं अपनाना चाहिए, उनके पे स्केल सिविल असिस्टेन्ट दें ताकि पशु पालन विभाग की अच्छी प्रकार से उन्नति कर सके।

तो, सभापति महोदय, यह दो बातें निवेदन करके मैं अन्त में यह निवेदन राज्य सरकार से और सम्बन्धित मंत्री महोदय से करना चाहूंगा कि कृषि विभाग के अन्दर, और पशुपालन विभाग के अन्दर खास तौर पर पशु-पालन विभाग में कुछ नई चीजें करने की आवश्यकता है। आज जो हालत है उसमें विशेष गड़बड़ी है या नहीं-इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आगे सुधार करके इस डिपार्टमेन्ट के स्ट्रक्चर को बदलने की बात हैं, कृषि विभाग से सम्बन्धित एग्रो-इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन की बात है, उस पर चैक मिनिस्टर साहब का पूरा पूरा होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी आफ उदयपुर की बात है, उसके सम्बन्ध में शिक्षा विभाग की मांग के वक्त मैं निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, कृषि विभाग के सम्बन्ध में मैंने जब यह पुस्तिका पढ़ी तो मुझे तीन तरह के काश्तकारों का ध्यान आया, मगर कृषि विभाग केवल दो तरह के काश्तकारों तक अपने आपको महदूद रखे हुए है। एक काश्तकार वह हैं, जिनको उन्नत किस्म के बीज मिलते हैं और उन्नत किस्म के बीज पैदा करके राज्य सरकार, पंचायत समितियों और कृषि विभाग को बेचते हैं। दूसरे वे हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, जो काला धन छिपाने के लिए खेत खरीदते हैं, खेती करते हैं और उनका केवल एक ही मकसद है, अन्यत्र कमाया हुआ काला धन छिप जाय। इन दो तरह के काश्तकारों के अलावा 98 पर्सेन्ट वह काश्तकार हैं, जिनके लिए मैं खेती को मुनाफे का नहीं, मजबूरी का धन्धा मानता हूं। यह कृषि विभाग अपने आपको केवल इस बात तक महदूद रख पाया है कि हमने किस प्रकार के उन्नत बीज किन किन को वेचा और क्या मुनाफा हुआ, क्या प्रगति हुई वह भी वर्षा पर आधारित है। इनकी सारी रिपोर्ट है उनसे साफ है कि वर्षा नहीं हो तो फिर कृषि विभाग के पास कोई काम नहीं है। विभाग कोई काम करे, राज्य सरकार कोई काम करे तो उसका रिटर्न काश्तकारों को मिलने वाला नहीं है। इसलिए शुरू में मैं यह बताना चाहता हूँ, जो उन्नत किस्म के बीज बांट कर कुछ काश्तकारों को पनपाया गया है, उसमें बड़ी मखौल विभाग के द्वारा चलती है। बीज दो तरह बांटा जाता है। खरीदते वक्त तय किया जाता है कि किस तरह का बीज खरीदा जायगा, बीज लेते वक्त यह घोषणा नहीं की जाती है कि इस तरह का बीज खरीदेंगे। नतीजा यह होता है कि लोगों के वेस्टेड इन्ट्रेस्ट बन गये हैं इसलिए उन्नत बीज के आस पास साधन सम्पन्न आदमियों का धन्धा घूमता है, इसलिए वह खेती को मुनाफे का धन्धा बनाना चाहते हैं। इसे कृषि विभाग को दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहिये। सभापति महोदय, कृषि विभाग ने ध्यान दिया होगा कि कृषि का धन्धा बिना मुनाफे का धन्धा क्यों है? आज सुनते हैं, यह चर्चा भी की गई है कि खेती से पैदा होने वाली चीजों के भाव निरन्तर गिर रहे हैं। क्या विभाग ने कभी इस बात की जानकारी की है, और हमारे नये कृषि मन्त्री, जो पिछले साढ़े तीन साल से बने हैं, जिनकी समाजवाद में बड़ी आस्था है, वह बराबर कहते हैं...

एक माननीय सदस्य : नये हैं।

श्री नत्थीसिंह : नये हैं सदन के लिए, डेढ़ साल के बाद में तो मन्त्री बने! उन्होंने कभी इस बात की जरूरत महसूस की है कि खेती में जितनी महनत किसान की लगती है, उसके हिसाब से किसान को भाव मिले। आज किसानों की पैदावार के भाव निरन्तर गिर रहे हैं। किसानों का बाजरा पैदा हुआ, अब की बार गेहूं पैदा हुआ, भाव इतने कम हो गये जिससे किसान को कभी भी मुनाफा नहीं हो सका। आज 76) प्रति क्विन्टल का भाव निर्धारित किया गया है। आज आप देखें किसानों को दूसरी जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं कितनी महंगी हैं, कपड़ा खरीदना पड़ता हैं सरकार के सहयोग से, कितनी कीमतें बढी हैं, लोहे की, सीमेंट की दूसरी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। क्या राज्य सरकार

(श्री नत्थीसिंह)

इस बात के लिए तैयार है कि इस तरह की कीमतों की नीति अपनायें जिसमें चाहे खेत में चीज पैदा हो, चाहे कारखाने में पैदा हो, उन दोनों के लागत दाम में और बिक्री दाम में सामंजस्य हो, नहीं तो तब तक खेती बिना मुनाफे का धन्धा रहेगा। तब तक किसान पिछड़ा हुआ रहेगा और दूसरा वर्ग उसका शोषण करता रहेगा और कृषि विभाग द्वारा इस ओर इस संबन्ध में ध्यान तक नहीं दिया गया है। ऐसा लगता है कि वे इस समस्या से परिचित नहीं हैं। चाहे खुद काश्तकार हैं जैसे मन्त्री, विधायक और नेता ही, उनको बीज मिल जाये लेकिन आम किसान की तरक्की नहीं होती। कृषि विभाग क्या करता है ? मैं तीन उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं।

एक तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें सिंचाई चाहिए। मैं सिंचाई पर कहूँ या पानी पर कहूँ तो मन्त्री कहेंगे कि यह विभाग दूसरा है और उनकी मांगों पर कहना चाहिये लेकिन खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पानी है। पम्पिंग सेट्स के जरिए, बिजली के जरिए सिंचाई होती है। आजकल कई योजनाओं का जिक्र किया गया है और कई बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है। एक समिति बनाई गई है जो तय करती है कि कौन से पम्पिंग सेट्स चलाने चाहिए। क्या कीमत होनी चाहिए, कौन से माने जायेंगे। तीन आदमियों की समिति है। मेरा अनुभव है कि उस कमेटी द्वारा अच्छे से अच्छे पंपिंग सेट्स को अप्रूव नहीं किया गया। दूसरे दर्जे के पंपिंग सेट्स को एप्रूव किया गया, उसके बाद रिपोर्ट भी एप्रूव की गई। आज बड़ी लाईन लगी हुई है पंपिंग सेट्स को एप्रूव करने की यह मखौल है। एक ओर 31 मार्च तक एप्रूव किया उसके बाद फिर एप्रूव करेंगे। हर एप्रूवल के बाद पम्पिंग सेट्स की कीमत बढ़ाई जाती है। आज तक इस तरह से कई बार हुआ है। क्यों बढ़ती है ? जब डीलर्स से बात करते हैं तो कहते हैं कि एप्रूवल कराने पर बहुत खर्चा करना पड़ता है, वह खर्चा कहां से आए ? वह काश्तकार से आएगा। कृषि विभाग इस बात की मांग करते हैं कि प्राइस लिस्ट जो पंपिंग सेट्स की है, वह किसी तरह से भी स्थिर रहे, पंपिंग सैटस काश्तकारों को सस्ते दामों में मिले या पब्लिक सैन्टर में या कोआपरेटिव सेन्टर में पंपिंग सैट्स का कारखाना लगाये जिस पर राज्य का कन्ट्रोल हो जिसके जरिए किसानों को सस्ते और सही तौर से पंपिंग सैट्स मिलें। लेकिन यह नहीं होता। हर साल बदलते रहते हैं।

दूसरी बात, इसमें मैंने, जब वित्त मंत्रीजी बोल रहे थे, इस बात के लिए ध्यान आकर्षित किया था कि प्लोज के नाम पर छूट दी गई, किसान इन प्लोज को खेती के काम में लेता है इसलिए सैल्स टैक्स पर छूट है। परसों डी. सी. एम. की बात हो रही थी कि फाइबर और यार्न में डिस्टिंक्शन किया जा रहा है, 4 करोड़ का सैल्स टैक्स था, उसके लिए राज्य सरकार को इतना धैर्य है कि वह निरंतर भारत सरकार, कंपनी के वकील और दूसरे वकीलों से सलाह मशवरा करते हैं, टैक्स नहीं वसूल कर रहे हैं लेकिन प्लोज के नाम, किसान जिसकी उन्नति के नाम कहते हैं ट्रैक्टर पर दो परसेंट का टैक्स

(श्री नत्थीसिंह)

और हलों पर 7 प्रतिशत का टैक्स लेकिन कृषि विभाग को कोई मतलब नहीं कि किसान पर क्या हो रहा है।

पिछले सदन में भी मैंने मामला उठाया था और मंत्री महोदय ने जवाब दिया था। उसके बाद देखा कि जर्मन ट्रैक्टर्स जो कार्पोरेशन द्वारा दिए गए किसानों को, आपने यह किया कि उसके बाद वापस लिए जाने लगे लेकिन कीमत कितनी 13-14 हजार में किसान ने खरीदा और 4 हजार कम करके किसान से कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर वापस करो। 4 हजार कम दिए जाते हैं, इससे किसान की बेहतरी होगी ? डिमानस्ट्रेशन आपने दिया, घोषणायें की, प्रचार किया उसके बाद किसानों को ट्रैक्टर्स दिलाये।

श्री दिग्विजयसिंह : इनको राय दे दें कि संजीव गांधी कार के बजाए ट्रैक्टर बनायें।

श्री नत्थीसिंह : यह राय उन्होंने सुन ली।

श्री मनोहरसिंह मेहता : दोनों बनायें।

श्री नत्थीसिंह : किसान ने पाप नहीं किया है। कार्पोरेशन ने ट्रैक्टर दिये हैं। सारा कम्पेन्सेशन राज्य सरकार को देना चाहिए वरना दूसरे प्रकार के ट्रैक्टर्स लाकर सप्लाई किए जाने चाहिए लेकिन इस ओर विभाग का ध्यान नहीं। शायद किसानों के नाम पर बहुत कुछ होता है वोटों के मामले में लेकिन उनके हितों की रक्षा का जब मामला आता है सब लोग सो जाते हैं।

दूसरी बात मैं बिजली विभाग से सम्बन्धित कहना चाहता हूं जिसके सम्बन्ध में हमारा कृषि विभाग मौन है। किसान जब बिजली मांगेगा तो सब को पता है कि इतना रुपया देगा तब एक कनेक्शन मिलेगा। अगर बीच में किसान को 5 बिस्वा की एक जगह पर उनका पम्पिंग सेट फेल हो गया, दूसरी जगह लगाना है तो रिश्वत दे दी तो ठीक है नहीं तो जब फसल काटी जाएगी तब बरबाद हो जाएगा। कृषि विभाग को किसान का स्पोक्समन होकर काम करना चाहिए केवल पोस्ट ऑफिस के रूप में काम नहीं करना चाहिए और जब तक आप इस तरह से काम नहीं करते तब तक कृषि विभाग से कोई बहुत बड़ा फायदा किसान को नहीं होने वाला है। इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कारगर कदम उठाने चाहिए।

किसान को जो बीज दिया जाए उसके सम्बन्ध में कई बार कहा कि जो बीज दिया गया उगा नहीं, जांच करायें, लेकिन जिन अधिकारियों ने वह बीज खरीदा था उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ ? पिछली बार मैंने प्रश्न उठाया संकर बाजरा नहीं उगा, आपने कहा जांच करायेंगे लेकिन उसके बाद क्या कार्यवाही की, इस सदन को पता नहीं।

कई बार हमने कहा किसान की सुरक्षा के लिए उसकी खेती है। कृषि मंत्री ने कहा कि फसल बीमा योजना जिसके बारे में हम बारबार कहते हैं केन्द्रीय स्तर पर की गई है और जल्दी ही लागू की जाने वाली है जिससे किसान के फसल की सुरक्षा हो अकाल से, सूखे से और दूसरे देवी प्रकोपों

(श्री नत्थीसिंह)

से, कुछ हो तो उनको मिल पाए। उस तरह हम निश्चित होकर बैठ जाते हैं, तो किसान की कोई सुरक्षा नहीं। कृषि विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, इन बातों पर विवरण नहीं है।

कुछ बातें नहीं गई हैं। एक बात कही गई है कि इस रिपोर्ट में कि 16 सिंचाई योजनायें चालू की हैं और वह 9.91 करोड़ की योजनायें होगी, उनमें से कुछ योजनाओं पर काम भी चालू हो गया लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, चाहे नदबई हो, चाहे रामगढ़ हो राज्य सरकार की नीति में सदैव अस्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। एक तरफ कृषि विभाग के प्रोजेक्ट ऑफिसर दूसरी तरफ सहकारी विभाग में ए. आर. ऑफिसर नियुक्त किये जाते हैं। उनके पास जीपें होती हैं। काम ऐसा होना चाहिए कि जिस क्षेत्र की योजना आई है, पूरी ऐरिया का पहले टेक्नीकल प्लान बनाया जाए। और उसके आधार पर किसानों को कर्जा मिला है, सिंचाई के जरिये से क्रॉप पेटर्न सम्हालें इस काम में स्टाफ होना चाहिये, किन्तु इसके विपरीत स्टाफ इन्ट्रेस्टेड है कि कर्जे की दरख्वास्तें हमारे थ्रू होनी चाहिये। बार बार रिप्रेजेन्टेशन देने पर भी समर्थन में प्रोजेक्ट ऑफिसर के पास प्रार्थना-पत्र जाने के लिये जोर दिया गया है। किसान खुद अपनी अक्ल से जो कुए बनाते हैं, मीठा पानी उनमें मिलता है। आपके टेक्निकल लोग उनको परेशान करते हैं। होना तो यह चाहिये कि प्रोजेक्ट का जो अमला है वह इस बात पर जोर दे कि किसान ने कुआ बना लिया तो क्रॉप पेटर्न किस प्रकार उसका सुधरे। डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिये। एक तरफ प्रोजेक्ट ऑफिसर नहीं होगा तो खर्चे में भी बचत होगी और डुप्लीकेशन आफ वर्क की आवश्यकता नहीं रहेगी।

काश्तकारों को बड़ी मुश्किल से कर्ज मिलता है। उनको जगह जगह जाना पड़ता है। इसको आपको दूर करना चाहिये और जितनी सहूलियत हो वह उसको मिलनी चाहिये।

इसके साथ साथ यह कहूं कि आपने लघु सिंचाई योजना कृषकों के लिये चलायी। अभी शुरूआत हुई है। कहां से तो फन्ड्स आवेंगे? साधन यदि बैंकों के पास होंगे तो उनको ऋण देंगे। यही बात स्पष्ट तौर से रिजर्व बैंक के लोग कहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा समय दें। काफी पोइन्ट्स रह गये हैं।

श्री सभापति: आपके दस मिनिट हो गये हैं।

श्री नत्थीसिंह: मैं कहना चाहता हूं कि आज क्या हो रहा है कि केवल स्टाफ देने की बात हो रही है। अनुदान देने की बात चलती है। कानून नहीं है। वित्त मंत्रीजी को पता नहीं है। चण्डीगढ़ में मिटिंग हुई। लघु विकास योजना में ऑफिसर्स को भेजा। लैंड मोर्टगेज बैंक और नेश्नेलाइज्ड बैंक ने इतना लोन दे दिया और 25 पर्सेन्ट धनराशि और अनुदान के रूप में देंगे। हम कहते हैं कि

(श्री नत्थीसिंह)

सब योजना को क्यों मिलाते हैं । किसान को कर्जा मिले, चाहे पम्पिंग सैट के लिये कर्जा मिले, अच्छे पशु और बैल के लिये कर्जा मिले। जितनी लागत है 3/4 कर्जा और 1/4 अनुदान मिलना चाहिये । जिस एजेन्सी से लोन मिले 3/4 कर्जा माने और 1/4 अनुदान माने । यह नहीं कि ऋण दे दें और फिर 25 परसेन्ट अनुदान के दे दें। हम यह बात हमारे जिले में यह हम देख रहे हैं । प्रोजेक्ट ऑफिसर से चिट्ठी जाती है । इससे सारी योजना गड़बड़ होगी ।

एक तरफ लघु सिंचाई योजना और दूसरी तरफ मार्जिनल फॉरमर्स की योजना है । इसको एक्जीक्यूट कोआॅप-रेटिव्ज के जरिये से करेंगे न रिजर्व बैंक यह कहता है कि जितनी अच्छी हालत होगी उतना ही पैसा मिलेगा ज्यादा नहीं। एक तरफ कृषि मंत्री कहें कि ज्यादा पैसा मिल जाय और दूसरी तरफ सहकारिता मंत्री कहते हैं कि बैंक की यह स्थिति है इसलिये वसूली करो और फन्ड्स बनाओ । उनका मतलब यह स्थिति है इसलिये वसूली करो और फन्ड्स बनाओ । उनका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रॉन्सफर किये जायं ।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यदि कृषि को उन्नति करना चाहते हैं और कोआॅपर-टिव्ज को भी चलाना चाहते हैं तो कृषि मंत्रालय अलग मंत्री के पास और सहकारिता मंत्रालय दूसरे मंत्री के पास यह अलग अलग चल नहीं सकते । दोनों को एक साथ होना चाहिये ।। एक मंत्री तो रुपया काट रहा है और दूसरा मंत्री रुपया दिला रहा है, और किसान बीच में मर रहा है। आप किस राजनीति का शिकार हुए कि कोआॅपरेशन से आप हाथ धो बैठे । विचार करने की मुख्य मंत्रीजी को फुरसत नहीं है। सुनियोजित ढंग से योजना की रग-रग होनी चाहिये वे नहीं हो सकेगी । इसलिये मुख्य मंत्री महोदय को इस पर निर्णायक कदम उठाना चाहिये । होम मिनिस्टर को विभाग की जरूरत है तो ट्रान्सपोर्ट या और कोई मंत्रालय उनको दे दें। किन्तु सहकारिता को तो कृषि मंत्रीजी को देना चाहिये ताकि सुनियोजित ढंग से काम हो सके ।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि भू-जल मंडल के जरिये रिपोर्ट दी है और लघु सिंचाई योजना चलती है, एक काम यह करते हैं कि इतनी दूर पर कुआं बनाना चाहिये, कहीं 51 मीटर, कहीं तीन सौ मीटर। कोआॅपरेटिव एजेन्सी ऋण देती है उस पर तो रोक लगा दी है कि इतने मीटर पर कुआ होगा तो मिलेगा । लघु सिंचाई योजना अपने पास से बनाते हैं । नतीजा यह है कि जो किसान बेबस हैं उस पर तो यह तलवार लटकती रहती है और दूसरों पर नहीं । या तो कानून बनेगा कि इतनी दूरी पर कुआ नहीं बन सकता । भू-जल मंडल का यह आधार होता है कि इतनी दूरी पर पानी न देने से जल स्रोत सूख जावेंगे । किसान खुद वर्षों से अपने मस्तिष्क से विचार करके कुआ बनाता आ रहा है और खेती करता

Page No 144

(श्री नत्थीसिंह)

आ रहा है। उस पर यह पाबन्दी लगाओ यह उचित नहीं है।

जहां देखते हैं वहां यह हाल है कि जो छोटा काश्तकार है, ज्यादा गरीब है तो उसको कर्जा नहीं मिलेगा कुए के लिये। भू-जल मंडल से कहिये कि भू-जल मंडल गहरे कुए खोदे, किसानों को सस्ती रेट पर भी पानी मिले।

तब यह ठीक हो सकता है। कई जगह परीक्षण करके छोड़ दिये हैं और सेवायें जिस तरह से उपलब्ध होनी चाहिये वे नहीं हो रही हैं।

एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपने इसमें बहुत कुछ इस बात पर जोर दिया है कि हमने नई तरह के बीज, कीटाणुनाशक औषधियों से कृषि को संरक्षण दिया। खाद के लिये भी सहकारी समिति से छीन कर आपने प्राइवेट एजेन्सी को दे दिया। क्रय विक्रय संघ ने दो करोड़ की गारन्टी दी थी, समय पर खाद ला सकता था। चिट्ठी लिये। किसानों को कुल मिलाकर खाद का टोटा रहा। कहा यह यूरिया को प्रयोग में लाओ। आपके जो कृषि फार्म हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, वहां पर क्यों इस बात पर जोर देते हैं कि हमें सी.एन. मिलना चाहिये। आप कहते हैं यह ठीक है। इन एजेन्सीज पर आप निर्भर रहते हैं और वे वी.एल.डब्ल्यू और ए.इ.एन. पर। कारगर काम नहीं कर रहे हैं। इनको बदलना पड़ेगा। लुधियाना यूनिवर्सिटी में यह इन्ट्रोड्यूस किया है तीन महीने ट्रेनिंग कैंप रखते हैं जहां पर किसान को ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रकार के ट्रेनिंग सेन्टर्स आप अलवर, गंगानगर और भरतपुर में खोलिये। जो किसान चाहे व यह ट्रेनिंग करे और किसानों में यह बात फैले एग्रीकल्चरल लैंड के सम्बन्ध में अभी टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जमीनें मिली। मेरे जिले के लोगों को भी मिली। कमाण्ड एरिया में मिली। पर कहां मिली या मिलेगी? पाकिस्तान के बोर्डर एरिया में मिलेगी।

फिर किसान को अपनी उपज की कीमत की गारन्टी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। कृषि उपज मण्डियों की स्थापना इस कारण से आप करते हैं। इस सम्बन्ध में मेरी शिकायत है मन्त्रीजी से। मैं पड़ौसी जिले का हूं उनका। वे भी राजनीति में काम करते हैं, मैं भी करता हूं। मण्डियों के लिए अगर हम पूछते हैं तो लोग कहेंगे शोभारामजी ने नहीं लगने दी। कहते हैं ये कहीं चली नहीं तो? फिर भरतपुर में क्यों जोर देते हैं? मन्त्रीजी आपकी तस्वीर इससे धुन्धली पड़ती है। अलवर में कृषि उपज मण्डियों को चालू कर दें। झगड़ों को मिटाकर उनकी स्कीम को क्रियान्वित करदें ताकि हमारे जिले का भी पाप कटे।

आपने जहां कृषि उपज समितियां बना रखी हैं। उनकी हालत काफी पतली बना रखी है। उनको किसी तरह की सुविधा नहीं दे रखी है। नल बिजली या रोशनी की किसी की भी। आपने इनकी सुविधा स्वयं थोड़ी कर दी क्या हुआ? आपको मालूम है एक नया पैसा खर्च करने का अधिकार इन कृषि उपज समितियों को नहीं दे रखा है। सारा अधिकार मार्केटिंग अफसर को सौंप दिया है। वहां से मन्जूरी

(श्री नत्थीसिंह)

आवेगी तब ये समितियां कुछ कर सकेंगी। अगर उनकी अनुमति के बगैर एक पैसा भी खर्च कर दिया तो वह कट कर दिया जायगा। आप उनको पूर्ण अधिकार दीजिये। आप परपज डिफाइन कर दीजिये। पर रोजमर्रा के लिए खर्च के लिए भी आप उनको नौकरशाही के हवाले कर देते हैं तो यह गलत परम्परा है। इन्हीं कारणों से कृषि उपज मण्डियां आज काम नहीं कर पा रही हैं।

नाहर साहब बोल रहे थे बहुत दिनों से कह रहे थे कि चुनावों का इनका तरीका बदलेंगे। आपने कुछ स्कीम तैयार भी की पर वे सब कागज आज कोल्ड स्टोरेज में पड़े हैं आपके। उनका कब नम्बर आवेगा, कोई कुछ कह नहीं सकता ?

अन्त में केवल पशु-पालन विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। राजस्थान में पशु-धन हिन्दुस्तान के सब जिलों से अधिक है। पर इसके लिए सरकार के पास कोई योजनाबद्ध तरीके से इसकी वृद्धि का कोई साधन नहीं है। इस तरफ पशु विभाग का भी ध्यान नहीं है। पशुधन बढ़े, समृद्ध हो, फलेफूले और पशुपालक की दशा सुधरे। इसके लिए मुख्यतया राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा अधिक उपयुक्त है उनका मुख्य धन्धा पशु-पालन है अधिकतर। पशु और पशुपालन किसान की रीढ़ की हड्डी है। खेती में इसका बहुत बड़ा महत्व है और बड़ा भारी योग है।

समाजवाद में चमत्कार आ सकता है। अगर इस पशुधन को इसका उचित स्थान और महत्व दिया गया तो। इससे समाजवाद का आधार स्पष्ट और सुदृढ़ हो सकता है। इससे जनता को आप गरीबी का एक स्थायी हल दे सकते हैं। मुझे आशा है कि सरकार इन सुझावों पर ध्यान देकर इसकी गरीबी का स्थायी तौर से हल निकालने की दिशा में अग्रसर होगी। तो ये पशु विभाग केवल आपका ऐसा प्रचार का साधन न होकर किसानों को पूरी तरह संरक्षक के तौर पर हो सकेगा, ऐसी आशा है।

श्री सभापति : कृषि मन्त्रीजी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, इस पर मैं बोलना चाहूंगा। जब आपने सब को समय दिया है तो हम भी निश्चित रूप से बोलेंगे।

श्री सभापति : नत्थीसिंहजी और आप सब मिल कर ले लें। आपने अपना समय फिर उनको क्यों दिया ?

श्री मनोहरसिंह : हमने अपना कोई समय उनको नहीं दिया। हम तो अपना पार्टीवार जो समय होगा वह लेंगे, और इसलिए हर हालत में बोलूंगा मैं तो। निर्दलीय के रूप में निर्दलीय सदस्यों को भी समय दिया गया है।

श्री सभापति : आप उनके शामिल हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : होता तो कभी का बोल जाते।

श्री सभापति : आप पांच मिनट में समाप्त करिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तब बोलता तो पांच मिनट में करता। पर अब तो अपना दल का पूरा समय लूंगा। निर्दलीय को भी समय मिलना चाहिए।

श्री रामकिशन : आप तो सर्वोदयी हैं निर्दलीय नहीं हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : सभापतिजी खेती, खेत, और गोपालन ये अगर तीनों विभाग एक मन्त्रीजी के पास होते तो काम चलता। पर आज तो हालत यह कर रखी है इस सरकार ने कि इन तीनों को अलग अलग बिखेर रखा है। फिर तरक्की हो तो कहां से हो? खेती एक के पास, तो खेत दूसरे के पास और गोपालन तीसरे के पास। अगर ये मच्छी, सूअर और मुर्गी-पालन आप अलग अलग को दे देते तो हर्ज नहीं था, पर खेती, खेत और गोपालन ये एक मंत्री के हाथ में ही रहना चाहिए था। इनका आपस में अटूट सम्बन्ध है।

इसमें शक नहीं कि खेती की दिशा में राजस्थान में और मेरे भीलवाड़ा जिले में भी अच्छी तरक्की हुई। काफी उत्पादन बढ़ा है। पर अगर खेत भी गरीब किसानों के पास महनती किसानों के पास होते तो यह उत्पादन बहुत अधिक बढ़ता। पर राजस्व मन्त्रीजी ने क्या किया। कई खेत पंचायत समितियों को दिए और कई खेत उनको दिये जो हाथ से खेती नहीं करते पर तिकड़मी आदमी जो थे, मैं इनको तिकडमी ही कहूंगा प्रभावशाली नहीं।

अब दूसरों से खेती करवाते तो माल कितना पैदा होगा? अन्दाज लगाइये आप। भीलवाड़ा जिले भर में जहां जहां पंचायत समितियों के खेत हैं सभी में नुकसान है। अगर यह महकमा एक मन्त्री के पास होता तो वे इस पर ध्यान देते और सोचते समझते कि यह जमीन असली हाथ से काम करने वाले किसान को क्यों नहीं दी गई? इससे खुशहाली आती, बेकारी मिटती। इन पंचायत समितियों को देने से इसके विपरीत हरामखोरी और बेकारी बढ़ी। अब पैदावार बढ़ाना चूंकि आपका कर्तव्य है इसलिए आप अपने साथियों को मजबूर करिये कि यह काम आवे और किसी सहकारी समितियों को खेती की जमीन देनी चाहिऐ। आप जाकर देखिये तो सही कि सहकारी समितियों के इन फार्मों की क्या हालत हो रही है? जमीन पर महनत तब होगी जब व्यक्तिगत रूप से हाथ से खेती करने वाले सही किसान के पास खेत जावेंगे। उस हालत में उत्पादन अन्न का इतना बढ़ेगा कि आप अपने यहां क्या, दूसरी जगह भी अनाज बेच सकते हैं।

कृषि अधिकारियों को विकास अधिकारी बनाया जा रहा है। यह मत करिये। इन अधिकारियों को पहले धुन रहती थी कि किस तरह से पैदावार बढे पर जब से आपने विकास अधिकारी बनाने का रास्ता खोल दिया है तब से उन्होंने दिलचस्पी लेना कम कर दिया है। विकास अधिकारी बनने का चस्का उनको भी लग गया है। जीपों से उनकी भी मुहब्बत बढ़ गई है। फिर वह खेत में ध्यान नहीं देंगे। पर फिर प्रधान की हाजरी बजाने में अपना मन लगावेगा। विकास अधिकारी प्रधान का ताबेदार बन कर रह गया है। प्रधान जो कहता है वह करता है। इसलिये निवेदन करता हूं कि

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

एस. ए. ई. ओ. को आप ए. ई. ओ. ही बने रहने दें। अगर उसको तरक्की देनी है तो वही दे दें अगर आप खेतों की ओर खेती की तरक्की चाहते हैं तो उसे अगर आपने प्रधान के अण्डर में कर दिया तो वह खेत की तरफ देखना भूल जावेगा, वह तो यह करेगा कि अगर किसी मास्टर को प्रधान ने कहीं भेज दिया है और गैर हाजिर है तो भी उसकी हाजिरी करेगा।

ग्राम सेवकों के तबादले भी आप करते रहिये। वर्षों से आपने नहीं किये। आठ दस सालों से वह एक ही जगह बस गया है। उसके खुद के इन्ट्रेस्ट क्रिएट हो गये हैं इधर उधर के कामों में। इसलिए अपने कामों में दिलचस्पी लेता है वह सरकारी कामों में दिलचस्पी लेना बन्द कर दिया है। काम अपना करता है और तन्ख्वाह सरकार से लेता है। तो इनके तबादले करिये दूसरे जिलों में भेजिये। दो सौ ढाई सौ रुपयों की तनख्वाह के लिये इन्जीनियर लोग तरसते हैं हिन्दुस्तान भर में कहीं भी जाने को तैयार हैं तो उनका भी आप एक जिले से दूसरे जिले में तबादला करिये। कठोर बन कर तबादले करिये हर पंचायत समिति में आप कुछ ऐसा प्रबन्ध करिये कि ग्राम सेवक और एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर अपनी शक्ति लगा सके किसानों के साथ मिलकर। बहुत कहा जाता है कि किसान समझता नहीं। नये तरीके अपनाता नहीं। किसान व्यवहारिक व्यक्ति है। अनादि काल से वह धरती का पुत्र रहा है, हमसे अधिक समझदार है धरती से धन पैदा करता रहा है, हम उसको नासमझ कहें यह हमारी ही नासमझी है। उसको विश्वास होना चाहिये आपके इन नये तरीकों में। आप विश्वास पैदा करिये। विश्वास हो गया तो किसान तत्काल पकड़ेगा। सरलता से वह आपके प्रवाह में नहीं बहेगा।

आप कहते हैं खेतों में सोना कल्याण पैदा करो। पर अगर उसके साथ साथ नये औजारों का, खाद–पानी का सुव्यवस्थित और पक्का प्रबन्ध आपने अगर नहीं किया तो वह सोना कल्याण उसके लिए कथीर कल्याण हो जावेगा। फिर भावों पर भी आपका कन्ट्रोल नहीं है वह सोना कल्याण किसी तरह मेहनत करके खर्च करके पैदा भी करे और भाव गिर गये तो उसके लिये तो कल्याण हो गया वह।

आज प्राईवेट लोगों से आपकी सांठगांठ है। बीज वे अपने फार्मों में पैदा करके सात आठ रुपया किलो में बेचकर अनाप–शनाप मुनाफा कमा रहे हैं। आप अपने फार्मों में बीज तैयार करिये। आपके फार्म फिर किस काम के हैं। अपने फार्मों में अच्छी बीज तैयार करके सस्ता बेचिये तो स्थिति बदलेगी। प्राईवेट सीड प्रोड्यूसरों के जाल से इनको निकालिए।

सीड प्रोड्यूसर लाभ उठाते हैं या नहीं इसका सहज ही अनुमान हो जाता है क्योंकि वे शिष्टाचार टैक्स दूसरों को देना पड़ता है फिर मुनाफा उनको नहीं मिलता है। शिष्टाचार इसको अब मैं इसलिये कहता हूं कि अब में रिश्वत इसको नहीं मानता हूं। रिश्वत तो वह होती है जहां पर कि 100 में से 5 लोग इसको करते हैं। किन्तु अब तो 100 में से 95 लोग यह कहते हैं तो यह शिष्टाचार टैक्स हो

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
गया । यह शिष्टाचार टैक्स है । कृपा करके आप इसको भी देखिये ।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करना है कि खाद बहुत मंहगा मिल रहा है । कृपा करके यह खाद और मंहगा न हो इसका इंतजाम कीजिये । आज 55 रुपया गेहूं का भाव हो गया है । अब कल ही रेडियो पर अनाउंसमेंट हुआ है कि सरकार 72/76 के भाव से खरीदेगी । कहां खरीदेगी किस किस का खरीदेगी और कितना खरीदेगी, यह एक पेचीदा समस्या है । इसलिये मैंने निवेदन किया है कि कृपा करके इस बात को भी ध्यान में रखेंगे ।

अब गोपालन के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा । गांधीजी ने यह कहा था कि "गऊ माता का मां से ज्यादा हमारे ऊपर ऐहसान है । दो वर्ष दूध पिलाने के बाद मां यह आशा करती है कि बच्चा बड़ा होगा और यह मेरी सेवा करेगा लेकिन गौ माता जीवन भर हमको दूध, घी, छाछ, मक्खन देती है और उसके बदले में हमसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करती है, और मरने के बाद उसका चमड़ा और हड्डी भी हमारे यहां काम में आते हैं । फिर भी हम गौ माता की रक्षा नहीं कर रहे हैं । जिस तरह ग्रामोद्योग मर रहा है, और बड़े बड़े कल कारखाने लग रहे हैं, लोग मजदूरी के लिये भाग रहे हैं, यही हालत आज गोपालकों की हो रही है । गाय को हम अनुपयोगी बनाते जा रहे हैं । डालडा मिल खोल रहे हैं । कोई असली घी को लेकर बेचने जाता है तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता उसको कहते हैं क्या पता तुम इसमें डालडा मिलाकर लाये हो । ट्रैक्टर चलाकर आप खुश हो रहे हैं परन्तु भारत की जो परिस्थिति है, खेतों के जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं, राजनैतिक दलों ने आज उनको बखेर दिया है । बैलों की तादाद आज दिनों दिन कम होती जा रही है । गाय अनुपयोगी होती जा रही है । इस देश में पैंतालीस करोड़ गौ पूजक भी रहते हैं । चाहे राजस्थान में गाय न कटती हो, हिन्दुस्तान के कई हिस्सों में गायें कटती हैं । इससे बढ़कर शर्म की बात और नहीं सकती । क्या कारण है । कुछ लोगों को खुश करने के लिये आप यह कराते हैं ।

श्री सभापती : आपके राजस्थान में तो यह समस्या नहीं है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पड़ौसी राज्यों में तो यह हो रहा है । इसका परिणाम आज सामने आ रहा है । एक बछड़ा एक या डेढ़ हजार का मिल रहा है । छोटे किसानों के लिये इसको खरीदना मुश्किल हो रहा है। पड़ौसी राज्यों में यह समस्या है वहां यह कैसे हो रहा है एक दिन यह आयेगा और आपको यह मालूम होगा कि फर्टीलाइजर खाद से आपके खेतों की हालत क्या हो रही है यह तब सम्भव है जब आप गांव गांव में एक अच्छा सांड दें । दो-तीन साल में आपको इसका नतीजा मालूम हो जायेगा । अगर गांवों को एक एक सांड ही आप दे दें तो गांवों में पांच सालों में हजारों बछड़े उछर जायेंगे । इसकी तरफ भी आप ध्यान दें मैंने यह संक्षेप में ही निवेदन किया है । बार बार सभापति महोदय मेरी तरफ देख रहे हैं लेकिन में आपकी मार्फत, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सौभाग्य की बात है कि

Page No 149

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
निष्ठावान मंत्री यहां बैठे हुए हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि कृपा करके आप खेती की ओर भी ध्यान दें। गोपालन और पशुपालन की ओर भी बराबर ध्यान देने की कृपा करें। हमारे नत्थीसिंहजी तो यहां यह कहा है कि सहकारी विभाग आपके पास होना चाहिये। यह सब विभाग तो कैसे एक के पास हो सकते हैं ? परन्तु ये तीनों ही, खेती, खेत और गो-पालन आपके पास आ जायं तो मैं समझूंगा कि बहुत बड़ा काम हो सकेगा।

श्री जगन्नाथ पटेल : सभापति जी···

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय···मैं

श्री जगन्नाथ पटेल : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा····

श्री सभापति : आप तो शुरू में ही बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने शुरू में नहीं दिया तो आखिर में ही सही····

श्री गोरधन सोनी : हमारी पार्टी का पूरा समय नहीं हुआ है····

श्री रामानन्द अग्रवाल : ज्यादा समय नहीं लूंगा जब आप कह रहे हैं तो।

श्री सभापति : श्री गोरधन सोनी पांच मिनिट।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : सभापति महोदय, आज हम कृषि सम्बन्धी मांग पर विचार करने जा रहे हैं। यह सभी जानते हैं कि हमारा देश खेतीहर प्रधान देश है। और हमारे देश में खेती का विकास, किसान का विकास अभी सम्भव है जब ऋण की सुविधा उपलब्ध हो। अगर किसी का विकास होता है तो ऋण से ही होता है। तो इस समस्या को हल करने के लिये क्या उपाय करने चाहिये यह समस्या हमारे सामने है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि विकास के लिये, किसान को अपने खेतों को विकसित करने के लिये सब सबसे पहले पैसे की जरूरत होती है। सभापति महोदय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद यह नारा दिया गया कि किसानों को मजदूरों को उससे पैसा मिलेगा और उससे वे अपने विकास का काम कर सकेंगे और फिर यह देश आगे बढ़ेगा। लेकिन वह नारा सभापति महोदय फेल हो हो गया है इसलिये फेल हो गया कि कुछ दिनों तक तो बैंकों से किसानों को ऋण दिया गया और अब किसानों की फाइल 616 महिनों से चल रही है और उनको ऋण नहीं मिल रहा है। सरकार से किसानों को ऋण मिलेगा। पंचायत समिति भी इसके लिये ऋण देती है, को-आपरेटिव बैंक से भी लोन मिलता है। परन्तु वास्तव में किसान आज ऋण की दृष्टि से महरूम हो गया है और ऋण के बिना उसका विकास नहीं हो सकता है। अगर सरकार वास्तव में कृषि की उन्नति करना चाहती है किसान को समृद्ध करना चाहती है तो उसकी जो आवश्यक चीजें हैं, बैलों के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, ट्रैक्टर के लिए और अन्य आवश्यक चीजों के लिये उसे ऋण उपलब्ध कराया जाये। इस बात की जरूरत है और जो

(श्री गोरधन सोनी)

तरीका वर्तमान में चल रहा है उसको बदलना होगा। कोआपरेटिव बैंक, पंचायत समिति से कई तरह से आज ऋण दिया जा रहा है परन्तु इनसे जो लोन मिलता है वह शक्तिशाली लोगों को ही मिल पाता है। आम किसान इनसे फायदा नहीं उठा रहा है। आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इन ऋणों को एक ही एजेन्सी के रूप में रखा जाये और उस एक ही ऐजेन्सी के जरिये दिया जाये। वह एजेंसी पूर्णतया किसानों की तकलीफों को समझे और उनकी सब तरह की आवश्यकता में ऋण दे। इस बात की आज बहुत आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है तब से यह कहा जा रहा है कि यह बड़ा लाभप्रद होगा। अगर देश के लिए इसको लाभप्रद बनाना है तो सब से पहले किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए आप केन्द्रीय सरकार से परामर्श कर के निर्णय लें। बैंक राष्ट्रीयकरण का फल आप जनता को देना चाहते है तो इसके लिए जरूरी है कि सरकार हर दस हजार की आबादी पर एक बैंक की शाखा कायम करें और जिस वक्त जरूरत हो, उस ढंग से सरलीकरण कर लोगों को सुविधा के साथ ऋण उपलब्ध करे। सरकार इसी तरह से करती रही कि कहीं तो पंचायत समितियों के माध्यम से ऋण दे रही है और कहीं सहकारी बैंकों के जरिये। इस तरह की व्यवस्था रही तो किसानों को परेशानी रहेगी और उनकी परेशानी नहीं मिटने वाली है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर आप किसानों को ऋण आसानी से देना चाहते हैं तो आप हर दस हजार की आबादी पर और दस मील की दूरी पर बैंक को कायम करिये और किसानों को जिस चीज की जरूरत हो उसके लिए आप ऋण की व्यवस्था करिये। सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने एक अध्यादेश साहूकारी कानून लागू किया है। मैं कहता हूं कि इससे किसानों का ऋण मिलने का रास्ता बन्द हो गया है। सरकार समय पर किसानों को ऋण नहीं देती है, आसानी से ऋण नहीं देती है। और किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें भ्रष्टाचार भी फैल रहा है इसके बाद भी सरकार ने साहूकारी कानून बनाकर किसानों को ऋण मिलने में एक और रोडा डाल दिया है, अटका दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में इस कानून के आने के बाद साहूकारों ने किसानों को लोन देना बन्द कर दिया है और अपना पैसा मद्रास, बैंगलोर, कलकत्ता जहां उनको ज्यादा आय हो रही है वहां वे ले जा रहे हैं और वह पैसा किसानों को नहीं मिल रहा है। दूसरा कारण यह है...

श्री शंकरलाल: शोषण बन्द हो गया।

श्री गोरधन सोनी: आपको शर्म आनी चाहिये। जिस ढंग से आज काम हो रहा है उसमें वास्तविकता दूसरी ही है। क्या आपने ऐसे ऋणों को व्यवस्था पूरी कर दी हैं जो उनकी आवश्यकता पूरी करती हैं। साहूकारी कानून के जरिये उनकी तकलीफ और बढी हैं...

श्री शंकरलाल: आप खुद ही साहूकार हैं। साहूकारों के जरिये किसानों का शोषण होता था वह काम आप करते हैं

(श्री गोरधन सोनी)

आज गांवों में किसानों से कई पीढियों तक दो-दो हजार के 20-20 हजार करके साहूकार वसूल करते हैं। आप किसान के पक्ष में नहीं कह रहे हैं। आप बैंकों की बात करें, ठीक है–बैंकों का सुधार हो। आप साहूकारों की हिमायत कर रहे हैं · ·

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री गोरधन सोनी : साहूकार कानून बन जाने से किसानों को पैसा मिलने में दिक्कत आने लगी है। किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध होता है तो आपको क्या अड़चन है ? जब आप और तरीके से किसान के लोन की पूर्ति नहीं कर सकते हैं और साहूकार के पाबन्दी लगाते हैं तो यह नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। सभापति महोदय, किसानों की उत्पादन के लिए वित्त मंत्री जी ने कहा 76 लाख टन उत्पादन हो गया है, बहुत अच्छी बात है ईश्वर की कृपा हुई हमारे किसानों पर और उत्पादन बढ़ गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्पादन बढ़ने के बाद कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। सरकार चाहे जैसी घोषणायें कर देती है लेकिन उनकी पूर्ति नहीं कर पाती है। सरकार ने यह निर्णय लिया कि 55 रु. क्विन्टल में बाजरी का न्यूनतम भाव निर्धारित किया जाता है और इससे कम में नहीं बेचें लेकिन आज, सभापति महोदय किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है वह आपसे छिपा नहीं है। आज उनकी 55 रु. क्विन्टल के भाव से बाजरी नहीं खरीदी जा रही है, किसानों को 35 रु., 40 रु. क्विटल में बाजरी बेचनी पड़ रही है। खाद्य निगम वालों की भी ऐसी स्थिति है कि वे मण्डी समिति में शामिल हो गये हैं और आठ आने मन वे भी लेने लग गये हैं। 'जय किसान' का नारा देने वाले इस तरह ज्यादा से ज्यादा शोषण करके किसानों को अन्धकार के गर्त में ले जाना चाहते हैं। मुझे दुःख होता है, सभापति महोदय, जब उनको न्यूनतम कीमत नहीं मिलती है। अबकी बार पैदावार हो गई तो उनको उचित मूल्य नहीं मिलता और साहूकार के चक्कर काटते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, किस ढंग से आप किसान को समृद्ध करना चाहते हैं ? सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि किसानों को उचित मूल्य मिले।

सभापति महोदय एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन् 64 में आपने फूड ग्रेन लाइसेन्स अध्यादेश लागू किया। इसके अन्तर्गत 10 टन से ज्यादा व्यापारी माल नहीं रख सकता और अगर रखता है तो लाइसेन्स लेना पड़ता है। सरकार यह चाहती है कि कुछ लोग ही इसका व्यापार कर सकें, आम आदमी इसका स्टाक नहीं कर सके। हो सकता है, सभापति महोदय, उस समय की परिस्थितियां ऐसी हों, लेकिन, सभापति महोदय, वही प्रतिबन्ध आज भी है और उस प्रतिबन्ध के कारण किसी के पास पैसा पड़ा है तो वह कानून के चक्कर को देखकर, इन्सपेक्टर की परेशानी को देखकर 10 टन से ज्यादा ले दे नहीं सकता है। रो-धो कर मन्दे भाव से लेना चाहता है तो वह नहीं ले सकता है। सभापति महोदय, इस लाईसेन्स को हटा दिया जाय तो कुछ लोग जिनके पास पैसा है और अनाज लेने की इच्छा रखते हैं, इससे

(श्री गोरधन सोनी)

जो अनाज के भाव गिर रहे हैं वे भी रुक जायेंगे।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, मैं कृषि मण्डी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय मैंने इसका फार्म देखा है। 30 पैसे 50 पैसे कृषि मण्डी की लाग है वह कृषकों पर पड़ती है। यह लाग लगाकर कृषकों के साथ अन्याय किया गया है। इस तरह कृषि मण्डी में जितना पैसा इकट्ठा होता है और जिस ढंग से यह काटा जाता है वह बड़ा खराब है और इसका दुरुपयोग होता है इसलिये इसको रोका जाना चाहिये।

श्री हंसराज आर्य : कृषि उपज मण्डी बन जाने से व्यापारियों पर नियंत्रण हुआ है। किसान को लाभ पहुंचा है, यह आपको अखरता है।

श्री गोरधन सोनी : हो सकता है आपको गलत ख्याल हो। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। अध्यादेश जारी करके उस खर्चे की देखरेख के लिये मार्केटिंग इन्सपेक्टर रखा जाना चाहिये। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं 25 पैसे, 50 पैसे जो लाग है उसका बोझ किसानों पर पड़ता है। करोड़ों रुपया किसानों का जाता है और किसान को लाभ नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं कृषि विभाग, सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग जो इससे सम्बन्धित विभाग हैं उनमें तारतम्य होना चाहिये। अगर तारतम्य नहीं होता है तो फलां जगह कुआ है। अब विद्युत विभाग को मालूम नहीं कि किस किस जगह कुआं है और किस किस तरफ बिजली जानी चाहिये। कृषि विभाग का यह कर्तव्य होना चाहिये जहां जहां कुआ और बिजली की जरूरत है उन गांवों की लिस्ट विद्युत विभाग को प्रेषित की जानी चाहिये। अगर विभागों का आपस में तारतम्य नहीं होगा तो किसान की मेहनत का वास्तविक लाभ नहीं मिल सकता है।

इसके अतिरिक्त, सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे देश में राजकीय फार्म हैं, पंचायत समितियों के पास बड़े बड़े फार्म हैं उनमें खर्च तो ज्यादा होता है और उत्पादन नहीं होता है उसका दुरुपयोग होता है। कहीं बी. डी. ओ. उसका फायदा उठाता है और कहीं प्रधान उसका फायदा उठाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे अगर सरकार वास्तव में सही उत्पादन करना चाहती है और किसान का भला करना चाहती है तो जमीन सरकार लेकर भूमिहीन किसानों में वितरित कर दे ताकि इस कायदे के जरिये जो पंचायत समितियां नाजायज फायदा उठाती हैं वह समाप्त हो जावे और उनको नाजायज फायदा न मिले और भूमिहीनों को भी जमीन मिल जावे। इससे दो समस्यायें हल हो जायेंगी। कृषि फार्मों को सरकार अपने अण्डर में रखे। इससे राष्ट्र के पैसे का जो दुरुपयोग होता है वह बच जायगा।

सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं हमारे मेड़ता में छाजनी गांव है वहां तीन कुएं हैं। उनका कोई उप

(श्री गोरधन सोनी)

योग नहीं होता है। वे बन्द पड़े हैं। अगर उनको ठीक कराकर उनके पानी को कृषि के काम में लिया जाय तो इसका किसानों को बड़ा लाभ मिल सकता है। सभापति महोदय, ज्यादा न कहता हुआ सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर किसानों की तरक्की करना चाहते हैं तो वास्तविक रूप में उनके हित में काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कृषि विभाग के सम्बन्ध में देश व्यापी पैमाने पर इतनी आलोचना होने के बाद कि अभी तक यह हरित क्रान्ति केवल विशिष्ठ वर्ग को ही साधन सम्पन्न करती रही है। एक बुनियादी-एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिये जिससे इस पुरानी नीति से बिल्कुल एक अलग नीति हो। जो रिपोर्ट पिछले वर्ष की हमारे सामने पेश की गई यह जो बजट में नये प्रावधान रखे गये हैं उसमें बजाय-इस बात के कि छोटे छोटे काश्तकार के लिए कुछ क्रेडिट फेसिलिटीज की व्यवस्था की गई है लेकिन बुनियादी तौर से नीति में कोई चेन्ज नहीं आया है और जो भी व्यवस्था जिस प्रकार क्रेडिट फेसिलिटीज देने की बात है वह भी सन्देहास्पद है। जो उद्देश्य रखकर सरकार चल रही है उस लक्ष्य की पूर्ति हो सकेगी या नहीं हो सकेगी इन हालात में जब सारा खर्चा और नीति यूं की यूं रखकर चलें तो उसमें पूरी होती नजर नहीं आती है।

आपका विभाग अभी भी यह मान चुका है कि अभी राजस्थान जैसे प्रान्त में अब अधिक भूमि कृषि क्षेत्र में लेने की बजाय जितनी भूमि आ चुकी है उसी से इन्टेन्सिव कल्टीवेशन की तरफ चला जाय–यह स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है। मैं समझता हूं कि यह स्ट्रैटेजी केरल के बारे में दुरुस्त हो सकती है या ऐसे प्रान्त जहां जमीन थोड़ी है और पापुलेशन बहुत अधिक है उनके बारे में दुरुस्त हो सकती थी लेकिन राजस्थान जैसे प्रान्त में जहां पर अभी भी बहुत जमीन है, बहुत ज्यादा ऐसी जमीन जिस को ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बनाने की जरूरत है, जिसको सिंचाई के योग्य बनाने की जरूरत है लेकिन जिसके ऊपर अभी तक हल नहीं चलता है ऐसी जमीन बहुत ज्यादा है। यद्यपि आप उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी कार्य कह सकते हैं लेकिन आप कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से यदि उस जमीन के ऊपर आपकी निगाह नहीं होगी तो आप सही स्ट्रैटेजी कृषि उत्पादन के बारे में नहीं बना सकते।

सभापति जी, मैं समय नहीं है इसलिए जनरल बातों पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं कुछ विशेष दो तीन मुद्दों की तरफ मन्त्री जी का ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा।

एक तो 181 कर्मचारी अभियांत्रिक मण्डल के थे जिनको रिट्रेन्च किया। उनके सम्बन्ध में अभी टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने भी उस ओर ध्यान आपका आकर्षित किया था और इस सदन में भी पहले चर्चा हो चुकी है। उस समय आपने कहा था कि जो जजमेंट ट्रिब्यूनल का है वह आपको अभी मिला है और उसमें आप पूरी तरह गौर नहीं कर सके हैं। मैं समझता हूं कि अब काफी समय मिल गया और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पूरी तरह गौर कर लिया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होगा। इसलिए जो अभी तक आपका स्टेण्ड था कि आपकी सहानुभूति तो उनके साथ थी लेकिन आप उनका लीगल राइट नहीं मानते थे उस प्रश्न को ट्रिब्यूनल ने तय कर दिया। ट्रिब्यूनल ने यह माना है कि उनका लीगल राइट है। सवाल सिर्फ सिम्पेथी और हमदर्दी का नहीं है, जो भी स्टेण्ड आपके द्वारा लिया गया था ट्रिब्यूनल ने उसको रिजेक्ट कर दिया और चूंकि हाईकोर्ट में आपकी तरफ से रिट पेश है इसलिए पूरा फैसला नहीं दिया वर्ना आपने यदि फैसले को पढा होगा तो पूरे जजमेण्ट के बारे में रिफ्लेक्शन साफ है कि वह मानते हैं कि आपको उनको रिट्रेन्च करने का कोई अधिकार नहीं है। वे आपके मुलाजिम आज भी हैं, जिस दिन रिट्रेन्च किया उस दिन भी थे इसलिए आपको उनको तनख्वाह देनी चाहिए और 50 परसेन्ट इन्टेरिम रिलीफ का जजमेंट उन्होंने दिया है। मैं समझता हूं कृषि मन्त्री जी इस बात पर कोई जिद नहीं करके जो उनका दृष्टिकोए इस प्रकार का है वह सिद्धान्ततः मानते हैं कि पब्लिक सेक्टर को हम एक्सटेण्ड करेंगे तो एग्जिस्टिंग एम्पलाईज को प्रायोरिटी देकर एब्जार्ब करना पड़ेगा। यह फर्स्ट कन्डीशन होनी चाहिये। इसके अलावा भी कोई बात हो सकती है और इस दृष्टि से वह सोचेंगे और इस फैसले को लागू करने के बारे में कहेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : 3 साल के बाद तो आटोमेटिकली कन्फर्मेशन माना जायेगा। आज दस–दस साल की सर्विस के हैं उनको निकालने का सवाल ही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दस–दस साल के हैं इसलिए थोड़े अर्से का होने का तो सवाल ही नहीं है। गवर्नमेंट ने वैसे भी किसी को रिट्रेन्च नहीं किया है। दो-दो साल वालों को भी वापिस ले लिया है तो इस डिपार्टमेंट के पुराने पुराने लोगों को किया जाय यह मैं समझता हूं कि आपके डिपार्टमेंट पर भी रिफ्लेक्शन आयेगा और आप पर खुद पर भी आयेगा। इसलिए जब आपके सामने जजमेंट है तो आप उसको लागू करें।

दूसरे बीजों के बारे में मुझे निवेदन करना है। उन्नत बीजों का वेस्टेड इन्ट्रेस्ट बन गया है और एक स्केन्डल्स बात हो गयी है इसमें कुछ लोग जो विशिष्ट स्थान रखते हैं प्रशासन में आज वो खुद खेती भी करते हैं इसलिए उन्नत बीज सबसे पहले मिले तो उनको मिले। लालबहादुर शास्त्री बीज मिले अलवर में सबसे पहले तो एक विशेष फार्म को और दुनिया को उसका नाम भी नहीं पता और फिर उन्नत बीज खरीदा जाये चाहे उसको नेशनल सीड कार्पोरेशन के एक्सपर्ट्स रिजेक्ट कर दें लेकिन वह भी जरूर खरीदा जाये और पंचायत समितियों को मजबूर करके खरीदवाया जाये। इस प्रकार की स्केन्डल बातें हो रही हैं। कृषि मन्त्री जी उसी जिले से आते हैं जिस जिले से मैं आता हूं। मैं समझता हूं कि शायद काफी होना चाहिए...

श्री शोभाराम : मैं यह जानता हूं कि जो नेशनल सीड कार्पोरेशन ने रिजेक्ट कर दिया है उसके बाद किसी पंचायत समिति को उसको लेने के लिए बाध्य किया हो अगर इसके एक दो उदाहरण आपके पास हों तो बतायें कृपा करके।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मैं आपको सूचना दे दूंगा। मुझे किशनगढ़, उमरेन पंचायतों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के बारे में सूचना मिली है और इस प्रकार की एक, दो, तीन मिसालें जिनको नेशनल सीड कारपोरेशन ने रिजेक्ट कर दिया और फिर उन्नत बीज के रूप में हाई रेट्स पर गवर्नमेन्ट एजेन्सी के जरिये खरीदा गया इस प्रकार की बातें हमारे जिले में भी हुई हैं जो कि मेरी पर्सनल नालेज में हैं।

श्री शोभाराम : जो पंचायत समितियों को दिया गया बाकायदा। प्राईवेट आदमी कोई भी बेच ले या खरीद ले, लेकिन जो प्रोग्राम के तहत पंचायत समिति को रिजेक्टेड माल मजबूरन खरीदवाया गया हो वह बता दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हां, इस प्रकार के मामले भी मैं आपके नोटिस में ला दूंगा। तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब बाढ़ आई तो 120 रुपया क्विन्टल में चने का बीज लोगों को दिया गया जब कि बाजार भाव उस समय 95, 96 और 100 से नीचे होगा···

श्री शोभाराम : गलत है। उस समय 114, 115 रुपये के करीब होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं कि उस समय के रिप्रेजेन्टेशन की कापियां मेरे पास भी हैं और आपके पास भी होंगी। किन्हीं किन्हीं मीटिंग में आपने कहा था कि आप कोशिश भी करेंगे और हम आश्वासन समझे थे कि इसके ऊपर कुछ न कुछ हो जायेगा क्योंकि 120 रुपया तो बहुत ज्यादा है और मार्केट रेट्स गजेट वगैरह में भी छपती हैं उनको भी देख सकते हैं।···

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, समय का ख्याल रखा जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप चाहें तो समय बढ़ाया जा सकता है।

श्री सभापति : कितना समय बढ़ाया जाये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब तक समाप्त हो।

श्री शंकरलाल : फिर इसके बाद मंत्री जी जवाब देंगे। आपके बोलने का समय पांच–दस मिनट होना चाहिए था।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से कार्यवाही का समय एक घन्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री रामकिशन : एक घन्टा तो लम्बा हो जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाढ़ग्रस्त लोगों को इतनी ऊंची रैट से दिया और उसके बाद जो चना पैदा हुआ वह किस भाव से बिका है वह आप जानते हैं तो यह जबरदस्त एक्सप्लॉइटेशन गवर्नमेन्ट एजेन्सी के जरिये है। यह उचित नहीं है और इसको गवर्नमेन्ट लेवल पर ठीक कराके लोगों को राहत दी जानी चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वह पशु-पालन मंत्रीजी से सम्बन्ध रखती है। आपने हमारे अलवर में पिग ब्रीडिंग फार्म एण्ड बेकन फैक्ट्री कायम की है···

श्री रामकिशन : यह अलवर में ज्यादा मिलते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह किस की मांग थी ? कौन सी लोकल जनता उसके लिए छट्‌टी पड़ रही थी ? किसने यह मांग की है कि आप वहां से गौशालाएं हटाकर, डैयरी हटाकर सूअर ब्रीडिंग फार्म खोलें। यह महरबानी मुख्य मंत्रीजी ने हमारे पर की है....

श्री नत्थीसिंह : हरिजनों को संरक्षण दे रहे हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : वहां पर ज्यादा थे इसलिए वहां पर की है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्कीम सेन्ट पर्सेन्ट गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की असिस्टेन्स से पूरी होगी। थर्ड प्लान में 65-66 के अन्त तक, इस प्रकार का यह प्रोजेक्ट था, और यह प्रोजेक्ट 19,20,000 रु. का था और इसमें पूरा सेन्ट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन, सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे कि इस स्कीम पर 42,91,000 रु. अभी तक लग चुका है मार्च 1969 तक लेकिन अभी तक भी बेकन फेक्ट्री ने काम करना शुरू नहीं किया। स्कीम थी सिर्फ 19 लाख की और 43 लाख इस पर खर्च हो गया है और उसने अभी तक फन्क्शन करना भी शुरू नहीं किया, और उसका आउटपुट कितना होगा, यह माननीय मंत्रीजी बतायेंगे। अभी तक जो उसका फार्म चल रहा है उसके वर्किंग रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक उस फार्म पर मार्च 69 तक 10,97,000 रु. खर्च हुए हैं, और वह सूअर पैदा करता है, पालता है और उन सूअरों की बिक्री से 1,72,000 रु. वसूल हुआ है गवर्नमेंट का....

श्री मनोहरसिंह मेहता : किस से ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सूअरों की बिक्री से और 562 सूअर बेचे थे और उनकी कीमत और निकाल दी जाय तो, 8,60,000 रु. का नेट नुकसान गवर्नमेंट को अभी तक इस फार्म से हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे यहां सारी पब्लिक में इसका जबरदस्त रिजेन्टमेंट है। सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक लाखों की तादाद में रहते हैं जो इस प्रकार से इस पशु को खास तौर से अपने मजहब के खिलाफ मानते हैं, और इस रूप में....

श्री नत्थीसिंह : इस दृष्टिकोण का आप समर्थन करते हैं कि रिलीजस भावना के आधार पर कोई काम किया जाय ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाल यह है....

श्री रामकिशन : यह अलवर का औद्योगिकरण हो रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : औद्योगिकरण कितना हो रहा है ? इतना सा जितना कि 43 लाख रुपया आपने लगाया है इसको दूसरे तरीके से दूसरे धन्धे में दे देते तो शायद उसका उपयोग होता। उसमें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। मेरी नजर में तो कोई खास आशा नहीं सिवाय आफिसर्स और कुछ लोगों के। माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि क्या एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियेलिटी हैं और क्या उसके प्रोडक्शन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से लाभ होने की उम्मीद कर सकते हैं, कब से इसका प्रोडक्शन होने लगेगा और उसका मार्केट कहां है? आपने मिलिट्री के आर्डर्स के ऊपर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पर ऐसा किया है?

ऐसा हमें पता लगा है कि आपको गारन्टी मिलिट्री की तरफ से दी गई है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि पूरे का पूरा आपका जो भी प्रोडक्शन होगा उसको मिलिट्री ले लेगी और चूंकि अलवर नजदीक है इसलिए आप लगायें। मैं समझता हूं कि जहां तक अलवर के सार्वजनिक कार्यकर्ता चाहे आपकी पार्टी के हों या हमारी पार्टी के हों या और किसी पार्टी के हों, किसी की भी तरफ से यह मांग नहीं रखी गई थी, फिर भी आपने अपनी इच्छा से या सेन्ट्रल गवर्नमेंट की इच्छा से यह इस प्रकार की कार्यवाही शुरू की है?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

यह प्रोजेक्ट क्या है? क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इसमें प्रोडक्शन के। फार्म में नुकसान हो रहा है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या कदम उठा रहे हैं?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : कृषि मन्त्रीजी।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, मैं दो मिनट के लिए निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मन्त्री जी उसका उत्तर देंगे।

यह जो बैंकों के द्वारा लोन दिया जाता है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका जो तरीका है वह इतना कम्प्लीकेटेड है कि जब साधारण काश्तकार लोन लेने जाता है तो फार्म पर उसको हिचकिचाहट होती है, जैसे कि मैंने लोन के लिए एप्लाई किया बैंक को कि मुझे ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाय तो ट्रैक्टर की कीमत का 75 पर्सेन्ट तो बैंक देता है और 25 पर्सेन्ट जो लोन लेने वाला है वह जमा कराता है, और बैंक जो गारन्टी फार्म भराती है और कार्यवाही करती है तो पूरे 100 पर्सेन्ट के रिस्क की गारन्टी कराती है और जो चीज दी गई है वह सारी की सारी हाइपोथेटिकेट होती है बैंक के नाम, तो जो लोन लेने वाला है उस पर डबल मार पड़ती है। या तो गारन्टी फार्म भराये वह जितना एकाउन्ट दिया है उतने का ही, भरायें और जब वह उस चीज को हाईपोथेटिकेट कर देता है तो इसके कराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से भूमि पर डेवलपमेंट के लिए जैसे नालियां बनाने के लिए लोन देते हैं तो सारी जमीन का पट्टा, गिरदावरी लेकर बैंक में एक काश्तकार प्रजेन्ट होता है और उस पर भी, सभापति महोदय, वही 25 पर्सेन्ट और 75 पर्सेण्ट के हिसाब से लोन दिया जाता है। जमीन उनकी गिरवी रख दी जाती है। लोन जो उनको मिलता है वह बजाय 75 पर्सेन्ट के पूरा मिलना चाहिये और जो लोन की जिम्मेदारी लेने वाला है वह गारन्टी फार्म भरता है उसके बारे में भी जरूर ध्यान दें। या तो जमीन को मोरगेज करें या 75 पर्सेन्ट के लोन की जिम्मेदारी रखें ताकि काश्तकार को सुविधा हो जायगी और इन्सेन्टिव क्रियेट हो जायगा। इतना ही कहकर मैं स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : कृषि मंत्री जी।

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : सभापति महोदय, यहां पर कृषि विभाग के सम्बन्ध में कुछ ऐसे मुद्दे और बुनियादी सवाल उठाये गये जो कि कई विभागों से सम्बन्ध रखते हैं, उनका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। खास तौर से जो कर्जे की प्रणाली है, विभिन्न संस्थाओं से जो कर्जा मिलता है किसानों को सहकारी बैंक के माध्यम से, अथवा कार्मशियल बैंकों के माध्यम से। इसके बाद में वे मसले हैं जो माइनर इरिगेशन के प्रोग्राम से बहुत ही ज्यादा सम्बन्ध रखते हैं। ये मसले कुछ ऐसे हैं जिनको हल करना आवश्यक है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। यह ठीक है कि पिछले दो सालों से जिस तीव्र गति के साथ कर्जे का इन्स्टीट्यूशनल क्रेडिट विकसित हुआ, और खास तौर से व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने के बाद में मैं समझता हूं कि उस पृष्ठभूमि में देखेंगे कि अभी तक कॉमर्शियल बैंकों के विभागों में खास तौर से जो उनका प्रबन्ध करते हैं वे बदले हुए जमाने की गतिविधियों से, और हम कहां जाना चाहते हैं इस चीज के महत्व को नहीं समझकर, और दूसरी बात यह है कि रिजर्व बैंक एक कन्ट्रोलिंग इन्स्टीट्यूशन है हिन्दुस्तान के अन्दर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फन्क्शन भी हैं, और जिस प्रकार के डाइरेक्शन्स वहां से समय समय पर जारी होते हैं तो उनके दायरे में इस प्रकार की कशमकश चल रही है कि बहुत सी बातें हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यह निवेदन कर दूं कि जहां तक कॉमर्शियल बैंकों का प्रश्न है कई माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाये कि गारन्टी सेन्ट पर्सेन्ट हो कि 75 पर्सेन्ट हो जमीन गिरवी करने के पश्चात् या जिस किसी ट्रेक्टर को मोरगेज करते हैं उस पर ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि कृषि विभाग से या किसी एक विभाग से ताल्लुक नहीं रखता है। हमारी राज्य सरकार की तरफ से एक सब-कमेटी का निर्माण किया गया है, वित्त मंत्रीजी की चेयरमेनशिप में, मैं भी हूं, इरिगेशन मंत्री भी हैं, बिजली मंत्री उसके सदस्य हैं, सब के सब बैठकर इन समस्याओं पर विचार करते हैं। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या और सामने आती है, वह वित्तीय साधनों की आती है। जिसके लिए बार बार कहा है। किसानों के लिए जो घोषणा करते हैं, उनकी जो जरूरतें हैं आसानी के साथ पूरी हो सकें। इस सम्बन्ध में चर्चा चलती है लेकिन मैं यह मान कर चलता हूं, सबसे बड़ी जो बात आती है हमारे सामने, यह जो जरिया होता है उस जरिये के कारण मैं समझता हूं कुछ गवर्नमेंट एजेन्सीज हैं, जैसे पटवारी हैं तहसीलदार हैं, तहसील में जो काम करते हैं, वह जो किसानों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वह समय पर उपलब्ध नहीं होती है। तो उसका किसानों को सामना करना पड़ता है। दूसरा मैं समझता हूं कि भरतपुर से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं वह जानते हैं कि वैल्युएशन के आधार पर बैंक्स इसको ध्यान में लेकर चलते हैं। कृषि विभाग यह करना चाहता है कि हर जिले में वहां की जमीन की सूरत देखते हुये, पानी की स्थिति को देखते हुये, सिंचित की अलग और असिंचित की अलग, इस प्रकार सभी एरियाज तय कर दिये जायें कि उनकी कितनी रिपेयरिंग कैपेसिटी है। ताकि किसानों को

(श्री शोभाराम)

पता चल जाय कि एक एकड़ जमीन पर कितना कर्ज ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में ज्यादा चर्चा करने के लिए एक ऐसी कमेटी बुलायी जाये, जिसमें एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक और केन्द्रीय भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष सदस्य हैं। हमारे कोआपरेटिव बैंक भी हैं। सब के सब बैठकर इस पर विचार कर फिर इस मामले को कॉर्मशियल बैंक के सामने ले जाना चाहते हैं। ताकि किसानों को यह पता हो कि किस परपज के लिए कितना रुपया मिल सकता है। कितनी जमीन है। दूसरे मैं समझता हूं कि जो कायदे कानून शुरू में बनाये हैं। जो कार्मशियल बैंक हैं, जो आगे बढ़ना चाहते थे उन्होंने अच्छा काम किया है इसमें कोई शक नहीं है। आगे ज्यादा से ज्यादा हम किस प्रकार से करें। कायदे कानून में काम करना चाहते हैं। वह मैं समझता हूं कि जो गवर्नमेण्ट एजेन्सी काम करती है, कुछ नॉन-आफिशियल एजेंसी हैं। वह बैठकर अपनी सब चीजों को गहराई से सोचकर, उनको क्या आपत्ति है, इसका अध्ययन करें। अगर कोई नतीजा निकले तो हम भी कोशिश करें। मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक के पास जाने की जरूरत है, और रिजर्व बैंक पर अगर दबाव डाला जाए, तो मैं यह मानने वाला नहीं हूं कि वह कोई आपत्ति करेगा। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य यह जानते हैं कि सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक 5 हजार रुपये तक अल्प एवं मध्यकालीन ऋण स्वीकृत कर सकते हैं।

राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वित्तीय साधन को देखते हुए जो सीमित है, बहुत बड़ा कार्य करना मुश्किल है। आप जानते हैं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन की स्थापना हुई। उसने यह तय किया कि इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से इस प्रकार की योजना हुई कि 100–50 गांवों को कलस्टर स्कीम बनाकर उनकी तहत में किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा बिजली गांवों में सभी प्रकार के उद्योगों के लिए ले जायें। तो पहले जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से योजना बनी उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि एग्रीकल्चर रिफाइनेंस की जो 9–10–71 के करीब स्कीमें हैं, जो चालू हो गई हैं। कुछ तो ऐसी स्टेज में हैं जो कि बन रही हैं। अभी राजस्थान सरकार ने जो फैसला किया है कि जो यह स्कीम काम कर रही है, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लेना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हम एक नई दिशा में चल रहे हैं।

एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कार्पोरेशन की बात मैं आपको बताऊं। जहां जलस्रोत अच्छी तरह से उपलब्ध हैं वहां सर्वेक्षण से इस प्रकार का पता लगाया जाये। इसके साथ साथ बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां जल की कमी नहीं है। वहां ट्यूबवेल लगाये जायें जो कि बिजली से आपरेट होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत से इलाके उन्नत हो सकते हैं। यह अभी चालू है। अभी ऐसी फाइनेंशियल स्थिति आई नहीं है कि ट्यूबवेल की स्कीमें इन एरियाज में बनाई जायें। अगर 5–7 आदमी मिलकर ट्यूबवेल लेते हैं तो उनको

(श्री शोभाराम)

ज्वाइण्ट रिस्पोंसिबिलटी पर जो कुछ उस पर लागत आयेगी, जो बना रखी है, उसका खर्चा मिलेगा। और एक लांग टर्म क्रेडिट के अन्दर उसको शुमार करेंगे–दूसरी दिशा यह आई इसलिए कह रहा था, बहुत से माननीय सदस्यों ने यह चिंता व्यक्त की, यह कृषि डिपार्टमेंट यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता कि सिंचाई विभाग अथवा बिजली विभाग दूसरे मिनिस्टर के पास हैं, दूसरे मंत्री के पास हैं इसलिए कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने आपके सामने यह बात इसलिए रखी कि कुछ स्कीम और चल रही हैं, जिनका दिग्दर्शन कराया, उनका खास तौर से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा। दो चार साल के अन्दर।

सबसे बड़ी बात कही है, मैं मोटी मोटी बातें आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, कृषि वस्तुओं की प्राइसेज–यह बहुत बड़ी परेशानी का विषय बन गया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जितने इनपुट्स हैं, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि इतने खर्चीले हो गये हैं, अगर उसी गति से यह खर्च बढ़ता गया और वहां पर कोई कन्ट्रोल नहीं हुआ, न्यूनतम या मिनिमम प्राइसेज अगर किसानों को नहीं मिली तो एक दिन आ सकता है, जबकि किसान फिर ट्रेडीशनल सिस्टम आफ कल्टीवेशन हैं, या परम्परागत तरीके थे, उस तरफ चले जायं और जितने इन्पुट्स वगैरह हैं, जो क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन्स डेवलप हुई हैं, उनका लाभ लेने की जरूरत न पड़े। किसान यह देखता है, आखिरकार कितने खर्च के बाद कितने रुपये की सेविंग हुई। यह एक बात रखी गई, महत्वपूर्ण बात है, जो कुछ उसका अनाज पर खर्च होता है, मैं समझता हूं उसकी प्राइस जो है, वह इन्डेक्स, कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स से क्या है, बीस साल पहले कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स के अनुसार गांवों में अनाज पर 50 पर्सेंट खर्च होता था। आज के इस वैज्ञानिक युग में, मैं समझता हूं, जबकि किसानों के यहां बच्चे पढ़ते हैं, बीस से पच्चीस पर्सेन्ट से ज्यादा अनाज पर खर्च नहीं होता है। नतीजा क्या होता है, पिचेहत्तर पर्सेन्ट अन्य कामोडिटीज से पूरा होता है, उसके दाम यदि गिर जाते हैं तो अर्थ-व्यवस्था का बैलेन्स बिगड़ जाता है, और निश्चित रूप से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोग्राम पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में चर्चा हुई, एफ. सी.आई. के बारे में, हम जिक्र करते हैं एफ. सी. आई. कितना खरीद सकेंगे ? साल भर उसको स्टोक करें, साल भर बाद अच्छी फसल हुई, प्राइस डाउन हुई–यह सब चीजें ऐसी हैं, इसका हल कोरा एफ. सी. आई. से नहीं, मैं यह समझता हूं कि इसमें कार्मशियल बैंक और खास तौर से हमारी मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, और सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक बीच में आये कि किसान की जो होर्ड करने की ताकत है, जो अनाज को रखने की ताकत है, उस ताकत को बनाये रखें। इसके लिए पिचहत्तर या अस्सी पर्सेन्ट और कर्ज देने की बात हो 30 पर्सेन्ट के मार्जिन पर–यह बात हो सकती है, यह 30 पर्सेन्ट के मार्जिन को कम करके 10 पर्सेन्ट कर दिया जाय और ऐसे बैंकों जो कोआपरेटिव सैक्टर में काम करती हैं उनके लिये इस प्रकार की गारन्टी दे सकते हैं कि 10 पर्सेन्ट के मार्जिन के बाद अगर कोई

Page No 161

(श्री शोभाराम)

नुकसान होता है तो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई आवश्यक निर्णय लें। मैं जो जिक्र कर रहा हूं, यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं, बल्कि इस समस्या पर मेरी व्यक्तिश: किस प्रकार से दिमाग जा रहा है, तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं, जो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं, यह एल. एम. बी., सी. एस. एम. बी.-मैं समझता हूं कि कोआपरेटिव, अपेक्स बैंक के एक तरीके से मालिक वही हैं, चलाते वही हैं . . .

श्री रामकिशन : मालिक कैसे हैं, साहब ?

श्री शोभाराम : सुनिये। लेट मी से। उन्होंने तारीफ की इसलिए कह रहा हूं।

श्री रामकिशन : मालिक हो जायेंगे, तो मुझे भी आना पड़ेगा।

श्री शोभाराम : इसलिए इन्होंने कहा, स्माल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में कहा कि सब्सिडी दी जाती है, मैं तो नहीं समझा, सब्सिडी दी जाती है, कैसे ? हो सकता है मैं गलत होऊं। यदि आप अध्ययन करें तो जो रिस्क फण्ड के नाम पर तीन पर्सेन्ट पर (व्यवधान होने पर) मुझे कहने दें छोटी छोटी बैंक वगैरह, दूसरी इन्स्टीट्यूशन में दी जाती है, यह रिस्क फण्ड इसलिए है कि आखिरकार चाहे बड़ी जमीन हो, चाहे छोटी, किसान उस पर कृषि करेगा तो कहीं न कहीं उसको नुकसान हो सकता है . . .

श्री नरेश सिंह : रिस्क फण्ड अलग है, तीन पर्सेन्ट और छः पर्सेन्ट का फर्क है, इंडिविजुअल किसान को जो शिड्यूल्ड बैंक देती है, अभी तीन चौथाई अलग दे रही है, मैंने जो कहा। उसे समझे नहीं आपके आफिसर, हमारे यहां जो सब्सिडी दी गई है वह एक चौथाई है।

श्री शोभाराम : इस सम्बन्ध में जानकारी कर ली जायगी, किस प्रकार दे रहे हैं, गलत तरीके से व्यवस्था की जा रही है तो दुरुस्त किया जा सकता है। भरतपुर में सबसे पहले फार्मर्स डेवलपमेण्ट एजेंसी ने प्रारम्भ में काम करना शुरू किया है, तो भी मैं कहूंगा, जो कुछ भी वहां बुनियादी तरीके से डिफीकल्टी है, उनका निश्चित तरीके से समाधान करने की और दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे।

दो तीन बातें और कही गईं, मैं समझता हूं, सीलिंग की, एलाटमेन्ट आफ लैन्ड की पालिसी की। यह जो सीलिंग की और अलाटमेन्ट की पालिसी है–सीलिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन है वह अपने तरीके से कर सकेंगे, लेकिन जो एलाटमेंट की पालिसी है, जमीन को किस प्रकार आवंटित किया जाय इसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर बहुत असर पड़ता है। लेकिन यह जो प्रश्न है इसका डाईरेक्टली दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्शन है, इसलिए मैं समझता हूं कि जब आपके सामने उस डिपार्टमेन्ट की मांग आये तो आप कोन्क्रीट सुझाव दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

अब मैं एक बात एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन के बारे में कहना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने अलग अलग बातें कहीं, उन अलग अलग मुद्दों के ऊपर मैं रोशनी डालकर खत्म करूंगा। आपने कहा

(श्री शोभाराम)

कि 181 आदमियों के लिये एवार्ड किया गया। मैंने यह कहा था, 16 तारीख को, 15 को तो एवार्ड प्रकाशित हुआ था, हमने इस एवार्ड को अच्छी तरह से देखा नहीं, उसको अध्ययन नहीं किया है। इस सम्बन्ध में मैंने यह भी निवेदन किया था कि बहुत से, 79 या 80 के करीब, हमने उनको दूसरे विभागों में लगाया, और बाकी रह गये उनके लिये जी.ए डी. को फिर तिबारा लिख रहे हैं और मुख्य मंत्रीजी को भी निवेदन करेंगे कि दीगर डिपार्टमेंट में किसी तरह से इनको लाया जाय। यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द अ वाल : लीगली...

श्री शोभाराम : सुनिये, सुनिये, आपने कहा, लीगली मान लिया गया है कि रिट्रेन्चमेंट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि लीगल तरीके से बात करें तो मैं भी लीगल तरीके से जवाब दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने जो फैसने को पढ़ा है, उसमें यह नहीं लिखा गया है कि रिट्रेन्चमेंट इल्लीगल है। आप जानते हैं कि जब स्टेट गवर्नमेंट ने रेफरेन्स किया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को यह डिस्प्यूट तो टर्म्स आफ रेफरेन्स में था वह यह था कि रिट्रेन्च किये गये हैं या लीगल हैं अथवा नहीं-इसका फाइनल डिसीजन हुआ नहीं, इसलिए यह कहना, उस बात पर रिट्रेन्चमेंट के बेसिस पर लीगेलिटी या अदरवाइज कोई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने अंतिम फैसला दे दिया हो–इस बात को मान कर चलता नहीं। एक काम्प्लीकेशन आता है, वह बताकर चलता है, 27 मार्च 70 को एक फैसला हुआ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर. और वर्कशाप के एम्प्लालाइज के लिए, शायद, आप देख लें उसको, उस फैसले में हवाला दिया गया है, जो रिट्रेन्चमेंट के नोटिस दिये हैं, वह 1968, अक्टूबर में एग्रीमेंट किया-उसमें लिखा गया था कि इनकी कन्टीन्यूइटी आफ सर्विस के बारे में कुछ ऐसा फैसला था, तो एम्प्लाइज ने इस बात को उठाया कि जब तक एग्रीमेंट अक्टूबर 1968 का रिवोक नहीं होता है तब तक आप नहीं हटा सकते हैं। यह प्रश्न सामने आया, यह प्रश्न आकर 27 मार्च को फैसला हुआ 1970 में जिसमें यूनियन के, एम्प्लाइज के हस्ताक्षर हैं और बोर्ड के प्रतिनिधि हैं उनके भी हस्ताक्षर हैं, दोनों ने मिलकर यह कहा कि एक तरीके से जो रिवोकेशन का पीरियड होता था, वह पीरियड और एक महीने का लीगल नोटिस 27 मार्च से लेकर 28 जून तक दो महीने का, एक तरीके से कहना चाहिये, रिवोकेशन के दो महीने और लीगल नोटिस एक महीने का, तीन महीने की तनख्वाह देनी पड़ी। उसको आप देखलें। जहां तक इनको कहीं लगाने का सवाल है, लीगल तरीके से चलें तो कारपोरेशन कहती है कि जब इनका कमिटमेंट होगा और दोनों पार्टीज के हस्ताक्षर हो गए, एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में इन्होंने यह माना कि हमको दो महीने का रिवोकेशन का और एक महीने का लीगल नोटिस दे दो फिर रिट्रेंचमेंट के नोटिस ठीक हैं। हम देख रहे हैं। जब रिट्रेंचमेंट के नोटिस के बारे में इन्होंने बायदा कर लिया तीन महीने की तनख्वाह ले ली तो किस तरह से उनका हक नहीं रहता। लेकिन मैं आपसे दो बातें इस

(श्री शोभाराम)
सम्बन्ध में कहना चाहता हूं –एक तो ऐसी पोस्ट्स जिन पर वे काम कर सकते हैं, अगर आपकी जानकारी में हो तो बताइए, मैं देखूंगा । दूसरी बात, भविष्य में भी जब कारपोरेशन में जगह खाली होगी, जो उनके योग्य होंगे, जिन पर वे एडजस्ट हो सकते हैं, तो उनको रखा जाएगा । मैं समझता हूं शार्ट कट करके अगर उनको किन्हीं एक्टिविटीज में लगाया जाए तो अच्छा होगा । हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जैसा पहले उन्होंने इन्टरवीन किया था, पहले जब कर्मचारियों को हटाया था, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि इतने आदमी जो 100-125 रह गए हैं, इनको दूसरे विभागों में लगाया जाए। आजकल में उनसे बातचीत की जाएगी । इन दो तीन दिनों में उनसे बात करने का मौका नहीं मिला । हम भी स्टेडी करते रहे ।

दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं। आपने एक बात और कही थी । अलवर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, जिस समय बाढ़ आई थी, हमने चने के बीज का अलवर में 114/–रु. पर सौदा किया था । अगर आप जानकारी करना जाहते हैं कि उस समय मार्केट रेट क्या थी, तो यह भरतपुर और अलवर में पता लग सकता है । हमारे सामने प्रश्न था कि 114/– में सौदा पूरा हो या नहीं लिहाजा हमें 114/– में एफ. सी. आई. से लेना पड़ता और 4-5 रु. का मार्जिन था ट्रांसपोर्टेशन का, पहुंचाना और फिर लगाना। आपके दिमाग में जो है कि 95/– का भाव था, यह मैं नहीं मानता । अगर 4-5 रुपये के फर्क के कारण अगर हम 114-115 में नहीं लाते तो मुझे खतरा था कि 130-140-150 प्रति क्विंटल चने का भाव हो जाता धीरे-धीरे बढ़ रहे थे । कभी भी आप अलवर जायें तो उस समय के भाव देखें तो 4-5 का फर्क है । जहां बीकानेर से मंगाए तो उस चीज के लिए 4-4॥ खर्चे के लगे, मैं यही बताना चाहता हूं, उस पार्टी को एक पैसे का भी लाभ नहीं हुआ ।

मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता । हमने नये नियम मंत्रि-मण्डल में पेश कर दिये हैं । एक तो चुनाव की पद्धति बदल रहे हैं । सिंगल कांस्टीट्यूएन्सी की व्याख्या कर रहे हैं डिवाइड कर देंगे, जैसे अभी तक एक आदमी 6-7 वोट देता था फार्मर के निर्वाचन क्षेत्र में, उस व्यवस्था को बदल रहे हैं । दूसरा यह भी है कि जो पंच और सरपंच हैं, ये वोटर बनें । सब आदमियों को लाना और हजारों आदमियों का इकट्ठा होना, यह ठीक नहीं लगता । एक तो इस प्रकार दिमाग चलता है ।

दूसरी बात कृषि मंडियां हैं ।

श्री सभापति : भूमि बंधक बैंकों के चुनाव ?

श्री नत्थीसिंह : इनका बस नहीं है ।

श्री शोभाराम : दूसरी बुनियादी बात कृषि मंडियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ की आर्थिक स्थिति ऐसी है जो डवलपमेंट नहीं कर सकतीं तो दिमाग चल रहा है कृषि विभाग का खास तोर से, और मंत्रिमण्डल में पेश

(श्री शोभाराम)

होगा अमेंडमेंट। आल इंडिया कान्फ्रेंस हुई थी उसमें तय हुआ था कि कृषि मंडियों को ताकत पहुंचाने के लिए 5-10 प्रतिशत उनका जो मुनाफा हो, जो बचत हो उस पर सेंट्रल फंड डेवलप किया जाए। उस फंड में से जो वीकर जगह हैं, जैसे सड़क नहीं बना सकते क्योंकि आप जानते हैं। जयपुर-जोधपुर जो बड़े शहर हैं वहां अराइवल्स कितने हैं, उनको छोटे कस्बों से जोड़ेंगे। जहां तक फैसिलिटीज का ताल्लुक है, वह प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो इस प्रकार की बात चल रही है। मैं समझता हूं, मंत्रि-मण्डल की पहली बैठक में यह कानून हम पेश कर रहे हैं। 6-7 दिन के अन्दर होने वाला है। जब आपके सामने आए तो उसमें क्या सुधार हो सकता है, उस समय बताने की कृपा करेंगे।

और भी कई सुझाव माननीय सदस्यों ने दिए हैं, उनको नोट कर लिया। उन पर विचार किया जाकर सुधार किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है, इतना कहकर मैं चल सकता हूं।

हमारे जैतारण से आने वाले श्री शंकरलाल ने एक बात कही। क्रेडिट के लिए सिम्पलीफिकेशन की बात कही। कृषि का विषय अनिवार्य कर दें ताकि उनको इतना ज्ञान रहे शीघ्र कृषि संबंधी ज्ञान प्राप्त कर सकें। मैं समझता हूं, यह अच्छा पाइंट है। शिक्षा मन्त्रालय से बात करेंगे और जो कुछ हो सकता है, करेंगे।

दूसरी बात उन्होंने कही भू-जल मण्डल की कि बोरिंग महंगी पड़ती है। यह सही है कि बोरिंग महंगा पड़ता है लेकिन यहां की हालत को देखते हुए, मैं समझता हूं कई स्थान ऐसे हैं अपने जिलों में जहां उनकी बोरिंग मशीन काम नहीं करती, वहां पर यही मशीन काम करती है। अलवर, भरतपुर ऐसे क्षेत्र हैं जहां यू. पी. से आकर 10-15 रु. प्रति फुट पर काम करते हैं। इसका कास्ट किस प्रकार से लोवर डाउन हो सकता है। इसके लिए मैंने सोचा है। पिछली बार कहा था जो नुकसान होता था भू-जल मण्डल को, इनसे कहा 1970-71 में 50 प्रतिशत लॉसिज होंगे, वह वर्क आउट होंगे और 1971-72 में इतना कर दिया कि जो लॉसिज होवें बिल्कुल वाइप आउट होने चाहिये और उसका कास्ट कम होगा, नुकसान कम होगा। उस समय हम स्थिति में हो जायेंगे कि एक साल के बाद कुछ कास्ट के बारे में सोच सकें, कितना लोवर करें। आज 50 प्रतिशत 1969-70 के मुकाबले में अब चल रहे हैं। आप जानते हैं कि फैमीन में जितने काम हुए हैं, डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, जिन कुओं पर मशीनें लगा रहे हैं, खास तौर पर पश्चिमी जिलों की स्थिति के बारे में, हमारा विचार यह है कि जिन कुओं को नहीं लिया है उनको टेक ओवर करना चाहते हैं। बहुतसों का किया और औरों का करना चाहते हैं। हमने बिजली विभाग को लिखा है कि जहां नजदीक से लाइन गुजर रही है, तो ट्यूब वेल को बिजली दी जावें।

एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि पिछली दफा यह बात आयी थी कि ट्रैक्टर्स का हरिजनों को अलॉटमेन्ट

Page No 165

(श्री शोभाराम)

नहीं होता है। डिस्क्रेशनरी कोटा है 5 परसेंट। टैक्निशियन्स रखे हैं, कुछ एजेन्ट्स को दे दें, कुल मिला कर बच जाते हैं 75-80। प्रायोरिटी बेसिस पर ही उसमें से कुछ परसेंटेज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कर दिया है शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी तो बड़ी मुश्किल से आते हैं।

श्री रामकिशन : शिड्यूल्ड कास्ट के पास इतनी जमीन भी नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : है तो ठीक है नहीं तो वे ट्रैक्टर ही बेचेंगे।

श्री शोभाराम : दूसरी बात यह है ...

श्री श्रवणलाल : शिड्यूल्ड कास्ट फायदा उठाते हैं यह नहीं किन्तु ट्राइब्स वाले जरूर फायदा उठाते हैं।

श्री शोभाराम : ट्राइबल्स और शिड्यूल्ड कास्ट में मैं फर्क नहीं डालना चाहता। बहुत देर से क्यू में खड़े हुए हैं और उनका नम्बर नहीं आता है।

श्री श्रवणलाल : माननीय मंत्री महोदय, इसमें थोड़ा सा और सुझाव रखता हूं। 30 एकड़ या 25 एकड़ जमीन रखी है क्या उसको अलाट किया जावेगा ?

श्री शोभाराम : उसमें ऐसा कर सकते हैं हरिजनों के लिये 15 एकड़ की बात है उसमें कमी कर दी जाय, ताकि दीगर जमीन में भी वे चला कर उसका फायदा उठा सकें।

डिमॉन्स्ट्रेशन बड़े आदमियों के फार्मों में होता है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। एक बात हम यह करना चाहते हैं कि जिनके यहां एक बार डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया है उनके यहां दुबारा न हो। छोटे किसानों के खेतों में जाकर यह डिमॉन्स्ट्रेशन होना चाहिये ताकि थोड़ा बहुत लाभ उनको भी मिले।

एक बात यह रखी है जो सबसे बड़ी बात रखी है कि ट्रेस्पासर्स की जमीन पर लोन प्रोवाइड नहीं करना है। दो रोज पहले मिटिंग हुई उसमें यह विचार किया गया। कुछ पाबन्दी रखी जाय।

सॉइल कन्जरवेशन के बारे में राजस्थान सरकार के पास हम इसको रखेंगे कि जमीन के कटाव की समस्या को कम कैसे करें। श्री जुझारसिंह उसमें थे और आपको मालूम होगा कि इस प्रकार का सोचा गया था। पावर के बारे में कहा कि जो जमीनदार थे 84 लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भेजा है। लिस्ट भेजी है उसकी कि हमने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है। धौलपुर के लिये लिस्ट बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर और वाटर पोटेन्शियलिटी और दूसरी स्कीम्स किस प्रकार आ सकती हैं, 18-20 के करीब हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की योजना बने तो बिजली की समस्या भी हल हो सकती है।

एक पाइन्ट आपने कहा कि जिन्होंने डीजल सैट खरीद लिये और यदि उनको पावर कनेक्शन मिल जाता है तो उनका क्या होगा ? आफ हैंड कहना मुश्किल होगा। दूसरी जगह भेज देंगे यह कहना

(श्री शोभाराम)

मुश्किल होगा। मैं यह मान कर चलता हूं कि कुछ न कुछ सैकिण्ड हैंड प्राइस आती हो, सौ दो सौ रुपया कम होकर घाटा हो, जो खर्चा हुआ रैकरिंग पर भी उसको मिलाने पर फायदा ही होगा। कोई व्यवहारिक सुझाव देना चाहे तो दे सकते हैं।

तहसील के स्टाफ के लिये इतना ही कहना चाहता हूं कि इसको स्ट्रेन्थन करना चाहिये।

आपने मोबाइल सोइल टेस्टिंग युनिट के लिये बात कही वह बड़ी माकूल बात कही है।

सीडकि के बारे में एक बात है। इसके लिये सर्टिफिकेशन एक्ट है। उसके अन्तर्गत काम करने का विचार किया है। दो एजेन्सीज काम करती हैं तो संतुलित काम नहीं होगा। एक डिपार्टमेण्ट ही काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी को लोकेट करना आसान होगा।

वंगलिंग आदि की शिकायतों के लिये निवेदन करूंगा कि वे पेश कर दी जायं उसको देखूंगा।

टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने उदयपुर युनिवर्सिटी के बारे में निवेदन किया। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की ओर से माननीय सदस्य युनिवर्सिटी के बोर्ड आफ कन्ट्रोल में नोमिनेट हो गये हैं। और भी उनके सुझाव होंगे तो सरकार उनका स्वागत करेगी।

एक बात है कि युनिवर्सिटी की ओटोनोमी को हम समाप्त नहीं करना चाहते हैं। बोर्ड की ओटोनोमी को यदि एक दफा समाप्त कर देंगे तो उससे बड़ी दिक्कतें पैदा हो जावेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एजुकेशन डिपार्टमेण्ट को देने के बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री विजयसिंह : टौंक से आने वाले माननीय सदस्य को बोर्ड आफ कन्ट्रोल में नोमिनेट करने का आधार क्या है ?

श्री सत्यसिंह : यह तो डिस्क्रीशन पर है।

श्री शोभाराम : युनिवर्सिटी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो गड़बड़ शुरू हुई वह हमारे ध्यान में है। इसको हम एजुकेशन मिनिस्टर साहब के पास रखेंगे। एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी कानून में अगर ओटोनोमी को कायम रखते हुए कोई संशोधन करके किसी प्रकार इस पर इफेक्टिव कन्ट्रोल किया जाय जिससे कि बुनियादी बातों को तरजीह दी जा सके तो वह बात गवर्नमेंट के सामने उठायी जायगी।

श्री रामकिशन : ट्रेक्टरों का बताइये।

श्री शोभाराम : जर्मन ट्रेक्टरों की बात आ गई। जी. डी. आर. से जो हमारा समझौता हुआ उसके अनुसार करीब दो हजार ट्रेक्टर आये। इनको एस. टी. सी. ने इम्पोर्ट किया था। जब ये खराब साबित हुए, जिसमें दो राय नहीं है, भारत सरकार ने कहा कि इन को वापिस लो। तो जी. डी. आर. ने कहा कि वे उस कॉस्ट पर रिटर्न करने को तैयार हैं।

(श्री शोभाराम)
डी. आर. वाले कहते हैं कि ट्रान्सपोर्टेशन का खर्चा नहीं देंगे। वह रुपया 3॥। चार हजार के करीब बैठता है। गुजरात के कारपोरेशन ने इस तरह का फैसला किया है।

अब यह देखने की बात है कि पूरे रुपये को उन्होंने एडजस्ट किया है। गुजरात एग्रो-इन्डस्ट्रीज ने यह किया है: तो इसको देखने की बात है।

श्री नत्थीसिंह : आप गुजरात को क्यों देखते हैं ? आप तो अपना स्वतन्त्र निर्णय लीजिये ? यह तीन चार हजार रुपया किसान क्यों भुगते। उसने क्या कसूर किया है ?

श्री रामकिशन : गलत ट्रैक्टर आपने दिये तो बजाय इसके कि आप पर दावा किया जाय आप चार हजार का नुकसान और देना चाह रहे हैं। आप गुजरात को क्यों देख रहे हैं ?

श्री शोभाराम : मुझे खुशी होगी अगर कोई दावा इस तरह का का कोर्ट में आवे।

श्री रामकिशन : आज किसान की मजबूरी है कि दावे लायक पैसा उसके पास नहीं है। इस कमजोरी का फायदा मत उठाओ आप।

श्री शोभाराम : साढ़े चार पांच लाख रुपये कारपोरेशन कहां से दें ? हमने भारत सरकार को लिखा है कि चार हजार साढ़े तीन हजार यह ट्रू मच है। उनके पास तो इतना फण्ड भी हैं। हमारे साधन इतने अच्छे नहीं हैं। आप तो इतना कीजियेगा कि ट्रैक्टर वापिस कर दें और चाहेंगे तो कुछ परसेन्टेज लेकर लौटा पावेंगे। किसी के पास रुपया नहीं होगा तो कमर्शियल बैंक से दिलवा देंगे। ट्रैक्टर आता है 22 हजार का तो कुछ रुपयों का प्रबन्ध तो करना होगा।

श्री रामकिशन : जो खर्चा कर दिया वह तो पूरा कराओ।

श्री नत्थीसिंह : कल्टीवेटर पर कर सात पर्सेन्ट कर दिया है। इसकी परिभाषा को इन्टरप्रेट टैक्सेशन विभाग और तरह से कर रहा है, कृषि विभाग क्या कर रहा है ?

श्री शोभाराम : हमने इसको स्टेडी नहीं किया है, क्या बात है। स्टेडी करके उचित कार्यवाही करेंगे।

तो मैंने काफी समय सदन का लिया। माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो डिमान्ड रखी है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : श्री पशुपालन मन्त्री।

श्री रामकिशन : इनकी तो कोई आलोचना हुई नहीं हैं। केवल मछली वाला, सूअर वाला मामला है इनका तो। अलवर में सूअर की फैक्टरी क्यों लगाई, इतना ही बता दें। सूअर भेज दिये अलवर और नहर ले गये गंगानगर।

श्री मनफूलसिंह : पशुपालन ने अभी लोगों के दिमाग में घर नहीं किया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि खेती पर काफी सुझाव सदन में आए पर पशु पालन के सम्बन्ध में ठोस सुझाव नहीं दिये हैं। इसके लिये मुझे काफी चिन्ता है।

राजस्थान में हमारा जो पशुपालन विभाग चल रहा है इसके लिये मैं थोड़ा

(श्री मनफूलसिंह)

बहुत आपके सामने प्रकाश डालूं इसके पहले में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सन 63 में हमारे राजस्थान का एक बछड़ा पांच सौ रुपया में मिलता हैं एवरेज कीमत यह थी। लेकिन आज एवरेज कीमत बारह सौ रुपये है। तो इससे स्पष्ट है कि राजस्थान में पशुपालन-विभाग ठीक दिशा में ठोस काम कर रहा हैं।

श्री विजयसिंह : इसका कारण तो यह है कि आलकल बछड़े मिलते नहीं। अच्छी नस्ल कम हो गई है।

श्री मनफूलसिंह : नस्ल तो बढ़ रही है। हमारा विभाग सबसे अधिक जोर दे रहा है कि जब तक कैटल ब्रीडिंग नहीं होगी उसके बिना अच्छी नस्ल सुधर नहीं सकेगी इसके लिये आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने हरेक अस्पताल में जहां हमारे पशु पालन विभाग के अस्पताल हैं, फुल फलेज्ड, वहां पर हर जिले में एक सीमन बैंक खोलने का प्रबन्ध किया है जब तक नस्ल सुधारने के लिये सीमन बैंक जिले में नही रक्खेंगे तब तक मैं समझता हूं नस्ल सुधार नहीं कर सकते। इनमें हमने कृत्रिमगर्भाधान का भी प्रबन्ध किया है।

इसी तरह मछली पालन विभाग के लिये भी हम कोशिश कर रहे हैं पहले हम लाखों रुपये की सीड इसकी बाहर से मंगाते थे तो खर्चा अधिक होता था।

श्री गिरधारीलाल व्यास : समय समाप्त हो रहा है तब तक यह डिमाण्ड पास न हो जाय जब तक के लिये सदन का समय बढ़ाने की कृपा करें।

श्री नाथीसिंह : समय किनका समाप्त हो रहा है ? आपका ?

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय 15 मिनट के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री मनफूलसिंह : पर इस वर्ष हमने राजस्थान नहर के घग्घर फ्लड वाले हिस्से में लाखों रुपये का सीड वितरित किया है। हम चाहते हैं कि राजस्थान में मछली विभाग का काफी विस्तार हो। पर इस में जो लाभ हम लेना चाहते हैं वह मिल नहीं रहा है। इसका कारण यह है कि हमारे मछली के ठेकेदार जितने हैं वह आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और बोली में ऊंची बोली नही जाने देते। इससे मछली विभाग में अब तक घाटा होता रहा है।

इसके लिये हमने सोचा है कि बड़े बड़े तालाबों में, जैसा गाडियाजी ने विवेचन भी किया था, डेड रेन्ट और रायल्टी का तरीका इन्ट्रोड्यूस कर दिया जाय। इससे एक फिक्सड आमदनी राजस्थान को हो सकेगी। इससे काफी बढ़ावा भी मिलेगा।

अब अलवर वालों ने कहा कि अलवर में बेकन फैक्टरी की मांग नहीं थी फिर भी खोल दी। पर वास्तव में यह बड़ी लाभदायक फैक्टरी है।

श्री रामकिशन : ये तो कन्जर्वेटिव है।

श्री मनफूलसिंह : यह केन्द्रीय सरकार ने इसलिये खोली कि हमारे किसानों का विकास हो।

Page No 169

(श्री मनफूलसिंह)

अब वहां सूअर पालन का फार्म है। हम जो सूअर का पालन करते हैं वह हाई ब्रीड का है और उसकी कीमत 150/- रुपये 200/- रुपये तक की होती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : शोभारामजी के फार्म पर कितने सूअर हैं।

श्री भैरोंसिंह : अलवर में कितने सूअर हैं यह बता दें।

श्री मनफूलसिंह : खासतौर से जैसा माननीय सदस्यों को बताया था यह मिलिट्री के लिए खासतौर से इसका मीट भेजना चाहते हैं और यही दृष्टिकोण रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने इस फार्म की स्थापना का वहां पर निश्चय किया है। अभी तक यह फार्म पूरी तौर से शुरू नहीं किया गया है। इसको ट्रायल रूप में हम चला रहे हैं। यह लाभ की चीज हो सकती है। इससे किसानों की बड़ी भारी खुशहाली हो सकती है क्योंकि सूअर किसानों के घर घर में पलेगा। आपने देखा भी होगा, कई जगह किसानों ने इसको पाला है क्योंकि ज्यादा और जल्दी बढ़ोतरी होती है। इस तरह से सूअर पालने से किसानों को तकलीफ होगी और उनकी समृद्धि होगी

श्री जगन्नाथ पटेल : मक्का खा जायेगा, सूअर नहीं पालेंगे।

श्री मनफूलसिंह : इसलिए, सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर पशुपालन का महकमा काफी महत्वपूर्ण है लेकिन इसकी ओर लोगों ने पूरा ध्यान नहीं दिया। अगर किसान अच्छे पशु रखता है, अच्छा पशुपालन करता है तो मैं समझता हूं कि किसान को बहुत अधिक पैदा हो सकती है और उसका लाभ भी बहुत अच्छा उसको मिल सकता है। उससे उसको गोबर मिल सकता है, दूध, दही, छाछ और मक्खन मिल सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक पशुपालन हो परन्तु मैं इस बात के लिए उदास हूं कि हमारे हाउस के अन्दर इस महकमे के प्रति उदासीनता बरती जाती है। और इसी तरह मैं समझता हूं कि और विभागों के बनिस्पत सरकार को भी थोड़ी बहुत इसके प्रति उदासीनता है। आपने देखा होगा हमारे वेटरनरी कालेज से स्टूडेन्ट्स निकलते हैं उनके लिए हमारे पास में जगह नहीं है। इसी तरह से हमारी दूसरी जो इसके इक्वेलेन्ट पोस्ट्स हैं कृषि विभाग की उनकी तो राणावत आयोग ने वेतन-शृंखला बढ़ा दी है परन्तु हमारे डाक्टरों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई है। बजाय तनख्वाह बढ़ाने के उनकी तनख्वाह और घटा दी है। ऐसी मेरी मान्यता है। इसलिए मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि इस विभाग की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। उससे हमारे देश की समृद्धि होगी, हमारे देश का धन बढ़ेगा और हमारे देश में खाने पीने की चीजें अच्छी मिल सकेंगी जिससे आपका स्वास्थ्य भी बढ़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है और वेटरनरी डाक्टर्स की जो ग्रेड तय की गई है क्या उससे आप एग्री नहीं करते हैं।

श्री मनफूलसिंह : एग्री नहीं करता हूं इसीलिए तो कह रहा हूं।

(श्री मनफूलसिंह)

इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह जो पशुपालन विभाग है उसके अन्दर भेड़ ऊन का विभाग भी सम्मिलित है। हिन्दुस्तान के अन्दर जो ऊन पैदा होती है उसमें से हम राजस्थान के अन्दर 45 प्रतिशत ऊन पैदा करते हैं। इस तरह से यह सारे का सारा एक कृषि से जुड़ा हुआ महकमा है, कृषि से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो आता है वह किसान होता है और अगर किसान पशुपालन के अन्दर ज्यादा ध्यान देगा तो वह खुशहाल होगा। मैं समझता हूं राजस्थान सरकार इसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रही है और इस ध्यान देने से किसानों की हालत सुधरती जा रही है और यह एक खास कारण है। इस लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं आप माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप भी इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें ताकि यह महकमा तरक्की कर राजस्थान समृद्धिशाली हो सके।

श्री रामकिशन : एक सुझाव है मिलीटरी के लिए सूअर आप पाल रहे हैं। उसका फार्म है। एक मछली के लिए कोल्ड स्टोरेज भी बना लें। दिल्ली पास है और वहां की डिमान्ड भी है। यह अलवर की मांग है औद्योगिकरण की दृष्टि से।

श्री मनफूलसिंह : हां, कोल्ड स्टोरेज है। मछली भी उसमें रखी जायेगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुर्गी, मछली, सूअर यह तीनों ही आधार है ...

एक माननीय सदस्य : बोतल भी रक्खी जायगी ...

श्री हंसराज आर्य : गोगामेडी के मेले के अवसर पर सरकार ने यह ऐलान किया था कि सार्वजनिक हित के लिए 25 हजार रुपया खर्च किया जावेगा, उसका क्या हुआ ?

श्री मनफूलसिंह : राजस्थान सरकार ने पिछले साल गोगामेडी के लिए 25 हजार रुपया खर्च करने का आश्वासन दिया था और उसमें से करीब 13 हजार रुपया खर्च कर दिया गया है ? यह खर्च बिजली, पानी और किसान, पशुपालक जो आते हैं उनके लिए व जो बछड़े आते हैं उनकी सुविधा के लिए इन्तजाम पर किया गया है और जिसका एक मास्टर प्लान भी बना लिया गया है।

श्री हंसराज आर्य : यह 13 हजार कौनसी स्कीम पर खर्च किया गया है गोगामेडी की ?

श्री मनफूलसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री हंसराज आर्य : आपने कैसे कहा कि 13 हजार खर्च कर दिये हैं।

श्री मनफूलसिंह : मैं आपको बता दूंगा।

श्री अमीलाल यादव : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो पशु मेले प्राईवेट आदमियों द्वारा लगाये जाते हैं उनको राजस्थान सरकार अपने हाथ में ले। इन प्राइवेट मेलों से किसी को फायदा नहीं होता है और लोगों ने यह बिजनेस बना रखा है। क्या राज्य सरकार अपनी यह नीति नहीं रखती है कि प्राइवेट मेलों को बन्द करके सरकार इनका इन्तजाम अपने हाथ में ले ले ?

श्री मनफूल सिंह : इसकी जांच करवा ली जायेगी और सरकार यह समझेगी तो इसका इन्तजाम अपने हाथ में ले लेगी।

Page No 171

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19 मुख्य शीर्षक 31—कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च 1972 की समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 7 करोड़ 47 लाख 32 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3 करोड़ 61 लाख 76 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 मुख्य शीर्षक 95, कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16 लाख 84 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही दिनांक 26 अप्रेल के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 6 बजकर 10 मिनट पर दिनांक अप्रेल, 1971 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई ।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 421 की सूची)

स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आदेश की प्रति

निम्नलिखित विभागों में जो अधिकारी तीन वर्ष से अधिक समय से हों उनके स्थानान्तरण अनिवार्य रूप से कर दिये जावें :–

(1) राजस्व विभाग	निरीक्षक, लैण्ड रेकार्ड तथा उससे ऊपर के अधिकारी (नायब तहसीलदार :, तहसीलदार, उप खण्ड अधिकारी, जिलाधीश आदि)।
(2) पुलिस विभाग	थानेदार एवं उससे ऊपर के अधिकारी।
(3) वाणिज्य एवं आबकारी विभाग	निरीक्षक एवं उससे ऊपर के अधिकारी
(4) सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग	सहायक अभियन्ता एवं उससे ऊपर के अधिकारी गण।
(5) वन विभाग	रैन्जर एवं उससे ऊपर के अधिकारीगण।
(6) विकास विभाग	खण्ड विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.)

उपरोक्त स्थानान्तरण एक माह की अवधि में कर दिये जावे।

Page No 173

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्र. सं. 430 की सूची)

कार्यालय जिलाधीश, भरतपुर

दिनांक 23–5–70

क्रमांक एफ. 34 (14) 70।10721

वास्ते,

प्रशासक-महोदय,
नगरपालिका,
डीग ।

विषय :-स्वीकृति बिक्री भूमि खन्ड ।

प्रसंग :-आपका पत्र संख्या 97 दिनांक 30–4–69 व 249
दिनांक 7–5–70 ।

आपके उपरोक्त पत्र के प्रस्तावित 311 वर्गगज 'सी' श्रेणी के भूमि खन्ड को एक रुपया प्रति वर्गगज की दर से लीज होल्ड राइट पर श्री वृज भूषण पुत्र मोहनस्वरूप निवासी डीग को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 80 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आपकी नगरपालिका की मूल पत्रावलियां यहां भेजी गई थी संलग्न की जाकर वापिस लौटाई जाती हैं।

संलग्न :-मूल पत्रावलि

ह0

जिलाधीश भरतपुर।

प्रतिलिपि पत्र सं. 1688 दिनांक 29–1–71 की ओर से अध्यक्ष नगरपालिका, डीग।

विषय:—जांच बाबत नीलामी भूखण्ड 8035 ब्रजभूषण पुत्र श्री मोहन स्वरूप वार्ड नं0 11 कस्बा डीग जिला भरतपुर।

प्रसंग :—आपका पत्र सं. एफ. 5(577) डी एल बी/1970/39009 दि0 16–12–70।

आपका उपरोक्त विषय का पत्र मिला सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा मौके की जांच की गई तो निम्न कमियां उक्त नीलामी के होने में पाई गई।

1. विज्ञापित बाबत नीलामी भूखण्ड नियमानुसार जारी करना मालूम नहीं होता क्योंकि विज्ञप्ति 6–4–69 रविवार को जारी होना पाया जाता है जबकि कार्यालय की छुट्टी थी इससे प्रतीत होता है कि यह कार्यवाही कार्यालय में बैठकर बाद की तारीखों में पूरी की गई है।

2. यह कि सम्बन्धित भूखन्ड की जो स्थिति मय लम्बाई चौड़ाई हद्दूद अर्बा दर्ज की गई है उससे भी ऐसा भान होता है कि यह तमाम कार्यवाही मसनूई बिना मौके पर जाये बनाई गई है।

3. यह कि भूखन्ड पर दरख्वास्त देहन्दा (जगन्नाथ प्रसाद) के काम के उपयोग की हैं और भूखन्ड पर उसका दरवाजा, जंगले मोरी पड़ती है और यह इस्टेपलैन्ड की तारीफ में आती है और दूसरे के हित में नीलाम हो जाने से परेशानी एवं हानि है।

4. यह कि नीलामी की मुनादी भी नहीं कराई गई हैं क्योंकि मौके पर इने गिने आदमियों के अलावा किसी की मौजूदगी जाहिर नही होती है विशेषतया इन व्यक्तियों में नगरपालिका का लिपिक वर्ग है।

5. यह कि इन लोगों की बोली लगाना पाया जाता है उनकी मौखिक जांच से भी ऐसा मालूम हुआ है कि तमाम कार्यवाही किये जाने के बाद चलते फिरते दस्तखत करा लिये।

6. यह कि तमाम कार्यवाही इसलिये भी संदिग्ध हो जाती है कि प्राप्त कर्ता भूमि बाअसर आदमी है और उनके पिताजी कार्यालय में भूतपूर्व अध्यक्ष थे और वर्तमान में मैम्बर हैं तथा सम्बन्धित कर्मचारी या तो उनके द्वारा नियुक्त हुए हैं या उनके नजदीकी हैं।

अतः मैं उक्त कारणों से इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि नीलामी भूखन्ड में अनियमितताएं बरती गई हैं और नीलामी काबिले मंसूखी है।

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 431 की सूची)

सूची 'क'

विषय :--तारांकित प्रश्न संख्या 84/मु. मं. द्वारा श्री शंकर लाल।

जैतारण तहसील के काश्तकारों के विचाराधीन आवेदन पत्र

क्र. सं. 1	दिनांक 2	प्रार्थी का नाम 3
भैंथी फरगुलाम :--		
1.	9-9-70	माणकराम पुत्र धन्नाराम गांधी।
2.	9-9-70	सुशीला देवी पत्नि भंवर लाल।
3.	9-9-70	गन्द रूप पुत्र मोती कुम्हार।
4.	1[illegible]-9-70	छुतरा राम पुत्र भूला राम।
5.	18-6-79	जसापुरी गुसांई पुत्र पेमापुरी।
6.	18-9-70	भीखाराम धोबी पुत्र मस्ता राम।
7.	3-10-70	भगवतसिंह पुत्र जोरावर सिंह।
8.	3-10-70	भवानीसिंह पुत्र शेर सिंह
9.	3-10-70	उम्मेद सिंह पुत्र हनुमन्त सिंह।
10.	3-10-70	गोविन्द सिंह पुत्र हनुमान सिंह।
11.	3-10-71	मोहन लाल पुत्र गोकुल राम।
12.	3-10-70	वेदा राम पुत्र रावत राम।
13.	3-10-70	घोकल राम पुत्र मेना जी माली।
14.	7-10-70	कामां पुत्र आलू गांधी।
15.	15-10-70	चेला राम पुत्र मुकना राम।
16.	2-12-70	रामा राम जाट पुत्र धीरा राम जाट।
17.	14-12-70	शिव राम सेवक पुत्र मस्ती राम।
18.	14-12-70	जवरी लाल पुत्र शिव राम सेवक।
19.	11-1-71	महेशचन्द्र शर्मा पुत्र वन्शीधर शर्मा।
20.	21-1-71	भूरा राम पुत्र सुखा।
21.	27-1-71	राम जीवन पुत्र बंशी लाल।
22.	29-1-71	सवाई सिंह पुत्र किशन सिंह।
23.	30-1-71	श्रीमती सुगन कंवर पत्नी सुदड़ सिंह
24.	1-2-41	शिवदान सिंह पुत्र रेंवत सिंह।
25.	4-2-71	कालू सिंह गोषा पुत्र हमीर सिंह।

Page No 176

1	2	3
26.	4-2-71	भंवरलाल मूंदड़ा पुत्र लक्ष्मी नारायण।
27.	4-2-71	रतनलाल भंवर पुत्र मूल चन्द ।
28.	4-2-71	सज्जन सिंह पुत्र भूला सिंह।
29.	8-2-71	राम विलास पुत्र जय नारायण।

नोट:--निगम के निर्णयानुसार दिनांक 8-2-71 तथा उससे पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों को दिनांक 8-2-71 को प्राप्य माना गया है।

मोटर 2011:-

1.	18-12-69	श्री भंवरलाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण
2.	26-2-70	श्री फूल सिंह पुत्र श्री भैरू सिंह
3.	3-7-70	श्री बस्ता राम पुत्र श्री गणेश जी
4.	6-7-70	श्री राम लाल पुत्र श्री केवल चन्द
5.	22-7-70	श्री दाना राम पुत्र श्री भाना राम
6.	11-6-70	श्री नरेन्द्र कुमार, मुकन्द राम किसन पुत्र श्री अजय करण ।
7.	11-1-71	श्री रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री बन्शीधर वैद्य
8.	25-3-71	श्री गोकुल राम पुत्र श्री मोती राम।

मोटर 5311:-

1.	18-9-70	श्री देवी लाल पुत्र श्री हजारी लाल।

भेलारन्स 47 आधारित :-

1.	16-9-70	श्री कस्तूर चन्द।
2.	12-10-70	श्री विजय मल, गंभीर मल, अमर कुंवर पुत्र श्री दौलत मल।

एरियर डी. टी. 14:-

1.	15-3-69	श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री राधेश्याम
2.	26-6-69	श्री रघुनाथ सिंह पुत्र श्री गुरधरसिंह
3.	28-6-69	श्री चन्द सिंह पुत्र श्री किशन सिंह
4.	22-12-69	श्री कालू सिंह पुत्र फतेहसिंह

टी. 25:-

1.	14-12-70	श्री दाना राम पुत्र श्री ऊना राम

सूची 'ख'

विषय:-तारांकित प्रश्न संख्या 941 मु म. द्वारा के शंकर लाल।
जैतारण तहसील के कास्तकारों को आवंटित किये गये ट्रैक्टरों की सूची

क्र. सं.	दिनांक	प्रार्थी का नाम	आवंटन की तिथि
1	2	3	4
	सेत:रूस 47 आधारित		
1.	24-4-70	श्री पारस सिंह	19-8-70
	उरसस सी-335:-		
1.	4-9-70	श्री रघुनाथ सिंह पुत्र श्री भूधर सिंह।	जनवरी 1971
2.	9-9-70	श्री लाल राम पुत्र श्री काना राम	जनवरी 1971
3.	16-9-70	श्री भवानी सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह	जनवरी 1971
4.	25-11-70	श्री सरदार लाल पुत्र श्री केशर लाल	जनवरी 1971

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

गोलासण ग्राम के काश्तकार को स्वीकृत ऋण

432. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या यह सत्य है कि ग्राम गोलासण, तहसील सांचोर के एक काश्तकार के नाम से भूमि बन्धक बैंक जालौर से भूमि विकास के लिए कोई ऋण प्राप्त किया गया था ? अगर हां, तो कब किसके नाम से व किस प्रयोजन के लिए ऋण प्राप्त किया गया था ?

2. क्या यह भी सत्य है कि वास्तव में उस ऋण की रकम उस गरीब काश्तकार को अब तक नहीं दी गई है और ऋण प्राप्त करने की फर्जी रसीद प्राप्त करली गई हैं ? अगर हां, तो कब व किसने ?

3. उक्त ऋण की रकम काश्तकार को सरकार कब तक दिलाने की व्यवस्था करेगी ? दोषी अधिकारी के खिलाफ सरकार भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

1. जी हां, यह सत्य है कि ग्राम गोलासण, तहसील सांचोर में जालौर सहकारी भूमि विकास बैंक लि., द्वारा एक काश्तकार श्री काना, गगला, सवदा व गणेशा को पंपिंग सैट हेतु ऋण के लिये 7000) रु. का चैक कम्पनी के जरिये व 1500) रु. कुए की मरम्मत एवं बोरिंग के लिये काश्तकार को चैक द्वारा दिनांक 15-6-70 को दिये।

2. जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता फर्जी रसीद प्राप्त करने की कोई शिकायत भी बैंक अथवा विभाग में प्राप्त नहीं हुई।

3. प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रतनगढ़ नगर में आई. टी. आई. की बिल्डिंग का निर्माण कार्य

433. श्री लाभ चन्द वेद (सुजानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या यह सही है कि रतनगढ़ नगर में आई. टी. आई. की बिल्डिंग निर्माण हेतु सरकार को किसी दानदाता ने दान दिया है ? यदि हां, तो यह राशि कितनी और कब विभाग को मिली ?

2. क्या विभाग की ओर से इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया ? यदि हां, तो कब किस एजेन्सी द्वारा और किस दर पर !

3. क्या यह सही है कि उक्त भवन का एक भाग निर्माणावस्था में ही गिर गया था ? और तभी से निर्माण कार्य बन्द पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो कार्य कब बन्द हुआ और पुनः चालू करवाये जाने की अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

1. जी हां। यह धन राशि 2,25,00) रु.

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) की दिनांक 7-11-66 को प्राप्त हुई थी ।

2. जी हां । 19-8-66 को मैसर्स सीमेन्ट्स लि. सुजानगढ़ को शिड्यूल 'जी' से 28 प्रतिशत पर कार्य करने दिया था ।

3. अगस्त 1969 में वर्षा के दिनों में भवन का एक भाग गिर गया था । यह कार्य 1-8-69 से बंद था। कार्य विभाग द्वारा इसी मास आरंभ कराया जा रहा है ।

बारां नगरपालिका में हरिजन कर्मचारियों की संख्या

434. श्री **देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां नगर की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका बारां में हरिजन कर्मचारियों की संख्या कम है और इसी कारण नगर की सफाई पूर्ण रूपेण नहीं हो पाती है ?

(2) बारां नगरपालिका में इस समय हरिजन कर्मचारियों की संख्या कितनी हैं और यह संख्या कितने वर्षों से चली आ रही है ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका बारां ने हरिजन कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाने की मांग सरकार से की है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया ?

उत्तर

1. आबादी के अधिकृत आंकड़ों के अनुसार कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की हुई है। उस ही के अनुसार बारां में भी हरिजन कर्मचारी लगे हुए हैं।

2. 94।

गत 5 वर्षों से।

3. जी हां।

अस्वीकृत करदी गई थी।

कठूमर पंचायत समिति क्षेत्र की सहकारी समितियों के चुनाव

435. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कठूमर पंचायत समिति क्षेत्र में कितनी सहकारी समितियां हैं ?

(2) इन सहकारी समितियों के चुनाव पिछली बार कब हुए थे व क्या इनके चुनाव नियमित रूप से होते हैं ?

(3) क्या इनका आडिट विभाग द्वारा वर्षानुवर्ष होता है ? यदि हां, तो कठूमर की बाबा सहकारी समिति की आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

सवाईमाधोपुर में ओवर ब्रिज की स्वीकृति

436. श्री **हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) क्या सही है कि सवाईमाधोपुर रेल्वे जंक्शन की ब्रिड एवं मीटर गेज की फाटकों पर ओवर ब्रिज बनाए जाने की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जा चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि इसकी एप्रोच रोड बनाए जाने का दायित्व राज्य सरकार पर है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 1970–71 में इस कार्य हेतु राज्य के बजट में कोई प्रावधान किया है ? यदि हां' तो कितनी राशि का ?

(4) क्या इस वर्ष राज्य सरकार ने अपने दायित्व की पूर्ति में कोई निर्माण कार्य इस पुल का आरंभ कराया ? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? यदि नहीं तो इस कार्य को पूरा करने में राज्य सरकार को क्या बाधाएं हैं ? राज्य सरकार इस कार्य को कब आरंभ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) एक लाख का प्रावधान किया गया था।

(4) जी नहीं, धनराशि व्यय नहीं हुई है। रेल्वे अधिकारियों से तकमीने प्राप्त नहीं हुये हैं।

मकानों का अनधिकृत निर्माण

437. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) कोटा नगर के वार्ड नयापुरा उत्तर व वार्ड छावनी छापुरा में कितने मकानों का निर्माण अनधिकृत है ? कृपया तालिका मय संख्या व नाम देने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि मंडी कमेटी द्वारा पूर्व में उपरोक्त मकानों को गिराने की कार्यवाही की गई थी ?

(3) अब न्यास उपरोक्त मकानों के निर्माण को नियमित किए जाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(स्थगित किया गया)

थाना उनियारा में दर्ज मामला

438. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सत्य है कि दिनांक 19–11–70 को कुछ व्यक्तियों ने शिवदयाल विलोची नि. उनियारा, के रहनसुदा खेत में फसल काटी थी ?

(2) क्या यह सही है कि मुस्तगीस थाना उनियारा, जिला टोंक में रिपोर्ट दर्ज कराने गया था, तो स्थानीय अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की ? यदि की, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि इस एफ. आई. आर. के आधार पर पुलिस ने

(श्री दिग्विजयसिंह)

तफतीश की । यदि हां, तो यह तफतीश कब शुरू की गई ?

(4) क्या यह सही है कि मुस्तगीस श्री शिवदयाल ने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, टोंक के यहां पर जुर्म दफा 395, 379, 447, 427 व 352 ता. हि. के अन्तर्गत केस दायर किया था ? यदि हां, तो कब ?

(5) क्या यह सत्य है कि मुन्सिफ कोर्ट ने दिनांक 21-11-70 थाना उनियारा को इसकी तफतीश के लिए भेजा और दिनांक 4-1-71 को पेश करने के आदेश दिए ?

(6) क्या यह सही है कि थानेदार उनियारा ने दिनांक 4-1-71 को केस तफतीश करके अदालत में पेश किया ?

(7) क्या यह सही है कि इस केस में तफतीश करने में विशेष विलम्ब हुआ उसका यह कारण था कि जो मुलजिम थे वे सब थाना सर्किल के बाहर के थे ।

(8) क्या यह सही है कि इस केस में पुलिस ने अभी कुछ दिनों पूर्व फाइनल रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

उत्तर

1. जी हां, यह सही है ।

2. जी नहीं । मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश इस्तगासे पर केस हुआ उसमें रिपोर्ट दर्ज न करने का आरोप लगाया उसकी जांच की जा रही है ।

3. उपरोक्त प्रार्थना-पत्र, जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. में थाना उनियारा भेजी, पर मुकदमा दि0 21-11-70 को दर्ज कर, तुरन्त अनुसंधान आरम्भ की गई।

4. जी हां, यह सही है । जैसा ऊपर बताया गया है ।

5. जी हां, यह सही है ।

6. जी नहीं ।

7. अनुसंधान पूर्ण करने में कोई विशेष विलम्ब नहीं हुआ । जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था वे थाना क्षेत्र के ही निवासी थे ।

8. जी हां, पुलिस उनियारा ने अनुसंधान सम्पूर्ण करके दिनांक 12-2-71 को अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकू जुर्म में पेश किया है क्योंकि अनुसंधान से यह घटना सही नहीं पाई गई ।

पिट्स बेचने के लिए कलेक्टर की मन्जूरी

439. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत—(भीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका गांव में जब पिट्स बेचती है, तो कलेक्टर से मन्जूरी लेने के बाद ही खरीददार को हैन्ड ओवर की जा सकती है ?

(2) क्या यह सही है कि ये पिट्स बहुत छोटे टुकडे होते हैं और ज्यादातर घरों के पास कुछ गज जमीन ही होती है ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

(3) क्या यह सही है कि इन कागजों की खानापूरी कलेक्टर द्वारा कराई जाने से प्रायः जनता को बेकार परेशान होना पड़ता है ?

(4) क्या सरकार कलेक्टर के स्थान पर उप जिलाधीश से स्वीकृति प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार करेंगी ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां।

3. जी नहीं।

4. ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

झुंझुनूं–बिसाऊ सड़क पर मिट्टी डालने का ठेका

440. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुंझुनूं से बिसाऊ सड़क पर मिट्टी डालने का ठेका कब कब किस किस को कितने कितने रुपयों में दिया गया व कार्य कब कब पूरा हुआ व पेमेंट कब कब किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य के लिये टेन्डर मांगे गये थे ? यदि हां, तो किस किस के कितने कितने टेन्डर थे ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस कार्य में मिट्टी की ज्यादा नाप बताने पर शिकायत हुई और ठेकेदार का पेमेंट रोका गया ? यदि हां, तो जांच में क्या पाया गया व कितना फर्क निकला ?

उत्तर

1. दिनांक 9–10–68 को श्री केशरदेव ठेकेदार को 20,000 रु. का मिट्टी डालने का ठेका दिया था जो 7–1–69 को पूरा हुआ है। भुगतान की सूची 'अ' संलग्न है।

(2) जी नहीं। कार्य आवश्यक था।

(3) जी हां। जांच करने पर 2,11,590 घन फुट मिट्टी का अन्तर पाया गया जिसका मूल्य रु. 3650.00 है।

सूची (अ) तारांकित प्रश्न संख्या 139

प्रथम बिल	दिनांक	29–10–68	2557
द्वितीय बिल	,,	11–11–58	2402
तृतीय बिल	,,	30–11–68	4933
चतुर्थ बिल	,,	4–12–58	4217
पंचम बिल	,,	4– 1–69	2978
षष्टम बिल	,,	31– 8–69	4804
सिक्योरिटी डिपोजिट	,,	20–11–69	2192

ग्राम लाछड़ी में पानी के होज का निर्माण कार्य

441. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम लाछड़ी तहसील लाडनूं जिला नागौर में विभाग द्वारा पानी का होज बनाया गया ? यदि हां, तो कब किस ठेकेदार से तथा ठेका कितने रुपयों में किस प्रकार से दिया गया ?

(2) कुल कार्य कितने रुपयों का हुआ और ठेकेदार को कितना कितना रुपया कब-कब पेमेंट किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इस निर्माण कार्य का निरीक्षण किस किस अधिकारी ने कब कब किया और क्या क्या कमियां पाई गई ?

(4) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें कभी प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या क्या और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ? सूची पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह कार्य विभागीय शर्तों के अनुसार हुआ है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

1. जी हां, कार्य 25-9-70 को अलॉट किया गया तथा 6 फरवरी 71 को पूर्ण किया गया यह कार्य मैसर्स नेशनल लेबर कोन्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लाडनूं को बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट्स सार्वजनिक निर्माण जोधपुर वृत की पर रुपये 4999/-का दिया गया।

2. अब तक कुल कार्य 7288/-रुपयों का हुआ सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

3. इस निर्माण कार्य का निरीक्षण सहायक अभियन्ता द्वारा अधिदर्शक के साथ दिनांक 12-10-70, 15-11-70 एवं 18-12-70 को किया गया।

(1) अधिशासी अभियन्ता नागौर द्वारा दिनांक 18-12-70 को सहायक अभियन्ता व अधिदर्शक के साथ किया गया,

(2) जिलाधीश, नागौर द्वारा 12-12-70 को किया गया।

सहायक अभियन्ता के निरीक्षण दिनांक 12-10-70 के दौरान चुनाई में निम्न-स्तर का सामान काम में लाना पाया गया। तथा मौके पर ही निम्नस्तर की चुनाई तुड़वाने तथा ठीक प्रकार का सामान काम में लाने का आदेश दिया। और भविष्य के लिए चेतावनी दे दी। तत्पश्चात् इस कार्य में आगे के निरीक्षणों में किसी प्रकार की कमी नहीं पाई गई।

4. जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

5. जी हां, प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(31–3–71)

अप्रोच रोड के कार्य का ठेका

171. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बारां क्षेत्र की अप्रोच रोड़ कोयला, फतेहपुर रोड़ को डामर रोड़ बनाने का ठेका हो गया था ? यदि हां, तो किस किस ठेकेदार को किन किन टर्म्स व कन्डीशन पर कितने कितने रुपयों का ठेका कब कब दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या उक्त ठेकेदारों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो अब तक कितना कितना कार्य हो गया है ? और पूरा कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(15–4–71)

पैट्रोल पम्प के लिए भूमि

272. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सोजती गेट से स्टेशन जोधपुर पर स्थित मुंदडा पैट्रोल पम्प को नगर सुधार न्यास द्वारा अवाप्त किया गया है ? अगर हां, तो कब अवाप्त किया गया और अवाप्त करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त पेट्रोल पम्प की जगह उनको दूसरा प्लाट दिया गया है ? अगर हां, तो किस जगह यह प्लाट दिया गया है और अगर मुआवजा दिया गया है, तो कितना ?

(3) क्या यह भी सही है कि जोधपुर नगर में इस प्रकार से और भी पेट्रोल पम्प अवाप्त कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने और किस किस पेट्रोल पम्प की क्या क्या शर्त अवाप्त करने की है ? पिछले दो वर्ष में कितने इस प्रकार से पेट्रोल पम्प अवाप्त किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(31–3–71)

प्राचीन चित्र व मूर्तियों की चोरी

176. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गत दो वर्षों में प्राचीन चित्र व मूर्तियों की चोरी का दौर रहा है ?

(2) गत दो वर्षों में राज्य में कुल कितनी मूर्तियां कहां कहां से चोरी गईं और कितने चित्रों तथा मूर्तियों को क्या पुलिस बरामद कर सकी ?

(3) ग्राम हिंडोली व देवझर से चोरी गई मूर्तियों को क्या पुलिस बरामद कर सकी ?

Page No 185

(श्री केसरीसिंह हाडा)

(4) क्या यह सत्य है कि फरवरी 1970 में पुलिस द्वारा भीलवाड़ा में एक जैन मूर्ति चोरी करने वाले को पकड़ा गया? क्या पुलिस उससे और भी मूर्तियों को बरामद कर सकी?

(5) क्या यह सत्य है कि मूर्तियों व चित्रों की चोरी करने वालों का कोई गिरोह है जिसे विदेशी सहायता प्राप्त होती है? यदि-हां, तो क्या उसकी भी पुलिस ने जांच की है?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(15-4-71)

कृषकों को दवाइयों का वितरण

273. श्री हरलालसिंह [illegible] (श्री माधोपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि विभाग द्वारा सन् 1960 के बाद फसलों के रोग की रोकथाम के लिये कौन कौन सी दवाई कितनी कितनी मात्रा व कीमत की कब कब खरीदी गई? सूची सालवार बताने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इस समय जो दवाइयां कृषकों को विभाग द्वारा दी जा रही हैं वे काफी पुरानी होने से असर नहीं करती?

(3) उपरोक्त सन् के बाद कितनी कितनी दवाइयां किस किस जिले को कब कब दी गई व कितनी कितनी बांटी व बेची गई व कितनी कितनी पड़ी हैं?

(स्थगित किया गया)

Page No 186

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 428 की सूची)

सोसाइटीज को आवंटित किए गए प्लाटों की सूची

क्रम संख्या	सोसाइटी का नाम	प्लाटों की संख्या
1.	जयपुर पुरुषार्थी कोआपरेटिव सोसाइटी	400
2.	पंजाबी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी	425
3.	सिंधी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी	277
4.	जयपुर रिफ्युजी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी	226
5.	पंजाब रिहेबिलिटेशन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी	130
6.	विलेज रिलीफ रिकन्सट्रक्शन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी	–
	योग:–	1458

नक्शा सोसाइटीज ऋण वितरण

क्र. सं.	रेफ्युजी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी का नाम	किश्तों का क्रमांक	ऋण देने का दि.	ऋण जो दिया गया
1	2	3	4	5
1.	जयपुर पुरुषार्थी कोआपरेटिव सोसाइटी, जयपुर ।	1	15–4–50	96,500
		2	28–12–51	54,000
		3	18–2–52	42,500
		4	31–3–52	63,900
		5	19–5–52	32,600
		6	19–5–52	28,125
		7	30–3–53	49,345
		8	16–9–53	47,155
		9	11–5–55	56,250
		10	31–3–56	48,250
		11	31–3–56	28,125
		12	31–3–59	1,33,650
			योग:–	6,80,400

1	2	3	4	5
2.	पंजाबी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, जयपुर	1	15–4–50	1,03,000
		2	10–11–51	1,03,000
		3	18–2–52	1,03,000
		4	29–5–52	48,937.50
		5	26–12–52	71,500
		6	31–3–59	2,32,482.50
		7	31–3–61	1,38,880.00
			योग:–	800,800.00
3.	सिन्धी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी	1	29–3–52	1,68,750
		2	25–3–54	1,68,750
		3	8–3–58	1,04,625
		4	31–3–59	1,04,625
		5	31–3–60	1,33,650
			योग:–	6.80,400
4.	जयपुर रिफ्युजी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, जयपुर।	1	15–4–50	64,500
		2	28–8–51	5,000
		3	26–1–51	64,500
		4	31–5151	64,500
		5	3–8–51	25,000
		6	27–8–51	5,000
		7	10–11–51	34,500
		8	26–11–51	32,250
		9	18–2–52	16,875
		10	31–3–52	16,875
		11	31–3–52	32,250
		12	29–5–52	39,375
		13	11–12–52	39,375
		14	20–3–53	29,330

Page No 188

1	2	3	4	5
		15	27-7-53	10,045
		16	27-7-53	32,515
		17	29-3-54	1,05,380
			योग:-	5,84,920
5.	पंजाबी रिहेबिलिटेशन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी	1	15-5-50	52,000
		2	4-2-51	25,000
		3	14-3-51	27,000
		4	11-5-51	52,000
		5	10-11-51	26,100
		6	18-2-52	26,000
		7	31-5-52	11,250
		8	24-11-52	26,000
		9	30-3-54	11,250
		10	29-3-55	11,250
			योग:-	267,850

परिशिष्ट 6

(अ. प्र. सं. 425 की सूची)

नक्शा तुलनात्मक कतल हल्का सरकल जालौर व भीनमाल सन् 1968-69-70 व 1-2-71 से 31-3-71 तक माफिक विधान सभा प्रश्न संख्या 35/एच. एम./द्वारा श्री रघुनाथ विश्नोई विधायक

क. सं.	नाम सर्किल	सन्	रिपोर्ट दर्ज हुई	अदम व कुल	तसलीम	अदम पता	अदम सबूत	157 बी. जा. फो.	जेर तफतीश	चालान	चालान 512 जा. फो.	सवां	रिहारावो बरी	नामं	पेण्डिग कोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	जालौर सर्किल	1968	10	2	8	1	3	—	—	4	—	1	1	—	2
2.	,,	1969	13	4	9	—	—	—	1	8	—	4	3	—	1
3.	,,	1970	8	2	6	2	—	—	—	4	—	2	—	—	2
4.	,,	1971	2	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
						सर्किल भीनमाल									
1.	भीनमाल सर्किल	1968	8	—	8	1	1	-	—	6	—	2	4	—	—
2.	,,	1969	9	2	7	1	—	—	—	6	—	4	1	—	1
3.	,,	1970	14	—	14	3	—	—	2	5	—	2	—	—	7
4.	,,	1971	4	—	4	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2

नक्शा तुलनात्मक चोरी मवेशी हल्का सर्कल जालोर व भीनमान सन् 1968, 1969, 1970 व 1971 तक माफिक विधान सभा प्रश्न संख्या 341 एच एम द्वारा श्री रघुनाथ विश्नोई विधायक

क्र.सं	नाम सर्किल	सन्	दर्ज हुए	अदम वकुफ	तालीम	अदम पता	अदम सबूत	157 वीं जा फी	चालान	चालान 512 वा. फो	सजा	रिहा बरी	राजी नामा	पेंडिंग कोर्ट	जेर सफ.	माल माल मसरुका	माल वाजियाफ्ता	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	जालोर	1968	17	2	15	2	2	—	11	—	4	1	3	3	—	10695)	9445)	
2.	,,	1969	20	5	15	4	1	—	10	—	1	—	2	7	—	8020)	6050)	
3.	,,	1970	13	4	9	1	1	—	6	1	—	—	—	7	—	7880)	5080)	
[illegible]	,,	1971	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1600)	—	
							सरकल भीनमाल (पशुचोरी)											
1.	भीनमाल	1968	28	5	23	1	—	—	22	—	6	7	5	4	—	1535)	12256)	
2.	,,	1969	33	10	14	7	—	—	16	1	3	3	3	8	—	12570)	9490)	
3.	,,	1970	43	9	34	4	1	—	22	1	5	1	—	17	6	23176)	13055)	
4.	,,	1971	6	—	6	—	—	—	3	—	—	—	—	3	3	4280)	2180)	
							सरकल जालोर (चोरी सादा)											
1.	,,	1968	45	11	34	9	3	3	19	—	7	1	7	4	—	8320)	860)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.	भीनमाल	1969	35	5	30	5	6	1	15	2	4	–	7	6	–	1148)	57	8899) 10
3.	,,	1970	28	8	10	5	2	1	12	–	2	–	3	7	–	4466)		3668)
4.	,,	1971	6	1	5	2	–	–	3	–	–	–	–	–	3	2105)		302)

सरकल भीनमाल (चोरी सादा)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	भीनमाल	1968	72	24	48	18	2	4	24	–	4	8	7	5	–	1664)		8821)
2.	,,	1969	53	11	42	15	2	1	24	–	3	3	3	10	–	10526)		3462)
3.	,,	1970	46	22	24	3	1	1	12	–	–	–	1	11	2	3459)		2090)
4.	,,	1971	7	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6	10553)		8400)

Page No 192

परिशिष्ट 7

(अ. प्रश्न सं. 434 की सूची)

जिला बूंदी के स्वतन्त्रता सेनानी एवं उनकी आश्रितों को भूमि जिनको
राज्य सरकार द्वारा पेन्शन। जमीन दी गई है।

(1) श्री ऊपम शंकर पुत्र श्री मूलचन्द	50) रुपया मासिक पेंशन दिनांक 27-11-65 से।
(2) श्रीमती भंवरी बाई बेवा श्री राम कल्याण वकील	50) रु. मासिक पेंशन दिनांक 7-12-7 से (पहिले प्रार्थनी 20) रुपये मासिक पेंशन प्राप्त करती थीं जिसे बढ़ाकर दि. 2-12-67 से 30) रुपये मासिक किया गया है। इसके अलावा 20) रुपये मासिक पेंशन बून्दी राज्य के समय में है।
(2) श्रीमती मथुरा बाई बेवा श्री राम कल्याण वकील	50) रु. मासिक पेंशन दि. 11-6-69 से (पहले प्रार्थनी 20) रु. मासिक पेंशन प्राप्त करती थी जिसे बढ़ाकर दिनांक 11-6-69 से 30) रुपये मासिक किया गया है। इसके अलावा 30) रु. मसिक पेंशन बून्दी राज्य के समय से है।
(3) श्रीमती छोटी निवासी बून्दी	15 बीघा भूमि चम्बल परियोजना में।

परिशिष्ट 8

(प्र. प्र. सं. 435 की सूची)

राज्य सरकार द्वारा सन् 1967 से 1971 तक वर्तमान मंत्री मंडल के सदस्यों को दिये गये कर्ज की सूची

क्र. सं.	मंत्री का नाम व पद	कर्ज की राशि	राशि व तिथि	कार्य	दिनांक 15-4-71 को राशि व सूद व मूलधन	बकाया सूद	अभिव्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
		रु0			रु0		
1.	श्री बरकतुल्ला खां, विधि मंत्री	17,700/–	5–6–68	कार क्रय हेतु	4,916/–	0	
2.	श्री बृजसुन्दर शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री	10,000/–	26–3–68	,,	2,512/–	0	
3.	श्री अमीनुद्दीन अहमद, सार्वजनिक निर्माण मंत्री	19,000/–	11–8–67	,,	–	–	
		20,000/–	12–4–71	,,	20,000/–	0	
4.	श्री नारायण सिंह मसूदा वन मंत्री।	19,000/–	20–9–68	,,	6,800/–	0	
5.	श्री जयकिशन शर्मा, राज्य मंत्री, आयुर्वेद	18,000/–	10–1–68	,,	–	–	
6.	श्री रामदेव सिंह, उपमंत्री, खाद्य	20,000/–	4–5–68	,,	7,940/–	0	अतिरिक्त ऋण
		2,500/–	30–8–69	,,	–	0	द्वितीय कार हेतु
7.	श्रीमती प्रभा मिश्रा, उप मंत्री, विधि	20,000/–	29–6–68	,,	–	–	
8.	श्री भीमसेन, उप मंत्री, उद्योग	18,000/–	26–2–68	,,	4,500/–	0	
9.	श्री शिवचरण सिंह उप मंत्री, आबकारी	20,000/–	27–2 68	,,	–	–	
		20 000/–	18–[illegible]–70	,,	17,088/–	0	

Page No 194

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	श्री कन्हैयालाल, उप मंत्री, वन	20,000/–	18–12–67	कार क्रय हेतु	3,776/–	0	
11.	श्री रामचरण, उप मंत्री, समाज कल्याण	20,000/–	4–12–67	,,	–	–	
12.	श्री समरथलाल उप मंत्री, यातायात	20,000/–	22–5–70	,,	16,256/–	0	
13.	श्री बृज प्रकाश गोयल, उप मंत्री, उपनिवेशन	20,000/–	7–8–68	,,	7,104/–	0	
14.	श्री जसराज, उप मंत्री, मध्यम एवं लघु सिंचाई	20,000/–	25–11–68	,,	2,026/–	0	
15.	श्री गुरुदीप सिंह, उप मंत्री, वृहत सिंचाई।	28,000/–	17–5–69	,,	10,125/–	0	
	योग—	3,22,200/–			93,121.40		

नोट:—1–ब्याज की राशि ऋण की सम्पूर्ण किश्तों के चुकारे के पश्चात् महालेखाकार के द्वारा सूचना देने पर भुगतान की जाती है, क्योंकि ब्याज प्रत्येक मास के अन्तिम दिन बकाया ऋण पर, साधारण ब्याज की दर से जोड़ा जाता है।

2. ब्याज की राशि की सूचना महालेखाकार, जयपुर से अपेक्षित है।

राज्य सरकार द्वारा सन् 1967 से 1971 तक दिये गये, कर्ज की भूतपूर्व मंत्रियों से बकाया की सूची

क.सं.	मंत्री का नाम व पद	कर्ज की राशि	राशि व तिथि	कार्य	दिनांक 15-4-71 को बकाया राशि मूलधन	सूद	अभिव्यक्ति
		रु.				रु.	
1.	श्री मुल्कराज थिंद भूतपूर्व, उप मंत्री स्थानीय स्वायत्त शासन	20,000)–	20–6–69	कार क्रय हेतु	15,840)–	2040/–	करीब

परिशिष्ट 9

(अ. प्र. सं. 438 की सूची)

जालौर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जालौर द्वारा उद्देश्यतर वितरण ऋण दिनांक 1–7–69 से 2 अप्रैल 1971 तक का विवरण

क्र.सं.	ग्राम पंचायत समिति	नया कुआ	ऋण राशि	नया कुआ	ऋण राशि	पम्प सेट	ऋणराशि	बिजली मोटर	ऋण राशि	ट्रेक्टर	ऋणराशि	पक्की नालियां	ऋण राशि	मशीन घर	ऋणराशि	भूमि समतल	ऋण राशि	पाइप लाइन	ऋणराशि	हौद	ऋण राशि	बोरिंग	ऋण राशि
1.	सायला	44	106225	24	25750	59	334600	27	113500	1	25000	3	3000	3	2750	1	2000	1	2500	1	1500	–	–
2.	आहोर	60	185000	21	33500	30	196000	7	32000	10	156675	2	2000	1	250	–	–	–	–	–	–	1	2000
3.	सांचोर	84	219900	42	61550	33	171800	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	जालोर	32	99825	38	56500	30	194650	9	37500	3	65000	3	3000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	रानीवाडा	44	105450	11	17100	23	173000	–	–	–	–	22	2500	1	500	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	भीनमाल	52	118300	31	33950	50	285700	–	–	2	52936	3	4500	–	–	–	–	–	–	–	–	3	22000
7.	अशमपुरा	10	28500	6	9300	4	28000	–	–	3	85000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग		326	863:00	173	24650	229	1388950	43	183000	19	484619.25	13	15000	5	3500	1	2000	1	2509	1	1500	4	24009

ह0
सचिव,
जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक ।

(E)

Approved list of oil engine and pumping set approved by the Rajasthan Rajya Sahkari Bhoomi Vikas Bank Ltd, Jaipur. No. 19820-83, ted 2-2-71.

(1) Ruston
(2) Ajit
(3) Sova
(4) Rocket
(5) Cocel
(6) Noron
(7) Vikrem
(8) Kirloskar
(9) Cooper
(10) Monoloch
(11) Karma
12) Cenoo
(13) Atulshakti
(14) Virsms
(15) Jawahar
(16) Imari
(17) Raregumr
(18) Dipoo
(19) H.T.C.
(20) Ajeet
(21) Recwel
(22) Anil
(23) Trergy
(24) Indce
(25) Agrico

(ख)

जालौर सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जालौर द्वारा मई 1968-69, 1969-70 में पम्पिग सेट--इन्जन हेतु ऋण वितरण का विवरण:--

क्रम सं0	नाम बाबत एन्जिन	संख्या ऋण एन्जिन	सम योग राशि जो वितरण की
1.-	अजीत	62	3,96,350.00
2.-	रस्टम	35	2,24,900.00
3.-	कूपर	16	68,900.00
4.-	राकेट	10	45,900.00
5.-	विशकर्मा	7	42,900.00
6.-	अतुल शक्ति	1	5,900.00
7.-	किर्लोस्कर	1	5,000.00
योग:--		134	7,21,050.00

Page No 198

परीशिष्ट 10

(म. प्र. सं. 439 की सूची)

प्रश्न 2 व 5 की सूची

क्र.सं.	गांवों के नाम	जन संख्या
1	2	3
1.	सुधावा	234
2.	जेसला	149
3.	कोड	520
4.	लालपुरा	268
5.	सीधू	323
6.	धांतीया	571
7.	धादवाल	540
8.	छाजड़ा	426
9.	बिछबाड़ी	1299
10.	बांक	347
11.	गोलासा	858
12.	गार्डली	323
13.	पचारपुरा	527
14.	पालादर	528
15.	काचेला	439
16.	बागसोडी	261
17.	रातोडा	144
18.	सीलसानिया	203
19.	गोमी	157
20.	हाढेचा	1356
21.	इसरोल	278
22.	जानवी	630
23.	गालीधो	431
24.	होटीगांव	521
25.	अगदावा	414
26.	दूधोवा	1152

Page No 199

1	2	3
27.	अकेली	472
28.	सीसेडी	479
29.	कासबांडी	471
30.	रानींदानं	790
31.	पाडारली	196
32.	इटोड़ा	260
33.	आंक़ोली	367
34.	रामपुरा	170
35.	रामाल	156
36.	निम्बस	441
37.	तांतरा	240
38.	जोभावास	598
39.	झाब	1539
40.	बूताल	654
41.	अमटी	619
42.	दूदेअोसान	581
43.	पालड़ी	567
44.	वीरोल	1044
45.	सूरचन्द	606
46.	रेलपुरा	102
47.	खेजड़ीवाली	686
48.	रीदका	197
49.	सांकरीया	200
50.	भावतरा	285
51.	नलदारा	199
52.	केसूरी	553
53.	सरवाना	706
54.	दूबाना	196
55.	वेलबा	246
56.	बातकी	288
57.	उरनवा	161
58.	धींगपुरा	148
59.	सून्धोरी	368

परिशिष्ट 11

(अ. प्र. सं. 440 की सूची)

बाड़मेर जिले में क्षेत्रिय जल प्रदाय ग्रामीण नल योजनाओं की सूची जिनकी सर्वे रिपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार की जाकर योजनाएं बनाई जा रही हैं।

क्रम संख्या	क्षेत्रिय जल प्रदाय योजना का नाम	जल स्रोत का नाम	योजना में लिए जाने वाले ग्रामों के नाम	सन् के आधार पर जन संख्या	जन संख्या जिसके लिए योजना बनाई जा रही हैं	योजना की अनुमानित लागत
1	2	3	4	5	6	7
1.	गोपुरी बांडीवास	बिठुजा बैल	गोपुरी	452	700	
	जनयाना	4000 गैलन	बांडीया-वास	658	1000	2,28,000
		प्रति घंटा	जनयाना	732	1100	
			रन सीन	473	600	
			मोगरा	870	1200	
2.	श्योकर, कुरला	बेदिया बैल	कुरला	400	600	
			अदरा	440	550	
			मंगना	539	800	4,46,000
			किर्दंदी			
			श्योकार	2399	2500	
			रावतसर	1000	1500	
3.	कानसर, कासीर	टयूबवैल	कानसर	950	1600	
		कानसर	ओर	1673	2400	2,17,600
		5300 गैलन	काशीर			
		प्रति घंटा				
4.	खानडप	कासीन बैल	रामसीन	484	780	
			सामदरी	468	750	
			राखी	1401	2200	
			खंडप	2339	3500	8,00,000
			कारवान	1642	2500	
			सवाली	495	750	
			सियाली	377	600	
			दावली	142	250	
			मोतीसार	688	1100	

Page No 201

1	2	3	4	5	6	7
			मरठानदी	529	800	
			सूत्री	439	800	
			गोलीक	574	800	
			सारवारी	780	1200	
5.	ऊंघू, पनबड़ा	ऊंघू टयूबवेल	रक्षाऊ	2124	3200	
			शोबर	1023	1600	22,90,000
			खीनपुर	1034	1600	
			पुनबड़ा	1016	1800	
			कोनोरा	1800	2700	
			रासु	2166	3300	
			मकदरा	2182	3200	

परिशिष्ट 12

(अ. प्र. सं. 442 की सूची)

वर्ष वार खर्चा [लाख रुपयों में]

वर्ष	1965–66 तक	1.59
	1966–67	0.82
	1967–68	0.09
	1968–69	0.06
	1969–70	–
	1670.71	0.07
	कुल योग	2.63 लाख रुपये मार्च 71 तक

Page No 203

परिशिष्ट 13

[अ. प्र. सं. 444 की सूची]

फहरिस्त रक्षा कालोनी कोठी हनुमानगढ़ जंक्शन फसल सन् 1970-71

क्र.सं. 1	नाम काश्तकार 2	रकम 3	जिन्स 4	नहरी 5
1.	अदालत मुन्सिफ कारए जीतसिंह	॥) 2	बरसीम	नहरी
2.	थाना पुलिस का. बाबूसिंह	6)	गन्दम	"
		॥।) 4	बरसीम	"
3.	पी. डब्लू. डी. स्टेट हाऊस	3)	गन्दम	"
4.	नरसरी महकमा वन विभाग	॥।)	पनीरा	"
5.	दफतर एग्रीकल्चर का. हरबन्स सिंह	) 3	गन्दम	"
		) 4	बरसीम	"
6.	दफतर वाटर वर्क्स का. मूलचन्द	1)	गन्दम	"
7.	कोठी डी. एस. पी. साहब	॥) 2	बरसीम	"
8.	कोठी मोरीया साहब एक्स. ई. एन.	2)	गन्दम	"
9.	लक्ष्मी चन्द डी. एम. ओ.	1)	बरसीम	"
10.	कोठी एस. डी. एम. साहब	1)	बरसीम	"
11.	दफतर एस. डी. एम. कोर्ट	1) 1	बरसीम	"
		) 2	सब्जी	"
		) 4	गन्दम	"
12.	कोठी ए. डी. एम. साहब का. हरबन्स	2)	गन्दम	"
		1)	बरसीम	"
13.	कोठी महेश नारायण एस. ई. साहब	5)	गन्दम	"
		3)	बरसीम	"
14.	कोठी ओम प्रकाश एस. डी. ओ.	2)	गन्दम	"
		1)	बरसीम	"
15.	कोठी माथुर साहब एस. डी. ओ.	1)	बरसीम	"
16.	कोठी राजेन्द्र कुमार एस. डी. ओ.	॥)	गन्दम	"
		॥)	बरसीम	"
17.	कोठी मारकन एस. डी. ओ.	1)	गन्दम	"
18.	कोठी पूनम साहब एक्स. ई. एन.	2)	गन्दम	"
		1)	बरसीम	"
19.	कोठी भाटिया साहब एवं ई. एम.	1)	गन्दम	"
		2)	बरसीम	"
20.	कोठी गुरमेल सिंह डिप्टी का. रामस्वरूप	1)	गन्दम	"

2	3	4	5
21. टी. टी. ओ. साहब	।) 3	गन्दम	नहरी
22. स्टेट हाउस आर. सी. पी.	॥)	गन्दम	,,
23. कोठी भूपल साहब एक्स ई. एन.	1)	बरसीम	,,

गन्दम	बरसीम	सब्जी	पनीरी
3॥।) 1	16।) 1	) 2	॥।)

कुल–48॥) 4 बीघा।

ह.
अतिरिक्त जिलाधीश
मण्डी विकास एवं प्रबन्ध
अधिकारी, हनुमानगढ़।

फहरिस्त कोठी जंगला दफ्तर हनुमानगढ़ कालोनी फसल रवी।

क्र.सं. 1	नाम काश्तकार 2	रकम 3	जिन्स 4
1.	अदालत मुन्सिफ रणजीत सिंह	।॥)	जवार
		।॥)	गुवार
2.	पुलिस थाना मानूसिंह	1)	जवार
		॥)	कपास
3.	वन विभाग नफतर	4)	चावल
		॥।)	पनीरी शहतूत
4.	कोठी गणेश नारायण	4॥)	चावल
5.	कोठी मोरिया साहब एवं ई. एन.	॥)	जवार
		2॥)	चावल
6.	कोठी ओम प्रकाश शर्मा एस.डी.ओ. साहब	2)	चावल
		2)	जवार
7.	कोठी माथुर साहब एस. डी. ओ.	1)	चावल
8.	रविन्द्र कुमार एस. डी. ओ.	1)	चावल
9.	कोठी भाखरा नं. एस.डी.ओ. बाबूसिंह	1।)	चावल
10.	कोठी दुग्गल एवं रणजीत सिंह	1)	चावल
11.	कोठी कुन्दन लाल एक्स ई. एन.	2)	जवार
12.	कोठी टी. ओ. साहब	) 8	चावल
13.	कोठी गुरमेल सिंह डिप्टी	) 8	चावल
		2)	जवार

1	2	3	4
14.	दफतर साहब एस. डी. श्रो. रामरख	1)	जवार
15.	कोठी एस. एम. भूपल	2)	चावल
16.	लक्षमी चन्द एस. डी. श्रों. हरबन्ससिंह	।) 3	जवार
		1)	जवार

पनीर	कपास	चावल	जवार	गवार	मीजान
।।।)	1।।)	22) 3	13)	1।।)	38।।।)

ह....

अतिरिक्त जिलाधीश,

मण्डी विकास अधिकारी, हनुमानगढ़ ।

फहरिस्त रकबा जो गंगानगर के बङ्गलों में काश्त हुआ फसल रबी 1970–71 तहसील गंगानगर जिला गंगानगर।

मोगा मंडी नं. 1

क्र. सं. नाम अधिकारी कर्मचारी मय ओहदा	फसल रबी 70–71 में जो रकबा काश्त किया	तहसील जिन्स जो काश्त की बरसीम चारा	सब्जी	बाई
1. श्री यशवन्तसिंह एस. पी.	)1	–	–	)2
2. ,, भोपालसिंह भटनागर	)4	–	)4	–
3. ,, वेद प्रकाश डी. ओ.	।।।)9	।।।)1	–	–
4. ,, शोदत राम एस डी. ओ.	1)	)4	।।।)1	–
5. ,, के. एस. बंग एक्स ई. एन.	1।।)	।।।)	।।।)	–
6. ,, विजयसिंह जिलाधीश	1।।)	।।।)	।।।)	–
7. ,, रामू माली एस. ई. सा.	।।।)	।)	।।)	–
8. ,, गुरुचरनसिंह एस. ई.	1)	1)	–	–
9. ,, लछमनसिंह पंचास नवीस	)2	)2	–	–
10. ,, आर. एन. माथुर एक्स ई एन.	1।)	1)	।)	–
11. ,, भानुप्रकाश शर्मा जज	।।)	।)2	)3	–
12. ,, दलजीतसिंह एक्स ई. एन.	।।)1	।)3	)3	–
	9।)	5।।)2	3।।)1	)2

मन्डी मोगा नं. 2

1. श्री देवेन्द्रसिंह हेडमुंसी एस. ई. सा.	)4	)4	–	–
2. ,, प्यारे मोहन	)1	)1	–	–
2. ,, ओम प्रकाश क्लर्क	)3	)1	–	–
4. ,, मिलाप चन्द जैन जज साहब	।।)	।।)	–	–
5. ,, विरेन्द्रसिंह ए. एस. पी.	।)	।)	।)	–
6. ,, वासुदेव चोपडा	)4	)2	)2	–
मीजान	1।)	।)1	।।।)4	–

मण्डी मोगा

1. श्री वीरेन्द्रसिंह राजवंशी स. प्र.	)2		1)3	
2. ,, ~~सोमनाथ क्लर्क~~	)2	—	)2	
3. ,, एस. एम. चौधरी	11)		11)	—
4. ,, सूरजनारायण जज सा.	1)4		1)	)4
5. ,, ~~राम चन्द्र चौधरी~~	1)		1)	—
6. ,, ज्ञानचन्द अधीक्षक	)2		)2	—
7. ,, सुशील कुमार मिश्रा	)3		)3	—
8. ,, मनीराम कोचर सी. आई. डी.	1)4		1)	)4
9. ,, एस. सी. लेखा प्रिंसीपल	1)4		11)2	11)2
10. ,, रामनारायण कमांडेंट	111)		—	111)
11. ,, आई. एस. मग्गे	2) –		111)1	)4
12. ,, ओम प्रकाश क्लर्क	)2	—	)2	—
13. ,, आत्मा राम मुन्शी	)2		)2	
14. ,, मोहनलाल क्लर्क	)1		—	)1
मीज़ान	7)4		411)4	211)

Page No 208

परिशिष्ट 14

(अ. प्र. सं. 445 की सूची)

नाम	व्यापारिक दुर्ग की संख्या		मंडी समितियों की आय	
	1969-70	1970-71	1969-70	1970-71
1	2	3	4	5
1. भरतपुर	103	100	63,431	—
2. कामां	43	40	26,280.	29190
3. डीग	45	57	45404	43492
4. नदबई	57	58	40851	46968
5. धोलपुर	55	49	25830	26396
6. बाड़ी	52	54	23060	13673
7. बयाना	49	37	138721	35797
8. दौसा	—	80	3126	40275
9. कोटपूतली	33	31	10310	16778
10. बांदीकुई	61	70	26635	39624
11. चाकसू	45	55	14650	15086
12. नरायना	25	24	4550	7584
13. चौमूं	43	46	24252	18312
14. अजमेर	37	40	98608	97237
15. मदनगंज	119	118	34618	3.036
16. ब्यावर	110	119	99172	18614
17. विजयनगर	48	51	25781	34095
18. केकड़ी	70	35	60622	65792
19. नीम का थाना	58	32	28029	12971
20. सीकर	85	68	61260	51063
21. श्रीमाधोपुर	15	8	22230	22630
22. सवाई माधोपुर	65	63	45337	31211
23. सूरजगढ़	15	8	22230	12630
24. फतेहपुर	23	44	11272	10994
25. गंगापुर	69	120	122290	123862
26. हिण्डौन	101	105	622[illegible]1	65880
27. महुवा मण्डावर	68	65	41836	50414
28. टोंक	84	84	39654	31783
29. मालपुरा	54	63	23704	18850

Page No 209

1	2	3	4	5
30. निवाई	78	75	45899	46622
31. देवली	55	37	23005	25136
32. कोटा	91	104	90881	133305
33. बारां	79	77	79194	100350
34. रामगंज मण्डी	97	114	38552	52548
35. सुमेरगंज	22	24	17317	16374
36. अन्ता	82	32	42037	25720
37. बून्दी	63	75	36850	28558
38. भवानीमंडी	80	74	34381	32108
39. चौमेला	24	20	10615	12932
40. फतेहनगर	55	52	19707	24497
41. कपासिन	12	7	17737	9997
42. निम्बाहेडा	54	69	44343	49165
43. प्रतापगढ़	18	54	21229	24813
44. गुलाबपुरा	42	41	23954	26645
45. पाली	25	23	34739	41048
46. सोजत रोड	29	33	39274	39214
47. बांतसर	103	113	15616	20064
48. रानी	16	19	20066	21754
49. सुमेरपुर	71	122	166111	176659
50. शिवगंज	55	32	29713	32760
51. आबूरोड	–	21	–	13351
53. बिलाड़ा	37	43	13167	15894
52. जोधपुर	85	93	209306	226423
53. बिलाड़ा	37	43	13167	15894
54. पीपाड़सिटी	40	38	11049	17704
55. नागौर	50	57	36699	46175
56. मेड़तासिटी	26	66	26468	61515
57. कुचामनसिटी	63	64	22088	27794
58. भीनमाल	46	50	33945	–
59. बाड़मेर	62	31	120048	129494
60. बालोतरा	40	37	41371	39217
61. सादुलपुर	–	73	–	17431

1	2	3	4	5
62. श्रीगंगानगर	140	183	196225	300248
63. रायसिंह नगर	84	79	64415	71307
64. श्रीकरनपुर	68	71	45407	78935
65. श्रीविजयनगर	113	124	79657	116720
66. तौहर	110	132	6488	407382
67. भादरा	103	105	36035	46680
68. हनुमानगढ़	167	176	144880	198632
69. सांगरिया	83	85	81605	112346
70. पदमपुर	63	67	41913	68652
71. गजसिहपुर	56	57	28774	50374
72. केसरसिहपुर	26	32	45950	87097
73. सादुलशहर	48	52	45905	73174
74. पीलीबंगा	153	125	91840	118685
75. नोखा	25	21	18537	24907

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 327 की सूची)

माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर व दिसम्बर 1970 की हरिजन कर्मचारियों के बकाया वेतन की सूची

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	बकाया राशि
1	2	3
1.	श्री मोहनलाल	360.00
2.	,, सूडा राम	690.00
3.	,, हरीशचन्द करल	605.00
4.	,, बाबू लाल	884.09
5.	,, बीरदाराम	900.00
6.	,, चम्पालाल	859.43
7.	,, लालराम	840.88
8.	,, घेवरराम	855.86
9.	,, प्रकाश	749.41
10.	,, प्रकाश	197.18
11.	,, रामेश्वरलाल	754.05
12.	,, धुणाराम	644.05
13.	,, पेमाराम पुत्र मघाराम	625.00
14.	,, पेमाराम पुत्र मालाराम	625.00
15.	,, भानूराम	644.05
16.	,, नानूराम	625.00
17.	,, भोलाराम	591.00
18.	,, महावीर	606.00
19.	,, सोहनलाल	615.00
20.	,, भूराराम	644.05
21.	,, लिच्छूराम	602.34
22.	,, शंकर राम	625.00
23.	,, जीवणराम	644.05
24.	,, सागरमल	690.90
25.	,, मेथूमल	619.00
26.	,, भागीरथ	625.00

Page No 212

1	2			3
27.	श्री सुखाराम			625.00
28.	,, सुभाराम			642.04
29.	,, छोटूराम			644.05
30.	,, पांचूराम			624.09
31	,, दुड़ाराम			625.00
32.	,, धुनाराम			625.00
33.	,, मुवाराम			544.02
34.	,, जेताराम			610.00
35.	,, विरूराम			13.10
36.	,, नागरमल			149.55
37.	,, बद्रीप्रसाद			593.15
38.	श्रीमती छोटां	वाईफ	मंशीराम	825.00
39.	,, धीसी	,,	आसूराम	615.00
40.	,, पीरां	,,	भंवरलाल	615.00
41.	,, मनोहरी	,,	गोकराम	615.00
42.	,, पंचरी	,,	चम्पालाल	611.26
43.	,, बिदामी	,,	सुन्डाराम	611.26
44.	,, धनी	,,	कालूराम	603.12
45.	,, सुन्दरी	,,	गोरूराम	605.00
46.	,, मनी	,,	हीराराम	601.21
47.	,, मोहनी	,,	सोहनलाल	60.000
48.	,, कमला	,,	सुखाराम	595.00
49.	,, मीरां	,,	माणकचन्द	603.12
50.	,, लाडां	,,	लालराय	605.00
51.	,, भंवरी	,,	कालूराम	613.08
52.	,, मिश्री	,,	कनाराय	615.00
53.	,, केफां	,,	मंगलुराम	608.60
54.	,, रानी	,,	सूरजमल	610.00
55.	,, पाना	,,	मेवाराम	603.12
56.	,, कानी	,,	गणपतराम	594.37
57.	,, लक्ष्मी	,,	टीकुराम	600.00
58.	,, मोहनी	,,	कुषमल	595.00
59.	,, रतनी	,,	चन्दरान	590.00
60.	,, जगन्नाथ			373.60
				37,683.60

परिशिष्ट 16

(तारांकित प्रश्न सं. 427 की सूची)

राजस्थान में नहरी कमाण्ड एरिया की उपलब्ध भूमि
जिसका स्थाई आवंटन नहीं हुआ है।

क्र. सं. 1	नाम जिला 2	नहरी भूमि उपलब्ध बाघों में 3
1.	अजमेर	2318/–
2.	कोटा	71122/–
3.	भीलवाडा	2122/–
4.	चित्तौड़गढ़	1608/–
5.	सिरोही	1747/–
6.	टोंक	10032/–
7.	गंगानगर	78710/–
8.	झालावाड़	2045/–
9.	भरतपुर	4037/–
10.	बून्दी	17144/–
11.	जालौर	142/–
12.	डूंगरपुर	1111/–
13.	उदयपुर	7176/–
14.	सवाईमाधोपुर	12936/–
15.	जयपुर	1861/–

नोट:–राजस्थान नहर परियोजना में स्थाई आवंटन नियमों के अवैध करार दिये जाने के कारण स्थगित है। अतः अस्थाई आवंटन ही किया जा रहा है।

शुद्धि पत्र

(गुरुवार, दिनांक 22 अप्रेल, 1971)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
1	2	3	4
4	6	कुडी	कुड़ी
8	अन्तिम से 12	रामचन्द	रामचन्द्र
13	,, 9	श्रा ॰ हेन्द्रसिह	श्री महेन्द्रसिंह
24	,, 1	ठॉक	ठीक
35	अन्तिम से 16	2964	1964
37	,, 10	शकरलाल	शंकरलाल
40	अन्तिम से 10	,,	,,
41	,, 3	श्री ·····क्ष	श्री अध्यक्ष
42	,, 12	भैसिंह	भैरोंसिंह
45	अन्तिम से 19	श्री हीरालला वपुरा	श्री हीरालाल देवपुरा
51	,, 16	1668-69	1968-69
52	,, 13	न्या	न्याय
53	12	विका	विकास
56	शीर्ष	तारांकित प्रश्नोत्तर	शीर्ष में स्कम्भ सं. 562 से 92 तक "तारांकित प्रश्नों" के स्थान पर अतारांकित प्रश्न पढ़ें ।
65	अन्तिम से 6	सात	साथ
65	,, 2	केशरीसिंह हाडा	श्री केशरीसिंह हाडा
85	,, 3	पावधान	प्रावधान
92	6	चोहान	चव्हान
93	3	श्री व. व. चव्हान	श्री वाई. वी. चव्हाण
93	,, 11	सीज-	सीजन
93	,, 12	वि. व.	क्वि.
94	,, 9	उसी	जैसी
94	,, 18	ि	कि
97	शीर्षक 1	थगन	स्थगन
99	अन्तिम से 3	श्री रामानद	श्री रामानन्द
105	,, 5	वाहर	बारे
111	,, 9	समया	समस्या
113	अन्तिम से 8	सज्जी	सब्जी

1	2	3	4
126	अन्तिम से 10	प्रवन्ब	प्रबन्ध
127	,, 21	स्पटीकरण	स्पष्टीकरण
133	,, 5	अ ग्रवाल	अग्रवाल
133	अन्तिम से 9	20-2-8	20-2-68
134	,, 19	Considration	Consideration
136	,, 11	रामान्द अग्रवाल	रामानन्द अग्रवाल
138	1	एक्सटा	एक्स्ट्रा
142	शीर्षक 1	147	142
142	12	Bngani	Bengani
143	अन्तिम से 9	श्री रमनरायण	श्री रामनारायण
146	,, 3	सवल	सवाल
148	,, 14	1071	1971
150	7	माननीय	माननीय
150	7	एम्सपंज	एक्सपंज
155	7	श्री गिरधारलाल व्यास	श्री गिरधारीलाल व्यास
161	3	श्री किशा लाल वर्मा	श्री किशनलाल वर्मा
163	अन्तिम से 18	कार दि	कर दिया
165	शीर्षक 1	2 अप्रेल	22 अप्रेल
168	अन्तिम से 6	पूडावत	चूडावत
173	अन्तिम से 18	श्री देी दत्त गाडिया	श्री देवीदत्त गाड़िया
174	1	1.	19
175	1	का	कम
176	5	19	79
181	8	10	19
187	अन्तिम से 17	133	138
191	1	पशु ला	पशुमेला
196	15	3	30
200	1	गो लप्रसाद	गोकुलप्रसाद
201	6	मां	मांग
201	14	3	31
201	16	मार्केटिग	मार्केटिंग
204	12	वार्यो	कार्यो
207	शीर्ष 1	(राजीव श्री रूपसिंह)	(राजवी श्री रूपसिंह)
209	शीर्ष 1	,,	(हंसराज आर्य)
234	शीर्षक 1	एध	एवं
242	7	सूला या	सुलानिया
242	,, 1	दसरी	दूसरी
243	,, 4	बैठी	बैठ
244	,, 1	वास्तह	वास्तव
245	,, 4	घे	ये
247	,, 5	ति	कि
247	,, 16	उसक	उसके

1	2		3	4
247	अन्तिम से	15	(उ.म.प)	(उ.म.प.)
247	,,	14	दासीन)	पदासीन
251	,,	13	उसके–	उसके लिये
255	शीर्ष	1	श्री जुसारसिंह	श्री जुझारसिंह
263	अन्तिम से	16	पचायत	पंचायत
268	,,	7	26 अग्रेल	26 अप्रेल
269		7	घ्यक्ति	व्यक्ति
269	अन्तिम से	12	बिद्यालय	विद्यालय
271		2	सामने	—
273		2	ओह	और
273		3	म	में
274	अन्तिम से	1	जनत	जनता
275	अन्तिम से	2	जावर	जानवर
279		13	नेना	नेता
280	,,	7	टैस्ट	टैक्स
283		6	नहीं	कहीं
283	अन्तिम से	9	वार	बार
284	,,	18	वैंकों	बैंकों
296		10	नहीं	नहीं हो
296		13	समापती	सभापति
303	अन्तिम से	2	रिंचाई	सिंचाई
308	,,	19	हले	पहले
312	,,	9	सा	कैसा
313	,,	11	मिलिस्ट्री	मिलिट्री
315	अन्तिम से	14	प्रबन्ध	प्रबन्ध
315	,,	4	आषको	आपको
317	,,	9	रिजर्ब	रिजर्व
313	,,	13	सदस्यों–	सदस्यों ने
322	,,	8	आपकं	आपके
323		14	अ–वाल	अग्रवाल
323	अन्तिम से	10	गवर्मेमंट	गवर्नमेंट
330	,,	12	मिटिंग	मिटिंग
330	अन्तिम से	2	शुश्किल	मुश्किल
333	,,	12	का	—
334	,,	19	ने	से
335		4	रुपमा	रुपया
335		10	आलकल	आजकल
336	अन्तिम से	4	श्री रामाकिशन	श्री रामकिशन
337	,,	5	निवे–	निवेदन
338		9	महकने	महकमे
341		3	की	को
341		4	माचं	मार्च
342	अन्तिम से	3	दिनांक–	दिनांक 26

1	2	3	4
345		12 भूखन्ड	भू-खण्ड
352	अन्तिम से	16 पुमिस	पुलिस
353		3 जमता	जनता
361	शीर्षक	1 मीनमान	भीनमाल
363		2 उनकी	उनको
364	पे. न.	363	364
380	"	300	380